क़रीन ए ज़िन्दगी

मुहम्मद फारूक ख़ान अशरफी रज़वी

786/92

मज़ीद इज़ाफ़ा के साथ

क़रीन-ए-ज़िन्दगी

इस्लाम की रौशनी में

मियाँ बीवी के ख़ास तअल्लुक़ात बताने वाला मुख़्तसर मगर जामेअ़ रिसाला

अज़

हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ रज़ा ख़ाँ रिज़वी नागपूर



अनुवादक

मो० मोबर्रा ज़हीर

शर्फ़े इंतिसाब

इमाम अ़लाम, मुरशिदुलअनाम, क़ाज़ी अलबिलाद, मुफ़्ती अलअ़बाद, क़ुतुबुलइरशाद, इमाम फ़िजमीऊलकमालात, इमाम फ़िलआफ़ाक़, इमाम अलीउलतलाक़, फ़क़ीहुन्नफ़्स, इमामे अजल, वारिसुलअंबिया, नाईब ग़ौसुलवरा, इल्मुलउलमा इंदुलउलमा, उस्ताज़ुलउलमा, आशिक़ रसूल, फ़नाफ़ी रसूल, जामे शरिअत, बह्रे तरीक़त, पास्बाने सुन्नत, ताजदार अह्ले सुन्नत, अज़ीमुलबरकत, बाला मंज़िलत, इमामे इश्क़ व मुहब्बत, मवेद मिल्लत ताहरा, मुजददिद मआते हाज़रा, सैयदना व मुरशिदना व मौलाना व ऊलमा व मुफ़्ती अलहाज अबूहामिद।

आला हज़रतुलशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िल बरैलवी (रज़ीअल्लह अन्हुम)

के नाम

जिनके बारगाहे अज़मत में नज़्र करने को अपनी सआ़दत व नजात का ज़रिया और कामियाबी व कामरानी का वसीला तस्व्वुर करता हूँ।

सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग़
अहमद रज़ा की शम्मा फ़रोज़ाँ है आज भी

और

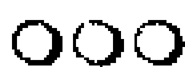
गुलामे मुस्तफ़ा, आशिक़ ताजुलविरा, मुहिब्बे इमाम अहमद रज़ा, क़ातेअ़ सुलह कुल्लियत

अलहाज गुलाब ख़ाँ क़मर साहब अलैहिरहमा

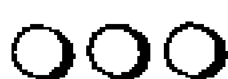
के नाम

जिनकी उम्दा तरबीयत व शफ़क़त ने इस हक़ीर को शुऊर बख़्शा और पहचान सुन्नत आला हज़रत की मुहब्बत व उलफ़त से हमकिनार फ़रमाया। ख़ुदावंद करीम उनके क़ब्र को अनवार व तजल्लियात से मामूर फ़रमाए। अमीन!

नाचीज़ सगे आला हज़रत
मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ रिज़वी



फ़ेहरिस्त मज़ामीन



तक़रीज़

मुफ़क्किराने इस्लाम, उसताज़ुलउलमा हज़रत अल्लामा
मुफ़्ती अब्दुलहलीम अशरफ़ी रज़वी साहब नागपूर
(दामत बरकातहुम आलिया सरपरस्त
आला दावते इस्लामी हिन्दुस्तान)

ज़ेरे नज़र किताब (क़रीना–ए–ज़िन्दगी) मिल्लत के उन अफ़राद के लिए बेहद फ़ाएदामंद साबित होगी जो अज़दवाजी (शादी शुदा) ज़िन्दगी से जुड़े हैं। खुसूसन वह नौजवान जो अपनी लाइल्मी और मज़हब से दूरी के सबब ग़ैर इंसानी हरकतें कर के अल्लाह अज्जावजल और रसूल अकरम (स.अ.व.) की नाराज़गी मोल लेते हैं।

याद रखिए दुनिया का वह वाहिद मज़हब, मज़हबे इस्लाम है जो ज़िन्दगी के हर मोड़ पर हमारी रहबरी करता हुआ नज़र आता है। पैदाईश से लेकर मौत तक, घर से ले कर बाज़ार तक, इबादत से लेकर तिजारत तक, ख़िलवत से लेकर तिजारत तक ग़र्ज़ेकि किसी भी शोबे के तअल्लुक़ से आप सवाल करें, इस्लाम हर एक का आप को इत्मीनान बख़्श जवाब देता नज़र आएगा।

हमारे नबी (स.अ.व.) आख़िरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई नबी बन कर नहीं आएगा। उसी आख़री नबी का लाया हुआ दीन वह क़ानून भी आख़री क़ानून है। अब क़यामत तक कोई नया दीन व क़ानून नहीं आएगा। इसलिए मिल्लत के अफ़राद से अपील है कि वह दूसरों की नक़्ल करने से बचें। नक़्ल तो वह करे जिसके पास अस्ल न हो। हम तो वह खुश क़िस्मत उम्मत हैं जिसको क़यामत तक के लिए दस्तूरे हयात दे दिया गया है ताकि ये क़ौम

क़यामत तक किसी की मुहताज न रहे।

अज़ीज़े ग्रामी फ़ाज़िल नौजवान मोहतरम मुहम्मद फ़ारूक ख़ाँ रिज़वी सल्लमहु, ने ऐसी नेचरियत के माहौल में इस किताब "करीना–ए–ज़िन्दगी" के ज़रीए सही रहनुमाई की बहुत कामियाब कोशिश की है। अल्लाह तआला इस किताब के मुअल्लिफ़ को जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए और इस किताब को हिदायत का ज़रीया बना दे। आमीन!

नाचीज़

अब्दुलहलीम गफ़रलहू

ख़तीब रज़ा मस्जिद, बंगाली पंजा, नागपूर (महाराष्ट्र)

○○○

अर्ज़े मुसन्निफ़

कुदरत ने हर नर के लिए मादा और मादा के लिए नर पैदा फ़रमा कर बहुत से जोड़े आलम में बनाए और हर एक की मशीन पर मुख़्तलिफ़ पुर्ज़ों को इस अंदाज़ के साथ सजाया कि वह हर एक की फ़ितरत के मुताबिक़ एक दूसरे को फ़ाएदा पहुंचाने वाले और ज़रूरतों को पूरा फ़रमाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने मर्द और औरत के अन्दर एक दूसरे के ज़रीए सुकून हासिल करने की ख़्वाहिश रखी है। चुनाँचे मज़हबे इस्लाम ने इस ख़्वाहिश का एहतराम करते हुए हमें निकाह करने का तरीक़ा बताया ताकि इंसान जाइज़ तरीक़ों से सुकून हासिल करे और गुनाहे कबीरा का मुरतकिब न हो।

इस ज़माने में अक्सर मर्द निकाह के बाद अपनी लाइल्मी और शरई तालीमात से दूरी के सबब तरह तरह की ग़लतियाँ करते हैं और नुक़्सानात उठाते हैं। इन नुक़्सानात से उसी वक़्त बचा जा सकता है जबकि उसके मुतअ़ल्लिक़ सही इल्म हो। अफ़सोस इस ज़माने में लोग किसी आलिमे दीने या फिर किसी जानकार शख़्स से मियाँ बीवी के ख़ास तअ़ल्लुक़ात के मुतअ़ल्लिक़ पूछने या मालूमात हासिल करने में हिचकिचाते हैं। हालाँकि दीन की बातें और इस तअ़ल्लुक़ से मालूमात व शरई मसाइल मालूम करने में कोई शर्म व हिचकिचाहट महसूस नहीं की जानी चाहिए। हमारा रब अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फ़रमाता है:

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ط

"तो ऐ लोगो! इल्म वालों से पूछो
अगर तुम्हें इल्म न हो।"

(तर्जुमा: कन्ज़ुलईमान पारा—17 सूरह अंबिया रुकूअ—1 आयत- 7)

हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ

"इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।"

(मिश्कात शरीफ़ जिल्द—1 हदीस—206 सफ़्हा—68 + कीमियाए सआदत सफ़्हा—127)

अक्सर देखा गया है कि लोग मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली ख़ास चीज़ों के बारे में पूछने में शर्म व हया महसूस करते हैं और उसे बेहूदापन व बेशर्मी समझते हैं। यही वह शर्म और झीजक है जो ग़लतियों का सबब बनती है और फिर सिवाए नुक़्सान के कुछ हाथ नहीं आता।

एक साहब मुझ से कहने लगे क्या ये शर्म की बात नहीं कि आप ने ऐसी किताब लिखी है जिसमें मुबाशरत के बारे में साफ़ साफ़ खुले अंदाज़ में बयान किया गया है। अगर मैं ये किताब अपने घर पर रखूँ और वह मेरी माँ बहनों के हाथ लग जाए तो वह मेरे मुतअल्लिक़ क्या सोचेंगी कि मैं ऐसी गंदी किताब पढ़ता हूँ। उनकी ये बात सुन कर मुझे उनकी कम अक़्ली पर अफ़सोस हुआ। मैंने उनसे ये सवाल किया "आपके घर टी.वी. है?" कहने लगे हाँ है। मैंने कहा "जनाब! मुझे बताइए जब आप एक साथ एक ही कमरे में अपनी माँ बहनों के साथ टी.वी. पर फ़िल्में, डिरामे देखते हैं और उसमें वह सब देखते हैं जो अपनी माँ बहनों के साथ तो क्या अकेले में भी देखना जाइज़ नहीं, तो आपको उस वक़्त शर्म क्यों नहीं आती?"

मोहतरम भाईयो! शरई रौशनी में अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए ऐसी बातों की मालूमात हासिल करना और उन्हें बयान करना बेहद ज़रूरी है और इसमें यक़ीनन किसी क़िस्म की बेशर्मी व बेहूदापन हरगिज़ नहीं। देखीए! हमारा परवरदिगार अज़्ज़ो जल

क्या इरशाद फ़रमाता है:

وَاللّٰهُ لَايَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ط

"और अल्लाह हक़ फ़रमाने में नहीं शर्माता।"

(तर्जमा: कंज़ुलईमान पारा–22 सूरह अहज़ाब रुकूअ–7 आयत–53)

अहादीस में मौजूद है कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) के ज़ाहिरी ज़माने में औरतें भी अज़दवाजी ज़िन्दगी में आने वाले ख़ास मसाइल के बारे में नबी करीम (स.अ.व.) से सवाल पूछा करती थीं। चुनाँचे उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) इरशाद फ़रमाती हैं:

نعم النساء نساء الانصار لم یمنعھن الحیاء ان یتفقھن فی الدین

"अन्सारी (मदीना मनव्वरा की) औरतें क्या ख़ूब हैं कि उन्हें दीन समझने में, झूटी हया मानेअ नहीं होती यानी वह दीनी बातें मालूम करने में बेजा नहीं शर्मातीं।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–92 सफ़्हा–150 + इब्ने माजा जिल्द–1 हदीस–680 सफ़्हा–202)

मालूम हुआ कि दीन समझने में किसी क़िस्म की कोई शर्म व हया नहीं होनी चाहिए और अगर ये बातें (यानी मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली चीज़ें) बेहूदा या गंदी होतीं तो उसे हमारे प्यारे आक़ा व मौला सरकार (स.अ.व.) क्यों बयान फ़रमाते और सहाबए कराम, अइम्मए दीन, बुज़ुर्गाने दीन उसे क्यों रिवायत करते और इन बातों को उलमाए किराम आज तक क्यों बरक़रार रखते और लोगों तक क्यों पहुंचाते। क्या कोई शर्म व हया में नबी करीम (स.अ.व.) से ज़्यादा हो सकता है। यक़ीनन नहीं, हरगिज़ नहीं। अलहम्दुलिल्लाह! हमारा अक़ीदा है कि सरकार (स.अ.व.) ने बिला झिजक यह तमाम चीज़ें साफ़ साफ़ बयान फ़रमा दीं जिस पर अमल करने में हमारे लिए ही फ़ाएदे हैं और हर उस बात से मना फ़रमाया जिसके करने में हमारी ही ज़ात को नुक़सानात है।

मुअज्ज़ज़ कारईन किराम! इस किताब को लिखने का ख़्याल उस वक्त जेहन में आया जब इस हक़ीर से इसके बहुत से अहबाब ने (जिनमें अक्सर शादी शुदा भी हैं) इसरार किया कि इस उनवान पर कोई इस्लामी रंग व रूप में सजी संवरी किताब लिखी जाए ताकि नावाकिफ मुसलमानों को मुबाशरत के आदाब और अज़दवाजी जिन्दगी में पेश आने वाले मालूमात में शरई अहकाम मालूम हो सकें और वह अपनी ज़िन्दगी को इस्लामी रंग ढंग में ढाल कर गुज़ारें। मेरी भी ख़्वाहिश थी कि इस मुतअल्लिक़ जिस क़दर भी मालूमात ज़ेहन में महफ़ूज़ हैं उसे सफ़हए क़िरतास पर तहरीर कर दूँ लेकिन तादम तहरीर गैर शादी शुदा होने की वजह से इस क़िस्म की झिजक भी महसस हो रही थी लेकिन दोस्तों और अज़ीज़ों की हिम्मत अफ़ज़ाई ने एक हौसला बख़्शा जिसका नतीजा इस वक़्त आपके हाथों में है।

वैसे ये बात इस हक़ीर सरापा तक़सीर के गोशए ज़ेहन में भी न थी कि मुझ जैसे नाक़ाबिले ज़िक्र, ज़ईफ़ुलइरादा नाकारा शख़्स की ये अदना सी काविश जो "क़रीन–ए–ज़िन्दगी" की शक्ल व सूरत में आपके पेशे नज़र है, इस दर्जा मक़बूले ख़ास व आम होगी। ये क़ीनन अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का फ़ज़ल व करम और उसके प्यारे हबीब और हमारे आक़ा व मौला हुज़ूर सैय्यदे आलम सरकार (स.अ.व.) की निगाहे इनायत और मेरे आक़ाए नेमत, मुजद्दिदे आज़ाम सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िल बरैलवी (रज़ि.) का फ़ैज़ाने करम है कि इस मुश्ते ख़ाक को ये सआदत मुयस्सर आई।

"क़रीन–ए–ज़िन्दगी" का पहला एडिशन जुलाई 1997ई0 को जश्न ईदे मिलादुन्नबी (स.अ.व.) के पुरनूर मौक़ा पर मंज़रेआम पर आया और आते ही इस क़दर मक़बूल हुआ कि इसकी दो हज़ार कापियाँ सिर्फ़ दो माह के अन्दर ही ख़त्म हो गईं। दूसरा एडिशन की शदीद ज़रूरत महसूस की जाने लगी। चुनाँचे इसका दूसरा एडिशन 3 हज़ार कापियों का नवम्बर को मंज़रेआम पर लाया

गया। ये एडिशन भी हाथों हाथ लिया गया। फिर इसका तीसरा एडिशन एक हज़ार कापियों का ख़ून 1998 ई० में छपा जो सिर्फ़ चार माह के अन्दर ही ख़त्म हो गया और मुसलसल माँग जारी रही, फिर अप्रैल 1999 ई० को चौथा एडिशन तीन हज़ार कापियों का मंज़रेआ़म पर आया। फिर नवम्बर 2000 ई० को पाँचवाँ एडिशन एक हज़ार कापियों का छपा। जनवरी 2000 ई० को एक हज़ार कापियों का एडिशन छपा। फिर मज़ीद अक्तूबर 2000 ई० को सातवाँ एडिशन एक हज़ार कापियों का मंज़रेआ़म पर आया। ये तमाम एडिशन हिन्दी ज़बान में थे। तादम तहरीर सातवाँ एडिशन मंज़रेआ़म पर है।

इस किताब को उलमा व ख़्वास और अवामुन्नास ने बहुत पसंद किया। इस सिलसिला में सैकड़ों उलमाए अह्लेसुन्नत ने अपनी दुआ़वों से नवाज़ा और ख़ैर ख़्वाह हज़रात ने ख़ुतूत के ज़रीए हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से किताब की मक़्बूलियत बढ़ती ही गई हत्ता कि एक वक़्त वह आया कि "क़रीन-ए-ज़िन्दगी को हमारे इस्लामी बरादर मोहतरमुलमुक़ाम जनाब मुहम्मद रफ़ीक़ अहमद क़ादरी रिज़्वी साहब ने अहमदाबाद में गुजराती ज़बान में तर्जमा कर के अहमदाबाद की सरज़मीन पर होने वाले दावते इस्लामी के सालाना आलमी 1998 ई० के इजतिमाअ़ में हज़ारों की तादाद में शाये फ़रमाया जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया और ख़ूब ख़ूब सराहा। उसी दौरान हिन्दुस्तान के दीगर मुक़ामात और पाकिस्तान, सऊदी अरब वग़ैरा से भी सैंकड़ों मुख़लिस हज़रात ने ख़ुतूत के ज़रीए और नाचीज़ से तअल्लुक़ रखने वाले मुक़ामी उलमा कराम ने ज़बानी इस ख़्वाहिश का इज़हार किया कि इस किताब को उर्दू ज़बान में भी लाया जाए ताकि उससे उर्दू दाँ तबक़ा भी इस्तिफ़ादा कर सके। चुनाँचे इन तमाम हज़रात की ख़्वाहिश का एहतराम करते हुए और उलमाए अह्लेसुन्नत के हुक्म की तामील में इस किताब को उर्दू में आपके रूबरू पेश करने की सआ़दत हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह

तआला उर्दू ज़बान में भी ये किताब पहले से और ज़्यादा मक़बूलियत हासिल करेगी।

"करीन–ए–ज़िन्दगी" की इस अज़ीम कामियाबी पर अपने करम फ़रमा उलमाए अह्लेसुन्नत, पासबाने सुन्नत व नाशरीन मस्लके आला हज़रत (रज़ि.) जिनमें मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अब्दुलहलीम साहब अशर्फ़ी रिज़वी साहब क़िब्ला, उस्ताज़ुउलमा हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मनसूर रिज़वी साहब क़िब्ला, नक़ीब अह्लेसुन्नत हज़रत मौलाना फ़ख़रुद्दीन अहमद क़ादरी मिस्बाही साहब क़िब्ला, फ़ाज़िल ग्रामी हज़रत मौलाना मुफ़्ती नज़ीर अहमद साहब क़िब्ला, ख़तीब ज़ीशान हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम रिज़वी साहब क़िब्ला, माहिरे सुख़न हज़रत मौलाना अब्दुर्रशीद जबलपूरी साहब क़िब्ला वग़ैरा हम को दिल की गहराईयों से शुक्रिया आदा करता हूँ कि इन हज़रात ने वक़्तन फ़ौक़्तन इस्लाह फ़रमाई और हमेशा अपने नेक मशवरों से बिलखुसूस अपनी मख़्सूस दुआवों से नवाज़ते रहे और हमेशा हर हाल में नाचीज़ की हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाते रहे हैं।

इसी सिलसिले में मुहब्बे ग्रामी जनाब इरशाद हुसैन क़ादरी, जनाब गुलाम ज़ीलानी आसवी, जनाब मुहम्मद आबिद वास्ती (आबिद डेरी) जनाब मुहम्मद सरवर ख़ाँ वास्ती, जनाब नसीम कुरैशी साहबान का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि इन हज़रात ने उर्दू एडिशन को मंज़रेआम पर लाने में हरमुमकिन कोशिश फ़रमाई! मौला तआला उन सब के इल्म व अमल और कारोबार में रोज़ अफ़ज़ूँ तरक्क़ी अता फ़रमाए और खुलूस के साथ दीने मतीन की बेश अज़ बश ख़िदमत की तौफ़ीके रफ़ीक़ बख़्शे। आमीन!

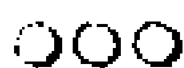
आख़िर में एक अहम बात और अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस किताब में जिस क़दर भी बातें नक़ल की गई हैं वह कुरआने करीम, अहादीसे रसूल, अइम्माए कराम की तसानीफ़, अकाबरीने उलमाए अह्लेसुन्नत व बुज़ुर्गाने दीन की मुस्तनद

किताबों से ली गई हैं। ये सारी बातें नाचीज़ का कोई ज़ाती ख़्याल या राय नहीं है। इस एडिशन में मज़ीद हवालाजात का इज़ाफ़ा भी कर दिया गया है और इसकी तसहीह में भी हत्तलइमकान बड़ी बारीक बीनी से काम लिया गया है। मुन्सिफ़ मिज़ाज नाज़रीन किराम से उम्मीद है कि बहुक्म हज़रत मौला अली करमुल्लाह तआला वजहुलकरीम لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال मुतकल्लिमे आजिज़ की बेमाएगी पर नज़र न फ़रमाएं बल्कि कलाम को देखें कि माख़ज इसका कुरआन व अहादीस व अक़वाल सहाबा, ताबईन व अइम्मा वह उलमा व मशाएख़ उम्मत हैं और जो लताइफ़ अपने ज़ेहन से लिखे हैं वह भी उसूले शरअ़ और तरीक़ए सलफ़ के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन अगर कहीं इस सरापा तक़्सीर की कोई ग़लती नज़र आए तो ज़बान तअ़न व तशनीअ़ के साथ न खोलें कि तअ़न व तशनीअ़ मोमिने सालेह का काम नहीं। लिहाज़ा बराए करम ग़लती से मुत्तला फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह आप इस हक़ीर को रुजूअ़ के हक़ में मुतअस्सिब व कोताह अंदेश न पाएंगे।

अल्लाह तआला हमें समझने, सीखने, सिखाना, और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन!

بجاہ حبیبہ الکریم علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیم

तालिब दुआ सगे बारगाहे आला हज़रत
मुहम्मद फ़ारूक़ रज़ा ख़ाँ रिज़वी
25 नवम्बर 2000 ई0



बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

نحمده و نصلي على رسوله الكريم امابعد

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

فانكحوا ماطاب لكم من النساء......الخ

तर्जमा: तो निकाह में लाओ जो तुम्हें खुश आऐं।

(तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–4 सूरह निसा रुकूअ़–12 आयत–3)

हदीस: नूरे मुजस्सम, फ़ख़्रे दो आलम, रसूले अकरम, फ़ख़्रे बनी आदम, मालिके दो जहाँ, हबीबे किब्रिया, ख़ातमुलअंबिया, ताजदारे मदीना, नबीए रहमत, शाफ़ेए महशर, अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

हदीस: النكاح من سنتي

तर्जमा: निकाह मेरी सुन्नत है। (इब्ने माजा जिल्द–1 बाब नम्बर–599 हदीस नम्बर–1931 सफ़्हा–518)

हदीस: और फ़रमाते हैं हमारे प्यारे मदनी आक़ा (स.अ.व.):

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

तर्जमा: बंदे ने जब निकाह कर लिया तो आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। अब बाक़ी आधे के लिए अल्लाह तआ़ला से डरे। (मिशकात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस नम्बर–2962, सफ़्हा नम्बर–72)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रवायत है कि सरकारे मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

तर्जमा: ऐ जवानो! जो तुम में से औरतों के हुकूक़ अदा करने की ताक़त रखता है तो वह ज़रूर निकाह करे क्योंकि ये निगाह

झुकता और शर्मगाह की हिफ़ाज़त करता है और जो इसकी ताक़त न रखे वह रोज़ा रखे क्योंकि ये शह्वत को कम करता है।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 हदीस नम्बर–59 सफ़्हा–52 + तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 हदीस नम्बर–108 सफ़्हा नम्बर–355)

मसला: एतेदाल की हालत में यानी न शहवत का बहुत ज़्यादा ग़लबा हो न इन्नीन (नामर्द) न हो और महर व नान व नफ़क़ा पर क़ुदरत भी हो तो निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है कि निकाह न करने पर अड़ा रहना गुनाह है।

मसला: शहवत का ग़लबा ज़्यादा है और मआज़ अल्लाह अंदेशा है कि ज़िना हो जाएगा और बीवी का महर और नान व नफ़क़ा देने की क़ुदरत रखता है तो निकाह करना वाजिब है। यूँही जबकि अजनबी औरत की तरफ़ निगाह को उठाने से रोक नहीं सकता या मआज़ अल्लाह! हाथ से काम लेना पड़ेगा तो निकाह करना वाजिब है।

मसला: ये यक़ीन हो कि निकाह न करने से ज़िना वाक़ेअ हो जाएगा तो ऐसी हालत में निकाह करना फ़र्ज़ है।

मसला: अगर ये अंदेशा है कि निकाह करेगा तो नान व नफ़क़ा न दे सकेगा या जो ज़रूरी बातें हैं उनको पूरा न कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह है।

मसला: यक़ीन है कि नाम व नफ़क़ा नहीं दे सकेगा तो ऐसी हालत में निकाह करना हराम है। (मगर बहरहाल निकाह किया तो हो जाएगा)

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़्हा नम्बर–6 + क़ानून शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा नम्बर–44)

निकाह किन लोगों से जाइज़ नहीं

दुनिया में इंसान के वजूद को बाक़ी रखने के लिए क़ानून ख़ुदा के मुताबिक़ दो मुख़ालिफ़ जिन्स का आपस में मिलना ज़रूरी है लेकिन इसी क़ानून के मुताबिक़ कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनका जिन्सी तौर पर आपस में मिलना क़ानूने ख़ुदा के ख़िलाफ़ है।

आयतः चुनाँचे अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता हैः

حرمت عليكم امهتكم وبنتكم واخواتكم و عمتكم
و خلتكم و بنت الاخ وبنت الاخت و امتهتكم و
امتهتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة
وامهت نسائكم............الخ

तर्जमाः हराम हुईं तुम पर तुम्हारी माएें और बेटियाँ और बहने और फूफियों और ख़लाऐं और भतीजियाँ और भाँजियाँ और तुम्हारी माऐं जिन्होंने दूध पिलाया और दूध की बहनें और (तुम्हारी) औरतों की माऐं। (तर्जमा कंजुलईमान पारा–4 सूरह निसा रुकूअ़–15 आयत–23)

कुरआन करीम की इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि माँ, बेटी, बहन, फूपी, ख़ाला, भतीजी, भाँजी, दादी, नानी, पोती, नवासी, सगी सास वग़ैरा से निकाह करना हराम है।

मसलाः माँ सगी हो या सौतेली, बेटी सगी हो या सौतेली, बहन सगी हो या सौतेली, इन तमाम से निकाह हराम है। इसी तरह दादी, परदादी, नानी, परनानी, पोती, परपोती, नवासी, परनवासी, बीच में चाहे कितनी ही पुश्तों का फ़ासिला हो इन सब से निकाह करना हराम है।

मसलाः ज़िना से पैदा हुई बेटी, उसकी नवासी उसकी पोती इन तमाम से भी निकाह करना हराम है।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़्हा–14+कानूने शरीअ़त जिल्द–2 सफ़्हा–47)

हदीसः हज़रत उमरा बिन्त अब्दुर्रहमान व हज़रत मौला अली (रज़ि.) से रिवायत है कि सरकारे मदीना (स.अ.) ने इरशाद फ़रमायाः

الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة

तर्जमाः रज़ाअत (दूध के रिश्तों) से भी वही रिश्ते हराम हो जाते हैं जो विलादत से हराम होते हैं।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 हदीस–90 सफ़्हा–62 तिर्मिज़ी शरीफ़

जिल्द–1 हदीस–1144 सफ़्हा–587)

यानी किसी औरत का दूध बचपन में पिया तो उस औरत से माँ का रिश्ता क़ाइम हो जाता है। अब उसकी बेटी बहन है। उससे निकाह हराम है। हासिले कलाम ये कि जिस तरह सगी माँ के जिन रिश्तेदारों से शरीअ़त में निकाह हराम है उसी तरह उस दूध पिलाने वाली औरत के उन रिश्तेदारों से भी निकाह करना हराम है।

मसला: निकाह हराम होने के लिए ढाई बरस का ज़माना है। काई औरत किसी बच्चे को ढाई बरस के अन्दर अगर दूध पिलाएगी तो हुरमत (यानी निकाह हराम होना) साबित हो जाएगी। और अगर ढाई बरस की उम्र के बाद पिया तो हुरमत साबित नहीं होगी। (यानी निकाह हराम नहीं होगा) (बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–7, सफ़्हा–19, क़ानूने शरीअ़त जिल्द–2, सफ़्हा–50)

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि सय्यदे आलम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

لا يجمع بين المراة و عمتها ولا بين المراه و خالتها

तर्जमा: कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ उसकी भतीजी या भाँजी से निकाह न करे।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–57 हदीस–98 सफ़्हा–66 + मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–452)

मसला: औरत (बीवी) की बहन चाहे सगी हो या रज़ाई (यानी दूध शरीक) हो। बीवी की ख़ाला या फूफी चाहे सगी हो या रज़ाई। इन सब से भी बीवी की मौजूदगी में निकाह हराम है। अगर बीवी को तलाक़ दे दी तो जब तक औरत की इद्दत ख़त्म न हो उसकी बहन, फूफी, ख़ाला वग़ैरा से निकाह नहीं कर सकता।

(क़ानूने शरीअ़त जिल्द–2 सफ़्हा–48)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इमाम बुख़ारी (रज़ि.) रिवायत करते हैं:

مازاد على اربع فهو حرام كامه و ابنته و اخته

तर्जमा: चार से ज़्यादा बीवियाँ इसी तरह हराम हैं जैसे

आदमी की अपनी बेटी और बहन।

(बुखारी शरीफ जिल्द–3 बाब–54 सफ़्हा–64)

मसला: जिसमें मर्द और औरत दोनों की अलामतें पाई जाएं और ये साबित न हो कि मर्द हैं या औरत तो उसे न मर्द का निकाह हो सकता है, न ही औरत का। अगर किया गया तो महज़ बातिल है। (यानी निकाह ही न होगा) (बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़्हा–6)

ऐसा शख़्स जो शराबी हो या और किसी तरह का नशा करता हो उससे भी रिश्ता नहीं करना चाहिए।

हदीस: हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"शराबी के निकाह में अपनी लड़की न दो। शराबी बीमार पड़े तो उसे देखने न जाओ। उस ज़ात की क़सम जिसने मुझे नबीए बरहक़ बना कर भेजा शराब पीने वाले पर तमाम आसमानी किताबों में लानत आई है।"

(गुनयतुत्तालिबीन सफ़्हा–162)

हदीस: हज़रत इमाम अबूलैस समरक़ंदी (रज़ि.) अपनी सनद के साथ अपनी तस्नीफ़े लतीफ़ "तंबीहुलग़ाफ़लीन" में रिवायत करते हैं:

"बाज़ सहाबाए इकराम से रिवायत है कि जिसने अपनी बेटी का निकाह शराबी मर्द से किया तो उसने उसे ज़िना के लिए रुख़्सत किया। मतलब ये कि शराबी आदमी नशे में बकसरत तलाक़ का ज़िक्र करता है जिससे उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है।"

("तंबीहुलग़ाफ़लीन" सफ़्हा–169)

काफ़िर व मुशरिक मर्द या औरत से मुसलमान मर्द या औरत का निकाह करना हराम है।

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا

तर्जमा: और मुशरिकों के निकाह में न दो जब तक वह ईमान न लाऐं। (तर्जमा कंजुलईमान पारा-2 सूरह बक़रा रुकूअ़-11 आयत-221)

मसला: मुसलमान मर्द का मजूसी (आग की पूजा करने वाली) बुत परस्त, सूरज को पूजने वाली, सितारों को पूजने वाली, इन तमाम में से किसी भी औरत से निकाह नहीं होगा।

(बहारे शरीअ़त जिल्द-1 हिस्सा-7 सफ़्हा-17)

आज के इस दौर में अक्सर हमारे मुस्लिम नौजवान काफ़िरा मुशरिका औरतों से निकाह करते हैं और निकाह के बाद उन्हें मुसलमान बनाते हैं। ये निहायत ही ग़लत तरीक़ा है और शरीअ़त में हराम है। अव्वल तो निकाह ही नहीं होता क्योंकि निकाह के वक़्त तक लड़की कुफ़्र पर क़ाइम थी। लिहाज़ा सिरे से निकाह ही न हुआ। पहले उसे मुसलमान किया जाए फिर निकाह किया जाए।

याद रखये! काफ़िरा व मुशरिका औरत से मुसलमान कर के निकाह करना जाइज़ तो है लेकिन ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक़ हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) ने उसे पसंद भी नहीं फ़रमाया। उसकी बहुत सी वुजूहात उलमाए कराम ने बयान फ़रमाई हैं जिनमें से चंद ये हैं:-

(1) जिस मुस्लिम औरत से आप ने शादी की अगरचे वह मुसलमान हो गई लेकिन उसके सारे मैके वाले काफिर हैं और अब चूँकि वह आप के रिश्तेदार बन चुके हैं। इसलिए आपकी औरत और खुद आपको उनसे तअल्लुक़ात रखने पड़ते हैं और फिर आगे चल कर मुख़्तलिफ़ बुराईयाँ जन्म लेती हैं और नए नए इख़्तिलाफ़ात पैदा होते हैं।

(2) औरत के नौ मुस्लिम होने की वजह से औलाद की तरबीयत ख़ालिस इस्लामी ढंग से नहीं हो पाती है।

(3) अगर मुसलमान मर्द का काफिर लड़कियों से निकाह करेंगे तो कुवाँरी मुस्लिम लडकियों की तदाद में इज़ाफ़ा होगा।

मुस्लिम लड़कों की किल्लत होने लगेगी और मुस्लिम लड़कियों को बड़ी उम्र तक कुवाँरी रहना पड़ेगा और ज़्यादा उम्र तक कुवाँरी ज़िन्दगी नई नई बुराईयों के जन्म का सबब बनेगी।

(4) दीने इस्लाम में मुशरिकाना रस्मों का रिवाज पड़ेगा।

इस तरह की सैंकड़ो बातें हैं जिन्हें यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं। हासिल ये कि काफ़िरा व मुशरिका लड़की या औरत से निकाह न करें यही बेहतर है। इससे दीन व दुनिया का बड़ा नुक़्सान है। इसलिए अल्लाह तआला ने जहाँ मुशरिक औरतों को मुसलमान कर के निकाह की इजाज़त दी वहीं मोमिन लौंडी से निकाह को ज्याद बेहतर बताया ये बनिस्बत इसके कि मुशरिका व काफ़िरा औरत से निकाह किया जाए।

अक्सर मुसलमान लड़के ग़ैर मुस्लिम लड़की से मुहब्बत करते हैं। मुसलमान लडके से पहले मुहब्बत और फिर शादी करने वाली लड़कियाँ अक्सर साथ नहीं निभाती हैं और ज़रा सी अन बन हो जाने पर "हिन्दू मुस्लिम" तफ़रीक़ का बखेरा खड़ा करने की कोशिश करती हैं लेकिन जो औरत या लड़की पहले इस्लाम से मुतासिर हुई, उसे प्यार व मुहब्बत या शादी की कोई लालच नहीं थी और उसे दीन इस्लाम पर क़ाइम हुए एक अर्सा गुज़र गया। ऐसी लड़की या औरत से जरूर निकाह कर लेना चाहिए ताकि इस्लाम क़ुबूल करने पर कुवाँरगी की सज़ा का ताना उसे ग़ैर मुस्लिम न दें।

क्या वहाबियों से निकाह करें?

वहाबियों से निकाह करने के मुतअल्लिक़ इमाम इश्क़ व मुहब्बत, अज़ीमुलबरकत, आला मंज़िलत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हज़रत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रह.) अपनी "मलफ़ूज़ात" में इरशाद फ़रमाते हैं:

सुन्नी मर्द या औरत का राफ़ज़ी, वहाबी, देवबंदी, नेचरी, क़ादियानी, चकड़ालवी जितने जुमला मुरतदीन हैं उनके मर्द या औरत से निकाह नहीं होगा।

अगर निकाह किया तो निकाह न हो कर ज़िना ख़ालिस होगा और औलाद वलदुज़्ज़िना (ज़िना से पैदा कहलाएगी)। "फ़तावा आलमगीरी" में है।"

لا يجوز نكاح المرتد مع مسلمة ولا كافرة اصلية ولا مرتدة و كذا لايجوز نكاح المرتدة مع احد.

(अलमुलफ़ूज़ जिल्द–2 सफ़हा–105)

अक्सर हमारे कुछ कम अक्ल नासमझ सुन्नी मुसलमान जिन्हें दीन की मालूमात व ईमान की अहमीयत मालूम नहीं होती वह वहाबियों से आपस में रिश्ते जाड़ेते हैं। कुछ बदनसीब सब कुछ जानने के बावजूद भी वहाबियों से आपस में रिश्ते क़ाएम करते हैं।

कुछ सुन्नी हज़रात ख़्याल करते हैं कि वहाबी अक़ीदे की लड़की अपने घर बयाह कर ले आओ फिर वह हमारे माहौल में रह कर ख़ुद बख़ुद सुन्नी हो जाएगी। अव्वल तो ये निकाह ही नहीं होता क्योंकि जिस वक़्त निकाह हुआ उस वक़्त लड़का सुन्नी और लड़की वहाबी अक़ीदे पर क़ाइम थी। लिहाज़ा सिरे से निकाह ही नहीं हुआ।

सैंकड़ों जगह तो ये देखा गया है कि किसी सुन्नी ने वहाबी घराने में ये सोच कर रिश्ता किया कि हम किसी तरह समझा बुझा कर और अपने माहौल में रख कर उन्हें वहाबी से सुन्नी सहीहुलअक़ीदा बना देंगे लेकिन वह समझा कर सुन्नी बना पाते इससे पहले ही उन वहाबी रिश्तेदारों ने उन्हें ही कुछ ज़्यादा समझा दिया अपना हमख़्याल बना कर मआज़ अल्लाह! सुन्नी से वहाबी बना डाला। सारी होशियारी धरी की धरी और दीन व दुनिया दोनों ही बरबाद हो गए।

ये बात हमेशा याद रखये कि ऐसे शख़्स को समझाया जा सकता है जो वहाबियों के बारे में हक़ीक़त से वाक़फ़ियत नहीं रखता लेकिन ऐसे शख़्स को समझाया नामुमकिन नहीं जो सब कुछ जानता और समझता है। उलमाए देवबंद (वहाबियों। की हुज़ूर अकरम (स.अ.व.), अंबियाए किराम, बुज़ुर्गाने दीन की शान अक़दस

में गुस्ताखियों को समझता है, उनकी किताबों में वह सब गुस्ताखाना इबारतों को पढ़ता है लेकिन उन सब के बावजूद यही कहता है कि ये (वहाबी) तो बड़े अच्छे लोग हैं, उन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोगों को समझा पाना हमारे बस में नहीं।

आयतः अल्लाह तआला ऐसे ही लोगों से मुतअल्लिक़ इरशाद फ़रमाता है:

ختم اللّٰه علىٰ قلوبهم وعلىٰ سمعهم و على
ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

तर्जुमाः अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर कर दी और उनकी आँखों पर घटा टोप है और नक लिए बड़ा अज़ाब।

(कंज़ुल ईमान पारा–1 सूरह बक़रा रुकूअ–1 आयत–7)

लिहाज़ा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से कि जिनके दिलों पर अल्लाह तआला ने मुहर लगा दी हो उनसे रिश्ते क़ाइम न किए जाएं। वरना शादी, शादी न हो कर महज़ ज़िनाकारी रह जाएगी।

अलहमदुलिल्लाह! आज दुनिया में सुन्नी लड़कों और लड़कियों की कोई कमी नहीं और इंशाअल्लाह क़यामत तक अहलेसुन्नत बड़ी तादाद में शान व शौकत के साथ क़ाइम रहेंगे।

हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि ग़ैब दाँ नबी, सय्यद आलम नूरे मुजस्सम (स.अ.व.) ने ग़ैब की ख़बर देते हुए इरशाद फ़रमायाः

ان بنى اسرآئيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة و
تفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم فى النار
الاملة و احدة قالو امن هى يا رسول الله؟ قال
ماانا عليه و اصحابى.

तर्जमाः बेशक क़ौमे बनी इस्राईल बहत्तर फ़िरक़ों में बट गई और मेरी उम्मत तिहत्तर फ़िरक़ों में बट जाएगी। सब के सब जहन्नमी होंगे सिर्फ़ एक फ़िरक़ा जन्नती होगा। सहाबए किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह! वह जन्नती फ़िरक़ा कौन सा होगा? सरकार (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के

अक़ीदे पर होगा।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–216 अबवाबुलईमान हदीस–537 सफ़्हा–225)

अलहमदुलिल्लाह! बेशक वह जन्नती फ़िरक़ा अहलेसुन्नत वलजमाअ़त के सिवा कोई नहीं। क्योंकि हम सुन्नी अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त व हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) के मरातिब व अज़मत के और सहाबाए किराम व बुज़ुर्गाने दीन की शान व अज़मत को दिलों से मानने वाले हैं और अलहमदुलिल्लाह! हम उन्ही के अक़ीदों पर क़ाइम हैं। हम सुन्नीयों का अक़ीदा है कि ये तमाम फ़िरक़े मसलन रवाफ़िज़, वहाबी, तबलीग़ी, देवबंदी, मौदूदी, नेचरी, चकड़ालवी, क़ादियानी वग़ैरा सब के सब गुमराह बददीन, काफ़िर व मुरतदए दीने इस्लाम से फिरे हुए मुनाफ़िक़ीन हैं।

आज ज़्यादा तर लोग सुन्नी, वहाबी के इस इख़्तिलाफ़ को चंद मौलियों का झगड़ा समझते हैं या फिर फ़ातिहा, उर्स, मीलाद व नियाज़ का झगड़ा समझते हैं। यक़ीनन ये उनकी बहुत बड़ी ग़लत फ़हमी है।

ख़ुदा की क़सम! हम सुन्नियों का वहाबियों से सिर्फ़ इन्हीं बातों पर इख़्तिलाफ़ नहीं है बल्कि हम अहलेसुन्नत का वहाबियों से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर बुनयादी इख़्तिलाफ़ है कि इन वहाबियों के उलमा व पेशवाओं ने अपनी किताबों और तहरीरों में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त व हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) और अंबियाए किराम, सहाबए किराम व बुज़ुर्गाने दीन की शाने अक़दस में गुस्ताख़ियाँ लिखीं और उनकी शान व अज़मत का मज़ाक़ उड़ाया और मौजूदा वहाबी ऐसे ही जाहिल उलमा को अपना बुज़ुर्ग व पेशवा मानते हैं और उन्हीं की तालीमात व अक़ाइदे बातिला को दुनिया भर में फैलाते फिरते हैं या कम अज़ कम उन्हें मुसलमान समझते हैं।

आयत: हमारा परवरदिगार अज्ज़ावजल्ल इरशाद फ़रमाता है:

يوم ندعوا كل اناس بامامهم

तर्जमा: जिस दिन हर जमाअत को उनके इमाम (पेशवा) के साथ बुलाऐंगे।

(तर्जमा कंज़ुल ईमान पारा–15 सूरह बनी इस्राईल रुकूअ़–8 आयत -71)

अब हम आप के सामने उन लोगों के अक़ाइद उन्हीं की किताबों से पेश कर रहे हैं जिन्हें पढ़ कर आप ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि क्या ऐसी बातें कहने वाले ये लोग मुसलमान कहलाने का हक़ रखते हैं? क्या ये मुसलमान कहलाने के लाइक़ हैं या नहीं? फ़ैसला अब आप के हाथ में है।

क्या ये मुसलमान हैं?

हिन्दुस्तान में वहाबी जमाअ़त की बुनियाद रखने वाले आलिम मौलवी इस्माईल देहलवी अपनी किताब बनाम "तक़वियतुलईमान) जो बक़ौल वहाबियों के हिन्दुस्तान में कुरआन के बाद सब से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसमें लिखते हैं।

(1) जो कोई (किसी बुज़ुर्ग की) नियाज़ करे, किसी बुज़ुर्ग को अल्लाह की बारगाह में सिफ़ारिश करने वाला समझे तो ये शिर्क है और वह शख़्स और अबूजहल शिर्क में बराबर हैं।

(तक़वीयतुलईमान सफ़्हा–20 मतबूआ़ दारुस्सलफ़िया 68, ऐ हज़रत ट्रेस, हफ़ीजुद्दीन रोड, बाएकला, मुम्बई)

(2) यक़ीन जान लेना चाहिए कि हर मख़लूक़ ख़्वाह छोटी हो या बड़ी अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है। (तक़वीयतुलईमान सफ़्हा–30)

(3) दुनिया में सब गुनाहगारों ने गुनाह किए हैं जैसे फ़िरऔन, हामान, शैतान। जितने गुनाह उन सब गुनाहगारों से हुए हैं अगर कोई आदमी तमाम दुनिया के गुनाहगारों के बराबर गुनाह करे लेकिन शिर्क से पाक हो तो जितने उसके गुनाह हैं अल्लाह तआ़ला उस पर उतनी ही बख़्शिश करेगा। (तक़वीयतुलईमान सफ़्हा–37)

(4) अल्लाह के मकर (मक्कारी)से डरना चाहिए कि बाज़ वक़्त

बंदा शिर्क में पड़ा होता और बुतों से मुरादें माँगता है और अल्लाह उसके बहलाने के लिए उसकी मुरादें पूरी करता है। (तक़वीयतुलईमान सफ़्हा–76)

(5) तमाम अंबिया अल्लाह के बेबस बंदे हैं और हमारे भाई हैं। अल्लाह ने उन्हें बड़ाई दी इसलिए वह हमारे बड़े भाई हैं। (तक़वीयतुलईमान सफ़्हा–99)

(6) हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) मर कर मिट्टी में मिल गए। (तक़वीयतुलईमान सफ़्हा–100)

इस किताब तक़वीयतुलईमान के मुतअ़ल्लिक़ वहाबियों के शैख़ुलउलमा व मुहद्दिस मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपने एक फ़तवे में लिखते हैं:

> "किताब तक़वीयतुलईमान को अपने घर में रखना और पढ़ना ऐन इस्लाम है।"

(फ़तावा रशीदिया सफ़्हा–80 मतबूआ: मक्तबा थानवी, देवबंद, ज़िला–सहारन पूर, यू0 पी0)

यानी जिसके घर में ये किताब है वही मुसलमान है और जिसके घर में ये किताब नहीं वह इस्लाम से ख़ारिज है (मआ़ज़ अल्लाह)। क्योंकि ऐन इस्लाम का यही मतलब होता है।

उन्ही मौलवी इस्माईल देहलवी साहब की एक और किताब "सिरातलमुस्तक़ीम" है। उसमें लिखते हैं:

(1) नमाज़ में आँहज़रत (स.अ.व.) का ख़्याल लाना अपने गधे और बैल के ख़्याल में डूब जाने से बदतर है।

(सिरातलमुस्तक़ीम सफ़्हा–118 मतबूआ: इदारा अलरशीद देवबंद, ज़िला–सहारन पूर, यू0 पी0)

वहाबियों के एक दूसरे आलिम जिन्हें वहाबी हज़रात हुज्जतुलइस्लाम कहते नहीं थकते। जनाब मौलवी क़ासिम नानौतवी हैं, जिनको मदरसा देवबंद का बानी बताया जाता है। अपनी किताब "तहज़ीरुन्नास" में लिखते हैं:

(1) बिलफ़र्ज़ हुज़ूर (स.अ.व.) के बाद भी कोई नबी आ जाए

तो भी हुज़ूर की ख़तमीयत में कोई फ़र्क़ न आएगा। (तहज़ीरुन्नास सफ़हा–14 मतबूआः मक्तबा फ़ैज़, जामा मस्जिद, देवबंद यू० पी०)

(2) उम्मती अमल में अंबिया से बज़ाहिर मुसावी हो जाते हैं और बसाऔक़ात बढ़ भी जाते हैं।

(तहज़ीरुन्नास सफ़हा–5)

वहाबियों के उस्ताज़ुलउलमा मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब अपनी किताब में अपना ख़ब्बीस अक़ीदा करते हुए लिखते हैं:

(1) जो साहाबए किराम को काफ़िर कहे वह सुन्नत जमाअत से ख़ारिज न होगा (यानी सहाबा को काफ़िर कहने वाला शख़्स मुसलमान ही रहेगा)

(फ़तावा रशीदिया सफ़हा–134, मतबूआः मक्तबा थानवी, देवबंद यू० पी०)

(2) मुहर्रम में इमाम हुसैन (रज़ि.) की शहादत का बयान करना, सबील लगाना, शरबत पिलाना ऐसे कामों में चंदा देना ये सब हराम है। (फ़तावा रशीदिया सफ़हा–139)

इसी किताब में आगे एक जगह इसके बरअक्स लिखाः

(3) हिन्दू जो सूदी (ब्याज) के रुपये से पियाऊ लगाते हैं उसका पानी मुसलमान को पीना जाएज़ है।

(फ़तावा रशीदिया सफ़हा–576)

(4) कौवा खाना सवाब है।

(फ़तावा रशीदिया सफ़हा–597)

उन्हीं रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द और देवबंदी जमाअत के एक बड़े आलिम मौलवी ख़लील अहमद अमबेठवी साहब ने अपने उस्ताद गंगोही की इजाज़त और देख रेख में "बराहीन क़ातेआ" नामी एक किताब लिखी। आइए देखीए इसमें उन्होंने क्या गुल खिलाया है? लिखते हैं:

(1) हुज़ूर (स.अ.व.) से ज़्यादा इल्म शैतान और मुल्कुलमौत को है; शैतान को ज़्यादा इल्म होना क़ुरआन से साबित है जबकि हुज़ूर का इल्म क़ुरआन से साबित नहीं। जो शैतान से ज़्यादा हुज़ूर

का इल्म साबित करे वह मुशरिक है। (ब्राहीन क़ातेअ़ सफ़हा–55 मतबूअ़ा: कुतुबख़ाना इमदादिया, देवबंद, यू0 पी0)

(2) अल्लाह तआ़ला झूट बोलता है।

(ब्राहीन क़ातेअ़ सफ़हा–273)

(3) हुज़ूर (स.अ.व.) का मीलाद मनाना कन्हैया (हिन्दुओं के देव कृष्ण) के जन्म दिन मनाने की तरह है बल्कि इससे भी बदतर है।

(4) मदरसा देवबंद की अज़मत अल्लाह तआ़ला की बारगाह में बहुत है। हुज़ूर (स.अ.व.) ने उर्दू ज़बान मदरसा देवबंद में आ कर उलमाए देवबंद से सीखी है।

(ब्राहीन क़ातेअ़ सफ़हा–30)

(5) हुज़ूर (स.अ.व.) को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। (ब्राहीन क़ातेअ़ सफ़हा–55)

वहाबियों, देवबंदियों के बुज़ुर्ग व पेशवा मौलवी महमूदुलहसन ने अपनी एक किताब में लिख मारा:

(1) झूट, ज़ुल्म व सितम, तमाम बुराईयाँ (मसलन ज़िना, चोरी, ग़ीबत, मक्कारी वग़ैरा) करना अल्लाह के लिए कोई ऐब नहीं और न ही इन कामों की वजह से उसकी ज़ात में कोई नुक़्सान आ सकता है।

(जेहदुलमुक़्ल जिल्द–1 सफ़हा–77)

अब आईए! वहाबी, तबलीग़ी जमाअ़त के हकीमुलउम्मत व मुजद्दिद मौलवी अशरफ़ अली थानवी साहब की तालीमात को मुलाहिज़ा फ़राऐं। मौलवी अशरफ़ अली थानवी अपने जमाअ़त में वह मुक़ाम रखते हैं कि देवबंदियों के नज़दीक उनके पाँव धो कर पीने से नजात मिल जाती है। चुनाँचे मौलवी थानवी साहब के शागिर्द और देवबंदियों के बड़े मुस्तनद आलिम मौलवी मुहम्मद आशिक़ इलाही मेरठी अपनी किताब में लिखते हैं:

"वल्लाहुलअज़ीम मौलाना थानवी के पाँव धो कर पीना नजात उख़रवी का सबब है।"

(तज़किरतुलरशीद जिल्द–1 सफ़हा–113 मतबूआ: शेख़

ज़किया, मुफ्ती इस्ट्रीट, सहारन पूर, यू0 पी0)

बहरहाल मौलवी अशरफ़ अली थानवी अपने एक रिसाले में लिखते हैं:

(1) हुजूर (स.अ.व.) को जो इल्मे गैब है उसमें हुजूर ही का क्या कमाल ऐसा इल्म गैब तो हर किसी को बच्चों, पागलों बल्कि जानवरों तक को भी हासिल है।

(हिफ़्ज़ुलईमान सफ़्हा–8 मतबूआः दारुलकिताब, देवबंद, यू0 पी0)

(2) इन्ही थानवी साहब के एक रिसाले में है कि उनके एक मुरीद ने कलमा पढ़ा। "लाइलाहा इलल्लाह अशरफ़ अली रसूल अल्लाह" (मआज़ अल्लाह) और अपने पीर थानवी से ख़त के ज़रीए सवाल पूछा के मेरा इस तरह कलमा पढ़ना सही है या नहीं?

ज़ाहिर है हर एक साहबे ईमान यही कहेगा कि थानवी जी को ऐसे मुरीद को यही लिखना चाहिए कि ऐसा कलमा पढ़ना कुफ़्र है, तौबा करो और सही कलमा पढ़ो लेकिन थानवी साहब ने उसके जवाब में अपने मुरीद को जो कुछ लिखा उसे पढ़ कर एक आम इंसान भी हैरत व इस्तेजाब के दरिया में गोताज़न हो जाता है। थानवी साहब का जवाब पढ़ीए और सर धोइए। लिखते हैं:

"इस वाक़ेअ में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ़ तुम
रुजूअ करते हो, वह बयूना तआला मुतबअ सुन्नत है।"

(रिसाला अलइमदाद सफ़्हा–35 मतबूआः मुन्तबअ इमदादुलमताबेअ, थाना भवन, यू0 पी0)

ये थानवी साहब का जवाब है कि तुम्हारा इस तरह कलमा पढना जाइज है। तसल्ली रखो, इसके लिए परेशान न हो, ऐसा कलमा पढ़ना कोई हर्ज नहीं रखता। मुरीद बेचारा घबरा रहा था, कुछ खौफ़ खा रहा था, इसीलिए पीर थानवी को ख़त लिखता था मगर पीर जी ने ऐसा नुस्खा तजवीज किया कि पूरी तसल्ली हो गई।

थानवी साहब की एक फ़तावा की किताब "बहिश्ती ज़ेवर" है

जो उन्होंने ख़ास तौर पर ख़्वातीन के लिए लिखी है। क़तअ नज़र कि उसमें क्या क्या बकवास है। उसमें से सिर्फ़ एक मसला हम बयान कर रहे हैं जो थानवी जी की इल्मी सलाहीयत की जीती जागती तस्वीर है और उनके ज़ेहन व फ़िक्र की अक्कासी करती है।

(3) हाथ में कोई नजिस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने ज़बान से तीन दफ़ा चाट लिया तो पाक हो जावेगा मगर चाटना मना है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा–2 नजास्त पाक करने का बयान सफ़्हा–18)

इन से मिलये! ये हैं मौलवी इलयास कांधलवी जो तबलीग़ी जमाअत के बानी व अमीर थे, उनका कहना है:

(1) हक़ तआला (अल्लाह तआला) किसी काम को लेना नहीं चाहते हैं तो चाहे अंबिया भी कितनी कोशिश कर लें तब भी ज़र्रा नहीं हिल सकता और अगर लेना चाहे तो जैसे ज़ईफ़ से भी वह काम ले लें जो अंबिया से भी न हो सके।

(मकातीब इलयास सफ़्हा–107 मतबूआ इदारा इशाअत दीनीयात हज़रत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली)

लीजिए साहब! अब मौलवी अबुलआला मौदूदी साहब की भी सुनते चलीए। ये मौलवी अबुलआला मौदूदी वह हैं जिन्होंने बनाम "जमाअत इस्लामी" एक नए फ़िरके को जन्म दिया। आप उस फ़िरके की कई जाइज़ व नाजाइज़ औलादें वजूद में आ चुकी हैं जो ऐस.आई.एम. और एस.आई.ओ. के नाम से जानी जाती हैं। मौदूदी साहब का अपनी इन औलादों के नाम क्या फ़रमान है, वह मुलाहिज़ा फ़रमाइए। लिखते हैं:

(1) तुम को खुदा का इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। तुम जानना चाहते हो कि खुदा कि मर्ज़ी के मुताबिक़ ज़िन्दगी बसर करने का तरीक़ा क्या है? तुम्हारे पास खुद उन चीज़ों के मालूम करने का कोई ज़रीए नहीं है। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि खुदा के सच्चे पैग़म्बर की तलाश करो। इस तलाश में तुम को निहायत ही होशियारी और समझ बूझ से काम लेना चाहिए क्योंकि अगर किसी

ग़लत आदमी को तुम ने पैग़म्बर समझ लिया तो वह तुम्हें ग़लत रास्ता पर लगा देगा मगर जब तुम्हें ख़ूब जाँच पड़ताल करने के बाद ये यक़ीन हो जाए कि फुलाँ शख़्स ख़ुदा का सच्चा पैग़म्बर है तो इस पर तुम को पूरा एतिमाद करना चाहिए और उसके हर हुक्म की इताअत करनी चाहिए। (रिसाला दीनीयात सफ़्हा--247 मतबूआ: मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी, नई दिल्ली)

इस पूरे मज़मून में मौदूदी साहब ने जो अक़ीदा देने की कोशिश की है, उस पर तबसिरा करने के लिए काफ़ी सफ़्हात दरकार हैं। मुख़्तसर ये कि मौदूदी साहब के नज़्दीक इस दौर में भी ख़ुदा का सच्चा पैग़म्बर तलाश करने की ज़रूरत है और ये तलाश फ़र्ज़ है।

आइए! मौदूदी साहब और उनकी जमाअत की नख़वते फ़िक्र का अंदाज़ा लगाने के लिए ये नज़रिया भी मुलाहिज़ा फ़रमाईए:

(2) जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर (ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ (रह.) के मज़ार पर) या सालार मस्ऊद (ग़ाज़ी रह.) की क़ब्र या ऐसे ही दूसरे मक़ामात पर जाते हैं वह इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि क़त्ल और ज़िना भी इससे कमतर है।

(तजदीद व अहयाए दीन सफ़्हा--96 मतबूआ: मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी, नई दिल्ली)

यही मौलवी अबूल आला मौदूदी अपनी एक और किताब में अपनी आला दर्जा की बकवास लिखते हैं। उनका ये मुन्फ़रिद असलूब भी मुलाहिज़ा फ़रमाइए, लिखते हैं:

(3) सब जगह अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताबें ले कर आए हैं और बहुत मुमकिन है कि बुध, कृष्ण, राम कन्फ़ूशिस, ज़रदश्त, मानी, सुक़रात, फ़ीसा गौरस वग़ैरा हम उन्हीं रसूलों में से हों।

(तफ़हीमात जिल्द--1 सफ़्हा--124 मतबूआ: मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी, नई दिल्ली)

हमारा एलान (Our Challange)

हम ने यहाँ जिस क़द्र भी वहाबी जमाअत, देवबंदी जमाअत,

तबलीग़ी जमाअ़त व जमाअ़ते इस्लामी वग़ैरा से मुतअ़ल्लिक़ हवाले पेश किए हैं वह उन्हीं के उलमा की किताबों से नक़्ल किए हैं। याद रहे! ये सब किताबें आज भी छप रही हैं और उनके मदरसें व कुतुबख़ानों पर आसानी से मिल जाती हैं।

हमारा एलान है कि अगर कोई साहब इन बातों को या हवालों में से किसी एक हवाले को भी ग़लत साबित कर दें तो उन्हें पचास हज़ार रुपये इनाम दिए जाऐंगे।

आयतः हमारा रब जल्ला जलालोहू इरशाद फ़रमाता हैः

قل هاتو ابرهانكم ان كنتم صادقين

तर्जमाः तुम फ़रमाओ कि अपनी दलील लाओ और तुम सच्चे हो। (तर्जमाः कंजुल ईमान पारा--20 रुकूअ़ -1 आयत--64)

आयतः और एक दूसरी जगह इरशादे रब्बानी हैः

فاذلم ياتو ابالشهداء فاولئك عند الله هم الكذبون ط

तर्जमाः सुबूत न ला सके तो अल्लाह के नज़दीक वही झूटे हैं। (तर्जमाः कंजुलईमान पारा--18 सूरह नूर रुकूअ़--8 आयत--13)

वहाबियों के इन अक़ाएद की बिना पर उलमाए हरमैन तैयबीन (मक्का मुअ़ज़्ज़मा व मदीना मुनव्वरा के जलीलुलक़द्र उलमाए दीन) और तमाम उलमाए अहलेसुन्नत ने वहाबियों को काफ़िर, गुमराह, बददीन, मुरतद और मुनाफ़िक़ क़रार दिया। उलमाए कराम उन लोगों के बारे में इरशाद फ़रमाते हैं:

من شك فى كفر هم وعدابهم فقد كفر

तर्जमाः जो इन (वहाबियों) के कुफ़्र में और उनके अज़ाब में शक करे वह ख़ुद काफ़िर है।

(बहवाला हस्सामुलहरमैन अला मुन्हरुलकुफ़्र वालमीन)

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ان مرضو افلاتعودو هم و ان ماتو افلاتشهد وهم و
ان لقيتمو هم فلا تسلمو اعليهم ولا تجالسوهم ولا

تشاربو هم ولا تواكلو هم ولا تنا كحو هم ولا تصلو
اعليهم ولا تصلو اسعهم.

तर्जमा: अगर बदमज़हब, बददीन, मुनाफ़िक़ बीमार पड़ें तो उनको पूछने न जाओ और अगर वह मर जाएं तो उनके जनाज़े पर न जाओ। उनको सलाम न करो। उनके पास न बैठो। उनके साथ खाना न खाओ, न पियो। न ही उनके साथ शादी करो और न उनके साथ नमाज़ पढ़ो।

हदीस: नबी करीम (स.अ.व.) फ़रमाते हैं:

ايا كم و اياهم لا يضلو نكم ولا يفتنو نكم

तर्जमा: गुमराहों से दूर भागो उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वह तुम्हें बहका न दें, कहीं वह तुम्हें फ़ितने में न डाल दें। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस: हज़रत इब्ने अदी (रज़ि.), हज़रत मौला अली (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

من لم يعرف عترتي والا نصار والعرب فهو لا حدى
ثلث اما منافق واما الزنية واما امرؤ حملته بغير طهر.

तर्जुमा: जो मेरी और मेरी आल की इज़्ज़त न करे और मेरे अन्सारी सहाबा का और अरब के मुसलमानों का हक़ न पहचाने, वह तीन हाल से ख़ाली नहीं। या तो वह मुनाफ़िक़ है या हराम की औलाद दिया हैज़ बच्चा (माहवारी की हालत में जना हुआ बच्चा)। (बहेक़ी शरीफ़ बहवाला इरादतुल अदब लफ़ाज़ुलनस्ब अज़ अला हज़रत अलैहिरहमा सफ़्हा–46)

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

तर्जमा: जिसने किसी बददीन की तौक़ीर (ताज़ीम) की, उसने इस्लाम के ढा देने में मदद की।

(इब्ने असाकर+अबूनईम+तिरानी+बहवाला अजालतुलआर

बहिज्रुलकराइम अन अन कुलाबुलनार सफ़्हा–31)

हदीस: हज़रत अकरमा (रज़ि.) से रिवायत है।

हज़रत मौला अली मुशकिल कुशा (रज़ि.) की ख़िदमत में चंद बददीन गुस्ताख़ पेश किए गए तो आप ने उन्हें ज़िन्दा ही जला दिया। जब ये ख़बर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को पहुंची तो उन्होंने फ़रमाया: "अगर मैं होता तो उन्हें न जिलाता क्योंकि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने किसी को जिलाने से मना फ़रमाया है बल्कि उन्हें क़त्ल करता कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "जो अपना दीन तब्दील करे उसे क़त्ल कर दो।" (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–1029 हदीस–1814+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–984 हदीस–1489 सफ़्हा–729)

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

يا يها النبى جاهدالكفار والمنفقين واغلظ عليهم ط

तर्जमा: ऐ ग़ैब की ख़बर देने वाले (नबी) जिहाद फ़रमाओ काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों पर और उन पर सख़्ती करो।

(तर्जमा कंजुलईमान पारा–10 सूरह तौबा रुकूअ़–16 आयत–73)

आयत: और फ़रमाया है रब तबारक व तआ़ला:

ومن يتولهم منكم فانه منهم ط ان الله لايهدى القوم الظليمن ط

तर्जमा: और तुम में जो कोई उन से दोस्ती रखेगा तो वह उन्हीं में से है, बेशक अल्लाह बेइंसाफ़ों को राह नहीं देता। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–6 सूरह माएदा रुकूअ़–12 आयत–51)

आयत: और फ़रमाया है रब्बुलइज़्ज़त:

واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث اوتتر كه يلهث ط ذلک مثل القوم الذين كذبوا باياتنا......الخ

तर्जमा: और (जो) अपनी ख़्वाहिश का ताबेअ़ हुआ तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर हमला करे तो ज़बान निकाले

और छोड़ दे तो ज़बान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई।

(तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–9 सूरह अलएराफ़ रुकूअ–12 आयत–176)

हदीस: हज़रत अबूअमामा बाहली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اصحاب البدع كلاب اهل النار

तर्जमा: बदमज़हब जहन्नमियों के कुत्ते हैं।

(दारेकुतनी बहवालए इज़ालतुलआर बहिजरिलकराइम अन किलाबिन्नार सफ़्हा–34)

हदीस: हदीस पाक में है:

ان لله لا يستحيى من الحق ايحب احد كم ان
تكون كريمته فراش كلب فكر هتموه ليس لنا
مثل السوء التي صارت فراش مبتدع كالتي كانت
فراشا لكلب.

तर्जमा: बेशक अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला हक़ बात फ़रमाने में नहीं शर्माता। क्या तुम में किसी को पसंद आता है कि उसकी बेटी या बहन किसी कुत्ते के नीचे बिछे, तुम उसे बुरा जानोगे। हमारे लिए बुरी मिस्ल नहीं, जो औरत किसी बदमज़हब की जोरू बनी वह ऐसी ही है जैसे किसी कुत्ते के तसर्रुफ़ में आई। (बहवालए इज़ालतुलआर बिहजरिल कराइम अन किलाबिन्नार सफ़्हा–33)

ज़रा सोचीए:

अब भी क्या कोई गैरतमंद इंसान अपनी बेटी ऐसे काफ़िरों, मुनाफ़िकों के यहाँ देना पसंद करेगा?

अब भी क्या कोई गुलामे रसूल अपने आका (स.अ.व.) के इन गद्दारों की लड़कियाँ अपने घर लाना गवारा करेगा?

अब भी क्या कोई आशिक़ नबी अपने अपने नबीए करीम (स.अ.व.) के इन गुस्ताख़ों से रिश्ता जोड़ना चाहेगा?

हमारा ये सवाल उन लोगों से है जिनमें गैरत का ज़रा सा भी

हिस्सा बाक़ी हो। जिन्हें दौलत से ज़्यादा अल्लाह व रसूल की ख़ुशनूदी चाहिए और रहे वे लोग जो किसी दुनियावी लालच या हुस्न व जमाल या फिर माल व दौलत से मुतास्सिर हो कर वहाबियों से रिश्ते क़ाइम किए हुए हैं या रिश्तादारी करना चाहिते हैं तो उनके मुतअ़ल्लिक़ ज़्यादा कुछ कहना फ़ुज़ूल है। वह अपनी इस हवस व लालच में जितनी दूर जाना चाहें चले जाऐं। अब इस्लाम का कोई क़ानून, शरीअ़त की कोई दफ़ा, कोई जंजीर उनके इस उठे हुए क़दम को नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ! हाँ! ये ज़रूर याद रहे यक़ीनन एक दिन अल्लाह और उसके रसूल को मुंह दिखाना है।

निकाह कहाँ करें?

हदीसः उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा, हज़रत अनस इबने मालिक, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

تخيروا لنطفكم وانكحوا الا كفاء وانكحوا اليهم
فان النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن.

तर्जमाः अपने नुतफ़ों के लिए (यानी शादी के लिए) अच्छी जगह तलाश करो। कुफ़ू (यानी बिरादरी) में बियाह हो और कुफ़ू से बियाह कर लाओ कि औरतें अपने कुंबे के मुशाबिह बच्चे पैदा करती हैं।

(बैहक़ी, हाकिम, इब्न माजा जिल्द–1 हदीस–2038 सफ़्हा–549+इहयाउल ऊलूम जिल्द–2 सफ़्हा–76)

इस हदीस पाक से दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि शादी के लिए अच्छी जगह तलाश की जाए और दूसरा ये कि अपने कुंबे (बिरादरी) में निकाह करना बेहतर है। अपनी बिरादरी में निकाह करने के बहुत से फ़ाएदे हैं। मसलनः

औलाद अपनी बिरादरी के लोगों के मुशाबिह पैदा होगी जिसकी वजह से दूसरे लोग देखते ही पहचान जाऐंगे कि ये सय्यद है, ये पठान है, ये शैख़ है वग़ैरा वग़ैरा। दूसरा फ़ाएदा ये है

कि बिरादरी की ग़रीब लड़कियों की जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। तीसरा फ़ाएदा ये है कि शादी में इख़राजात कम होंगे। चौथा फाएदा ये है कि अपनी ही बिरादरी की लड़की हो तो वे बिरादरी के तौर तरीक़े, घर के रहन सहन, तहज़ीब व तमद्दुन से पहले से ही वाक़िफ़ है। लिहाज़ा घर में झगड़ो व नाइत्तिफ़ाक़ी को माहौल पैदा नहीं होगा। पाँचवाँ फ़ाएदा ये है कि बिरादरी की वह लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत नही है उनकी भी शादी हो जाएगी। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों की बिरादरी से ख़ूबसूरत लड़की तलाश कर के बियाह कर के ले आते हैं जबकि उनके कुंबे में लड़कियाँ कुवाँरी रह जाती हैं। और जब बहुत सी लड़कियों की तवील अरसे तक शादी नहीं हो पाती है तो बाज़ औक़ात वह किसी बदमआश आवारा मर्द के साथ घर से भाग जाती हैं या फिर किसी और तरह की मुख़्तलिफ़ बुराईयों में फंस जाती है। इन वुजूहात की बिना पर बिरादरी में ही शादी करने को बेहतर बताया गया है। अपनी बिरादरी में कोई नेक सीरत लड़का या लड़की न हो तो वह दूसरी बिरादरी में भी शादी कर सकते हैं।

हदीसः हज़रत इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रज़ि.) रिवायत करते हैं:

مايستحب ان يتخير لنطفه من غير ايجاب

तर्जमाः मुस्तहिब है कि अपनी नस्ल के लिए बेहतर औरत चुने लेकिन ये वाजिब नहीं।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द-3 बाब-41 सफ़्हा-56)

हदीसः हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

تزو جوا فى الحجر الصالح فان العرق دساس

तर्जमाः अच्छी नस्ल में शादी करो, रगे ख़ुफ़िया अपना काम करती है। (दारेकुतनी शरीफ़ बहवालए इरादतुलअदब लिफ़ाज़िलिन्नसब अज आला हज़रत अलैहिरहमा सफ़्हा-26)

हदीसः और फ़रमाते हैं हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.):

ايا كم و خضراء الدمن المراة الحسناء في المنبت السوء

तर्जमा: घोड़े की हरियाली से बचो और बुरी नस्ल में ख़ूबसूरत औरत से। (दारे क़तनी शरीफ़ बहवाला इरादतुल अयब लिफ़ाज़िलिन्नसब सफ़्हा—26)

लड़की का ख़ूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं बल्कि ख़ूबी तो ये है कि लड़की परदादार, नमाज़ रोज़े की पाबंद हो, उसका ख़ानदान तहज़ीब व तमद्दुन में, रहन सहन में दुरुस्त हो और बिलख़ुसूस सुन्नी सहीहुलअक़ीदा हो। अगर आप न इन सब बातों का ख़्याल रखते हुए निकाह किया तो आपकी दुनिया व आख़िरत कामियाब है और आगे ऐसी लड़की के ज़रीए फ़रमाँबरदार, मजहबी व दुनियावी ख़ूबियों से बहरावर एक बेहतर नस्ल जन्म लेती है। चुनाँचे सरकार दो आलम (स.अ.व.) ने हमें इन्हीं बातों का हुक्म दिया है।

हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

> "औरत अच्छे नसब वाली शरीफ़लनफ़्स हो यानी ऐसे ख़ानदान से तअल्लुक़ रखती हो जिसमें दयानत और नेक बख़्ती पाई जाए। क्योंकि ऐसे ख़ानदान की औरत अपनी औलाद की तालीम व तरबीयत का एहतमाम करती है।"

(इहयाउलउलूम जिल्द—2 सफ़्हा—76)

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम हुजूरे अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

تنكح المراة لا ربع لما لها و لحسبها و جمالها و لد ينها فاظفر بذات الدين

तर्जमा: औरत से चार चीज़ों की वजह से निकाह किाय जाता है। उसके माल के सबब, उसके ख़ानदान के सबब, उसके हुस्न व जमाल के सबब और उसके दीनदार होने के सबब लेकिन तू दीनदार औरत को हासिल कर।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द—3 बाब—45 हदीस—81 सफ़्हा—59 +तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द—1 बाब—740 हदीस—1079 सफ़्हा—555)

इस हदीसे करीम से मालूम हुआ कि दीनदार औरत से निकाह करना अफ़ज़ल है। दीनदार औरत शौहर की मददगार होती है और थोड़ी रोज़ी पर क़नाअत कर लेती है। उसके ख़िलाफ़ दीन से दूर औरतें ना शुक्रगुज़ार, ना फ़रमान और शौहर की शिकायत दूसरों के सामने बयान करने वाली होती हैं और गुनाह व मुसीबत में मुब्तिला कर देती हैं।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) "फ़तावा रज़विया" में फ़रमाते हैं:

> "दीनदार लोगों में शादी करे कि बच्चे पर नाना, मामूँ की आदतों और हरकतों का भी असर पड़ता है।"

(फ़तावा रज़विया जिल्द-9 निस्फ़े अव्वल सफ़्हा-46)

हदीस: नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

لاتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن.........الخ

तर्जमा: औरतों से उनके हुस्न के सबब शादी न करो, हो सकता है कि उनका हुस्न तुम्हें तबाह कर दे। न उनसे माल के सबब शादी करो, हो सकता है कि उनका माल तुम्हें गुनाहों में मुब्तिला कर दे। बल्कि दीन की वजह से निकाह किया करो। काली, चपटी, बदसूरत लौंडी अगर दीनदार हो तो बेहतर है।

(इब्न माजा शरीफ़ जिल्द-1 बाब-594 हदीस-1926 सफ़्हा-522+इहयाउलउलूम जिल्द-2 सफ़्हा-70)

हुज्जतुलइस्लाम हज़रत सय्यदना इमाम मुहम्मद गज़ाली (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

> "अगर कोई औरत ख़ूबसूरत तो है मगर परहेज़गार व पारसा नहीं तो बुरी बला है, बदमिज़ाज औरत नाशुक्रगुज़ार, ज़बान दराज़ होती है और मर्द पर बेजा हुकूमत करती है। ऐसी औरत के साथ

ज़िन्दगी बदमज़ा हो कर रह जाती है और दीन में ख़लल पड़ता है।" (कीमियाए सआदत सफ़्हा–260)

याद रखीए! अगर आप ने सिर्फ़ ऐसी लड़की से निकाह किया जो माल व दौलत (जहेज़) तो ख़ूब साथ लाई और ख़ूबसूरत भी बहुत थी लेकिन दीनदार नहीं और न ही तहज़ीब व अख़लाक़ के मुआमले में बेहतर तो आप उसके साथ यक़ीनन एक अच्छी और ख़ुशहाल ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकते। ऐसी लड़की की वजह से घर में हमेशा ज़हनी तनाव और आए दिन घर में ख़ाना जंगी का माहौल बना रहता है। नतीजा ये कि आख़िर कार माँ बाप से दूर होना पड़ जाता है। इसलिए जहाँ आप ख़ूबसूरती, माल व दौलत को देखते हैं, उन सब से ज़्यादा अहम है कि आप सब से पहले लड़की का अख़लाक़, उसका ख़ानदान और ख़ास कर वे दीनदार है या नहीं। ये ज़रूर देखें तब ही आप एक कामियाब ज़िन्दगी के मालिक बन सकते हैं।

अगर एक ख़ूबसूरत लड़की में ये ख़ूबियाँ नहीं और उसके बरअक्स किसी बदसूरत लड़की में दीनदारी हो तो वह बदसूरत लड़की उस ख़ूबसूरत लड़की से बेहतर है। अक्सर हमारे मुस्लिम भाई दौलतमंद, फ़ैशन परस्त लड़की पर मरते हैं और दौलत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं जबकि दौलत से ज़्यादा दीनदारी को अहमियत देनी चाहिए।

हदीस: हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"जो कोई हुस्न व जमाल या माल व दौलत की ख़ातिर किसी औरत से निकाह करेगा तो वह दोनों से महरूम रहेगा और जब दीन के लिए निकाह करेगा तो दोनों मक़्सद पूरे होंगे।" (कीमियाए सआदत सफ़्हा–260)

हदीस: और फ़रमाया रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने:

"औरत की तलब दीन के लिए ही करनी चाहिए, जमाल के लिए नहीं।"

इसके मआनी ये हैं सिर्फ़ ख़ूबसूरती के लिए निकाह न करे, ये कि ख़ूबसूरती ढूंढे ही नहीं। अगर निकाह करने से सिर्फ़ औलाद हासिल करना और सुन्नत पर अमल करना ही किसी शख़्स का मक़्सद है, ख़ूबसूरती नहीं चाहता तो ये परहेज़गारी है। (कीमियाए सआदत सफ़्हा–260)

आयत: अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फ़रमाता है:

من یکونو افقر آء یغنھم اللّٰہ من فضلہٖ ط

तर्जमा: अगर वह फ़कीर (ग़रीब) हो तो अल्लाह उन्हें ग़नी कर देगा अपने फ़ज़ल के सबब। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–18 सूरह नूर रुकूअ–10 आयत–32)

लिहाज़ा अगर किसी लड़की में दीनदारी ज़्यादा हो, चाहे वह कितनी ही ग़रीब क्यों न हो, उससे शादी करना बेहतर है। क्या अजब कि अल्लाह तआ़ला उससे शादी करने और उसकी बरकत से आप को भी दौलत से नवाज़ दे। आप को इस नेक और ग़रीब लड़की से ख़ुशी और वह दिली सुकून हासिल हो सकता है जो एक दौलत मंद बद मिज़ाज, मार्डन, फ़ैशन परस्त लड़की से नहीं हासिल हो सकता। हाँ! अगर कोई लड़की दौलत मंद होने के साथ ही दीनदार, नेक सीरत, ख़ुश अख़लाक़, परदादार हो और ऐसी लड़की से कोई शादी करले तो ये यक़ीनन बड़ी ख़ुश नसीबी की बात है। बेशक अल्लाह तआ़ला माल व दौलत और चेहरा को नहीं देखता बल्कि तक़्वा व परहेज़गारी को देखता है।

शादी के लिए इस्तिख़ारा

Judging from Omens or Augury for Marriage

किसी नए काम को शुरू करने से पहले इस्तिख़ारा करना चाहिए। इस्तिख़ारा उस अमल को कहते हैं जिसके करने से ग़ैबी तौर पर ये मालूम हो जाता है कि फ़ुलाँ काम करने में फ़ाएदा है या नुक़्सान? और अगर वह काम आपके लिए अच्छा है तो इस्तिख़ारा की बरकत से ग़ैब से असबाब पैदा हो जाते हैं और अगर वह काम आप के लिए बेहतर नहीं है तो क़ुदरती तौर पर

इंसान उस काम से बाज़ रहता है।

इस्तिख़ारा और शगून में बहुत फ़र्क़ है। शगून जादूगरों, सितारों से, तीरों से, परिंदों से, सिफ़ली इल्म जानने वालों से, नजूमियों, काहिनों, ज्योतशियों वग़ैरा और इस तरह की दूसरी चीज़ों के ज़रीए लेते हैं।

जादूगरों, नजूमियों, ज्योतशियों और सिफ़ली इल्म जानने वालों के पास आगे पेश आने वाले हालात जानने के लिए जाना और उनकी बातों पर यक़ीन करना कुफ़्र है।

हदीसः हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़माराते हैं:

من اتی کاهنا فصدقه بما يقول فقد بری مما انزل علی محمد ﷺ

तर्जमाः जो किसी काहिन के पास जाए और उसकी बात सच्ची समझे तो वह काफ़िर हुआ उस चीज़ से जो मुहम्मद (स.अ.व.) पर नाज़िल हुई। (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–203 हदीस–507 सफ़हा–182)

हदीसः और फ़रमाते हैं नबी करीम (स.अ.व.):

من اتی كاهنا فساله عن شي حجبت عنه التوبة اربعين ليلة فان صدق بما قال كفر

तर्जमाः जो किसी काहिन के पास जाए और उससे कोई ग़ैब की बात पूछे तो उसकी चालीस दिन तौबा कुबूल न हो और अगर काहिन की बात पर यक़ीन रखे तो काफ़िर हो गया। (मुअज्जम कबीर तिबरानी शरीफ़ बहवालए फ़तावा अफ़्रीका सफ़हा–176)

"फ़तावा तातार ख़ानिया" में है:

يكفر بقوله انا اعلم المسروقات اوانا اخبرنا باخبار الجن ایای

तर्जमाः जो कहे मैं छुपी हुई चीज़ों को जान लेता हूँ या जिनके बताने से बता देता हूँ तो वह काफ़िर है।

(फ़तावा तातार ख़ानिया बहवाला फ़तावा अफ़्रीका सफ़हा–176)

इसी तरह शगुन लेना शरीअ़ते इस्लामिया में शिर्क बताया गया है। शिर्क वह गुनाह है जिसे अल्लाह तआला कभी मआफ़ नहीं फ़रमाएगा। शिर्क करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा।

हदीस: हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने रसूले करीम का ये इरशाद बयान किया है:

"शगुन लेना शिर्क है। शगुन लेना शिर्क है। अगरचे अक्सर लोग शगुन लेते हैं।"

(मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–4380 सफ़हा–376)

हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रज़ि.) ने लिखा है:

"शगुन लेना शिर्क है।"

"तिबरानी" ने हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) के हवाले से लिखा है:

"शगुन लेना शिर्क है और ये अलफ़ाज़ तीन मरतबा अदा किए। फिर कहा सफ़र को जाने वाला किसी शगुन की वजह से लौट आए तो उसने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) पर नाज़िल शुदा अहकाम इलाही (यानी कुरआन करीम) का इनकार किया।"

(तिबरानी शरीफ़)

रिवायत

"जो शख़्स किसी शगुन की रू से अपना काम न कर सका तो यक़ीनन उसने शिर्क किया।"

(मा सबता बिसलुन्नह फ़ी अय्यामीस्सुन्नह सफ़्हा–63)

शगुन लेना इसलिए शिर्क है कि उसमें किसी ग़ैरुल्लाह को मुअस्सर हक़ीक़ी माना जाना है। अगर किसी ग़ैरुल्लाह को मुअस्सर हक़ीक़ी न माना जाए तो वह शिर्क नहीं, हराम है।

याद रहे शगुन और फ़ॉल में बहुत फ़र्क़ है जैसा कि हज़रत सैयदना इमाम तीबी (रज़ि.) ने लिखा है:

"फ़ॉल और शगुन में फ़र्क़ है। हज़रत अनस (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) का ये इरशाद बयान किया है "छूत और शगुन कोई चीज़ नहीं अलबत्ता फ़ॉल पसंदीदा है।" सहाबए किराम ने दरयाफ़्त किया। "या रसूलल्लाह! फ़ॉल किसे कहते हैं?" इरशाद फ़रमाया: "वह अच्छी बात है।"

(मा सबता बिसलुन्नह फ़ी अय्यामीस्सुन्नह सफ़्हा–57)

शगुन और फ़ॉल के मुतअल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हज़रत मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुलहक़ मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.) की तसनीफ़ लतीफ़ "मासबत बिलसिन्ना फ़ी ऐयामुस्सिन्ना" की तरफ़ रुजूअ लाए।

इस्तिख़ारा में किसी नए काम के शुरू करने से पहले अल्लाह तआला से दुआ करना और उसकी रज़ा मालूम करना मक़सद होता है। ये हुज़ूर सैयद आलम (स.अ.व.) की सुन्नत और सहाबए किराम व बुज़ुर्गाने दीन का तरीक़ा है।

हदीसः हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعلمنا الاستخاره فى الا مور كما يعلمنا السورة من القرآن.

तर्जमाः रसूल अल्लाह (स.अ.व.) हमें हर काम में इस्ख़िारा करने की ऐसी तलक़ीन फ़रमाते थे जैसे कुरआन की कोई सूरत सिखाते। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–738 हदीस–1088 सफ़्हा–455+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–343 हदीस–2463 सफ़्हा–292)

हदीसः सरकार मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"अल्लाह तआला से इस्तिख़ारा करना औलादे आदम (यानी इंसानों) की ख़ुश बख़्ती है और इस्तिख़ारा न करना बदबख़्ती है।"

इस्तिख़ारा किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले करना चाहिए। जैसे नया कारोबार शुरू करना हो, मकान बनाना या ख़रीदना हो, किसी सफ़र पर जाना है, कोई नई चीज़ ख़रीदना है वग़ैरा वग़ैरा। इन सब में नुक़्सान होगा या फ़ाएदा? ये जानने के लिए इस्तिख़ारा का अमल किया जाना चाहिए।

अब चूँकि शादी एक ऐसा काम है जिस पर सारी ज़िन्दगी की सुकून व आराम व मुसर्रत का दारोमदार है। बीवी अगर नेक, परहेज़गार, मुहब्बत करने वाली, ख़ुश मिज़ाज होगी तो ज़िन्दगी

ख़ुशियों से भरी होगी और अपने वाली नस्ल भी एक बेहतर नस्ल साबित होगी। लेकिन अगर बीवी बदमज़ाज, बदकार, बेवफ़ा हुई तो सारी ज़िन्दगी झगड़ों से भरी और सुकून से ख़ाली होगी। यहाँ तक कि फिर तलाक़ तक नौबत पहुंच जाएगी।

लिहाज़ा ज़रूरी है कि शादी से पहले ही मालूम कर लिया जाए कि जिस लड़की या औरत को अपनी शरीके ज़िन्दगी बनाना चाहता है वह दीन व दुनिया के एतेबार से बेहतर साबित होगी या नहीं?

हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत सुहैल बिन सअद (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

ان كان فى شئ ففي الفرس والمراة والمسكن

तर्जमाः अगर नहूसत किसी चीज़ में है तो वह घर, औरत और घोड़ा है। (यानी अगर दुनिया में कोई चीज़ मनहूस होती तो ये हो सकती थी लेकिन होती नहीं है)।

(मसनद इमाम आज़म बाब–121 सफ़हा–211 मोत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 किताबुलउस्तज़ान बाब–8 हदीस–21 सफ़हा–807+बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–47 हदीस–86 सफ़हा–61+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–327 हदीस–730 सफ़हा–295+इब्ने माजा जिल्द–1 बाब–643 हदीस–2064 सफ़हा–555 मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–2953 सफ़हा–70+मा सबता बिस्सुन्नह सफ़हा–60)

हज़रत सैयद इमाम तिर्मिज़ी (रज़ि.) इस हदीस के मुतअल्लिक़ इरशाद फ़रमाते हैः

هذا حديث حسن صحيح

"यानी ये हदीस हसन सही है।"

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 सफ़हा–295)

ये हदीस पाक अहादीस की और दीगर किताबों में जैसे मुस्लिम शरीफ़, तिबरानी, इमाम अहमद, बज़ाज़, हाकिम वग़ैरा में

भी नक़्ल है। इससे पहले एडिशन में हम ने ये हदीस बुख़ारी शरीफ़ के अलफ़ाज़ में नक़्ल की थी। इस बार मजीद हवाला जात बढ़ा दिए गए हैं। आप ऊपर पढ़ चुके कि ये एक हदीस है जो सहाबी रसूल हज़रत इब्न उमर व हज़रत सुहैल बिन सईद (रज़ि.) से रिवायत किया और उसे अइम्मा सहाह सित्ता के अलावा कई मुहद्देसीन ने नक़्ल किया है। अलबत्ता उस हदीस में लफ़्ज़ "नहूसत" से क्या मुराद है? उसकी तशरीहात आगे आ रही हैं।

इस हदीस की शरह में बाज़ अइम्मा मुहद्देसीन ने ये बयान किया है कि अगर नहूसत होती तो वह घर, औरत और घोड़े में हो सकती थी लेकिन नहूसत कोई चीज़ ही नहीं। अइम्मा मुहद्देसीन के अक़वाल के तफ़सील देखने के लिए हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.) की तसनीफ़ लतीफ़ "मा सबत बिस्सुन्नह फ़ी अय्यामेस्सुन्नह" का मुताला करें। यहाँ उसकी तफ़सील बयान कर पाना तवालित का सबब है।

इसी हदीस की तशरीह में हमारे प्यारे इमाम, इमामे आज़म अबूहनीफ़ा (रज़ि.) अपनी मसनद में सहाबी रसूल हज़रत इब्न बरीदा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं:

فشؤم الدار ان تكون ضيقة لها جيران سؤ وشوم
الفرس ان تكون حموحا و شؤم المراة ان تكون
عاقرا زاد الحسن بن سفيان رضى الله تعالىٰ عنه
سيئة الخلق عاقرا.

तर्जमा: घर की नहूसत ये है कि वह तंग हो और पड़ोसी बुरे हों। घोड़े की नहूसत ये है कि सरकश हो और औरत की नहूसत ये है कि बदअख़लाक़ हो। (इमाम आज़म फ़रमाते हैं) हज़रत इमाम हसन बिन सुफ़ियान (रज़ि.) (अपनी मसनद में) इसमें इज़ाफ़ा किया और कहा कि बदअख़लाक़ और बाँझ हो।

(मसनद इमाम आज़म बाब—121 सफ़्हा—212)

इस हदीस में औरत की नहूसत से मुराद बाँझ होना जो आया है वह हज़रत इमाम हसन बिन सुफ़ियान (रज़ि.) की अपनी ज़ाती

रात है। उसे हज़रत हसन बिन सुफ़ियान (रज़ि.) ने अपनी मसनद में नक़्ल किया है और इमाम आज़म अबूहनीफ़ा (रज़ि.) ने उसे रिवायत किया।

मसला नहूसत के बारे में रिवायात मुख़तलिफ़ अलफ़ाज़ से वारिद हैं और उसकी तशरीहात में भी उलमाए किराम की आराए मुख़तलिफ़ हैं। लिहाज़ा इस सिलसिले में हज़रत हसन बिन सुफ़ियान (रज़ि.) के क़ौल की तावील करना ही मुनासिब है और उससे वह चीज़ मुराद नहीं ली जा सकती जो बज़ाहिर नज़र आ रही है। (वल्लाह तआ़ला इल्म व अलमा जल मजदा अतम व अहकम)

अब रहा ये कि अकाबिर उलमाए के नज़दीक औरत की नहूसत से क्या मुराद है? उसे जानने के लिए मन्दरजा ज़ैल मज़ीद तशरीहात को मुलाहिज़ा फ़रमाऐं।

इसी हदीस की शरह में इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िल बरेलवी (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"घर, घोड़ा और औरत मनहूस होते हैं। ये सब महज़ बातिल व मरदूद ख़्यालात हिन्दुओं के हैं। शरीअ़त मुतह्हरा में उनकी कोई असल नहीं। शरअ़न घर की नहूसत ये है कि तंग हो, हमसाये (पड़ोसी) बुरे हों। घोड़े की नहूसत ये है कि शरीर हो, बदलगाम, बररिकाब हो और औरत की नहूसत ये है कि बदरूया (बदअख़्लाक़, ज़बानदराज़) हो। बाक़ी ये ख़्याल कि औरत के पहरे से ये हुआ, फ़लाँ के पहरे से ये, ये सब बातिल और काफ़िरों के ख़्याल है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा–254)

सदरुशशरीआ़ हज़रत अल्लामा मुहम्मद अमजद अली साहब (रह.) अपनी शोहरए आफ़ाक़ तसनीफ़ "बहारे शरीअ़त" में हदीस नक़्ल फ़रमाते हैं:

"हज़रत सअ़द बिन अबी वक़ास (रज़ि.) ने रिवायत

की कि रसूलए अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "तीन चीज़ें आदमी की नेक बख़्ती से हैं और तीन चीज़ें बदबख़्ती है। नेक बख़्ती की चीज़ों में से नेक औरत और अच्छा मकान है यानी बड़ा हो और उसके पड़ोसी अच्छे हों और अच्छी सवारी और बदबख़्ती की चीज़ें बदऔरत, बुरा मकान, बुरी सवारी है।"

(इमाम अहमद, बज़ाज़, हाकिम, बहवाला बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़्हा–6)

हदीस: हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने रिवायत किया कि नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ماتركت بعدى فتنة اضر على الرجل من النساء

तर्जमा: मेरे बाद कोई फ़ितना ऐसा बाक़ी नहीं रहा जो मर्दों पर औरत के फ़ितने से ज़्यादा नुक़सान देह हो।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–47 हदीस–87 सफ़्हा–61 +तिर्मिज़ी शरीफ़ बाब–330 हदीस–682 सफ़्हा–279 +मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–2951 सफ़्हा–70)

अब आप ने जान लिया कि किसी शख़्स के लिए कोई औरत नहूसत का सबब (यानी बदअख़लाक़ और ज़बानदराज़) भी हो सकती है और फ़ितना भी और ज़ाहिर है कि जो औरत बदअख़लाक़, ज़बानदराज़ और फ़ितना परवर हो तो तकलीफ़ व परेशान का सबब ही होगी। लिहाज़ा ये जानने के लिए कि जिस लड़की से आप निकाह करना चाहते हैं वह आप के हक़ में बेहतर साबित होगी या नहीं। बदअख़लाक व ज़बानदराज़ होगी या ख़ुश बयान व ख़ुश मज़ाज, इज़्ज़त का सबब होगी या ज़िल्लत का सबब, फ़ितना होगी या मुहब्बत करने वाली, वफ़ादार होगी या बेवफ़ा, ये सब जानने की लिए इस्तिख़ारा ज़रूर करे।

इस्तिख़ारा करने का तरीक़ा

(1) जिससे निकाह करने का इरादा हो तो पैग़ाम या मंगनी के

बारेमें किसी से जिक्र ना करे। अब रात को ख़ूब अच्छी तरह वुजू कर के जितनी नफ़िल नमाज़ें पढ़ सकता है दो, दो रकअ़त कर के पढ़े। फिर नमाज़ ख़त्म करने के बाद ख़ूब ख़ूब अल्लाह की तस्बीह बयान करे (जो भी तस्बीह याद हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े) जैसे अल्लाहुअकबर, सुब्हान अल्लाह, अलहमदुलिल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम वग़ैरा। फिर उसके बाद ये दुआ़ ख़ुजूअ़ व ख़ुशूअ़ के साथ पढ़े:

اللھم انک تقدرو لا اقدر و تعلم ولا اعلم وانت علام
الغیوب فان رایت ان فی (لڑکی کا نام لے) خیر الی فی
دینی و دنیاوی واخرتی فاقدر ھالی و ان کان غیرھا خیر
امنھا فی دینی و آخرتی فاقدر ھالی

तर्जमा: ऐ अल्लाह! तू हर चीज़ पर क़ादिर है और मैं क़ादिर नहीं और तू सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। बेशक तू ग़ैब की बातों को ख़ूब जानता है। अगर (लड़की का नाम ले) मेरे लिए मेरे दीन के एतेबार से, दुनिया व आख़रत के एतेबार से बेहतर हो तो उसको मेरे लिए मिक़दार फ़रमा दे और (अगर वह मेरे लिए बेहतर न हो तो) उसके अलावा और कोई लड़की या औरत मेरे हक़ में मेरे दीन व आख़रत के एतेबार से इससे बेहतर हो तो उसको मेरे लिए मिक़दार फ़रमा दे।

(हिस्ने हसीन अज़ हज़रत इमाम मुहम्मद बिन अलजज़री शाफ़ई (रज़ि.) सफ़हा–160)

इस तरह इस्तिख़ारा करने से इंशाअल्लाह सात दिनों में जवाब या फिर बेदारी में ही अल्लाह की जानिब से ऐसा कुछ ज़ाहिर होगा या ऐसा कुछ वाक़ेअ़ होगा जिससे आप को अंदाज़ा हो जाएगा कि उस लड़की या औरत से निकाह करने में बेहतरी है या नहीं।

(2) कुछ उलमा किराम ने इस्तिख़ारा करने का अमल इस तरह भी नक्ल किया है:

रात को पहले दो रकअ़त नमाज़ इस तरह पढ़ें कि पहली

रकअत में सूरह फ़ातिहा (अलहमद शरीफ़) के बाद "قل يا ايها الكافرون" और दूसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद "قل هو الله احد" पढ़ें और सलाम फेर कर दुआ पढ़ें (वही दुआ जो हम ने ऊपर बयान की है) दुआ से पहले और बाद में एक मरतबा सूरह फ़ातेहा और ग्यारह मरतबा दरूद शरीफ़ ज़रूर पढ़ें।

बेहतर है कि ये अमल सात मरतबा दोहराऐं (यानी सात रोज़ लगातार रात को इस तरह अमल करे। एक ही रात में सात मरतबा भी कर सकते हैं) इस्तिख़ारा करने के बाद फ़ौरन बातहारत क़िब्ला की तरफ़ रुख़ कर के सो जाऐं।

अगर ख़्वाब में सफ़ेद या हरे रंग की कोई शैय नज़र आए तो कामियाबी है यानी इस लड़की से निकाह करना ठीक होगा और अगर लाल या काली रंग की शैय नज़र आए तो समझे कि कामेयाबी नहीं। यानी उसी लड़की से निकाह करने में बुराई है। (वल्लाहु तआला आलम)

मंगनी या निकाह का पैग़ाम

आयतः अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता हैः

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء..........الخ

तर्जमाः और तुम्हें गुनाह नहीं इस बात में कि जो परदा रख कर (परदे के साथ) तुम औरतों को निकाह का पैग़ाम दो। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–2 सूरह बक़र रुकूअ –13 आयत–235)

जब किसी लड़की या औरत से शादी का इरादा हो तो उसे शादी का पैग़ाम देने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उस लड़की या औरत को किसी और शख़्स ने पहले से ही पैग़ाम तो नहीं दिया है या उस लड़की की मंगनी तो नहीं हो गई है। अगर किसी और ने उस लड़की को निकाह का पैग़ाम दिया हो या उसके रिश्ते की बात किसी के मुतअल्लिक़ चल रही हो तो उसे हरगिज़ पैग़ाम न दे कि उसे शरीअत इस्लामी में सख़्त नापसंद किया गया है। चुनाँचे हदीस पाक में हैः

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा व हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर

(रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله اوياذن له الخاطب

तर्जुमा: कोई शख़्स अपने इस्लामी भाई के पैग़ाम पर उसी लड़की को निकाह का पैग़ाम न दे। यहाँ तक कि पहला ख़ुद इरादा तर्क कर दें या उसे पैग़ाम भेजने की इजाज़त दे। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 हदीस–129 सफ़हा–78+मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 सफ़हा–415)

मंगनी दर असल निकाह का वादा है। अगर ये न भी हो तो जब भी कोई हर्ज नहीं। लिहाज़ा बहेतर तो ये है कि मंगनी की रस्म बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज कल उसे एक ज़रूरी रस्म बना लिया गया है और उसे शादी की तरह निभाते हैं। शादी की तरह इसमें ख़र्च करते हैं। इस रस्म में रुपयों की बरबादी के सिवा कुछ नहीं। लिहाज़ा इस रिवाज को छोड़ना ही बेहतर है। मुरव्वजा मंगनी की रस्म में मुसलमानों में इंतिहाई मुबालग़ा पाया जा रहा है। ग़ालिबन हम ने ये रस्म हिन्दुओं से सीखी है। क्योंकि इस अंदाज़ से रस्म की अदाएगी सिवाए हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के और कहीं नहीं पाई जाती बल्कि अरबी फ़ारसी ज़ुबानों में इसका कोई नाम भी नहीं। उसके जितने भी नाम मिलते हैं सब हिन्दी ज़ुबान के हैं। चुनाँचे मंगनी, सगाई, कड़माई, साख वग़ैरा ये उसके नाम हैं और उनमें से कोई भी अरबी व फ़ारसी का नहीं। (वल्लाहु तआला आलम)

अगर मंगनी का करना ज़रूरी ही हो तो उसे निहायत ही सादगी से कर लें। इस तरह हो कि लड़के के चंद क़राबतदार लड़की के यहाँ जमा हो जाऐं और उनकी ख़ातिर व तवाज़ो लड़की वाले पान, चाय या शरबत से कर दें। लड़के वाले अपने साथ दुल्हन के लिए एक दुपट्टा और कुछ मुख़्तसर ज़ेवर लाऐं और लड़की वाले लड़के को एक सूती रूमाल और एक चाँदी की

अंगूठी एक नग वाली पेश कर दें। बस ये हो गई मंगनी और अगर दूसरे शहर से लड़के वाले आए हैं तो उनके साथ दस बारह लोगों से ज़्यादा का मजमा न हो और दुलहन वाले मेहमानी के लिहाज़ से उनको खाना खिलाऐं मगर उस खाने में दूसरे मुहल्ला वालों की आम दावत की कोई ज़रूरत नहीं।

निकाह से पहले लड़की देखना

किसी लड़की या औरत को किसी ग़ैर मर्द को उस वक़्त दिखाने में कोई हर्ज नहीं जब वे उससे शादी का इरादा रखता हो या उसे शादी का पैग़ाम भेजा हो लेकिन लड़के के दूसरे मर्द रिश्तेदारों या दोस्तों को नहीं दिखाना चाहिए कि वह सब ग़ैर महरम हैं (जिनसे लड़की का परदा करना ज़रूर है) लिहाज़ा सिर्फ लड़का और उसके घर की औरतें ही लड़की को देखें।

निकाह से पहले औरत को देखना मुस्तहब है लेकिन इस बात का ज़रूर ख़्याल रखे कि लड़के को लड़की इस तरह दिखाए कि लड़की को इस बात की भनक भी न लगे कि लड़का उसे देख रहा है (यानी खुल्लम खुल्ला सामने न लाऐं) अगर इस एहतियात से दिखाया जाएगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है कि बाद में किसी किस्म की ग़लत फ़हमी नहीं होती।

हदीस: हज़रत मुहम्मद बिन सलमा (रज़ि.) तआला फ़रमाते हैं:

"मैंने एक औरत को निकाह का पैग़ाम दिया। में उसे देखने के लिए उसके बाग़ में छुप कर जाया करता था। यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया। किसी ने कहा आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं? हालाँकि आप हुज़ूर (स.अ.व.) के सिहाबी हैं, तो मैंने उसे जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमया: "जब अल्लाह तआला किसी के दिल में किसी औरत से निकाह की ख़्वाहिश डाले और वह उसे पैग़ाम दे तो उसकी जानिब देखने में कोई हर्ज नहीं।"

(इब्ने माजा शरीफ़ जिल्द–1 बाब–597 हदीस–1931 सफ़हा–523)

हदीस: हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि हुजूरे अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اذا خطب احد کم المراة فان استطاع ان ینظر الی
مایدعوه الی نکاحها فلیفعل

तर्जमा: जब तुम में से कोई किसी को निकाह का पैग़ाम दे तो अगर उस औरत को देखना मुमकिन हो तो देख ले। (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–96 हदीस–314 सफ़हा–122)

हज़रत सैयदना इमाम बुख़ारी (रज़ि.) ने अपनी मशहूर किताब सही बुख़ारी "किताबुन्निकाह" में निकाह से पहले औरत को देखने के मुतअल्लिक़ एक ख़ास बाब क़ाएम किया है जिसका नाम "النظر الی المراۃ قبل التزویج" यानी निकाह से पहले औरत को देखना है। इस बात में इमाम बुख़ारी कई हदीसें लाए हैं जिनसे साबित होता है कि निकाह से पहले औरत को देखना जाइज़ है। चुनाँचे इस बाब की एक तवील हदीस में है जिसका खुलासा ये है।

हदीस: हुजूरे अकरम (स.अ.व.) की ख़िदमते अक़दस में एक मरतबा एक सहाबिया ख़ातून हाज़िर हुई और आप से निकाह की दरख़्वास्त की लेकिन हुज़ूर ने अपना सर मुबारक झुका लिया और उन्हें कुछ जवाब न दिया। एक सहाबी ने खड़े हो कर अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह! अगर आप को उस औरत की हाजत नहीं है तो उसका निकाह मेरे साथ फ़रमा दीजिए।" सरकार (स.अ.व.) के उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि उनके पास मुफ़्लिसी की वजह से कुछ रुपये पैसे, कपड़ा वग़ैरा नहीं। यहाँ तक कि महर अदा करने के लिए एक अंगूठी तक भी नहीं है। अलबत्ता कुरआन की कुछ सूरतें याद हैं। चुनाँचे हुज़ूर (स.अ.व.) ने उनके कुरआन करीम जानने के सबब उस सहाबिया ख़ातून का निकाह उन सहाबी से फ़रमाया।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–65 हदीस–113 सफ़्हा–71)

उलमाए किराम फ़रमाते हैं:

"ये ख़ुसूसियात उन्हीं सहाबी के लिए मख़सूस थीं और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के बाद ऐसा करने का किसी को हक़ नहीं है क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म ख़ुद शरीअ़त है। आज उस तरह से निकाह करना जाइज़ नहीं।"

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–108 सफ़्हा–133)

हदीस: इसी तरह की दूसरी हदीस में है:

"रसूले अकरम (स.अ.व.) को ख़्वाब में हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) को निकाह से पहले दिखाया गया।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–65 हदीस–112 सफ़्हा–71)

इन हदीसों से इमाम बुख़ारी ने ये साबित किया है कि औरत को निकाह से पहले देखना जाइज़ है।

हुज्जतुलइस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"निकाह से पहले औरत को देख लेना हज़रत इमाम शाफ़ई (रज़ि.) के नज़दीक सुन्नत है।"

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–260)

यही इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) आगे नक़ल फ़रमाते हैं:

"औरत का जमाल मुहब्बत व उलफ़त का ज़रीया है। इसलिए निकाह करने से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है।" बुज़ुर्गों का क़ौल है "औरत को बे देखे जो निकाह होता है उसका अंजाम परेशानी और ग़म है।"

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–260)

हुज़ूर सय्यदना ग़ौसेआज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (रज़ि.) अपनी तस्नीफ़ "ग़ुनयतुत्तालिबीन" में इरशाद फ़रमाते हैं:

"मुनासिब है कि निकाह से पहले औरत का चेहरा और ज़ाहिरी बदन यानी हाथ, मुंह वग़ैरा देख ले ताकि बाद में नफ़रत या तलाक़ की नौबत न आए क्योंकि तलाक़ और नफ़रत अल्लाह तआला को सख़्त नापसंद है।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–112)

लड़की की रज़ा मंदी

आप ने अक्सर देखा और सुना होगा कि कुछ ग़ैर मुस्लिम, मुसलमानों को ताना देते हैं कि इस्लाम ने औरत के साथ नाइंसाफ़ी की है। हालाँकि उन कम अक़्लों को ये नहीं सूझता कि उनके धर्म ने औरतों के कितने ही हुक़ूक़ का किस बेदर्दी से गला घोंटा है।

ये कम फ़हम औरतों को सड़कों, बाज़ारों और अपनी झूटी इबादत गाहों में अध नंगी हालत में खुलेआम घूमने फिरने में ही उनकी आज़ादी और उनका जाइज़ हक़ समझते हैं। यही वजह है कि उनके खुद साख़्ता धर्म में मर्द व औरतें ही नहीं बल्कि उनके देवी देवता भी आशिक़ मिज़ाज नज़र आते हैं। किसी शायर ने क्या ख़ूब कहा है–

औरतें पहुंची बाल बिखराए मन्दिर में पूजा के लिए देवता मन्दिर से बाहर निकले और ख़ुद पुजारी हो गए।

हम साफ़ तौर पर कह देना चाहते हैं कि बेशक मज़हबे इस्लाम ऐसी बेहूदा हरकतों की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। वह औरतों को बाज़ारों और सड़कों पर खुले आम अपने हुस्न का मुज़ाहिरा पेश करने से सख़्ती से मना करता है लेकिन याद रहे वे औरतों को उनके जाइज़ हुक़ूक़ देने में कोई कमी भी नहीं आता और न ही औरतों के साथ बुरा सुलूक करने, उनके साथ ज़बरदस्ती करने या किसी क़िस्म की नाइंसाफ़ी करने की इजाज़त देता है। वह हर मुआमले में औरतों से बराबरी और इंसानी हुस्न सुलूक करने का मर्दों को हुक्म देता है।

चुनाँचे शरीअ़त इस्लामी में जहाँ कई मुआमलों में औरतों की मर्ज़ी ज़रूरी समझी जाती है वहीं शादी के लिए उसकी रज़ा मंदी भी ज़रूरी है।

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा व हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) न इरशाद फ़रमाया:

لا تنكح البكر حتى تستا مرورضاها سكوتها ولا تنكح الشيب حتى تستاذن.

तर्जमा: कुँवारी का निकाह न किया जाए जब तक उसकी रज़ामंदी न हासिल कर ली जाए और उसका चुप रहना उसकी रज़ामंदी है और न ही निकाह किया जाए बेवा का जब तक उससे इजाज़त न ली जाए।

(मुसनद इमामे आज़म बाब–123 सफ़हा–214+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–324 सफ़हा–126+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–753 हदीस–1099 सफ़हा–566)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं:

ان امرأة توفى عنها زوجها ثم جاء عم ولدها فخلبها فابى الاب ان يزوجها و زوجها من الآخر فاتت المراة النبي صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلک له فبعث الى ابيها فحضر فقال ماتقول هذا قال صدقت ولكنى زوجتها ممن هو خير منه ففرق بينهما و زوجها عم ولدها.

तर्जमा: एक औरत के शौहर का इंतिक़ाल हो गया। उसके देवर ने उसे निकाह का पैग़ाम भेजा मगर (औरत का) बाप देवर से निकाह करने पर राज़ी न हुआ। उसने किसी दूसरे मर्द से उस औरत का निकाह कर दिया। औरत नबीए करीम (स.अ.व.) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप से पूरा क़िस्सा बयान किया। हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने उस औरत के बाप को बुलवाया और

उससे आप ने फ़रमायाः "ये औरत क्या कहती है?" उसने जवाब दियाः "सच कहती है मगर मैंने इसका निकाह ऐसे मर्द से किया है जो उसके देवर से बेहतर है।" उस पर हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने उस मर्द औरत में जुदाई करवादी और औरत का निकाह उसके देवर से कर दिया जिससे वह निकाह करना चाहती थी।

(मुसनद इमाम आज़म बाब–124 सफ़्हा–215)

हदीसः हज़रत मुल्ला अली क़ादिर (रह.) इस हदीस के मुतअल्लिक तहरीर फ़रमाते हैं:

"इब्ने क़तान (रज़ि.) ने कहा है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ये हदीस सही है और ये औरत हज़रत ख़नसा बिन्त अब्बास (रज़ि.) थीं जिनकी हदीस इमाम मालिक व इमाम बुख़ारी भी लाए हैं कि उनका निकाह हुज़ूरे अक़्दस (स.अ.व.) ने रद फ़रमा दिया था।"

हदीसः हज़रत इमाम बुख़ारी ने अपनी सही में ये हदीस हज़रत ख़नसा बिन्ते ख़ज़ाम (रज़ि.) से इन अलफ़ाज़ के साथ नक़्ल की है:

ان اباھا زوجھا وھی ثبت فکرھت ذالک فاتت
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرد نکاحه.

तर्जमाः उनके वालिद ने उनका निकाह कर दिया जबकि उस निकाह को ना पसंद करती थीं। वह रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हो गई। आप ने फ़रमायाः "वह निकाह नहीं हुआ।"

(मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 सफ़्हा–25+बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 हदीस–125 सफ़्हा–76)

इन तमाम अहादीसे मुबारका से मालूम हुआ कि शादी से पहले कुँवारी लड़की और बेवा से इजाज़त लेना ज़रूरी है और हमारे आक़ा व मौला सरकार (स.अ.व.) की बहुत ही प्यारी सुन्नत भी है। चुनाँचे हदीसे पाक में है।

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है:

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا زوج احدى بناته اتى حذرها فيقول ان فلانا يذكر فلانة ثم يزوجها.

तर्जमाः नबीए करमी (स.अ.व.) अपनी कसी शहज़ादी को किसी के निकाह में देना चाहते तो उनके पास तशरीफ़ लाते और फ़रमाते: "फुलाँ शख़्स (यहाँ उनका नाम लेते) तुम्हारा ज़िक्र करता है।" और फिर (शहज़ादी की रज़ामंदी मालूम हो जाने पर) निकाह पढ़ा दिया करते थे।

(मुसनदे इमामे आज़म बाब--123 सफ़्हा--214)

आज देखा ये जा रहा है कि माँ बाप लड़की की मर्ज़ी को कोई अहमियत नहीं देते और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ जहाँ चाहते हैं शादी कर देते हैं। अब शादी के बाद अगर लड़की को लड़का पसंद आ गया तो ठीक और अगर पसंद न आया तो फिर झगड़ों और नाइत्तिफ़ाक़ी का एक सैलाब उमंड पड़ता है और बाज़ औक़ात तो नौबते तलाक़ आ पहुंचती है।

अपनी लख़्ते जिगर के लिए अच्छे लड़के की तलाश करना और फिर उसे बियाह देना यक़ीनन ये माँ बाप की ही ज़िम्मादारी है लेकिन जहाँ इतनी उठा पटक करते हैं अगर लड़की की मर्ज़ी भी मालूम कर ली जाए तो उसमें भला क्या हर्ज है? लड़की से उसकी मर्ज़ी मालूम भी करनी चाहिए क्योंकि उसे ही सारी ज़िन्दगी गुज़ारना है।

मौजूदा दौर में लड़की की इजाज़त को निकाह के वक़्त की एक रस्म बना दिया गया है। लड़की को दुलहन बना दिया गया, सारे मेहमान आ गए। अब चार व नाचार उसे "हाँ" कहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि निकाह से बहुत पहले खुद इशारों में या किसी रिश्तादार औरत के ज़रीए बिल्कुल साफ़ साफ़ तौर पर इजाज़त ले लें। अगर लड़की से खुल कर कहने में झिजक या शर्म महसूस हो रही हो तो दबे लफ़्ज़ों में इज़हार करे

ये सुन्नत भी है।

हदीस: हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है:

"सरकारे मदीना (स.अ.व.) ने जब अपनी साहिबज़ादी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का निकाह हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से करने का इरादा फ़रमाया तो आप हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फ़रमाया "علیا یذکرک" (अली तुम्हारा ज़िक्र करते हैं) यानी तुम्हें निकाह का पैग़ाम भेजा है।"

(मुसनद इमाम आज़म बाब–122 सफ़्हा–213)

ये इजाज़त हासिल करने का निहायत ही बेहतर तरीक़ा है जो पैग़ाम के वक़्त ज़रूरी है। वैसे भी साफ़ खुले अलफ़ाज़ में पूछना हिजाब व हया के ख़िलाफ़ मालूम होता है। ऐसे बहुत से अलफ़ाज़ हैं जो इजाज़त लेते वक़्त दर्दे लफ़्ज़ों में कह सकते हैं। जैसे फ़ुलाँ लड़का तुम्हारा ज़िक्र करता है। फ़ुलाँ तुम पर बहुत मेहरबान है। फ़लाँ लड़का तुम्हारे लिए बेहतर है। फ़ुलाँ को तुम्हारी ज़रूरत है। फ़ुलाँ का पैग़ाम तुम्हारे लिए है। वग़ैरा (जहाँ जहाँ लफ़्ज़ फ़ुलाँ लिखा है वहाँ लड़के का नाम लें)। निकाह के लिए लड़की की इजाज़त ज़रूरी है। उसका साफ़ मफ़ाद ये है कि लड़की की जिससे शादी हो रही है उसको वह पहले से जानती भी हो और उसे देखा भी हो वरना ग़ैर मालूम शख़्स के बारे में इजाज़त लेना लग्व बेकार है।

मसअला: लड़की या औरत से इजाज़त लेते वक़्त ज़रूरी है कि जिसके साथ निकाह करने का इरादा हो उसका नाम इस तरह लें कि औरत जान सके। अगर यूँ कहा कि एक मर्द या लड़के से शादी कर दूँगा या यूँ कि फ़ुलाँ क़ौम के एक शख़्स से निकाह कर दूँगा तो ये जाइज़ नहीं और ये इजाज़त सही भी नहीं।

(कानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–54)

हदीस: "قال محمد بن اسماعیل (المعروف به امام بخاری

رضی اللہ تعالیٰ عنہ) عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البکر تستحی قال رضا ھا صمتھا"

तर्जमा: इमाम बुख़ारी (रज़ि.) नक़्ल फ़रमाते हैं कि हज़रत आएशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह (स.अ.व.) कुँवारी लड़की तो निकाह की इजाज़त देने में शर्माती है। इरशाद फ़रमाया: "उसका ख़ामोश हो जाना ही इजाज़त है।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–71 हदीस–124 सफ़्हा–76)

यानी किसी लड़के के बारे में कुँवारी से इजाज़त ली जाए और वह ख़ामोश रहे तो उसको उसकी रज़ा समझा जाएगा क्योंकि शर्म की वजह से कुँवारी लड़की खुल्लम खुल्ला "हाँ" नहीं कहेगी और अगर कोई औरत मुतलक़ा (तलाक़ शुदा) या बीवी है तो उसका ख़ामोश रहना काफ़ी नहीं बल्कि उसकी जबानी इजाज़त ज़रूरी है।

मसला: अगर औरत कुँवारी है तो साफ़ साफ़ रज़ामंदी के अलफ़ाज़ कहे या कोई ऐसी हरकत करे जिससे राज़ी होना साफ़ मालूम हो जाए। मसलन मुस्कुरा दें या हंस दे या फिर इशारे से ज़ाहिर कर दे।

(क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–54)

और अगर इनकार हो तो इस तरह से साफ़ साफ़ कहे, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, या फिर कहे, वह मेरे लिए बेहतर नहीं, वग़ैरा वग़ैरा। जिस तरह भी मुनासिब तौर पर ज़ाहिर कर सकती हो उस तरह से ज़ाहिर कर दे। फिर माँ बाप पर भी ज़रूरी है ज़्यादा दबाव न डालें या ज़बरदस्ती न करें। बे जा दबाव डालना या ज़बरदस्ती करना जाइज़ नहीं।

हदीस: हजरत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

الیمنۃ تستامر فی نفسھا فان صمتت فھو اذنھا و ان ابت فلا جواز علیھا.

तर्जमा: बालिग़ कुँवारी लड़की से उसके निकाह की इजाज़त

ली जाए। अगर वह ख़ामोश हो जाए तो ये उसकी तरफ़ से इजाज़त है और अगर इनकार करे तो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द-1 बाब-754 हदीस-1101 सफ़हा-567)

मसला: बालिग़ा व आक़िला औरत का निकाह बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई नहीं कर सकता। न उसका बाप, न इस्लामी हुकूमत का बादशाह। औरत कुँवारी हो या बेवा। उसी तरह बालिग़ व आक़िल मर्द का निकाह बग़ैर उसकी मर्ज़ी के कोई नहीं कर सकता।

क़ानूने शरीअत जिल्द-2 सफ़हा-54)

मसला: कुँवारी लड़की का निकाह या लड़के का निकाह उनकी इजाज़त के बग़ैर कर दिया गया और उन्हें निकाह की ख़बर दी गई तो अगर औरत चुप रही या हंसी या बग़ैर आवाज़ के रोई तो निकाह मंज़ूर है, समझा जाएगा। उसी तरह मर्द ने इनकार न किया तो निकाह मंज़ूर है, समझा जाएगा लेकिन मर्द या औरत में से किसी एक ने भी इनकार कर दिया तो निकाह टूट गया।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द-5 सफ़हा-104+क़ानूने शरीअत जिल्द-2 सफ़हा-54)

ये तमाम शरई मसाएल हैं जिनका जानना और उन पर अमल करना ज़रूरी है जिसमें माँ बाप की भी ज़िम्मादारी है कि वे अपनी औलाद की ख़ुशी का ख़्याल रखें और औलाद का भी फ़र्ज़ है कि वह माँ बाप और घर के दीगर बुज़ुर्गों का कहा मानें और वह जहाँ शादी कराना चाहें उनकी रज़ामंदी में ही अपनी रज़ा समझें कि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते।

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया

لا تزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فان
الزانية هى التى تزوج نفسها .

तर्जमा: कोई औरत दूसरी औरत का निकाह न करे और न

कोई औरत अपना निकाह खुद करे क्योंकि ज़ानिया (ज़िना करने वाली) वही है जो अपना निकाह खुद करती है! (इब्न माजा शरीफ़ जिल्द–1 बाब–603 हदीस–1950 सफ़हा–528+मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–3002 सफ़हा–78)

मसला: बालिग़ा लड़की ने वली (माँ बाप) की इजाज़त के बग़ैर खुद अपना निकाह छुप कर या एलानिया किया तो उसके जाइज़ होने के लिए ये शर्त है कि शौहर उसका कफ़ू हो यानी मज़हब, ख़ानदान या पेशे या माल या चाल चलन में औरत से ऐसा कम न हो कि उसके साथ उसका निकाह होना लड़की के माँ बाप व ख़ानदान वालों और दीगर रिश्तादारों के लिए बेइज़्ज़ती, शर्मिंदगी व बदनामी का सबब हो। अगर ऐसा है तो वह निकाह न होगा।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़हा–142)

मसला: शादी की तारीख़ मुतअय्यन करते वक़्त दुल्हन के अय्यामे हैज़ से बचने के लिए उसकी रज़ा ले ली जाए। ये उन इलाक़ों में निहायत ज़रूरी है जहाँ निकाह के बाद उसी दिन या एक दिन बाद रुख़सती होती है।

महर का बयान

आप का हमारा ये मुशाहदा है कि मुसलमानों में आज बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो शादी तो कर लेते हैं, महर भी बाँधते हैं लेकिन उन्हें इस बात की मालूमात नहीं होती के मेहर कितने क़िस्म का होता है? और उनका निकाह किस क़िस्म के महर पर तैय हुआ है? लिहाज़ा मुसलमानों को ये जान लेना ज़रूरी है कि मेहर की तीन क़िस्में हैं:

महरे मुअज्जल: महरे मुअज्जल ये है कि ख़िलवत से पहले महर देना क़रार पाया हो (चाहे दिया कभी भी जाए)।

महरे मुअज्जल: महरे मुअज्जल ये है कि महर की रक़म देने के लिए कोई वक़्त मुक़र्रर कर दिया जाए।

महरे मुतलक़: महरे मुतलक़ ये है कि जिसमें कुछ न तैय

किया जाए।

(फतावा मुस्तफ़्या जिल्द–3 सफ़्हा–66+बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़्हा–37)

इन तमाम महर की क़िस्मों में महरे मुअज्जल रखना ज़्यादा अफ़ज़ल है। यानी रुख़्सती से पहले ही मेहर अदा कर दिया जाए। (क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–60)

मसला: महरे मुअज्जल वसूल करने के लिए अगर औरत चाहे तो अपने आप को शौहर से रोक सकती है। यानी ये इख़्तियार है कि वती (मुबाशरत) से बाज़ रखे और मर्द को हलाल नहीं कि औरत को मजबूर करे या उसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती करे। ये हक औरत को सिर्फ़ उस वक़्त तक हासिल है जब तक महर वसूल न कर ले। इस दरमियान अगर औरत चाहे तो अपनी मर्ज़ी से वती कर सकती है। इस दौरान भी मर्द अपनी बीवी का नान, नफ़्क़ा बंद नहीं कर सकता। जब मर्द औरत को उसका महर दे दे तो औरत को अपने शौहर को वती करने से रोकना जाइज़ नहीं। (फ़तावा मुस्तफ़विया जिल्द–3 सफ़्हा–66+क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–60)

मसला: इसी तरह अगर महरे मुअज्जल था (यानी महर अदा करने की एक ख़ास मुद्दत मुक़र्रर थी) और वह मुद्दत ख़त्म हो गई तो औरत शौहर को वती करने से रोक सकती है। (क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–60)

मसला: औरत को महर मुआफ़ करने के लिए मजबूर कना जाइज नहीं। (क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–60)

इस जमाने में ज़्यादा तर लोग यही समझते हैं कि महर देना कोई ज़रूरी नहीं बल्कि ये सिर्फ़ एक रस्म है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि महर तलाक़ के बाद ही दिया जाता है और कुछ लोग समझते हैं कि महर इसलिए रखते हैं कि औरत को महर देने के ख़ौफ़ से तलाक़ नहीं दे सकेगा।

यही वजह है कि हमारे हिन्दुस्तान में ज़्यादा तर लोग महर

नहीं देते। यहाँ तक कि इंतिक़ाल के बाद उनके जनाज़े पर उनकी बीवी आ कर महर मआफ़ करती है। वैसे औरत के मआफ़ कर देने से महर मुआफ़ तो हो जाता है लेकिन महर अदा किए बग़ैर दुनिया से चले जाना मुनासिब नहीं। ख़ुदा न ख़्वास्ता पहले औरत का इंतिक़ाल हो गया और अगर वह महर मुआफ़ न कर सकी या महर मुआफ़ करने की उसे मोहलत ही न मिली तो "हक़्क़ुलअब्द" में गिरफ़्तार और दीन व दुनिया में रू सियाह व शर्मसार होगा और क़यामत में सख़्त पकड़ और सख़्त अज़ाब होगा। लिहाज़ा इस ख़तरे से बचने के लिए मेहर अदा कर देना ही चाहिए। इसमें सवाब भी है और ये हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.) की सुन्नत भी है।

आयत: हमारा रब अज़्ज़ाविजल्ला इरशाद फ़रमाता है:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط

तर्जमा: और औरत को उनका महर ख़ुशी से दो।

(तर्जमा कंज़ुलईमान पारा-4 सूरह निसा रुकूअ-12 आयत-4)

मसला: औरत अगर होश व हवास की दुरुस्तगी में राज़ी ख़ुशी से महर मुआफ़ कर दे तो मआफ़ हो जाएगा। हाँ अगर मारने की धमकी दे तो मुआफ़ नहीं होगा और अगर मर्ज़ुलमौत में मुआफ़ कराते हैं तो इस सूरत में वुरसा की इजाज़त के बग़ैर मुआफ़ नहीं होगा।

(फ़तावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-293+दुर्रेमुख़्तार मअ शामी जिल्द-2 सफ़हा-333)

मिसाल:

अक्सर मुसलमान अपनी हैसियत से ज़्यादा महर रखते हैं और ये ख़्याल करते हैं कि ज़्यादा महर रख भी दिया तो क्या फ़र्क़ पड़ता है, देना तो है ही नहीं। ये सख़्त जिहालत है और दीन से मज़ाक़। ऐसे लोग इस हदीस को पढ़ कर इबरत हासिल करें।

हदीस: अबूअली तिबरानी व बैहक़ी हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) से रावी है कि हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"जो शख़्स निकाह करे और नियत ये हो कि औरत

को महर में से कुछ न देगा तो जिस रोज़ मरेगा जानी मरेगा।"

(अबूअली ज़िबरानी बैहक़ी बहवालाए बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़्हा–32)

लिहाज़ा महर इतना ही रखे जितना देने की हैसियत है और महर जितनी जल्दी हो सके अदा कर दे कि यही अफ़ज़ल तरीक़ा है।

हदीस: रसूले मक़बूल (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"औरतों में वे बहुत बेहतर है जिसका हुस्न व जमाल ज़्यादा हो और महर कम हो।"

(कीमियाए सआदत सफ़्हा–260)

हुज़ूर सय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"बहुत ज़्यादा महर बाँधना मकरूह है लेकिन हैसियत से कम भी न हो।"

(कीमियाए सआदत सफ़्हा–260)

कुछ लोग कम से कम महर बाँधते हैं और दलील ये देते हैं कि रुपये पैसों से क्या होता है, दिल मिलना चाहिए। ये भी ग़लत है। महर की अहमियत को घटाने के लिए अगर कोई कम महर बाँधे तो ये भी ठीक नहीं। औरतों को अपना महर ज़्यादा लेने का हक़ है और इस हक़ से उनको कोई मर्द रोक नहीं सकता।

महर की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिक्दार हो ये हद शरीअत में मुतअय्यन नहीं। जिस हद पर बात तैय हो जाए उतना बाँधा जाए लेकिन महर की कम से कम हद मुतअय्यन है।

हदीस: हदीस पाक में है:

لامهر اقل من عشرة دراهم

तर्जमा: महर दस दिरहम चाँदी से कम न हो।

मसला: महर की कम से कम मिक्दार दस दिरहम चाँदी है और दस दिरहम चाँदी दो तोला, साढ़े सात माशा के बराबर होती है। लिहाज़ा इतनी चाँदी निकाह के वक़्त बाज़ार में जितने की

मिले कम से कम उतने रुपये का महर हो सकता है। इससे कम का नहीं हो सकता है।

(फ़तावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़्हा-283+फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल जिल्द-1 सफ़्हा-712)

शादी की रसूम

शादी में तरह तरह की रसमें बरती जाती हैं। हर मुल्क में नई रस्म हर क़ौम और हर ख़ानदान का अपना अलग रिवाज है। ये कोई नहीं समझता कि शरअ़न ये रस्में कैसी हैं? मगर ये ज़रूर है कि रस्मों की पाबंदी उसी हद तक की जाए कि किसी हराम काम में मुब्तिला न हो। कुछ लोग रस्मों की इस क़दर पाबंदी करते हैं कि नाजाइज़ व हराम कामों को भले ही करना पड़े मगर रस्म न छूटने पाये।

हमारे हिन्दुस्तान में आम तौर पर बहुत सी रस्मों की पाबंदी की जाती है। जैसेः रतजगा, हल्दी खेलने की रस्म, निहारी, शादी के पहले या बाद में जुआ खेलना, ढोल बाजे, नाचना गाना, गाने बाजों और पटाख़ों के साथ बारात निकालना, विडीयो रिकार्डिंग वग़ैरा बग़ैरा। जबकि इन रस्मों में बे परदगी, छिछोरापन, अय्याशी और हराम कामों का वजूद होता है। जवान लड़के और लड़कियाँ हल्दी हिन्दुओं के त्यौहार होली की तरह खेलते हैं। नाचना, गाना, बेहूदा हंसी मज़ाक और तरह तरह की तहज़ीब से गिरी हुई हरकतें करते हैं। अगर इन तमाम रस्मों की पाबंदी के लिए रुपये न हों तो सूद पर रुपये क़र्ज़ लेने से भी नहीं चूकते।

यहाँ मुमकिन नहीं कि हर रस्म पर अलग अलग उनवान क़ाएम कर के तफ़सीली बहस की जाए। लिहाज़ा हम यहाँ मुख़्तसर चंद हदीसें पेश करते हैं। इंसाफ़ पसंद के लिए इसी क़दर काफ़ी और हटधर्म जाहिल के लिए क़ुरआन व अहादीस के ख़ज़ाने भी ना काफ़ी।

आयतः अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता हैः

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانو اخوان الشيطين

وكان الشيطن لربه كفورا.

तर्जमाः और फुज़ूल न उड़ा. बेशक (फुज़ूल) उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। (तर्जमा कंजुलईमान पारा–15 सूरह बनी इस्राईल रुकूअ–3 आयत–27)

हदीसः सरकार मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"बेशक सूद का एक रुपया लेना छत्तीस मरतबा ज़िना करने से बढ़ कर है। बेशक सूद लेना अपनी माँ के साथ ज़िना करने से भी बदतर है।" हदीस में हैः

الربو اسبعون حوبا ايسرها ينكح الرجل امه

(बहवाला फ़तावा मुस्तफ़्या जिल्द–1 सफ़्हा–76)

हदीसः हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"जिसने जूया खेला गोया उसने ख़िंज़ीर (सूवर) के गोश्त और ख़ून में हाथ धोया।"

(मुस्लिम शरीफ़, अबूदाऊद शरीफ़ मकाशफ़तुलकुलूब बाब–99 सफ़्हा–635)

फ़तावा मुस्तफ़यू" में हैः

"जूवे का हराम होना ज़िना के हराम होने की तरह है कि ज़िना भी हराम क़तई और जुवा भी हराम क़तई।"

(फ़तावा मुस्तफ़यू जिल्द–1 सफ़्हा–77)

हदीसः नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"सब से पहले गाना इबलीस मरदूद ने गाया।"

(करऊलइस्माअ बइख़्तिलाफ़ अक़्वालुमशाइख़ व अहवालहुम फ़िस्समाअ अज़शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहवली सफ़्हा–41)

हज़रत इमाम मुजाहिद (रज़ि.) फ़रमाते हैः

"गाने बाजे शैतान की आवाज़ें हैं जिसने उन्हें सुना गोया उसने शैतान की आवाज़ सुनी।"

(हादिलनास फ़ी रसूमुलआरास अज़ आला हज़रत अलैहिरहमा

सफ़्हा—18)

हज़रत शफ़ीक़ बिन समला (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने इरशाद फ़रमाया:

"गीत, गाने, ढोल, बाजे दिल में यूँ नफ़ाक़ उगाते हैं जैसे पानी सब्ज़ा लगाता है।"

(तंबीहुलग़ाफ़िलीन सफ़्हा—170)

सुलतानुलमशाएख़ महबूब इलाही हज़रत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया (रज़ि.) अपनी मलफ़ूज़ात "फ़वाएदुलफ़वाद शरीफ़" में इरशाद फ़रमाते हैं:

"मज़ा मीर हराम अस्त" यानी ढोल बाजे हराम हैं।

(फ़वाएदुलफ़वाद शरीफ़ बाब सोम, पाँचवीं मजलिस सफ़्हा—189)

"हज़रत मख़दूम शर्फ़ुलमिल्लत वालिदैन यहिया मुनेरी (रज़ि.) ने ढोल बाजों को मिस्ल ज़िना के हराम फ़रमाया है।"

(बहवाला अहकाम शरीअ़त जिल्द—2 सफ़्हा—156)

आला हज़रत (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"उबटन मलना जाइज़ है और दूल्हा की उम्र नौ दस साल की हो तो अजनबी औरतों का उसके बदन पर उबटन मलना भी गुनाह नहीं। हाँ बालिग़ के बदन पर नमहरम औरतों का मलना नाजाइज़ है और बदन को हाथ्ज्ञ तो माँ भी नहीं लगा सकती। ये हराम और सख़्त हराम है और औरत व मर्द के दरमियान शरीअ़त ने कोई मुह बोला रिश्ता न रखा, ये शैतानी व हिन्दुवानी रस्म है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द—9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा—170)

विडियो शूटिंग

आज कल शादी बयाह में विडियो शूटिंग करवाना शादी का एक हिस्सा बन चुका है। इधर क़ाज़ी साहब निकाह का ख़ुतबा पढ

है " قال النبى صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتى " लीजिए साहब इधर ये शैतानी आला सामने आ खड़ा हुआ और फिर उसी पर बस नहीं बल्कि अब ये शैतानी आला (यानी विडियो कैमरा) जनाना कमरे में पहुंचा और हमारी माँ बहनों को बेपरदा करने लगा। वह लोग जिन्होने हमारी माँ बहनों को कभी नहीं देखा था ये जिनसे वह परदा करती थीं। वह लोग जिन्होंने हमारी माँ बहनों को कभी नहीं देखा था या जिनसे वह परदा करती थीं, वह अब विडियो के जरिए खुलेआम मजलिस में दिखाई देने लगीं।

एक शादी हाल मे विडियो शूटिंग की जा रही थी। जगह जगह टी॰ वी॰ सेट रखे हुए थे, जो मंज़र को डाएरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे थे। औरतों के कयाम की जगह विडियो शूटिंग की जा रही थी। महफिल में कोई ख़ातून गर्मी की वजह से अपने साड़ी के पल्लु को सीने से हटाए हुए हवा कर रही थीं कि विडियो कैमरा ने इस मंज़र को अपने अन्दर समेट लिया। एक और तक़रीब में ये वाकिआ भी पेश आया कि एक खातून अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी और उनकी तवज्जो इस बात की तरफ न थी कि कैमरा का रुख उनकी तरफ़ भी है। कैमरों ने इस मंज़र को क़ैद करने मे कोई कंजूसी न की। ग़र्ज़ कि बाज़ औक़ात बेख़्याली में होने की वजह से औरतों के वह मनाज़र भी विडियो फ़िल्म की ज़ीनत बन जाते हैं जिन्हें बाद में देखने में शर्म व हया से सर नीचा हो जाता है।

हदीसः मेरे प्यारे आका (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैः

ان اشد الناس عذابا يوم القيمة من قتل نبيا او قتله نبى......والمصورون

तर्जुमा. बेशक रोज़ कयामत सब से ज़्यादा सख़्त अज़ाब उस पर होगा जिसने किसी नबी को शहीद किया या उसे किसी नबी ने क़त्ल फ़रमाया हो और तस्वीर बनाने वाले पर। (इमाम अहमद, तिबरानी, अबूनईम, बेहकी, बहवालए शिफ़ाउलवाला फी सुवरिल हबीब मज़ारिहेही व निआलिहे सफ़्हा-3)

हदीसः हज़रत अबूतलहा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

لا تدخل الملئكة بيتافيه كلب ولا صورة

तर्जमाः रहमत के फ़रिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में कुत्ता या जानवर की तस्वीर हो। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–547 हदीस–900 सफ्हा–332)

हदीसः एक हदीस पाक में हैः

وبيت لا تدخل فيه الملئكة شر البيوت

तर्जमाः और वे घर जिसमें रहमत के फ़रशिते न आऐं सब घरों से बदतर है।

(अतायलक़दीर फ़ी हुक्मित्तस्वीर सफ़्हा–21)

तस्वीर खींचने और खिंचवाने पर सैंकड़ों वईदें आई हैं। वे सब बयान कर पाना यहाँ मुमकिन नहीं। ज़्यादा तफ़सील के लिए इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत (रज़ि.) की किताब "शिफ़ाउलवाला फ़ी सुवरिल हबीब मज़ारिही व निआलिही" का मुतालआ कीजिए जिसमें इसकी काफ़ी तफ़सील मौजूद है।

मुसलमानों के चंद बहाने

जब ये ख़राबियाँ मुसलमानों को बताई जाती हैं उनके चंद बहाने होते हैं। एक तो ये कि क्या करें साहब! हमारी औरतें और लड़के नहीं मानते। हम उनकी वजह से मजबूर हैं। ये बहाना महज़ बेकार है। हक़ीक़त ये है कि आधी मर्ज़ी ख़ुद मर्दों की भी होती है। तभी उनकी औरतें और लड़के इशारा या नर्मी पाकर ज़िद करते हैं वरना मुमकिन नहीं कि हमारे घर में हमारी मर्ज़ी के बग़ैर कोई काम हो जाए। जान लीजिए कि हक़ तआला नियत से ख़बरदार है। बाज़ घर के बुज़ुर्गों को देखा गया है कि आगे आगे फ़रज़ंद की बारात नाच गाने के साथ जा रही है और पीछे पीछे ये हज़रत भी "लाहौल" पढते हुए चले जा रहे हैं और कहते हैं "क्या करें बच्चा नहीं मानता।" यक़ीनन ये "लाहौल" ख़ुशी की ही है। वरना जब ये काम इस क़दर बुरा है कि आप को लाहौल पढ़ने की

ज़रूरत पड़ गई तो आप इस बारात में कर किया रहे हैं? हज़रत शैख़ सअ़दी शीराज़ी (रज़ि.) ने क्या ख़ूब फ़रमाया है।

कि लाहौल गोयंद शादी कुनाँ

दूसरा बहाना ये होता है कि हम को उलमाए अहलेसुन्नत ने ये बातें बताई ही नहीं और न उससे रोका। इसलिए हम लोग इससे ग़ाफ़िल रहे। अब जब कि ये रसूम चल पड़ी हैं। लिहाज़ा उनका बंद होना मुशकिल हो गया है। यक़ीनन ये बहाना भी ग़लत है। उलमाए अहलेसुन्नत ने इन रसमों से हमेशा अपने वाज़ व तक़रीर में मना किया, उसके मुतअ़ल्लिक़ किताबें लिखीं। जबकि मुसमलानों ने हमेशा इसे नज़र अंदाज़ किया और उसे कुबूल न किया। चुनाँचे इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा ने हमेशा बुरी रसमों और बुरी बिदअ़तों के ख़िलाफ़ रसाइल लिखे। आप ने एक किताब लिखी "جلی الصوت لنهی الدعوة امام الموت" जिसमें साफ़ साफ़ फ़रमाया कि मय्यत के चहल्लुम का खाना अमीरों के लिए नाजाइज़ है। सिर्फ़ गुरबा व मसाकीन खाऐं। एक किताब लिखी "هادی الناس فی رسوم الاعراس" जिसमें शादी बियाह की हराम रस्मों की बुराईयाँ और शरई अहकाम व शरई रस्में बयान फ़रमाई। एक किताब लिखी "مروجه النجالا خروج النساء" जिसमें ये साबित फ़रमाया कि सिवाए चंद मौक़ों के बाक़ी जगह औरत को घर .. निकलना हराम है। दो किताबें "شفاء الواله فی صور الحبیب ومزاره ونعاله" लिखी और "عطايا القدير في حكم التصوير" जिनमें तस्वीर खींचवाने और बनाने को हराम साबित फ़रमाया। किस किस किताब का ज़िक्र किया जाए। आला हज़रत ने सैंकड़ों किताबें इन उनवानात पर तस्नीफ़ फ़रमाई हैं। आख़िर में एक और किताब का नाम सुन लीजिए "इस्लामी ज़िन्दगी" जो हज़रत हकीमुलउम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ाँ नईमी (रह.) ने ख़ास शादी बियाह की रसमों के मुतअ़ल्लिक़ लिखी है। ग़र्ज़ेकि बहुत से उलमा ने इन उनवानात पर किताबें लिखीं। उन सब का नाम और उनकी किताबों का

ज़िक्र इस किताब में मुमकिन भी तो नहीं कि मेरी किताब का उनवान कुछ और है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने किन किन उनवानात पर सैंकड़ों तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी हैं इस की तफ़सील जानने के लिए नाचीज़ की किताब "इमाम अहमद रज़ा तहक़ीक़ के आइने में" का मुतालआ करें।

बहरहाल मुसलमानों का तीसरा बहाना ये होता है कि बहुत से आलिमों के यहाँ भी तो ये सब रसमें होती हैं। फ़लाँ आलिम के लड़के की बारात ढोल बाजों के साथ गई थी, फ़ुलाँ आलिम साहब वीडीयो शूटिंग को मना नहीं करते और वह ख़ुद निकाह के वक़्त विडियो शूटिंग करवाते हैं, फ़ुलाँ बड़े आलिम ने वीडीयो को जाइज़ कहा है वग़ैरा वग़ैरा।

इस बहाने के जवाब में ये ज़रूर कहूँगा कि दरअसल अहलेसुन्नत व जमाअत को जिस क़दर ग़ैरों ने नुक़सान नहीं पहुंचाया है, इससे कई गुना ज़्यादा ऐसे मुज़बज़ब (ढिल मिल) मौलवियों ने नुक़सान पहुंचाया है। गोया!

"इस घर को आग लग गई घर के चिराग़ से"

इससे क़तई इनकार नहीं कि ऐसे नीम मुल्ला चंद रुपयों की ख़ातिर शरीअत के मसाएल को भी मज़ाक़ बना देते हैं और अपनी झूटी मौलवियत का रोब झाड़ने के लिए उटपटाँग मसले बयान करते हैं और अपनी नफ़्सियाती ख़्वाहिशात को ग़लत तावीलों से सही साबित करने की कोशिश करते हैं या फिर बेचारे सेठ साहब के एहसानों तले दबे हैं। इसलिए सेठ साहब के लड़के की शादी में ज़बान नहीं खुलती लेकिन ऐ अज़ीज़ो! याद रखीए! इस्लाम की बुनियाद ऐसे गुमराह मौलवियों पर नहीं कि हम उनके अफ़आल को दलील बनाऐं। हर मुसलमान के लिए क़ुरआन व अहादीस, अइम्माए दीन, बुज़ुर्गाने दीन और उलमाए मोतदद्दीन के अक़वाल ही काफ़ी हैं। हमें किसी भी काम के नाजाइज़ व हराम होने का सुबूत क़ुरआन व अहादीस में और मोतमद उलमाए दीन व बुज़ुर्गों के अक़वाल से देखना चाहिए न कि उन नफ़्स परवर, अमीरों के

चापलूस मौलवियों के अफ़आल से और ये भी याद रखीए! बरोज़े महशर आपके कामों की पूछ आप से होगी। आप ये कह कर नहीं बच जाऐंगे कि फ़ुलाँ मौलवी साहब ऐसा करते थे। इसलिए हम ने भी ऐसा ही किया। इल्मे दीन हासिल करना आप पर भी तो फ़र्ज़ है। सुनीए! हमारे रहमत वाले आक़ा (स.अ.व.) हमें क्या हुक्म इरशाद फ़रमाते हैं:

हदीस: طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمه

तर्जमा: इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। (मिश्कात शरीफ़ जिल्द–1 हदीस–68 +कीमिए सआदत सफ़्हा–127)

लिहाज़ा हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि वे इल्म हासिल करे और हराम व हलाल, जाइज़ व नाजाइज़ में तमीज़ सीखे।

मुसलमानों का चौथा बहाना ये होता है कि अगर हम शादी धूम धाम से नहीं करेंगे तो लोग हम पर ताना करेंगे कि कंजूसी की वजह से ये रसमें नहीं कीं और बाज़ अहबाब ये कहेंगे कि ये मातम की मजलिस है, यहाँ नाच, गाना नहीं गोया तीजा पढ़ा जा रहा है।

ये बहाना भी बेकार व लग्व है। एक सुन्नत को ज़िन्दा करने में सौ शहीदों का सवाब मिलता है। क्या सवाब मुफ़्त ही मिल जाएगा। लोगों के ताने और अवाम के मज़ाक़ अव्वल बरदाश्त करने पड़ेंगे और दोस्तो! अब भी लोग ताने देने से कब बाज़ आते हैं। कोई खाने में नक़्स निकालता है, कोई जहेज़ का मज़ाक़ उड़ाता है, तो कोई और तरह की शिकायत करता है। ग़र्ज़कि लोगों के ताने से कोई किसी वक़्त बच नहीं सकता। लोगों ने अल्लाह व रसूल को ऐब लगाए, उन्हें ताने दिए तो तुम उनकी ज़बान से किस तरह बच सकते हो। पहले तो कुछ मुशकिल पड़ेगी मगर बाद में इंशाअल्लाह वे ही ताने देने वाले लोग तुम को दुआऐं देंगे और ग़रीब व ग़ुरबा की मुशकिलें आसान हो जाऐंगी।

पाँचवाँ बहाना ये होता है कि अल्लाह तआला ने हमें नवाज़ा

है, हमारे अरमान हैं, अपनी दौलत लुटा रहे हैं। इसमें किसी के बाप का क्या जाता है। भला शादी भी कोई बार बार होती है। मौलवियों को तो बस इतने ही काम हैं ये मत करो, वे मत करो वगैरा वगैरा।

मुसलमानों के इस बहाने में गुरूर व तकब्बुर की बू आती है। अक्सर ये बात दौलतमंद हज़रात कहते हैं। सब से बेहतर तो ये होता कि मुसलमान अपनी औलाद के निकाह के लिए ख़ातूने जन्नत, शहज़ादीए रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (रज़ि.) के निकाहे पाक को नमूना बनाते लेकिन आह अफ़सोस! आज मुसलमान रसूलुल्लाह (स.अ.व.), हज़रत मौला अली व हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (रज़ि.) की मुहब्बत का दावा तो ज़रूर करते हैं लेकिन अमल उनके तरीका पर करने के लिए तैयार नहीं।

ख़ुदा की क़सम अगर सरकारे कौनो मकाँ (स.अ.व.) की मर्ज़ी मुबारक होती कि मेरी लख़्ते जिगर की शादी बड़ी धूम धाम से हो तो दुनिया की हर नेमत आप अपनी साहिबज़ादी के क़दमों में ला कर रख देते और अगर हुज़ूर सहाबए किराम को शादी के मौक़ा पर धूम धाम करने का हुक्म फ़रमा देते तो इसके लिए हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि.) का ख़ज़ाना मौजूद था जो एक एक जंग के लिए हज़ार हज़ार ऊँट और लाखों अशरफ़ियाँ हाज़िरे बारगाह कर देते थे लेकिन चूँकि मनशा ये था कि क़यामत तक ये शादी मुसलमानों के लिए नमूना बन जाए इसलिए निहायत सादगी से ये इस्लामी रसम अदा की गई। लिहाज़ा हम गुज़ारिश करेंगे कि ऐ मेरे दीनी भाईयो! अपनी शादी बियाह से उन तमाम हराम रसमों को निकाल बाहर करो और निहायत सादगी से निकाह की सुन्नत को अदा करो।

हदीसः नबीए करीम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"शादी को इस क़दर आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। आसानी करो, मशक़्क़त में न डालो।"

दुल्हन दूल्हे का सजाना

शादी के मौक़ा पर दुल्हन, दूल्हे को मेंहदी लगाई जाती है। कंगन बाँधा जाता है और निकाह के रोज़ सेहरा बाँध कर ज़ेवरात से सजाया जाता है। लिहाज़ा यहाँ चंद अहम मसाइल बयान कर देना निहायत ज़रूरी है।

मसला: औरतों को हाथ पाँव में मेंहदी लगाना जाइज़ है कि ये ज़ीनत की चीज़ है लेकिन बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पाँव में मेंहदी लगाना न चाहिए। लड़कियों के हाथ पाँव में मेंहदी लगा सकते हैं जिस तरह उनको ज़ेवर पहना सकते हैं।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–16 सफ़हा–129)

इस मसले से पता चला कि औरतें और बड़ी लड़कियाँ मेंहदी लगा सकती हैं चाहे शादी के मौक़ा पर लगाऐं या और किसी मौक़ा पर।

हदीस: सरकारे मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"औरतों को चाहिए कि हाथ पाँव पर मेंहदी लगाऐं ताकि मर्दों के हाथ से मुशाबिह न हों और अगर किसी वक़्त बेएहतियाती में किसी ग़ैर मर्द को दिख जाए तो उसे फ़ौरन पता न चलेगा कि औरत किस रंग की है? यानी काली है या गोरी। क्योंकि हाथों के रंग को देख कर भी इंसान के चेहरे के रंग का अंदाज़ा हो जाता है।" एक हदीसे पाक में इरशाद हुआ "ज़्यादा न हो तो नाख़ुन ही रंगीन रखे।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़े आख़िर सफ़हा–149)

लिहाज़ा औरतों को मेंहदी लगाना बेशक जाइज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है कि ये हाथों का पर्दा है और इसी तरह हर क़िस्म के चाँदी व सोने के ज़ेवरात पहनना भी जाइज़ है लेकिन मर्दों को मेंहदी लगाना और किसी भी धात का ज़ेवर पहनना हराम है। चाहे दूल्हा क्यों न हो।

शहज़ादाए आला हज़रत हुज़ूर मुफ़्तीए आज़म हिन्द (रह.) के

फ़तावा में है कि आप से सवाल पूछा गया।

सवाल: दूल्हे को मेंहदी लगाना दुरुस्त है या नहीं? दूल्हा चाँदी के ज़ेवरात पहनता है, कंगन बाँधता है। इस सूरत में निकाह पढ़ा दिया तो दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: (इस सवाल के जवाब में आप ने फ़रमाया) मर्द को हाथ पाँव में मेंहदी लगाना नाजाइज़ है, ज़ेवर पहनना गुनाह है, कंगन हिन्दुओं की रस्म है। ये सब चीज़ें पहले उतरवाए फिर निकाह पढ़ाए कि जितनी देर निकाह में होगी उतनी देर वह दूल्हा और गुनाह में रहेगा। और बुरे काम को कुदरत होते हुए न रोकना और देर करना ख़ुद गुनाह है। बाक़ी अगर ज़ेवर पहने हुए निकाह हुआ तो निकाह हो जाएगा।

(फ़तावा मुस्तफ़विया जिल्द–3 सफ़्हा–175)

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है।

हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) के पास एक हिजड़ा हाज़िर किया गया जिसने अपने हाथ और पाँव मेंहदी से रंगे हुए थे। हुज़ूर ने उसे देख कर इरशाद फ़रमाया: "इसने मेंहदी क्यों लगाई है?" लोगों ने अर्ज़ किया: "ये औरतों की नक़्ल करता है।" सरकार (स.अ.व.) ने हुक्म फ़रमाया: "कि इसे शहर बदर कर दो। लिहाज़ा उसे शहर बदर कर दिया गया।" (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–477 हदीस–1494 सफ़्हा–544)

इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में फ़रमाते हैं: "हाथ पाँव में बल्कि नाख़ुनों में ही मेंहदी लगाना मर्द के लिए हराम है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा–149)

एक नीम मौलवी साहब ने हमारे एक अज़ीज़ से कहा कि मर्द को मेंहदी लगाना हराम ज़रूर है लेकिन अगर अपने हाथ की छोटी उंगली में थोड़ी सी लगा लें तो हर्ज नहीं (मआज़ल्लाह) हमारे उस दोस्त ने जवाब दिया "तो फिर कोई शख़्स कह सकता है कि शराब हराम ज़रूर है मगर थोड़ी सी पी ली जाए तो हर्ज

नहीं।"

चूँकि आज कल के चंद नीम मौलियों ने ये शिआर बना रखा है कि मसाइल की किताबें पढ़ने के बजाए अपनी नफ़्स परस्ती में मुजतहिद बने फिरते हैं और अपनी नाक़िस अक़्ल से ऊट पटाक नए नए मसले पैदा करते रहते हैं। उन्हें इतनी तौफ़ीक़ नहीं होती कि जितनी देर वे अपनी नाक़िस अक़्ल पर ज़ोर देते हैं उतनी देर कोई मसाइल की किताब ही पढ़ लें और मसले को किताब से देख कर बताऐं, उन्हें तो अपनी वाह वाह और अपने आप को अल्लामा कहलवाने में ही मज़ा आता है। अल्लाह तआ़ला उन्हें तौफ़ीक़ दे कि वह उलमाए हक़ के सही मानों में पैरू बनें कि उसी में उनकी नजात है।

सेहरा

सेहरा पहनाना मुबाह है यानी पहने तो न कोई सवाब और अगर न पहने तो न कोई गुनाह। ये जो अ़वाम में मशहूर है कि सेहरा पहनना नबीए करमी (स.अ.व.) की सुन्नत है। ये महज़ बातिल और सरासर झूट है।

मुजद्दिदे आज़म सय्यदना इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) इरशाद फरमाते हैं:

> "सेहरा न शरीअ़त में मना है, न शरीअ़त में ज़रूरी या मुस्तहब बल्कि एक दुनियावी रस्म है। की तो क्या! न की तो क्या! इसके अलावा जो कोई उसे हराम, गुनाह व बिदअ़त व ज़लालत बताए, वह सख़्त झूटा, सरासर मक्कार है और जो उसे ज़रूरी व लाज़िम समझे और तर्क को बुरा जाने और सेहरा न पहनने वालों का मज़ाक़ उड़ाए व निरा जाहिल है।"

(हादी अलनास फी रसूमुलआरास सफ़्हा–42)

दूल्हे का सेहरा ख़ालिस असली फूलों का होना चाहिए। गुलाब के फूल हों तो बहुत बेहतर है कि गुलाब के फूल हुज़ूर अकरम

(स.अ.व.) के पसीनए मुबारक से पैदा हुए और उसे आप (स.अ.व.) ने पसंद फ़रमाया जैसा कि अहादीस की अक्सर किताबों से साबित है।

हदीसः हज़रत मुहद्दिस सय्यदी इमाम शैख़ शहाबुद्दीन अहमद क़स्तलानी (रज़ि.) अपनी तस्नीफ़ "मवाहिबुल लदुन्निया" में और हजरत मुहक्किक शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.) अपनी शोहरए आफ़ाक़ तस्नीफ़ "मुदारेजुन्नबुव्वत" में रिवायत करते हैं:

'शबे मेराज हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) के पसीनए मुबारक से गुलाब का फूल पैदा हुआ और एक रिवायत में है कि चंबेली हुज़ूर के पीसनाए मुबारक से पैदा हुई।"

(मुवाहिबुल्लदुन्निया+मदारिजुन्नबुव्वत जिल्द–1 सफ़्हा–48)

हालाँकि मुहद्दिसीन की अस्तीफ़ा में ये हदीस सेतह का दर्जा नहीं रखती लेकिन फ़ज़ाइज में हदीस ज़ईफ़ भी क़ाबिले एतेबार है। जैसा कि ये ही हज़रत इमाम क़स्तलानी, हज़रत अबुलफ़रह नहरवाली (रज़ि.) से आगे रिवायत करते हैं:

"ये हदीसें जिनमें ज़िक्र हुआ कि हुज़ूर (स.अ.व.) के पसीनए मुबारक से गुलाब पैदा हुआ। अगरचे मुहद्दिसीन को इसमें कलाम है लेकिन इन हदीसों से जो कुछ आया है वे नबीए करीम (स.अ.व.) के दरियाए फ़ज़्ल व करम व मोजिज़ात में से एक क़तरा हैं और उन क़सरत में से बहुत थोड़ा है जिनसे परवरदिगारे आलम ने अपने हबीब (स.अ.व.) को मुकर्रम फ़रमाया। मुहद्दिसीन का इनमें कलाम करना इसनाद की तहक़ीक़ व तसहीह के लिहाज़ से है, नामुमकिन होने की बिन पर नहीं।"

(मुवाहिबुल्लदुन्निया बहवाला मदारिजुन्नबुव्वत जिल्द–1 सफ़्हा–49)

हदीसः हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"जो कोई मेरी ख़ुशबू सूंघना चाहे वह गुलाब को सूंघे।"

(मदारिजुन्नबुव्वत जिल्द–1 सफ़हा–49)

मालूम हुआ कि गुलाब का वजूद नबीए करीम (स.अ.व.) के पीसनए मुबारक से है और गुलाब को सूंघना गोया सरकार (स.अ.व.) की ख़ुशबू सूंघने के मिस्ल है। इसी लिए उलमाए किराम फ़रमाते हैं:

"जब भी कोई गुलाब के फूल को सूंघे तो उसे चाहिए कि वे हुज़ूर (स.अ.व.) पर दरूद शरीफ़ पढ़े."

लिहाज़ा अगर सेहरा पहनना ही हो तो ख़ालिस गुलाब या चंबेली के फूलों का सेहरा पहने। सेहरे मे चमक वाली पन्नियाँ न हों कि ये ज़ीनत है और मर्द को ज़ीनत करना और ऐसा लिबास पहनना जो चमकदार हो हराम है। दुल्हन के सेहरे में अगर चमक वाली पन्नियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं कि औरतों को ज़ीनत जाइज़ है।

कुछ लोग सेहरे में रुपये (नोट) वग़ैरा लगाते हैं। ये फ़ुज़ूल ख़र्ची और गुरूर व तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर शरीअत में सख़्त हराम है। लिहाज़ा अगर सेहरा सिर्फ़ ख़ुशबूदार फूलों का ही हो और उस पर ज़्यादा रुपये बरबाद न किए जाऐं कि शादी एक दिन की होती है, दूसरे दिन सेहरे को न तो पहना जाता है और न ही वे किसी काम का होता है। सब से बेहतर तो ये है कि गले में एक गुलाब का हार डाल लिया जाए ये ही ज़्यादा मुनासिब है।

दुल्हन, दुल्हे को सजाते वक़्त की दुआ।

दुल्हन को जो औरतें सजाऐं उन्हें चाहिए कि वे दुल्हन को दुआऐं दें। हदीस पाक में है।

हदीसः उम्मुल्मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) इरशाद फ़रमाती हैं:

"हुज़ूर (स.अ.व.) से जब मेरा निकाह हुआ तो मेरी वालिदा माजदा मुझे सरकार (स.अ.व.) के दौलत कदा पर लायीं वहाँ अन्सार की कुछ औरतें मौजूद थीं, उन्होंने मुझे सजाया और ये

दुआ दी: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ ط (ख़ैर व बरकत हो और अल्लाह ने तुम्हारा नसीबा अच्छा किया)। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–87 हदीस–142 सफ़्हा–82)

लिहाज़ा हमारी इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि जब भी वह किसी की शादी के मौक़ा पर जाएं तो दुल्हन सजाते वक़्त या फिर उससे मुलाक़ात करते वक़्त इन अलफ़ाज़ में दुआ दें। इसी तरह दूल्हे के दोस्तों को भी चाहिए कि वह दूल्हे को सेहरा बाँधते वक़्त ये दुआ दीं।

"बुख़ारी शरीफ़" की एक दूसरी रिवायत में है:

> "हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) को उनकी शादी पर इस तरह बरकत की दुआ इरशाद फ़रमाई।"

निकाह का बयान

आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िले बरेलवी (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

> "कुछ लोगों का ख़्याल है कि निकाह मुहर्रम के महीने में नहीं करना चाहिए। ये ख़्याल फ़ुज़ूल व ग़लत है। निकाह किसी महीने में मना नहीं।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़्हा–179)

मसला: अक्सर लोग माहे सफ़र में शादी बयाह नहीं करते। ख़ुसूसन माह सफ़र की इब्तिदाई तेरह तारीख़ें बहुत ज़्यादा मनहूस मानी जाती हैं और उनको "तेरा तेज़ी" कहते हैं। ये सब जिहालत की बातें हैं। हदीस पाक में फ़रमाया कि सफ़र कोई चीज़ नहीं यानी लोगों का उसे मनहूस समझना ग़लत है। उसी तरह ज़ीक़ादा के महीना को भी बहुत लोग बुरा जानते हैं और उसको "ख़ाली का महीना" कहते हैं और उस माह में भी शादी नहीं करते। ये भी जिहालत व लग़वियात है। ग़र्ज़ कि शादी हर माह की हर तारीख़ को हो सकती है।

(बहारे शरीअत जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़्हा–159)

लोगों में ये भी मशहूर है कि हर माह की चाँद की पन्द्रह तारीख के बाद निकाह नहीं करना चाहिए जिसे वह अपनी ज़बान मे "उतरता चाँद" कहते हैं और इन तारीख़ों को मुबारक नही जानते बल्कि चाँद की एक तारीख़ से पन्द्रह तारीख़ तक की तारीख़ों को मुबारक माना जाता है और उसे चढ़ता चाँद कहते हैं। ये सब जिहालत व लग़वियात है। इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं। शरीअते इस्लामी के मुताबिक़ किसी महीने की कोई तारीख़ मनहूस नहीं होती बल्कि हर दिन, हर तारीख़ अल्लाह अज़्ज़ावजल की बनाई हुई हैं ग़र्ज़ कि हर महीने की किसी भी तारीख़ को निकाह करना दुरुस्त है।

हुज़ूर सय्यदना गौसुलआज़म शैख़ अब्दुलक़ादिर जीलानी बग़दादी (रज़ि.) नक्ल फ़रमाते हैः

> "निकाह जुमेरात या जुमा को करना मुस्तहब है। सुबह की बजाए शाम के वक़्त निकाह करना बेहतर व अफ़ज़ल है।"
>
> (गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–115)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में नक़्ल फ़रमाते हैः

> "जुमा के दिन अगर जुमा की अज़ान हो गई हो तो उसके बाद जब तक नमाज़ न पढ़ली जाए निकाह की इजाज़त नहीं कि अज़ान होते ही जुमा की नमाज़ के लिए जल्दी करना वाजिब है। फिर भी अगर कोई अज़ान के बाद निकाह करेगा तो गुनाह होगा मगर निकाह तो सही हो जाएगा।"
>
> (फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़्हा–158)

दूल्हा, दुल्हन दोनों के माँ बाप का या फिर किसी ज़िम्मादार रिश्तेदार को फ़र्ज़ है कि निकाह के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सुन्नी आलिम या काज़ी को ही बुलवाएं। काज़ी वहाबी, देवबंदी, मौदूदी, नेचरी, ग़ैर मुक़ल्लिद वग़ैरा न हो।

इमामे इश्क़ व मुहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ इरशाद फ़रमाते हैं:

"वहाबी से निकाह पढ़वाने में उसकी ताज़ीम होती है जो कि हराम है। लिहाज़ा इससे बचना ज़रूरी है।"

(अलमलफ़ूज़ जिल्द–3 सफ़हा–16)

निकाह के शराइत में ये है कि दो गवाह हाज़िर हों और उन दोनों गवाहों का भी सुन्नी सहीहुलअक़ीदा होना ज़रूरी है।

मसला: एक गवाह से निकाह नहीं हो सकता जब तक कि दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें मुसलम्मा, सुन्नी आक़िला बालिग़ा न हों।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़हा–163)

मसला: सब गवाह ऐसे बदमज़हब हैं कि जिनकी बदमज़हबी हद्दे कुफ़्र तक पहुंच चुकी हो जैसे वहाबी, देवबंदी, राफ़िज़ी, नेचरी, चकड़ालवी, क़ादियानी, ग़ैर मुक़ल्लिद वग़ैरा तो निकाह नहीं होगा। (फ़तावा अफ़्रीक़ा सफ़हा–61)

हदीस: हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

البغايا اللاتى ينكحن انفسهن بغير بينة

तर्जमा: गवाहों के बग़ैर निकाह करने वाली औरतें ज़ानिया (ज़िनाकार) हैं। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–751 हदीस–1095 सफ़हा–563)

निकाह के बाद

निकाह के बाद मिस्री व खुजूर बाँटना बेहतर है। ये रिवाज हुज़ूर (स.अ.व.) के ज़ाहिरी ज़माने मे भी था। हज़रत मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.) नक़्ल फ़रमाते हैं:

"हुज़ूर (स.अ.व.) ने जब हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का निकाह पढ़ाया तो निकाह के बाद हुज़ूर ने एक तबाक़ खुजूरों का लिया और

जमाअते सहाबा पर बिखेर कर लुटाया। इसी बिना पर फ़ुक़हा की एक जमाअत कहती है कि मिस्री व बादाम वग़ैरा का बिखेर कर लुटाना निकाह की ज़ियाफ़त में मुस्तहब है।"

(मदारिजुन्नबुव्वत जिल्द–2 सफ़हा–128)

आला हज़रत (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"(निकाह के बाद) छूहारे (खुजूर) हदीस में लूटने का हुक्म है और लुटाने में भी कोई हर्ज नहीं और ये हदीस दारेक़ुतनी व बैहक़ी व तहतावी से मरवी है।"

(अलमलफ़ूज़ जिल्द–3 सफ़हा–16)

मालूम हुआ कि निकाह के बाद मिस्री व खुजूर लुटाना चाहिए यानी लोगों पर बिखेरें लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वह अपनी जगह पर बैठे रहें और जिस क़दर उनके दामन में गिरे वह उठा लें। ज़्यादा हासिल करने के लिए किसी पर न गिर पड़ें।

दुल्हन दूल्हा को मुबारकबाद

निकाह होने के बाद दूल्हे को उसके दोस्त व अहबाब और दुल्हन को उसकी सहेलियाँ मुबारकबाद और बरकत की दुआ करें।

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है:

जब कोई शख़्स निकाह करता तो हुज़ूर (स.अ.व.) उसको मुबारकबाद देते हुए उसके लिए दुआ फ़रमाते:

بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر

"अल्लाह तआला मुबारक करे और तुम पर बरकत नाज़िल फ़रमाए और तुम दोनों में भलाई रखे।"

(अबू दाऊद शरीफ़ जिल्द–1 बाब–744 हदीस–1083 सफ़हा–587 तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–114 हदीस–363 सफ़हा–[illegible])

दूल्हे को तोहफ़े और जहेज़

[illegible] को जहेज़ देना सुन्नत है।

हदीसः हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है:

ان عائشة زوجت يتيمة كانت عندها فجهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

तर्जमाः हज़रत आएशा (रज़ि.) ने एक यतीम बच्ची का निकाह किया जिसे आप ने पाला था तो रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने उसको अपने पास से जहेज़ दिया।

(मुसनद इमाम आज़म बाब–122 सफ़्हा–214)

इस हदीस से मालूम हुआ कि जहेज़ देना सुन्नते रसूल है मगर ज़रूरत से ज़्यादा देना और क़र्ज़ लेकर देना दुरूस्त नहीं। जहेज़ के लिए भी कोई हद होनी चाहिए कि जिसकी हर ग़रीब व अमीर पाबंदी करे। अमीरों को चाहिए कि वह अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा जहेज़ न दें। सजा सजा कर, दिखा दिखा कर जहेज़ देना बिल्कुल मुनासिब नहीं। नामवरी के लालच में अपने घर को आग न लागऐं। याद रखीए कि नाम और इज़्ज़त तो अल्लाह तआला और रसूल अल्लाह की पैरवी में है।

रिवायतः हज़रत इमाम मुहम्मद (रज़ि.) के पास एक शख़्स आया और अर्ज़ करने लगा कि मैंने क़सम खाई थी कि अपनी बेटी को जहेज़ में देना की हर चीज़ दूँगा और दुनिया की हर शैय तो बादशाह भी नहीं दे सकता। अब मैं क्या करूँ कि मेरी ये क़सम पूरी हो जाए। आप ने फ़रमाया कि तू अपनी लड़की को जहेज़ में कुरआने करीम दे दे क्योंकि कुरआन शरीफ़ में हर चीज़ है। फिर ये आयत पढ़ी: **ولا يابس الا في كتب مبين ط**

(तफ़सीर रूहुलबयान पारा–11 सूरह यूनुस आयत–1)

लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वाले अपनी हैसीयत के मुताबिक़ जिस क़दर भी जहेज़ दें, उसे ख़ुशी ख़ुशी कुबूल कर लें कि जहेज़ दरअसल तुहफ़ा है, किसी क़िस्म की तिजारत नहीं। लड़के वालों का अपनी तरफ़ से माँग करना कि ये चीज दो, वह चीज दो, किसी हटधर्मी भिकारी के भीक माँगने से किसी तरह कम नहीं।

मसला: जहेज़ के तमाम माल पर ख़ास औरत का हक़ है। दूसरे का उसमें कुछ हक़ नहीं।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़्हा–529)

हमारे मुल्क में ये रिवाज हर क़ौम में पाया जाता है कि निकाह के बाद दुल्हन वाले दूल्हे को कुछ तोहफ़े देते हैं जिसमें कपड़े का जोड़ा, सोने की अंगूठी और घड़ी वग़ैरा होती हैं। तोहफ़ा देने में कोई हर्ज नहीं लेकिन उसमें चंद बातों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। मसलन आप जो अंगूठी दूल्हे को दें वह सोने की न हो।

मसला: मर्द को किसी भी धात का ज़ेवर पहनना जाइज़ नहीं। औरत को सोने की अंगूठी और सोने चाँदी के दूसरे ज़ेवर पहनना जाइज़ है। मर्द सिर्फ़ चाँदी की एक ही अंगूठी पहन सकता है लेकिन उसका वज़न साढ़े चार माशा से कम होना चाहिए। दूसरी धातें जैसे लोहा, पीतल, ताँबा, जस्त वग़ैरा इन धातों की अंगूठी मर्द और औरत दोनों को पहनना नाजाइज़ है।

(क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–196)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीदा (रज़ि.) अपने वालिदे माजिद से रिवायत करते हैं:

एक शख़्स हुज़ूर (स.अ.व.) की ख़िदमत में पीतल की अंगूठी पहन कर हाज़िर हुए। सरकार (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "क्या बात है कि तुम से बुतों की बू आती है।" उन्होंने वह अंगूठी फेंक दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहन कर हाज़िर हुए। फ़रमाया: क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ।" अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह! फिर किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ?"

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–292 हदीस–821 सफ़्हा–277)

मसला: मर्द को दो अंगूठियाँ पहनना, चाहे चाँदी की ही क्यों न हों, सख़्त नाजाइज़ है। इसी तरह एक अंगूठी में कई नग हों या साढे चार माशे से ज़्यादा वज़न की हो तो वे भी नाजाइज़ व गुनाह

है।

(अहकामे शरीअ़त जिल्द–2 सफ़्हा–160)

मसला: अंगूठी का नगीना (नग) हर क़िस्म के पत्थर का हो सकता है। अक़ीक़, याक़ूत, ज़ुदायी, फ़ीरोज़ा वग़ैरा वग़ैरा सबका नगीना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार व रद्दुलमुख़्तार +क़ानूने शरीअ़त जिल्द–2 सफ़्हा–196)

लिहाज़ा दूल्हे को सोने की अंगूठी न दे बल्कि उसकी बजाए उसकी क़ीमत के बराबर कोई और तोहफ़ा या फिर चाँदी की सिर्फ़ एक अंगूठी एक नग वाली साढ़े चार माशा से कम वज़न की ही दें। वरना देने वाला और पहनने वाला दोनों गुनहगार होंगे।

मुमकिन है आप के दिल में ये ख़्याल आए कि चाँदी की अंगूठी देंगे तो लोग क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा बदनामी होगी वग़ैरा वग़ैरा। तो होशियार! ये सब शैतानी वसवसा हैं। इबलीस मरदूद इसी तरह बदनामी का ख़ौफ़ दिला कर लोगों से ग़लत काम करवाता है। हम आप से एक सीधी बात पूछते हैं कि आप को अल्लाह और उसके रसूल की ख़ुशनूदी चाहिए या लोगों की वाह! वाह! सोचिए और अपने ज़मीर से ही इसका जवाब तलब कीजिए।

शादी के मौक़ा पर अक्सर दूल्हे को घड़ी दी जाती है। घड़ी की ज़ंजीर (चैन) के मुतअ़ल्लिक़ चंद मसाइल यहाँ बयान किए जा रहे हैं, इन पर अमल करना ज़रूरी है।

सरकार सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी (रज़ि.) अपने एक फ़तवे में इरशाद फ़रमाते हैं:

"घड़ी की ज़ंजीर (चैन) सोने, चाँदी की मर्द को हराम है और दूसरी धातों (जैसे लोहा, पीतल, स्टील वग़ैरा) की ममनूअ़। उनको पहन कर नमाज़ पढ़ना और इमामत करना मकरूह तहरीमी (नाजाइज़ व गुनाह) है।

(अहकाम शरीअ़त जिल्द–2 सफ़्हा–170)

हुज़ूर मुफ़्तीए आज़म हिन्द (रह.) अपने फ़तावा में इरशाद

फ़रमाते हैं:

"वो घड़ी जिसकी चैन सोने या चाँदी या स्टील वग़ैरा किसी भी धात की हो उसका इस्तेमाल नाजाइज़ है और इसको पहन कर नमाज़ पढ़ना गुनाह और जो नमाज़ पढ़ी वाजिबुलअदा है। (यानी उस नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब है वरना गुनहगार होगा)।"

(बहवाला माहनमा इस्तिक़ामत, कानपूर जनवरी 1978ई0)

इसलिए हमेशा वही घड़ी पहने जिसका पट्टा चमड़े, पलास्टिक या रेगज़ीन, कपड़े वग़ैरा का हो। स्टील या किसी और दूसरी धात का न हो और शादी के मौक़े पर भी अगर दूल्हे को तोहफ़े में घड़ी देना हो तो सिर्फ़ चमड़े या पलास्टिक के पट्टे वाली ही घड़ी दें।

रुख़सती का बयान

जब कोई शख़्स अपनी लड़की की शादी करे तो रुख़सती के वक़्त अपनी लड़की और दामाद (यानी दूल्हा, दुल्हन) दोनों को अपने पास बुलवाए फिर उसके बाद एक प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर ये दुआ पढ़े:

اللھم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم

"ऐ अल्लहा! मैं तेरी पनाह में देता हूँ इस लड़की को और इसकी (जो होगी) औलादों को शैतान मरदूद से।"

इस दुआ को पढ़ने के बाद प्याले में दम करे उसके बाद पहले अपनी लड़की (दुल्हन) को अपने सामने खड़ा करे और फिर उसके सर पर पानी के छींटे मारे। फिर सीने और उसकी पीठ पर छींटे मारे।

उसके बाद इसी तरह दामाद (दूल्हे) को भी बुलवाए और प्याले में दूसरा पानी लेकर ये दुआ पढ़े:

اللھم انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم

"ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में देता हूँ इस लड़के को और उसकी (जो होंगी) औलादें उनको शैतान मरदूद से।"

पानी पर दम करने के बाद पहले की तरह दामाद के सर और सीने पर फिर पीठ पर छींटें मारे और उसके बाद रुख़्सत कर दे। (हिस्ने हसीन सफ़हा–163)

हदीसः हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन जज़री शाफ़ई (रज़ि.) अपनी मशहूरे ज़माना किताब "हिस्ने हसीन" में हदीस नक़्ल फ़रमाते हैः

"जब रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने हज़रत मौला अली मुशकिल कुशा कर्रमल्लाहु वज्हहुल करीम का निकाह हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा (रज़ि.) से कर दिया तो आप उनके घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से फ़रमायाः "थोड़ा सा पानी लाओ।" चुनाँचे वह एक लकड़ी के प्याले में पानी लेकर हाज़िर हुई। आप ने उन से वे पानी लिया और एक घूंट पानी दहने मुबारक में लेकर प्याले में डाल दिया और इरशाद फ़रमायाः "आगे आओ"। हज़रत फ़ातिमा सामने आ कर खड़ी हो गई तो आप ने उनके सर पर और सीने पर वे पानी छिड़का और ये दुआ फ़रमाई (वह दुआ जो हम पहले लिख चुके हैं) और उसके बाद फ़रमायाः "मेरी तरफ़ पीठ करो।" हज़रत फ़ातिमा उनकी तरफ़ पीठ कर के खड़ी हो गई तो आप ने बाक़ी पानी भी यही दुआ पढ़ कर पीठ पर छिड़क दिया। उसके बाद आप ने हज़रत अली की जानिब रुख़ कर के फ़रमायाः "पानी लाओ।" हज़रत अली कहते हैं कि मैं समझ गया जो आप चाहते हैं चुनाँचे मैंने भी प्याला भर कर पानी पेश किया।

आप ने फ़रमायाः "आगे आओ।" मैं आगे आया। फिर हुज़ूर ने वही कलमात पढ़ कर और प्याले में कुल्ली फ़रमा कर मेरे सर और सीने पर पानी के छींटे दिए और फिर वही दुआ पढ़ कर मेरे मूंढों के दरमियान छींटे दिए। उसके बाद फ़रमायाः "अब अपनी दुल्हन के पास जाओ।"

(हिस्ने हसीन सफ़्हा–163)

नोटः पानी पर सिर्फ़ दुआ पढ़ कर दम करें, उसें कुल्ली न करें। हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) का लुआ़बे दहन बाइसे बरकत है और बीमारियों से शफ़ा और जहन्नम की आग के हराम होने का सबब है। (वल्लाह तआ़ला अलम)

शबे ज़ुफ़ाफ़ (सुहाग रात) के आदाब

जब दूल्हा, दुल्हन कमरे में जाऐं और तन्हाई हो तो बेहतर ये है कि सब से पहले दुल्हन, दूल्हा दोनों वज़ू कर लें और फिर जाए नमाज़ या कोई पाक कपड़ा बिछा कर दो रकअ़त नमाज़ नफ़्ले शुक्राना पढ़ें। अगर दुल्हन हैज़ की हालत में हो तो नमाज़ न पढ़े लेकिन दूल्हा ज़रूर पढ़े।

हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं: "एक शख़्स ने उनसे बयान किया कि मैंने एक जवान लड़की से निकाह कर लिया है और मुझे अंदेशा है कि वह मुझे पसंद नही करेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमायाः "मुहब्बत व उलफ़त अल्लाह की तरफ़ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ़ से। जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ

सब से पहले उससे कहो कि वह तुम्हारे पीछे दो रकअ़त नमाज़ पढ़े। इंशाअल्लाह तुम उसे मुहब्बत करने वाली और वफ़ा करने वाली पाओगे।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–115)

नमाज की नीयत: नीयत की मैंने दो रकअ़त नमाज़ नफ़्ल शुक्राने की वासते अल्लाह तआ़ला के मुंह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ "अल्लाहुअकबर"। फिर जिस तरह दूसरी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसी तरह ये नमाज़ भी पढ़े (यानी अलहमदुलिल्लाह शरीफ़, फिर कोई एक सूरत मिलाए।)

नमाज़ के बाद इस तरह से दुआ़ करे:

"ऐ अल्लाह! तेरा शुक्र व एहसान है कि तूने हमें ये दिन दिखाया और हमें इस ख़ुशी व नेमत से नवाज़ा और हमें अपने प्यारे हबीब (स.अ.व.) की उस सुन्नत पर अमल करने की तोफ़ीक़ अता फ़रमाई। ऐ अल्लाह! हमारी इस ख़ुशी को हमेशा इसी तरह क़ाइम रख। हमें मेल मिलाप, प्यार व मुहब्बत के साथ इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद की ज़िन्दगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ रब्बे क़दीर! हमें नेक, सालेह और फ़रमाँबरदार औलाद अता फ़रमा। ऐ अल्लाह! मुझे इससे और इसको मुझ से रोज़ी अता फ़रमा और हम पर अपनी रहमत हमेशा क़ाइम रख और हमें ईमान के साथ सलामत रख। आमीन!"

शबे ज़ुफ़ाफ़ की ख़ास दुआ़

नमाज़ और दुआ़ पढ़ लेने के बाद दुल्हन दूल्हा सुकून व इत्मीनान से बैठ जाऐं। फिर उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में नर्मी के साथ मुहब्बत भरे अंदाज़ में पकड़े और ये दुआ़ पढ़े:

اللّهم انی اسئلک من خیرها و خیرما جبلتها علیه
واعوذبک من شرها و شرما جبلتها علیه.

"ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इस (बीवी) की भलाई और ख़ैर व बरकत माँगता हूँ और इसकी फ़ितरी आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई

और फितरी आदतों की बुराई से।"

हदीस: हज़रत उमरा बिन शोऐब (रज़ि.) से रवायत है कि सरकारे आलम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"जब कोई शख़्स निकाह करे और पहली रात को अपनी दुल्हन के पास जाए तो नर्मी के साथ उसकी पेशानी के थोड़े बाल अपने सीधे हाथ में लेकर ये दुआ पढ़े।"

(वही दुआ जो हम ऊपर बयानप कर चुके)

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–123 हीदस–393 सफ़्हा–150+हिस्ने हसीन सफ़्हा–164)

इस दुआ की फ़ज़ीलत: शबे ज़ुफ़ाफ़ के रोज़ इस दुआ को पढ़ने की फ़ज़ीलत में उलमाए किराम इरशाद फ़रमाते हैं:

"अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त उसके पढ़ने की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ और मुहब्बत क़ाइम रखेगा और औरत में अगर बुराई हो तो उसे दूर फरमा कर उसके ज़रीए नेकी फ़ैलाएगा और औरत हमेशा शौहर की ख़िदमत गुज़ार, वफ़ादार और फ़रमाँबरदार रहेगी।"

अगर हम इस दुआ के मानों पर ग़ौर करें तो हम पाऐंगे कि इसमें हमारे लिए कितने अमन व सुकून का पैग़ाम है। ये दुआ हमें दर्स देती है कि किसी भी वक़्त इंसान को यादे इलाही से ग़ाफ़िल न होना चाहिए बल्कि हर वक़्त, हर मामले में अल्लाह की रहमत का तलबगार रहे। लिहाज़ा इस दुआ को शादी की पहली रात ज़रूर पढ़े।

एक बड़ी ग़लत फ़हमी

कुछ लोगों का ख़्याल है कि जब किसी बाकिरा से पहली बार मुजामअत की जाए तो उससे ख़ून का इख़राज ज़रूरी है। चुनाँचे ये ख़ून का आना उसके बाइरा, पाक दामन होने का सुबूत समझा जाता है। अगर ख़ून न देखा गया तो औरत बदचलन, आवारा

समझी जाती है और औरत के बाइस्मत होने और उसकी दोशीज़गी पर शुब्हा
जाता है। कभी कभी ये शक इस क़दर ज़िन्दगी को कड़वा कर देता है कि नौबत तलाक़ तक जा पहुंचती है। मुमकिन है इसका बयान बज़ाहिर तबए ग्रामी को फ़हश मालूम हो लेकिन तजरिबा शाहिद है कि सैंकड़ों ज़िन्दगियाँ इसी शक व शुब्हा की बिना पर तबाह हो चुकी हैं। लिहाज़ा इस मसले पर रौशनी डालना निहायत ज़रूरी है। क्या अजब कि हमारे इस मज़मून को पढ़ने के बाद कोई तलाक़ नामी दरिया में ग़ोता ज़न हो कर अपनी खुशियों को मौत के घाट उतारने से बच जाए।

कुँवारी लड़कियों के मक़ामे मख़सूस में अन्दर की जानिब एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे "परदए बुकारत" या परदए इसमत (Hymen) वग़ैरा कहते हैं। उस झिल्ली में एक छोटा सा सूराख़ होता है जिससे सिन्ने बुलूग़ के बाद हैज़ का ख़ून अपने मख़सूस अय्याम पर ख़ारिज होता रहता है। ऐसी बाकरा से पहली बार जब को मर्द मुबाशरत करता है तो उसके आले के टकराने से ये झिल्ली फट जाती है जिसके नतीजा में थोड़े से ख़ून का इख़राज होता है और औरत को मामूली सी तकलीफ़ का एहसास होता है। फिर ये परदा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है।

चूँकि ये झिल्ली पतली और नाज़ुक होती है तो बाज़ औक़ात किसी बाकरा की मामूली सी चोट या किसी हादसे की वजह से ये बाज़ औक़ात किसी की खुद बख़ुद भी फट जाता है। आज कल अक्सर लड़कियाँ साइकल वग़ैरा चलाती हैं। कुछ लड़कियाँ खेल कूद और वरज़िश वग़ैरा भी करती हैं जिसकी वजह से भी ये परदए बकारत बाज़ औक़ात फट जाता है और ज़ाहिर है ऐसी लड़कियों की जब शादी होती है तो मर्द कुछ न पा कर शक में मुब्तिला हो जाता है।

किसी किसी दोशीज़ा की यह झिल्ली ऐसी लचकदार होती है कि मुबाशरत के बाद भी नहीं फटती और जिमाअ में रुकावट का

सबब भी नहीं बनती है और न ही ख़ून का इख़राज वाक़ेअ होता है। लाखों में से किसी एक की ये झिल्ली इतनी मोटी और सख़्त होती है कि फटती ही नहीं जिसके लिए ऑप्रेशन (Opration) की ज़रूरत पड़ती है।

लिहाज़ा अगर किसी शख़्स की शादी ऐसी बाकरा से हो जिससे पहली मरतबा क़राबत होने पर ख़ून का असर ज़ाहिर न हो तो ज़रूरी नहीं कि वह आवारा, अय्याम, बदचलन रह चुकी हो। इसलिए उसकी इस्मत, पकदामनी पर शक करना किसी भी सूरत में जाइज़ नहीं। जब तक कि बदचलन होने का मुकम्मल शरई सुबूत शरई गवाहों के साथ न हो।

फ़िक़ह की मशहूरे ज़माना किताब "تنویرالابصار" में है:

من زالت بكارتها بوثبة او ورود حيض او جراحة او كبر بكر حقيقة

यानी जिसका परदा इस्मत कूदने, हैज़ आने, से ज़ख़्म या उम्र ज़्यादा होने की वजह से फट जाए तो वह औरत हक़ीक़त में बाकरा (कुँवारी पाक दामन) है।

(तनवीरुल अबसार + फ़तावा रिज़विया जिल्द–12 सफ़्हा–36)

शबे ज़ुफ़ाफ़ की बातें दोस्तों से कहना

कुछ लोग अपने दोस्तों को शबे ज़ुफ़ाफ़ (पहली रात) में बीवी के साथ की हुई बातें और……मज़े लेकर सुनाते हैं। दूल्हा अपने दोस्तों को बताता है और दुल्हन अपनी सहेलियों को बताती हैं। सुनाने वाला और सुनने वाले इसे बड़ी दिलचस्पी के साथ मज़े ले ले कर सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये बहुत ही जाहिलाना तरीक़ा है भला इससे ज़्यादा बेशर्मी और बेहयाई की बात और क्या हो सकती है।

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है:

ज़मानए जाहिलीयत में लोग अपने दोस्तों को और औरतें अपनी सहेलियों को रात में की हुई बातें और हरकतें बताया करते थे। चुनाँचे सरकारे मदीना (स.अ.व.) को इस बात की ख़बर हुई तो

आप ने उसे सख़्त नापसंद फ़रमाया और इरशाद फ़रमायाः

ذلک مثل شیطانة لقیت شیطانا فی السکة فقضی منها حاجته والناس ینظرون الیه.

तर्जमाः तर्जमाजिस किसी ने सोहबत की बातें लोगों को बयान कीं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे शैतान औरत, शैतान मर्द से मिले और लोगों के सामने ही खुली आम सोहबत करने लगे। (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–127 हदीस–407 सफ़्हा–155)

वलीमा का बयान

वलीमा करना सुन्नते मुअक्कदा है। (जान बूझ कर वलीमा न करने वाला सख़्त गुनाह गार है।)

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–261)

वलीमा ये है कि शबे जुफ़ाफ़ की सुब्ह को अपने दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब और मुहल्ला के लोगों को हस्बे इस्तिताअ़त (हैसीयत के मुताबिक़) दावत करे। दावत करने वालों का मक़्सद सुन्नत पर अमल करना हो न ये कि मेरी वाह वाह होगी। (बहारे शरीअ़त जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़्हा–32)

हदीसः हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ (रज़ि.) का बयान है कि मुझ से नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः اولم ولوشاة

तर्जमाः वलीमा करो चाहे एक ही बकरी ज़बह हो।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–97 सफ़्हा–85+मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–458+मोत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 किताबुन्निकाह सफ़्हा–43०)

इस्तिताअ़त हो तो वलीमा में कम अज़ कम एक बकरी या एक बकरे का गोश्त ज़रूर हो कि सरकार (स.अ.व.) ने इसे पसंद फ़रमाया लेकिन अगर हैसयीत न हो तो फिर अपनी हैसीयत के मुताबिक़ किसी भी क़िस्म का खाना खिला सकते हैं कि इससे भी वलीमा अदा हो जाएगा।

हदीसः हज़रत सुफ़िया बिन्ते शीबा (रज़ि.) फ़रमाती हैं:

اولم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی بعض نسائہ

بمدين من شعير.

तर्जमा: नबीए करीम (स.अ.व.) ने अपनी बाज़ अज़वाजे मुतहर्रात का वलीमा दो सेर जौ के साथ किया था।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–100 हदीस–158 सफ़्हा–87)

सय्यदना इमाम गज़ाली (रज़ि.) "कीमियाए सआदत" में इरशाद फ़रमाते हैं:

"वलीमा में ताख़ीर करना ठीक नहीं। अगर किसी शरई वजह से ताख़ीर हो जाए तो एक हफ़्ते के अन्दर अन्दर वलीमा कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा दिन गुज़रने न पाएँ।"

(कीमियाए सआदत सफ़्हा–261)

मसला: दावते वलीमा सिर्फ़ पहले दिन या उसके बाद दूसरे दिन करें यानी दो ही दिन तक ये दावत हो सकती है। उसके बाद वलीमा और शादी ख़त्म।

(बहारे शरीअत जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़्हा–33)

हदीस: हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

طعام اول يوم حق و طعام يوم الثاني سنة و طعام يوم الثالث سمعة و من سمع سمع الله به.

तर्जमा: पहले दिन का खाना (यानी शब ज़ुफ़ाफ़ के दूसरे रोज़ वलीमा करना) हक़ है (उसे करना ही चाहिए)। दूसरे दिन का सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना सुनाने और शोहरत के लिए है और जो कोई सुनाने के लिए काम करेगा, अल्लाह तआला उसे सुनाएगा (यानी उसकी सज़ा मिलेगी)। (तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द–1 बाब–746 हदीस–1089 सफ़्हा–559+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–131 हदीस–349 सफ़्हा–132)

हदीस: हज़रत क़तादा (रज़ि.) रिवायत करते हैं:

हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रज़ि.) को वलीमा में पहले रोज़ बुलाया गया तो दावत मंज़ूर फ़रमा ली। दूसरे रोज़ दावत दी गई

तब भी कुबूल फ़रमाई और तीसरे रोज़ बुलाया गया तो दावत मंजूर न की। बुलाने वाले को कंकरियाँ मारीं और फ़रमाया: "ये शेख़ी बघारने वाले और दिखावा करने वाले हैं।" (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द—3 बाब—131 हदीस—349 सफ़हा—132)

दावत कुबूल करना

दावत कुबूल करना सुन्नत है। बाज़ उलमा के नज़दीक दावत कुबूल करना वाजिब है। दोनों क़ौल हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इजाबत सुन्नत मुअक्कदा है। वलीमा के सिवा दूसरी दावतों में भी जाना अफ़ज़ल है।

(बहारे शरीअत जिल्द—2 हिस्सा—16 सफ़हा—32)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اذادعی احد کم الی الو لیمة فلیا تها

तर्जमा: जब तुम में से किसी को वलीमा खाने के लिए बुलाया जाए तो वह ज़रूर जाए।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द—3 बाब—102 हदीस—159 सफ़हा—87+मुस्लिम शरीफ़ जिल्द—1 सफ़हा—462+मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द—2 सफ़हा—434)

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

من ترک الدعوة فقد عصی الله و رسوله

तर्जमा: जो दावत कुबूल कर के न जाए उसने अल्लाह तआला और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द—3 बाब—102 हदीस—163 सफ़हा—88+मुस्लिम शरीफ़ जिल्द—1 सफ़हा—462)

हदीस: हज़रत हमीद बिन अब्दुर्रहमान हुमैरी (रज़ि.) उन्हा ने हुज़ूर (स.अ.व.) के एक सहाबी से रिवायत की कि नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"जब दो शख़्स दावत देने बयक वक़्त आऐं तो

जिसका घर तुम्हारे घर से क़रीब हो उसकी दावत कुबूल करो और अगर एक पहले आया तो जो पहले आया उसकी दावत कुबूल करो।"

(इमाम अहमद, अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द-3 बाब-136 हदीस-357 सफ़्हा-134)

बग़ैर दावत जाना

दावत में बग़ैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। आज कल आम तौर पर कई लोग दावतों में बिन बुलाए ही चले जाते हैं और उन्हें न ही शर्म आती है और न ही अपनी इज़्ज़त का कुछ ख़्याल होता है। गोया!

गान न मान में तेरा मेहमान

हदीस: सरकारे मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"दावत में जाओ जबकि बुलाए जाओ" और फ़रमाया:

ومن دخل غير دعوة دخل سارقا خرج مغيرا

तर्जमा: जो बग़ैर बुलाए दावत में गया वह चोर बन कर दाख़िल हुआ ग़ारत गीरी कर के लुटेरे की सूरत में बाहर निकला (यानी गुनाहों को साथ ले कर निकला)।

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द-3 बाब-127 हदीस-342 सफ़्हा-130)

बुरा वलीमा

हदीस पाक में उस वलीमा को बहुत बुरा बताया गया है जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए और ग़ुरबा व मसाकीन को फ़रामोश कर दिया जाए। ऐसी दावत यक़ीनन बहुत बुरी है जिसमें अमीरों की ख़ातिरदारी तवाज़ो ख़ूब बढ़ चढ़ कर की जाए और ग़रीबों को नज़र अंदाज़ कर दिया जाए या उन्हें हिक़ारत की नज़र से देखा जाए।

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الا غنياء ويترک الفقراء

तर्जमा: सब से बुरा वलीमा का वह खाना है जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए और ग़रीबों को नज़र अंदाज़ कर दिया जाए। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 हदीस–163 सफ़्हा–88+मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–462+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–127 हदीस–343 सफ़्हा–130)

आज कल मुसलमानों में एक और नई जिद्दत पैदा हो चली है। वह कि दावत में दो क़िस्म के खाने होते हैं। सादा और कम लागत वाला खाना मुसलमानों के लिए और बेहतारीन क़िस्म के पकवान ग़ैर मुस्लिम दोस्तों के लिए रखे जाते हैं। ग़ैर मुस्लिम दावतों की ख़ातिर तावाज़ो में इस क़दर ग़ुलू किया जाता है कि पूछिये मत।

आयत: अल्लाह रबुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

ان اللہ بریٓء من المشرکین ورسولہ............الخ

तर्जमा: अल्लाह बेज़ार है मुशरिकों से और (बेज़ार है) उसका रसूल। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–10 सूरह तौबा रुकूअ–7 आयत–3)

आयत: और फ़रमाता है अल्लाह तबारका व तआ़ला:

یایھاالذین امنو انما المشر کون نجس............الخ

तर्जमा: ऐ ईमान वालो! मुशरिक निरे नापाक हैं।

(तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–10 सूरह तौबा रुकूअ–10 आयत–28)

हदीस: अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"जो काफ़िरों की ताज़ीम व तौक़ीर करे यक़ीनन उसने दीने इस्लाम को ढाने में मदद की।"

(इब्न अ़दी+इब्न असाकर+तिबरानी+बैहक़ी+अबूनईम फ़िलहुल्लियत)

बताइए जिन लोगों के मुतअ़ल्लिक़ रसूल के ये अहकाम हैं। उनकी ख़ातिर तवाज़ो में इस क़दर मुबालग़ा करना और मुसलमानों को उनसे कम दर्जा में शुमार करना कहाँ तक सही है? कुछ लोग

कहते हैं: "साहब! हम हिन्दुस्तान में रहते हैं। दिन रात उनके बीच उठना, बैठना है। हमारे कारोबारी तअल्लुक़ात हैं, इसलिए ये सब कुछ करना ज़रूरी है।" इसके जवाब में सिर्फ़ इतना ही कहूँगा: "ऐ मेरे भाई! ज़रा ये तो बताइए कि क्या उमूमन ये ग़ैर मुस्लिम भी अपनी शादी बियाह के मौक़ा पर मुसलमानों के लिए अलग उन का पसंदीदा खाना रखते हैं? जी नहीं! तो फिर हम क्यों कुफ़्फ़ार से मसलिहत (Comperomise) करें।" यक़ीनन ऐसी दावत और ऐसे वलीमा का कोई सवाब नहीं मिलता जिसमें मुसलमानों से ज़्यादा कुफ़्फ़ार को अहमियत दी जाए।

टेबल कुर्सी पर खाना

आज कल टेबल कुर्सी पर जूते पहने हुए खाना खाने का फ़ैशन हो चुका है। जिस दावत में टेबल कुर्सी का इंतिज़ाम न हो दावत घटिया क़िस्म की दावत समझी जाती है।

याद रखीए! हमारी शरीअत में टेबल कुर्सी पर खाना ममनूअ है। खिलाने वाले और खाने वाले दोनों गुनहगार हैं। इसलिए कि ये नसारा का तरीक़ा है और उमूमन टेबल कुर्सी पर खाना हो तो लोग जूते पहने हुए खाना खाते हैं।

हदीस: हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اذا كلتم الطعام فاخلعوا نعالكم فانه اروح لاقدامكم وانهاسنة جميلة

तर्जमा: जब खाना खाने बैठो तो जूते उतार लो कि इसमें तुम्हारे पाँव के लिए ज़्यादा राहत है और ये अच्छी सुन्नत है। (तिबरानी शरीफ़+मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–4045 सफ़हा–315)

टेबल कुर्सी पर खाने के मुतअल्लिक़ मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िले बरेलवी (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"टेबल कुर्सी पर जूते पहने हुए खाना खाना ईसायों

की नक़्ल है। इससे दूर भागे और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) करे: "من تشبه بقوم فهو منهم" यानी जो किसी क़ौम से मुशाबिहत पैदा करे वह उन्हीं में से है। इसे रिवायत किया इमाम अहमद, अबूदाऊद, अबुलअ़ली व तिबरानी ने सही सनद के साथ।"

(फ़तावा अफ़्रीक़ा सफ़्हा–53)

ये तो टेबल कुर्सी पर खाने के मुतअ़ल्लिक़ हुक्म था मगर मौजूदा दौर में तो इतनी तरक़्क़ी हो गई है कि अक्सर जगह खड़े खड़े खाने का इंतिज़ाम होता है। इसमें ऐसे मुसलमान ज़्यादा शरीक हैं जिनके सर पर सूसाइटी में "मार्डन" कहलाने का भूत सवार है और हैरत बलाए हैरत कि इस भिकारी तर्ज़ की दावत को स्टैंडर्ड (Standared) का नाम दे दिया गया है।

अल्लाह तआ़ला ने इंसान को अशरफुलमख़लूक़ात बनाया और उसे खाने पीने, सोने, जागने, चलने फिरने, उठने बैठने ग़र्ज़ कि हर मुआमले में जानवरों से अलग मुनफ़रिद इम्तियाज़ी खुसूसियात से नवाज़ा लेकिन तअ़ज्जुब! आज का इंसान जानवरों के तौर तरीक़ों को अपनाने में ही अपनी तरक़्क़ी समझ रहा है और इस पर फूले नहीं समा रहा। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को जानवरों की तरह खड़े रह कर खाने, पीने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन!

मसला: भूक से कम खाना सुन्नत है। भूक भर कर खाना मुबाह है। (यानी न सवाब, न ही गुनाह) और भूक से ज़्यादा खाना हराम है। ज़्यादा खाने का मतलब ये है कि इतना खाया जिससे पेट ख़राब होने (यानी बदहज़मी होने) का गुमान है। (क़ानूने शरीअ़त जिल्द–2 सफ़्हा–178)

नई ख़ुराफ़ात

आज कल मुसलमानो में एक नई चीज़ और राएज हो गई है। वह ये कि ख़्वातीन में मर्द और नौजवान लड़के खाना परोसते हैं। खाने के दौरान बेहूदा व गंदा मज़ाक़, लड़कियों से छेड़ छाड़ और

बदतमीज़ी की हर हद को पार कर लिया जाता है। क्या इसके हराम व गुनाह होने में किसी को कोई शक है।

हदीस: रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

لعن الله الناظر والمنظور اليه

तर्जमा: अल्लाह की लानत बदनिगाही करने वाले पर और जिसकी तरफ़ बदनिगाही की जाए।

(बहेक़ी फ़ी शोएबुलईमान बहवाला मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–2991 सफ़्हा–77)

हदीस: और फ़रमाते हैं हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.):

"जो शख़्स किसी औरत को बदनिगाही से देखेगा, क़यामत के दिन उसकी आँखों में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा।"

इस बुरे तरीक़े पर पाबंदी लगाना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। ख़ास कर हमारे घर के बड़े बुज़ुर्गों पर ख़ास ज़िम्मादारी है कि वे शादी बियाह के मौक़ा पर औरतों में मर्दों को जाने और खाना खिलाने से रोकें। वरना याद रखीए! महशर में सख़्त पूछ होगी और आप से पूछा जाएगा: "तुम कौम में बुज़ुर्ग थे, तुम ने अपनी जवान नसलों को हराम कामों से क्यों न रोका था। इस बेहयाई के ख़िलाफ़ तुम ने क्यों इक़दाम न किया।" बताइए! उस वक़्त आप के पास क्या जवाब होगा?

हदीस: अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

الساكت عن الحق شطان اخرس

तर्जमा: बुराई देख कर हक़ बात कहने से ख़ामोश रहनेवाला गूंगा शैतान है।

मुबाशरत के आदाब

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

فالئن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم............الخ

तर्जमा: तो उनसे शहवत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो।

(तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–2 सूरह बक़रा रुकूअ–7

आयत—187)

हदीसः नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"तुम में से किसी का अपनी बीवी से मुबाशरत करना भी सदक़ा है।" सहाबाए किराम ने अर्ज़ कियाः "या रसूल अल्लाह! कोई शख़्स अपनी शहवत पूरी करेगा और उसे अजर भी मिलेगा?" हुज़ूर ने इरशाद फ़रमायाः "हाँ! अगर वह हराम मुबाशरत करता तो क्या वह गुनहगार न होता? इसी तरह वे जाइज़ मुबाशरत करने पर अजर का मुस्तहिक़ है।"

इस बात का हमेशा ख़्याल रखे कि जब भी मुबाशरत का इरादा हो तो ये मालूम कर ले कि कहीं औरत हैज़ से तो नहीं है। चुनाँचे औरत से साफ़ साफ़ पूछ ले और औरत की भी ज़िम्मादारी है कि अगर वह हाएज़ा हो तो बेझिजक अपने शौहर को उससे आगाह करे। अगर औरत हालते हैज़ में हो तो हरगिज़ मुबाशरत न करे कि उन अय्याम में मुबाशरत करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस मसलों का मुफ़स्सल बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा।

अक्सर औरतें शादी की पहली रात हालते हैज़ में होने के बावजूद शर्म की वजह से बताती नहीं हैं या अगर कह भी दें तो बहुत कम मर्द होते हैं जो सब्र से काम लेते हैं। फिर इस जल्दबाज़ी की सज़ा उम्र भर डाक्टरों और हकीमों की फ़ीस की शकल में भुगतते फिरते हैं। लिहाज़ा मर्द और औरत दोनों को ऐसे मौक़ों पर सब्र व तअमुल से काम लेना चाहिए।

कुछ मर्द मतलब परस्त होते हैं। उन्हें सिर्फ़ अपने मतलब से ही लेना होता है। वह दूसरों की ख़ुशी को कोई अहमियत नहीं देते और यही जिमाअ़ होता है तो ये नहीं देखते कि औरत इसके लिए तैयार है या नहीं। वह कहीं किसी दुख, दर्द या बीमारी में मुब्तिला तो नहीं है। इन सब बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वह बेसब्री के साथ औरत से अपनी ख़्वाहिश की तकमील कर लेते हैं।

इस हरकत से औरत की निगाह में मर्द की इज़्ज़त कम हो जाती है और वह मर्द को मतलब परस्त समझने लगती है। साथ ही मुवाशरत का वह लुत्फ़ भी हासिल नहीं हो पाता है जो!

"दोनों तरफ़ है आग बराबर लगी हुई"

का मंज़र पेश कर सके।

हदीस: उतबा बिन सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اذااتی احد کم اهله فلیستتر ولا یتجرد تجرد العیرین

तर्जमा: तुम में से जो कोई अपनी बीवी के पास जाए तो पर्दा कर ले और गधों की तरह न शुरू हो जाए।

(इब्न माजा जिल्द–1 बाब–616 हदीस–1990 सफ़्हा–538)

हदीस: सय्यद इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि सरकारे मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"मर्द को चाहिए कि अपनी औरत पर जानवरों की तरह न गिरे। सोहबत से पहले क़ासिद होता है।" सहाबए किराम ने अर्ज़ किया: "या रसूलुल्लाह! वे क़ासिद क्या है?" इरशाद फ़रमाया: "वह बोसोकिनार और मुहब्बत आमेज़ गुफ़्तगू वग़ैरा है।"

(कीमियाए सआदत सफ़्हा–266)

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ी (रज़ि.) से मरवी है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"जो मर्द अपनी बीवी का हाथ उसको बहलाने के लिए पकड़ता है, अल्लाह तआला उसके लिए एक नेकी लिख देता है। जब मर्द मुहब्बत से औरत के गले में हाथ डालता है, उसके हक़ में दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और जब औरत से जिमाअ़ करता है तो दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर हो जाता है।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–113)

सुहबत से पहले खुद बेचैन न हो जाए अपने आप पर पूरा

इत्मीनान रखे। जल्दबाज़ी न करे। पहले बीवी से प्यार व मुहब्बत भरी गुफ़्तगू करे। फिर बोसोकिनार के ज़रीए से मुबाशरत के लिए आमादा करे और उस दौरान, दिल ही दिल में ये दुआ पढ़े।

بسم الله العلي العظيم الله اكبر الله اكبر

"अल्लाह के नाम से जो बुज़ुर्ग व बरतर अज़मत वाला है, अल्लाह तआला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है।"

इसके बाद जब मर्द, औरत सुहबत का इरादा कर लें तो बरहना होने से क़ब्ल एक मरतबा सूरह इख़लास, पढ़ें:

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

सूरह इख़लास पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ें:

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان مار زقتنا

"अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! दूर कर हम से शैतान मरदूद को और दूर कर शैतान मरदूद को उस अऔलाद से जो तू हमें अता करे।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 हदीस–473+मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–165+इहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–93 +हिस्ने हसीन सफ़्हा–165)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

قدر بينهما في ذلک اوقضي ولد لم يضره شيطان ابدا

तर्जमा: जो शख़्स इस दुआ को सुहबत के वक़्त पढ़ेगा (वही दुआ जो ऊपर लिखी गई है) तो अल्लाह तआला उस पढ़ने वाले को अगर औलाद अता फ़रमाए तो उस औलाद को शैतान कभी भी नुक़्सान न पहुंचा सकेगा। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 हदीस–150 सफ़्हा–85 + मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–463+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 सदीस–1087 सफ़्हा–557)

ख़बरदार! उस हदीस की शरह में हुज़ूर सय्यदना ग़ौसे आज़म शैख़ अब्दुलक़ादिर जीलानी (रज़ि.) अपनी किताब

"गुनयतुत्तालिबीन" में, हज़रत मुहक़क़िक़ शैख़ अब्दुलक़ादिर जीलानी (रज़ि.) अपनी तस्नीफ़ "अशअतुल मआत शरह मिश्कात" में और सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में इरशाद फ़रमाते हैं:

"अगर कोई शख़्स सोहबत के वक़्त दुआ न पढ़े (यानी शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह न माँगे) तो उस शख़्स की शर्मगाह से शैतान लिपट जाता है और उस मर्द से जो औलाद पेदा होता है वह नाफ़रमान, बुरी ख़सलतों वाली, बेग़ैरत और बद्दीन व गुमराह होती है। शैतान की इस दख़लअदाज़ी के सबब औलाद में तबाह कारी आ जाती है।"

(वलअयाजुबिल्लाह)

(गुनयतुत्तालिबीन बाब-5 सफ़्हा-116 +अशअतुलमआत +फ़तावा रिज़विया जिल्द-9 निस्फ़ अव्वल सफ़्हा-46)

हदीस: बुख़ारी शरीफ़ की एक हदीस में है कि हज़रत सअद बिन अबादा (रज़ि.) ने फ़रमाया:

"अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी को देख लूँ तो तलवार से उसका काम तमाम कर दूँ। उनकी इस बात को सुन कर लोगों ने तअज्जुब किया। अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "लोगो! तुम्हें सअद की इस बात पर तअज्जुब आता है हालाँकि मैं तो उनसे ज़्यादा ग़ैरत वाला हूँ और अल्लाह तआला मुझ से ज़्यादा ग़ैरत वाला है।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द-3 बाब-137 सफ़्हा-104)

क्या आप गवारा करेंगे कि आप की बीवी के साथ कोई और मर्द मुबाशरत करे। यक़ीनन अगर आप में ग़ैरत का थोड़ा सा भी हिस्सा मौजूद है तो आप ये हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे। फिर बताइए आप ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि आप की बीवी के साथ शैतान मरदूद भी सुहबत करे (वलआयजुबिल्लाह)। लिहाज़ा इस

मुसीबत से बचने के लिए जब भी सोहबत करे तो याद कर के दुआ पढ़ ले या कम अज़ कम "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم" "بسم الله الرحمن الرحيم" ज़रूर पढ़ लिया करे।

ग़ालिबन आज कल बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे जो सोहबत के वक़्त दुआ नहीं पढ़ते। शायद यही वजह है कि नस्लें बेग़ैरत, नाफ़रमान और दीन से दूर नज़र आ रही हैं। हमारे और आप का रोज़ मर्रा का मुशाहदा है कि औलाद से बाप कहता है: "बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िर होना चाहिए।" बेटा बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जाने को ज़िना और क़त्ल से बदतर समझता है। बाप का अक़ीदा है "रसूलुल्लाह (स.अ.व.) हमारे आक़ा व मौला हैं।" बेटा रसूलुल्लाह को अपने जैसा बशर और बड़े भाई से ज़्यादा समझने को तैयार नहीं (मआज़ल्लाह)। ग़र्ज़ कि इस तरह की सैंकड़ों मिसालें हैं कि दुनियावी मुआमला हो या फिर दीनी औलाद अपने माँ बाप और बुज़ुर्गों से बाग़ी नज़र आती हैं। अल्लाह तआला मुसलमानों को तोफ़ीक़ दे। आमीन!

जिमाअ़ का सहीह मुक़ाम

आयत: रब तबारका व तआ़ला क़ुरआन अज़ीम में इरशाद फ़रमाता है:

نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم ط......الخ

तर्जमा: तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–2 सूरह बक़रा रुकूअ़–12 आयत–223)

हदीस: हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) से रिवायत है:

"ये आयते करीमा मुबाशरत के मुतअ़ल्लिक़ नाज़िल हुई।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–613 हदीस–1660 सफ़हा–729)

हदीस: अल्लाह के प्यारे हबीब सरकारे मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"सोहबत सिर्फ औरत की 'फ़र्ज' में ही होनी चाहिए, चाहे आगे से करे या पीछे से, दाऐं करवट से हो या बाऐं करवट से। जिस तरह कोई शख़्स अपने खेत में जिस तरफ से आना चाहे आता है। इसी तरह उसकी बीवी उसके लिए खेत की मानिन्द है। उससे वती किसी भी सम्त से की जा सकती है लेकिन वती सिर्फ़ फ़र्ज में ही होनी चाहिए।"

(इहयाउलउलूम)

इंज़ाल के वक़्त की दुआ

जिस वक़्त इंज़ाल हो यानी मर्द की मनी उसके आले से निकल कर औरत की फ़र्ज में दाख़िल होने लगे उस वक़्त दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ें।

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا

"ऐ अल्लाह! शैतान के लिए हिस्सा न बना उसमें जो (औलाद) तू हमें अता करे।"

(हिस्ने हसीन सफ़्हा–165 +फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़े आख़िर सफ़्हा–161)

इस दुआ की तालीम देना इस बात की शहादत है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिन्दगी के हर मोड़ पर अपना हुक्म नाफ़िज़ करता है ताकि मुसलमान किसी भी मुआमले में किसी दूसरे धर्म व क़ानून का मुहताज न रहे और इस दुआ में दूसरी हिक्मत ये भी है कि मुसलमान किसी भी हाल में यादे इलाही से ग़ाफ़िल न रहे बल्कि हर हाल में अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहे।

साथ ही ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि आने वाली औलाद के लिए अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ तो की जाए कि अल्लाह उसे शैतान से महफ़ूज़ रखे लेकिन जब औलाद पैदा हो जाए और उसे शैतानी कामों से न रोके उसे बुरी बातों से मना न करे और अच्छी बातों का हुक्म न दे तो बड़ी अजीब व तअज्जुब

ख़ेज बात होगी। इसलिए आगाह हो जाइए कि ये दुआ हमें आइंदा के लिए भी अमले ख़ैर करने की दावते फ़िक्र देती है।

इंज़ाल के फ़ौरन बाद अलग न हो

हदीसः हज़रत सय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"मर्द में ये कमज़ोरी की निशानी है कि जब मुबाशरत का इरादा करे तो बोसी किनार से पहले जिमाअ़ करने लगे और जब इंज़ाल हो जाए तो सब्र न करे और फ़ौरन अलग हो जाए कि औरत की हाजत पूरी नहीं होती।"

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–266)

इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िल बरेलवी (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"इंज़ाल होने के बाद फ़ौरन औरत से जुदा न हो यहाँ तक कि औरत की भी हाजत पूरी हो। हदीस पाक में इसका भी हुक्म है। अल्लाह अज़्वजल की बेशुमार रहमतें उस नबीए रहमत (स.अ.व.) पर जिन्होंने हम को हर बाब में तालीमे ख़ैर दी और हमारी दुनियावी व दीनी हाजतों की कश्ती को किसी दूसरे के सहारे न छोड़ा।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा–161)

चुनाँचे मर्द को इंज़ाल हो भी जाए तो फ़ौरन औरत से अलग न हो जाए बल्कि उसी तरह कुछ देर और ठहरा रहे ताकि औरत का भी मतलब पूरा हो जाए क्योंकि औरत को देर में इंज़ाल होता है।

मुबाशरत के बाद अज़ूए मख़सूस की सफ़ाई

सोहबत के बाद मर्द और औरत अलग हो जाएं। फिर किसी साफ़ कपड़े से पहले दोनों अपने अपने मक़ामे मख़सूस को साफ़ करें ताकि बिस्तर पर गंदगी न लगने पाए। सफ़ाई के बाद पेशाब

कर लें कि उसके बहुत से फ़ाएदे अतिब्बा ने बयान किए हैं। जिनमें से चंद यहाँ ज़िक्र किए जाते हैं।

(1) अगर मर्द के आले में कुछ मनी बाक़ी रह गई हो तो पेशाब के ज़रीए निकल जाती है। क्योंकि अगर थोड़ी सी मनी अज्व में ऊपर रह जाए तो बाद में पेशाब में जलन और खुजली की बीमारी होने का अंदेशा होता है।

(2) पेशाब जरासीम कश होता है (क्यों कि पेशाब में जरासीम को ख़त्म करने वाले अज्ज़ा पाए जाते हैं) इसलिए पेशाब के वहाँ से गुजरने से उस जगह की सारी गंदगी ख़त्म हो जाती है और उस जगह के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और शर्मगाह की नाली साफ़ हो जाती है। इस तरह के और भी कई फ़ाएदे हैं जिनकी मफ़सील यहाँ तिवालत का सबब है।

नोट: पेशाब के उज़्वे तनासुल से जुदा होने के बाद और ठंडे होने पर खुद पेशाब के करोड़हा जरासीम बढ़ कर नुक़्सान देह साबित होते हैं। इसलिए इस्लामी शरीअत में पेशाब का किसी तरह का भी इस्तेमाल हराम है।

पेशाब कर लेने के बाद शर्मगाह और उसके अतराफ़ के हिस्से को अच्छी तरह से धो लें। उससे बदन तंदरुस्त रहता है और खुजली की बीमारी से बचाव हो जाता है।

लेकिन याद रखीए! मुबाशरत के फ़ौरन बाद जिस्म का दर्जाहरारत (Body Tempreture) बढ़ जाता है और जिस्म में गर्मी आ जाती है। अगर गर्म जिस्म पर ठंडा पानी डाला जाएगा तो बुख़ार होने का ख़तरा है। लिहाज़ा सोहबत करने के बाद तकरीबन पाँच, दस मिन्ट बैठ जाए या लेट जाए ताकि बदन की हरारत एतेदाल पर आ जाए। फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल करे। अगर जल्दी हो तो हल्के गर्म, गुनगुने पानी से शर्मगाह धोने में कोई नुक़्सान नहीं।

मुबाशरत के चंद मज़ीद आदाब

जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि मज़हबे इस्लाम

हमारी हर जगह हर हाल में रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। यहाँ तक कि मियाँ बीवी के आपसी तअल्लुकात में भी एक बेहतरीन दोस्त व रहनुमा बन कर उभरता है और हमारी भरपूर रहनुमाई करता है।

यहाँ हम शरई रौशनी में मुबाशरत के चंद मज़ीद आदाब बयान कर रहे हैं जिन्हें याद रखना और उन पर अमल करना हर शादी शुदा मुसलमान मर्द व औरत पर ज़रूरी है।

सोहबत तन्हाई में करें

आप ने सड़कों पर, सीनेमा हाल में और बागों में खुलेआम कुछ पढ़े लिखे कहलाने वाले मार्डन इंसान देखे होंगे जो इंसानी शक्ल में जानवर नज़र आते हैं क्योंकि वह सड़कों व बागों में ही वो सब कुछ कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए लेकिन अलहमदुलिल्लाह! हम मुसलमान हैं और अशरफुलमख़्लूकात। इसलिए हम पर ज़रूरी है कि हम इस्लाम का हुक्म मानें और मार्डन जानवर नुमा इंसानों की नक़्ल से बचें। लिहाज़ा याद रखीए! सोहबत हमेशा तन्हाई में करे और ऐसी जगह करे जहाँ किसी के अचानक आने का ख़तरा न हो और उस वक़्त कमरे में अंधेरा कर लें। रौशनी में हरगिज़ न हो।

मसला: बीवी का हाथ पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया और लोगों को मालूम हो गया कि वती (मुबाशरत) करने के लिए ऐसा किया है तो ये मकरूह है। (बहारे शरीअत जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़हा–57)

मसला: जहाँ कुरआन करीम की कोई आयत करीमा किसी चीज़ पर लिखी हुई हो। अगरचे ऊपर शीशा (काँच) हो। जब तक उस पर कपड़े का गिलाफ़ न डाल ले वहाँ सोहबत करना या बरहना होना बे अदबी है।

(फतावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़हा–257)

हुज़ूर सय्यदना गौस आज़म (रज़ि.) "गुनयतुत्तालिबीन" में और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) अपनी मलफ़ूज़ात

"अलमलफूज" में फरमाते हैं:

"जो कुछ समझता है और दूसरों के सामने बयान कर सकता है उसके सामने सोहबत करना मकरूह (तहरीमी) है (यानी शरीअत में नापसंदीदा व नाजाइज है।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–4 सफ़्हा–116+अलमलफूज़ जिल्द–3 सफ़्हा–13)

मसला: किसी की दो बीवियाँ हों तो एक बीवी से दूसरी बीवी के सामने सोहबत करना जाइज़ नहीं। मर्द को अपनी बीवी से तो हिजाब नहीं लेकिन एक बीवी को दूसरी बीवी से तो परदा फ़र्ज़ है और शर्म व हया जरूरी है। (फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़े अव्वल सफ़्हा–207)

मुबाशरत से पहले वुज़ू

मुबाशरत से पहले वुज़ू कर लेना चाहिए कि उसके बहुत फ़ाएदे हैं। जिनमें से चंद हम यहाँ बयान करते हैं।

(1) अव्वल वज़ू करना सवाब और बाइसे बरकत है।

(2) मुबाशरत से पहले वज़ू करने की हिकमत एक यी भी है कि मर्द व औरत दोनों में ये एहसास पैदा हो कि सोहबत हम सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशाते नफसानी की तकमील के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि नेक सालेह औलाद पैदा करना मक़सूद है और दूसरी हिकमत ये है कि किसी भी वक़्त यादे इलाही से गाफ़िल नहीं होना चाहिए।

(3) मर्द बाहर के कामों से और औरत घर के कामों की वजह से दिन भर के थके माँदे होते हैं। थका जिस्म दूसरे के लिए फ़ाएदा बख़्श साबित नहीं होता। लिहाज़ा वज़ू कर लेना चुस्ती, कुव्वत और खुदएतमादी का सबब बनता है।

(4) दिन भर की भाग दौड़ मे जिस्म व चेहरा पर धूल मिट्टी और जरासीम मौजूद रहते हैं। जब मर्द व औरत बोसी किनार करते हैं तो ये जरासीम मुंह और साँसों के ज़रीए जिस्म में दाखिल हो

सकते हैं जिससे आगे मुख़्तलिफ़ अमराज के पैदा होने का ख़तरा होता है। ऐसे सैंकड़ों फ़ाएदे हैं जो वुज़ू कर लेने से हासिल होते हैं।

नशे की हालत में मुबाशरत

शरीअ़ते इस्लामी में हर क़िस्म का नशा हराम है और इस्लाम में शराब को तो "उम्मुलख़बाइस" (यानी तमाम बुराईयों की माँ) तक बताया गया है।

हदीसः दो हदीसे पाक का हासिल ये है:

"जिसने शराब पी गोया उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया।"

(बहवालए फ़तावा मुस्तफ़विया जिल्द–1 सफ़हा–76)

हदीसः रसूलुल्लाह (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

لایشرب الخمر حین یشربها وهو مومن

तर्जमाः शराब पीते वक़्त शराबी का ईमान ठीक नहीं रहता। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–968 हदीस–1714 सफ़हा–614)

हदीसः और फ़रमाते हैं प्यारे आक़ा (स.अ.व.):

مدمن الخمران مات لقی الله كعابدوثن

तर्जमाः शराबी अगर बग़ैर तोबा किए मरे तो अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर इस तरह हाज़िर होगा जैसे बुतो की पूजा करने वाला। (इमाम अहमद इब्न हबान बहवालए फ़तावा रिज़तिया जिल्द–10 सफ़हा–48)

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि सय्यदे आलम (स.अ.व) ने इरशाद फ़रमाया:

من زنی اوشرب الخمر نزع الله منه الایمان كما
یخلع الانسان القمیص من راسه.

तर्जमाः जो ज़िना करे या शराब पीये अल्लाह तआ़ला उससे ईमान ऐसे खींच लेता है जैसे आदमी अपने सर से (आसानी के साथ) कुर्ता खींच लेता है।

(हाकिम शरीफ़ बहवाला फ़तावा मुस्तफ़विया जिल्द–10

सफ़्हा—47)

हज़रत इमाम अबुललैस समर क़ंदी (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"खुदा की क़सम! शराब और ईमान एक दिल में जमा नहीं हो सकते और अगर किसी के दिल में ईमान हो और वह शराब पीये तो शराब उसके ईमान को ख़त्म कर देती है (इसलिए कि शराबी आदमी नशे में होता है तो उसकी ज़बान से कलमाते कुफ़्र जारी हो जाते हैं।"

(तंबीहुलग़ाफ़िलीन सफ़्हा—160)

हदीस: हज़रत असमा बिन्त यज़ीद (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूले अकरम (स.अ.व.) ने फ़रमाया:

"एक दफ़ा शराब (का एक घूंट) पीने से चालीस रोज़ तक शराबी की नमाज़, रोज़ा और दीगर आमाल कुबूल नहीं होते। दूसरी दफ़ा पीने से उसी रोज़ तक। तीसरी दफ़ा पीने से एक सौ बीस रोज़ तक।"

(तंबीहुलग़ाफ़िलीन सफ़्हा—168)

हदीस: हज़रत अबू इमामा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अकरम सय्यदे आलम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"अल्लाह तआला फरमाता है क़सम मेरी इज़्ज़त की जो कोई मेरा बंदा शराब का एक घूंट भी पीयेगा, मैं उसे उतना ही पीप पिलाऊँगा।"

(इमाम अहमद बहवालए बहारे शरीअत जिल्द—1 हिस्सा—9 सफ़्हा -52)

इसी तरह व्हिस्की, बीयर, ताड़ी, गाँजा, बराऊन शूगर वग़ैरा जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नशा आता हो वह शरीअत में हराम हैं।

हदीस: हज़रत उम्मुलमोमिनीन उम्मेसलमा (रज़ि.) इरशाद फ़रमाती हैं

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر و مفتر

तर्जमा: रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने हर चीज़ जो नशा लाए और हर चीज़ कि अक़्ल में फ़ुतूर डाले हराम फ़रमाई। (इमाम अहमद अबूदाऊद बहवालए फ़तावा रिज़विया जिल्द–10 सफ़्हा–49)

हकीमों और डाक्टरों ने कहा है:

"नशे की हालत में मुबाशरत करने से रेहूमेटिक पेन (Rheumatic Pain) नामी बीमारी पैदा हो जाती है और औलाद अपाहिज (लंगड़ी, लूली) पैदा होती है।"

ख़ुशबू का इस्तेमाल

मुबाशरत से पहले ख़ुशबू लगाना बेहतर है। सरकारे मदीना (स.अ.व.) को ख़ुशबू बहुत पसंद थी। आप हमेशा ख़ुशबू का इस्तेमाल फ़रमाया करते थे ताकि हम गुलाम भी सुन्नत पर अमल करने की नीयत से ख़ुशबू लगाया करें। वरना इस बात में किसी को कोई शक व शुब्हा नहीं कि आप का वुजूद मुबारक ख़ुद ही महकता रहता और आप का मुबारक पसीना ख़ुद काएनात की सब से बेहतरीन ख़ुशबू है। मुबाशरत से क़ब्ल ख़ुशबू का इस्तेमाल करना सुन्नत है। ख़ुशबू से दिल व दिमाग़ को ताज़गी और सुकून मिलता है और जिमाअ़ में दिलचस्पी बढ़ती है।

हाफ़िज़ुहदीस हज़रत इमाम क़ाज़ी फ़ज़ील अयाज़ उंदलिस (रज़ि.) अपनी शोहरए आफ़ाक़ तस्नीफ़े लतीफ़ "किताबुश्शिफ़ा बतारीफ़ हुक़ूक़ुलमुस्तफ़ा" में इरशाद फ़रमाते हैं:

"हुज़ूर (स.अ.व.) को ख़ुशबू बहुत ज़्यादा पसंद थी। रहा आप का ख़ुशबू इस्तेमाल करना तो वह इस वजह से था कि आप की बारगाह में मलाइका हाज़िर होते थे और दूसरी वजह ये थी कि ख़ुशबू जिमाअ़ और असबाबे जमाअ़ में मुअय्यिद व मददगार है। ख़ुशबू आप को बिज़्ज़ात महबूब नहीं थी बल्कि बिलवासता यानी शहवत का ज़ोर कम

करने की गर्ज से महबूब थी, वरना हकीकी मुहब्बत तो आपको जाते बारी तआला के साथ मखसूस थी।"

(शिफा शरीफ़ जिल्द–1 बाब–2 सफ़्हा–157)

लेकिन याद रहे कि सिर्फ इत्र का ही इस्तेमाल करे। अफ़सोस कि आज कल खालिस इत्र का मिलना भी दुश्वार हो गया है। उमूमन जो इत्रयात बाज़ारों में मलते हैं उनमें कैमिकल्स (Chemicals) होते हैं। उनका लिबास में इस्तेमाल करना जाइज़ है लेकिन सर और दाढ़ी में लगाना नुक्सान देह है। स्प्रे में इस्पर्ट (Alkohal) की मिलावट होती है जो कि शराब के हुक्म में है।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"अलकोहल (शराब) वाले अतर (या स्प्रे) का इस्तेमाल गुनाह है बल्कि ऐसे इत्र की खुशबू सूँघना भी नाजाइज़ है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–10 सफ़्हा–88)

इसलिए सिर्फ ऐसे इत्र का इस्तेमाल करे जिसमें स्प्रे (अलकोहल) न हो। अलकोहल वाले सेंट या इत्र की पहचान ये है कि उसे अगर हथेली पर लगाया जाए तो ठंडक महसूस होगी और फ़ौरन उड़ भी जाएगा।

औरतें ऐसे इत्र का इस्तेमाल करें जिसकी खुशबू हल्की हो। ऐसी न हो कि जिसकी ख़ूशबू उड़ कर मर्दों तक पहुंच जाए। आज कल अक्सर औरतें ऐसे स्प्रे, इत्र या फिर पौडर, क्रीम वग़ैरा का इस्तेमाल करती हैं कि जिस गली से गुज़र जाऐं सारी गली महक उठती है और मन चले लड़के "हाय हाय" पुकारने लगते हैं और सीटीयाँ बजा बजा कर बेहूदा हरकतें करते हैं। ऐसी औरतें इस हदीस को पढ़ कर इबरत हासिल करें।

हदीस: हज़रत अबू मूसा अशरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फरमाया:

ايما امراة استعطرت فمرت على قوم ليجد وان ريحها فهى ذانتية

तर्जमाः जब कोई औरत खुशबू लगा कर लोगों में निकलती है ताकि उन्हें खुशबू पहुंचे तो वह औरत ज़ानिया (ज़िना करने वाली पेशावर) है। (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–274 हदीस–771 सफ़हा–264+निसाई शरीफ़ जिल्द–3 बाब किताबुज्ज़ानिया सफ़हा–398)

मुबाशरत खड़े खड़े न करें

मुबाशरत खड़े खड़े न करें कि ये जानवरों का तरीक़ा है और न ही बैठे बैठे कि ये मर्द और औरत दोनों के लिए नुक़सान देह है। इस तरीक़ा से मुबाशरत करने से बदन लाग़र और ख़ास कर मर्द का अज्वे तनासुल जड़ से कमज़ोर हो जाता है और अगर हमल क़रार पा जाए तो बच्चा कमज़ोर, अपंग (हाथ पाँव से अपाहिज) पैदा होता है या फिर जिस्म का कोई हिस्सा अधूरा होगा।

बाज़ मोतमद उलमाए दीन ने फ़रमाया हैः

"खड़े खड़े मुबाशरत करने से अगर औरत को हमल क़रार पा जाए तो औलाद बद दिमाग़ और बेवकूफ़ होगी या पैदाइशी तौर पर नीम पागल पैदा होगी।"

हकीमों की इस मुतअ़ल्लिक़ तहक़ीक़ ये हैः

"खड़े खड़े रह कर मुबाशरत करने से रेशा (बदन हिलने) की बीमारी हो जाती है।"

(वलऐयाज़बिल्लाह)

मुबाशरत का सही तरीक़ा ये है कि बिस्तर पर लेटे लेटे हो और औरत नीचे की जानिब और मर्द ऊपर की जानिब हो जैसा कि क़ुरआन करीम में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हैव्वा (रज़ि.) के वाक़िया में इस तरफ़ इशारा किया गया है। चुनाँचे!

आयतः अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता हैः

فلما تغشها حملت حملا خفيفا........الخ

तर्जमा: फिर जब मर्द उस पर छाया उसे एक हल्का सा पेट रह गया। (तर्जमा कंजुलईमान पारा–9 सूरह आराफ़ रुकूअ–14 आयत- 189)

इस आयते करीमा से हमें सबक़ मिलता है कि जिमाअ़ के वक़्त औरत चित लेटे और मर्द उस पर पट (उल्टा) लेटे कि इस तरीका से मर्द के साथ "फिर मर्द उस पर (यानी औरत पर) छाया।" से इशारा किया गया है और इस तरीक़ा से मुबाशरत क़ानूने फ़ितरत के मुताबिक़ है। अब अगर इसकी ख़िलाफ़ वरज़ी की गई तो बहरहाल नुक़्सान तो ज़रूर होगा। देखा जाए तो इस तरीक़े में ज़्यादा राहत व आसानी है। औरत को इससे मशक़्क़त नहीं होती और मर्द की मनी का आसानी से खुरूज हो कर औरत की फ़र्ज में दाख़िल होता है और इस्तिक़रारे हमल जल्द क़रार पाता है।

हकीम बूअली जो अपने ज़माने का एक मशहूरो मारूफ़ हकीम गुज़रा है। उसने लिखा है:

"अगर औरत ऊपर और मर्द नीचे हो तो इस सूरत में मर्द की कुछ मनी उसके अज़ू में बाक़ी रह कर तअ़फ़्फ़ुन पैदा करेगी और फिर बाद में तकलीफ़ व अज़ीयत का बाइस बनेगी।"

क़िब्ला की तरफ़ रुख़ न हो

हुज़ूर सय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"सोहबत करने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि सोहबत के वक़्त मुंह क़िब्ला की तरफ़ से फेर लें।"

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–266)

हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"सोहबत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुंह या पीठ करना मकरूह व ख़िलाफ़े अदब है जैसा कि

दुर्रेमुख़्तार में इसका बयान है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ अव्वल सफ़हा–140)

जिमाअ के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ से रुख़ फेरने के लिए ग़ालिबन इसलिए कहा गया है कि क़िब्ला की ताज़ीम हर मुसलमान पर ज़रूरी है। उसकी तरफ़ रुख़ कर के बंदा अपने परवदिगार की इबादत करता है और क़िब्ला की तरफ़ थूकने, पेशाब या पाख़ाना करने और बरहना उसकी तरफ़ रुख़ करने की सख़्त मुमानअत आई है। एक हदीस पाक में है:

हदीस: नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ان احد کم اذا قام فی صلا تہ فانما ینا جی ربہ اور به بينه وبين القبلة.........الخ

तर्जमा: जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो वह अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है या उसका परवरदिगार उसके और क़िब्ला के दरमियान होता है (यानी क़िब्ला की जानिब अल्लाह तआला की रहमत ज़्यादा होती है)

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–274 हदीस–393 सफ़हा–233)

अब चूँकि जिमाअ के वक़्त मर्द व औरत बरहंगी की हालत में होते हैं तो भला उस हालत में क़िब्ला की तरफ़ रुख़ कैसे किया जा सकता है। लिहाज़ा अदबन मुबाशरत के वक़्त क़िब्ला की जानिब रुख़ करने से मना फ़रमाया गया।

बरहना सोहबत करना

मुबाशरत के दौरान मर्द और औरत कोई चादर वग़ैरा ओढ़ लें। जानवरों की तरह बरहना सोहबत न करें।

हदीस: हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जिमाअ करे तो परदा कर ले, बेपरदा होगा तो फ़रिश्ते हया की वजह से बाहर निकली जाऐंगे और शैतान आ जाएगा। अब कोई बच्चा हुआ तो शैतान की उसमें शिरकत होगी।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–116)

इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िल बरेलवी (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"सोहबत के वक़्त अगर कपड़ा ओढ़े है, बदन छुपा हुआ है तो कुछ हर्ज नहीं अगर अगर बरहना है तो एक बरहना सोहबत करने खुद मकरूह है। हदीस में है रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने सोहबत के वक़्त मर्द व औरत को कपड़ा ओढ़ लेने का हुक्म दिया और फ़रमाया: "ولا يتجردان تجرد العير" यानी गधे की तरह बरहना न हो।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़े अव्वल सफ़्हा–140)

आला हज़रत (रज़ि.) एक दूसरे मक़ाम पर इरशाद फ़रमाते हैं:

"बहरना रह कर सोहबत करने से औलाद के बेशर्म व बेहया होने का ख़तरा है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़े अव्वल सफ़्हा–46)

सोचीए इंसान की ज़रा सी लापरवाही कहाँ तक नुक़्सान का सबब बन जाती है। ग़ालिबन ज़माने में जो शर्म व हया का जनाज़ा निकलता जा रहा है उसकी सैंकड़ों वजूहात में से ये भी एक वजह रही हो कि मुबाशरत परहना हो कर की गई और ये असर नस्ल में आया। नतीजा ये कि शर्म व हया को मौजूदा नस्ल ने ज़िन्दा दरगोर कर दिया है।

दौराने जिमाअ् शर्मगाह देखना

मसला: मियाँ बीवी का सोहबत के वक़्त एक दूसरे की शर्मगाह को मस करना बेशक जाइज़ है बल्कि नेक नीयत से हो तो मुस्तहब व सवाब है। (फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़्हा–571+जिल्द–9 सफ़्हा–72)

मसला: मर्द अपनी बीवी के हर उज़्व को छू सकता है और औरत भी अपने शौहर के हर उज़्व को छू सकती है ख़्वाह शहवत से हो या बिला शहवत। यहाँ तक कि हर एक दूसरे की शर्मगाह

को छू भी सकता है मगर बग़ैर ज़रूरत के शर्मगाह का देखना और छूना ख़िलाफ़े ऊला व मकरूह है। (फ़तावा आलमगीरी जिल्द–5 सफ़्हा–227 +बहारे शरीअ़त जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़्हा–57)

दौराने सोहबत मर्द और औरत को एक दूसरे की शर्मगाह की तरफ़ नहीं देखना चाहिए। उसके बहुत से नुक़्सानात हैं।

मसला: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़रमाती हैं:

"हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) का विसाल हो गया लेकिन न कभी आप ने मेरा सत्र देखा और न मैंने आप का सत्र देखा।"

(इब्ने माजा शरीफ़ जिल्द–1 बाब–616 हदीस–1991 सफ़्हा–538)

हदीस: हज़रत इबते अ़दी (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्बास ने इरशाद फ़रमाया:

'तुम में से कोई जब अपनी बीवी से मुबाशरत करे तो उसकी फ़र्ज (शर्मगाह) को न देखो कि इससे आँखों की बीनाई ख़त्म हो जाती है।"

(हाशिया मुसनद इमामे आज़म सफ़्हा–225)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) नक़्ल फ़रमाते हैं:

"जिमाअ़ के वक़्त शर्मगाह देखने से हदीस में मुमानअत फ़रमाई और फ़रमाया "فانه يورث العمى" यानी वह अंधे होने का सबब है। उलमाए किराम ने फ़रमाया है: "इससे अंधे होने का सबब या वह औलाद अंधी हो जो उस जिमाअ़ से पैदा हुई या मआ़ज़ल्लाह! दिल का अंधा होना है कि सब से बदतर है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़्हा–570)

"क़ानूने शरीअ़त" में है:

"(दौराने सोह्बत) औरत की शर्मगाह की तरफ़ नज़र न करे क्योंकि इससे निसयान (भूलने की बीमारी) पैदा होती है और नज़र भी कमज़ोर होती है।"

(क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–202)

पिस्तान चूमना

मुबाशरत के वक़्त औरत के पिस्तान चूमने या चूसने में कोई हर्ज नहीं लेकिन ख़्याल रहे कि दूध हलक़ में न जाए। अगर हलक़ में दूध आ गया तो फ़ौरन थूक दे। जान बूझ कर दूध पीना नाजाइज़ हराम है।

इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में नक़्ल फ़रमाते हैं:

"सोहबत के वक़्त अपनी बीवी के पिस्तान मुंह में लेना जाइज़ है बल्कि अच्छी नीयत से हो तो सवाब की उम्मीद है जैसा कि हमारे इमाम, इमामे आज़म अबूनीफ़ा (रज़ि.) ने मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मस करने के बारे में फ़रमाया "جوانها" "یو جران علیه" यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि वह दोनों इस पर अज्र (सवाब) दीए जाएंगे। हाँ अगर औरत दूध वाली हो तो ऐसा चूसना न चाहिए जिससे दूध हलक़ में चला जाए और अगर मुंह में आ जाए और हलक़ में न जाने दे तो हर्ज नहीं कि औरत का दूध हराम है, नजिस नहीं। अलबत्ता रोज़े में इस ख़ास सूरत से परहेज़ करना चाहिए।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़े आख़िर सफ़्हा–72)

कुछ लोगों में ये ग़लत फ़हमी है कि दौराने जिमाअ़ अगर औरत का दूध मर्द के मुंह में चला गया तो औरत मर्द पर हराम हो जाती है और ख़ुद तलाक़ वाक़े हो जाती है। ये बात ग़लत है इसकी शरीअत में कोई असल नहीं।

फ़िक्ह की मशहूर किताब "दुर्रेमुख़्तार" में है:

"मर्द ने अपनी औरत की छाती चूसी तो निकाह में कोई ख़राबी न आई, चाहे दूध मुंह में आ गया हो। बल्कि हलक़ से उतर गया हो तब भी निकाह न टूटेगा लेकिन हलक़ में जान बूझ कर लेना जाइज़ नहीं।"

(दुर्रेमुख़्तार बहवाला क़ानूने शरीअ़त जिल्द–2 सफ़्हा–52)

इसी तरह "बहारे शरीअ़त" में सदरुश्शरीआ अलैहिरहमा ने भी नक़्ल फ़रमाया है। ग़र्ज़ कि अवाम का ये ख़्याल महज़ ग़लत है। (वल्लाह तआ़ला आलम सुम्मा रसूलुहू आलम)

जिमाअ़ के दौरान गुफ़्तगू करना

जिमाअ़ के दौरान बात चीत न करे ख़ामोश रहे।

इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"मुबाशरत के दौरान बात चीत करना मकरूह है बल्कि बच्चे के गूँगे या तोतले होने का ख़तरा है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़े अव्वल सफ़्हा–46)

दौराने मुबाशरत किसी और का ख़्याल

सोहबत के दौरान मर्द किसी दूसरी औरत का और औरत किसी दूसरी मर्द का ख़्याल न लाए। यानी ऐसा न हो कि मर्द जिमाअ़ तो अपनी बीवी से करे और तसव्वुर करे कि फुलाँ औरत से जिमाअ़ कर रहा हूँ। इसी तरह औरत किसी और मर्द का तसव्वुर करे तो ये सख़्त गुनाह है।

हुज़ूर पुर नूर सय्यदना ग़ौसे आज़म शैख़ अब्दुलक़ादिर जीलानी (रज़ि.) अपनी मशहूर तसनीफ़ "गुनयतुत्तालिबीन" में नक़्ल फ़रमाते हैं:

"मुबाशरत के दौरान मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत का ख़्याल लाए तो सख़्त गुनाह है और एक तरह का छोटी क़िस्म का ज़िना है।"

(गुनयतुत्तालिबीन अज़ हुज़ूर ग़ौसे आज़म (रज़ि.))

मुबाशरत के बाद पानी न पीयें

इससे क़ब्ल बयान किया जा चुका है कि मुबाशरत के बाद जिस्म का दरजए हरारत बढ़ जाता है। इसलिए उस वक़्त प्यास भी शिद्दत से महसूस होती है लेकिन ख़बरदार! मुबाशरत के फ़ौरन बाद पानी हरगिज़ न पीयें।

हकीमों ने लिखा है:

"सोहबत के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे दमा (साँस) की बीमारी होने का ख़तरा है।"

दोबारा सोहबत करना हो तो

एक रात में मुबाशरत के बाद उसी रात में दूसरी मरतबा सोहबत का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों वज़ू कर लें कि ये फ़ाएदामंद है और अगर सोहबत न भी करना हो तो वज़ू कर के सो जाऐं।

हदीस: हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब व हज़रत अबूसईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اذاتی احد کم اهله ثم ازا ار ادان یعودفلیتو ضابینهما وضوء

तर्जमा: जब तुम में कोई अपनी बीवी से एक मरतबा सोहबत के बाद दोबारा सोहबत का इरादा करे तो उसे वज़ू करना चाहिए। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द-1 बाब-106 हदीस-133 सफ़हा-139+इब्ने माजा जिल्द-1 बाब-145 हदीस-629 सफ़हा-188)

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح وهو قول
عمر ابن خطاب وقال به غیر واحد من اهل العلم.

तर्जमा: अबूसईद ख़ुदरी की ये हदीस हसन, सही है। उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का यही क़ौल है और मुतअ़दिद उलमा इसी के क़ाएल हैं।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-139)

इमाम गज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"एक बार सोहबत कर चुके और दोबारा का इरादा हो तो चाहिए कि अपना बदन धो डाले (वुज़ू कर ले) और अगर नापाक आदमी कोई चीज़ खाना चाहे तो चाहिए कि पहले वज़ू कर ले फिर खाए और सोने का इरादा हो तो भी वज़ू कर के सोये। हालाँकि (वुज़ू करने के बाद भी) नापाक ही रहेगा (जब तक गुस्ल न कर ले) लेकिन सुन्नत यही है।"

(कीमियाए सआदत सफ़हा–267)

वुज़ू कर के सोये

मुबाशरत के बाद साने का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों पहले अपने मकाम मख़सूस को धो लें और वुज़ू कर लें फिर उसके बाद सो जाऐं।

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीका (रज़ि.) फ़रमाती हैं:

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه و توضا للصلوة.

तर्जमा: नबी (स.अ.व.) हालते जनाबत (मुबाशरत के बाद) सोने का इरादा फ़रमाते तो अपनी शर्मगाह धो कर नमाज जैसा वुज़ू कर लेते थे फिर आप सो जाते।

(बुख़ारी शरीफ जिल्द–1 बाब--200 सफ़हा–194+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–87 हदीस–112 सफ़हा–129)

बीमारी में मुबाशरत

औरत अगर किसी दुख, परेशानी या बीमारी में मुबतला हो तो उसकी सेहत का ख़्याल किए बग़ैर हरगिज मुबाशरत न करे। वैसे इंसानीयत का तकाज़ा भी यही है कि दुखी या बीमार इंसान को तकलीफ़ न दी जाए बल्कि उसे आराम और सुकून फ़राहम करे।

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत उम्मेसलमा (रज़ि.) से मरवी है

कि फ़रमाती हैं:

"हुज़ूर (स.अ.व.) की किसी अहलिया की अगर आँखें दुख रही होतीं तो हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) उनसे मुबाशरत न फ़रमाते, जब तक वे तंदुरुस्त न हो जाएं।"

इस हदीस से मालूम हुआ कि औरत किसी बीमारी या तकलीफ़ में हो तो उसकी सेहत का ख़्याल किए बग़ैर मुजामअ़त करना मुनासिब नहीं।

तिब की बाज़ किताबों में नक़्ल है:

"बुख़ार की हालत में मुबाशरत न करे कि बदन में हरारत बस जाती है और फेफड़ों के ख़राब होने का कवी अंदेशा है।"

सोहबत महज़ मज़ा के लिए न हो

हज़रत मौला अली मुशकिल कुशा (रज़ि.) अपनी "वसाया" में और हज़रत इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) अपनी किताब "कीमियाए सआ़दत" में फ़रमाते हैं:

"जब कभी मुबाशरत करे तो नीयत सिर्फ़ मज़ा लेने या शहवत की आग बुझाने की न हो बल्कि नीयत ये रखे कि ज़िना से बच्चूँगा और औलाद सालेह व नेक सीरत पैदा होगी। अगर इस नीयत से मुबाशरत करेगा तो सवाब पाएगा।"

(वसाया शरीफ़+कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–255)

हज़रत उमर फ़ारूके आज़म (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"मैं निकाह सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि सालेह औलाद हासिल करूँ।"

(अहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–44)

ज़्यादा सोहबत नुक़सान देह

मसला: बीवी से ज़िन्दगी में एक मरतबा सोहबत करना क़ज़ा वाजिब है और ज़रूरी है कि औरत से सोहबत कभी कभी करता

रहे इसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं मगर इतना तो हो कि औरत की नज़र औरों की तरफ़ न उठे और इतना ज़्यादा भी जाइज़ नहीं कि औरत को नुक़सान पहुंचे। (क़ानूने शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–63)

हद से ज़्यादा मुबाशरत करने से मर्द और औरत दोनों के लिए नुक्सान है। बिलखुसूस ज़्यादा सोहबत से मर्द की सेहत पर ज़्यादा असर पड़ता है। सेहत की मकज़ोरी फिर तरह तरह की बीमारियों का बाइस बनती है। अक्सर शहवत परस्त औरतों के शौहर मुसलसल मुबाशरत की वजह से अपनी सेहत खो बैठते हैं और सेहत की कमज़ोरी की वजह से जब वह औरत की पहले की तरह ख़्वाहिश की तकमील नहीं कर पाते और औरत को जब आदत के मुताबिक़ तसल्ली नहीं हो पाती है तो वह फिर पड़ोस और बाहर वे चीज़ तलाश करने की कोशिश करती है और फिर एक नई बुराई का जन्म होता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुदरत की इस अनमोल चीज़ (सेहत व कुव्वत) का इस्तेमाल बेदर्दी से न किया जाए।

हकीमों ने लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता में दो मरतबा मुबाशरत की जाए। हकीम बुक़रात जो एक बहुत बड़ा हकीम था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से साढ़े चार सौ साल पहले गुज़रा है। उससे किसी ने पूछा: "मुबाशरत हफ़्ते में कितनी मरतबा करनी चाहिए?" उसने जवाब दिया: "सिर्फ़ एक मरतबा।" पूछने वाले ने फिर पूछा: "एक मरतबा क्यों?" इससे ज़्यादा क्यों नहीं?" बुक़रात ने झुंजला कर जवाब दिया: "तुम्हारी ज़िन्दगी है, तुम जानो मुझ से क्या पूछते हो?" गोया ये इशारा था कि ज़्यादा सोहबत करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे और फिर बीमार हो जाओगे और ज़िन्दगी खतरा मे पड सकती है।

ग़ालिबन हकीम राज़ी ने अपनी किताब में लिखा है:

> "ज़्यादा सोहबत मोटों को दुबला और दुबलों को मुर्दा, जवानों को बूढ़ा और बूढा को मौत की तरफ़ ढकेल देती है।"

हज़रत फ़क़ीह अबुललैस समर कंदी (रज़ि.) रिवायत करते हैं

कि हज़रत मौला अली कर्रमुल्लाहु वजहहुल करीम ने इरशाद फ़रमाया:

"जो शख़्स इस बात का ख़्वाहिशमंद हो कि उसकी सेहत अच्छी हो और ज़्यादा दिनों तक क़ाइम रहे तो उसे चाहिए कि वे कम खाया करे और औरत से कम मुबाशरत किया करे।" (बूस्तान शरीफ़)

आज कल इस फ़ैशन और नंगाई के दौर में जज़्बात बहुत जल्द बेक़ाबू हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि अगर बीवी की ख़्वाहिश हो तो इन्कार भी न करे वरना ज़हन भटकने का अंदेशा है।

हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) अपनी मशहूरे ज़माना तसनीफ़ "इहयाउलउलूम" में फ़रमाते हैं:

"मर्द चार दिनों में एक बार औरत से जिमाअ़ कर सकता है नीज़ औरत की ज़रूरत पूरी करने और उसकी परहेज़गारी के एतेबार से इस हद से कम व बेश भी मुबाशरत कर सकता है क्योंकि औरत को पाक दामन रखना मर्द पर वाजिब है।"

(इहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–95)

कुछ लोग शादी के बाद शुरू शुरू में औरत पर अपनी मर्दानगी व कुव्वत का रोब डालने के लिए दवाओं का या किसी स्प्रे या फिर तेल वग़ैरा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे औरत और वे ख़ूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं लेकिन बाद में उसका उलटा असर होता है। मर्द औरत उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। फिर बाद में अगर मर्द वह स्प्रे या दवा इस्तेमाल न करे तो औरत को तसल्ली नहीं होती और वह अपनी ख़्वाहिश की तकमील के लिए मर्द को उसका इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। दवाओं के मुसलसल इस्तेमाल से मर्द की सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है और वे दवाओं का आदी बन कर जल्द ही तरह तरह बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मर्द अगर ये दवाएं इस्तेमाल न करे तो औरत को

पहले की तरह इतमिनान नहीं होता जिसकी वे आदी हो चुकी है। चुनाँचे ऐसी हालत में औरत के बदचलन होने का ख़तरा है। बाज़ हुकमा ने लिखा है:

"ऐसी हालत में औरत के दमाग़ी मरीज़ होने का भी ख़तरा है।"

लिहाज़ा कुव्वत मर्दाना को बढ़ाने और उसे बरक़रार रखने के लिए मसनूई दवाओं, स्प्रे, तेल वग़ैरा की बजाए ताक़तवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे। ग़िज़ा के ज़रीए बढ़ाई हुई ताक़त ख़त्म नहीं होती और न ही उससे किसी क़िस्म का कोई नुक़सान होता है। (ताक़त बख़्श ग़िज़ाओं का बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा)

मुबाशरत के औक़ात

शरीअते इस्लामी में मुबाशरत के लिए कोई ख़ास वक़्त नहीं बताया गया है। शरीअत में (अलावा नमाज़ के औक़ात के) दिन व रात के हर हिस्से में सोहबत करना जाइज़ है लेकिन बज़ुर्गों ने कुछ ऐसे औक़ात बताए हैं जिनमें सोहबत करना सेहत के लिए फ़ाएदामंद है।

हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) "इहयाउलउलूम" में उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से रावी हैं कि फ़रमाती हैं:

"रसूले करीम (स.अ.व.) रात के आख़िरी हिस्सा में (तक़रीबन 2 बजे से लेकर फ़ज्र की अज़ान से पहले) जब वित्र की नमाज़ पढ़ चुके होते तो अगर आपको अपनी किसी बीवी की हाजत होती तो उनसे मुबाशरत फ़रमाते।" (इहयाउलउलूम)

हदीसों में है कि सरकार (स.अ.व.) इशा की नमाज पढ़ते और सिर्फ़ इशा की वित्र नहीं पढ़ते। फिर आप कुछ घन्टे आराम फ़रमाते और फिर उठते और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते और कुछ नफ़्ल नमाज़ें अदा फ़रमाते और आख़िर में इशा के वित्र पढ़ते। उसके बाद अगर आप को अपनी किसी बीवी की हाजत होती तो

उनसे मुबाशरत फरमाते या अगर हाजत न होती तो आप आराम फरमाते। यहाँ तक कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) नमाज़े फ़ज्र के लिए अज़ान के वक्त आप को इत्तिला देते।

इस हदीस के तहत इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"रात के पहले हिस्सा (तक़रीबन रात 9 बजे से 12 बजे की हालत में सोना पड़ेगा।"

(इहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–96)

हज़रत इमाम फ़कीह अबुललैस (रज़ि.) अपनी किताब "बुस्तान शरीफ़" में नकल फ़रमाते हैं:

"मुबाशरत के लिए सब से बेहतर वक़्त रात का आख़िरी हिस्सा है (यानी तक़रीबन रात 2 बजे से 4 बजे के दरमियान) क्योंकि रात के पहले हिस्सा में पेट गिज़ा से भरा होता है और भरे पेट मुबाशरत करने से सेहत को नुक़सान है जबकि रात के आख़िरी हिस्से में सोहबत करने से फ़ाएदे हैं। (जैसे आदमी दिन भर का थका हुआ होता है और रात के पहले हिस्सा में उसकी नींद हो जाती है जिससे उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है, उसके अलावा दूसरा एक ये भी फ़ाएदा है कि) रात के आख़िरी हिस्सा तक खाना अच्छी तरह हज़्म हो जाता है।"

(बुस्तान शरीफ़)

अतिब्बा की तहकीक के मुताबिक पेट भरा होने की हालत में मुबाशरत नहीं करना चाहिए कि उससे औलाद कुन्द ज़हन पैदा होती है।

नाचीज राकिमुलहरूफ़ ने एक ग़ैर मुस्लिम डाक्टर की किताब में ये लिखा देखा:

"पेट भरा होने की हालत में अगर मुबाशरत की जाए तो इंज़ाल जल्द होता है। मेदा कमज़ोर,

हाज़मा की कुव्वत कमज़ोर हो जाती है और जिगर पर वर्म और शूगर वग़ैरा के अमराज़ हो जाते हैं।''

ये तमाम बातें हिकमत के मुताबिक़ हैं। शरअ़ में मुबाशरत के लिए कोई ख़ास वक़्त मुतअय्यन नहीं कि उसी मुतअय्यन वक़्त पर की जाए और दीगर औक़ात में करना नाजाइज़ या गुनाह हो। शरीअ़त के मुताबिक़ हर वक़्त सोहबत की इजाज़त है। हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) का अज़वाजे मुतहहरात से दिन और रात के दीगर वक़्तों में मुबाशरत करना साबित है। हाँ! कुछ दिनों की फ़ज़ीलत अहादीस में वारिद है। जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम सय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) नक़्ल फ़रमाते हैं:

''बाज़ उलमा ने शबे जुमा और दिन जुमा को मुबाशरत करना मुस्तहब है।''

(इहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–94) वल्लाहु तआ़ला आलम व सुम्मा रसूलुल्लाह आलम)

इन रातों में मुबाशरत न करें।

हदीसः अमीरुलमोमिनीन हज़रत अली, हज़रत अबूहुरैरा और हज़रत अमीर मआ़विया (रज़ि.) से रिवायत है:

''(हर महीने की) चाँद रात और चाँद की पन्द्रहवीं शब और चाँद के महीने की आख़िरी शब, मुबाशरत करना मकरूह है कि इन रातों में जिमाअ़ के वक़्त शैतान मौजूद होते हैं।''

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–266)

तहक़ीक़ ये है इन रातों में मुबाशरत जाइज़ है लेकिन एहतियात इसी में है कि मुबाशरत करने से इन रातों में परहेज़ करे। (वल्लाह तआ़ला आलम)

अज़ान व नमाज़ के औक़ात में भी मुबाशरत नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्गाने दीन फ़रमाते हैं:

''अज़ान व नमाज़ के वक़्त मुबाशरत करने से औलाद नाफ़रमान, मज़हब से बेगाना पैदा होती है।''

(वल्लाह तआला आलम सुम्मा रसूलुल्लाह आलम)

रमज़ानुलमुबारक में मुबाशरत

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता हैं:

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ط

तर्जमा: रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–2 सूरह बक़रा रुकूअ–7 आयत–187)

रमज़ान के महीने में रात को सोहबत कर सकते हैं। नापाकी की हालत में अगर सहरी की तो जाइज़ है और रोज़ा भी हो जाता है लेकिन नापाक रहना सख़्त गुनाह है।

मसला: रोज़े की हालत में मर्द और औरत ने मुबाशरत की तो रोज़ा टूट गया। मर्द ने औरत का बोसा लिया या छुआ या गले लगाया और इंज़ाल हो गया तो रोज़ा टूट गया और औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो रोज़ा न टूटा अगरचे मर्द को इंज़ाल हो गया हो और औरत ने मर्द को छुवा और मर्द को इंज़ाल हो गया तो रोज़ा न गया।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–5 सफ़्हा–59)

मसला: किसी ने मर्द को या औरत को रोज़े की हालत में मजबूर किया कि जिमाअ़ करे और क़त्ल कर देने या उज़्व काट डालने की या किसी और तरह के जानी नुक़्सान पहुंचाने की धमकी दी और रोज़ादार को ये यक़ीन है कि अगर मैं उसका कहा न मानूँगी तो जो कहता है कर गुज़रेगा। लिहाज़ा उसने जमाअ़ किया तो रोज़ा टूट गया लेकिन कफ़्फ़ारा लाज़िम न हुआ, सिर्फ़ क़ज़ा रोज़ा रखना होगा।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–5 सफ़्हा–61)

मसला: औरत ने मर्द को जिमाअ़ करने पर मजबूर किया तो मर्द और औरत का रोज़ा टूट गया लेकिन औरत पर कफ़्फ़ारा वाजिब है मर्द पर नहीं बल्कि वह सिर्फ़ क़ज़ा रोज़ा रखेगा।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–5 सफ़्हा–62)

मसला: जान बूझ कर मर्द ने रोज़े की हालत में औरत से जिमाअ़ किया चाहे इंज़ाल हो या न हो (यानी मनी निकले या न निकले) रोज़ा टूट गया और कफ़्फ़ारा भी लाज़िम हो गया।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–5 सफ़्हा–61)

कफ़्फ़ारा: कफ़्फ़ारा ये है कि एक गुलाम आज़ाद करे (और मौजूदा दौर में ये हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया कि किसी भी मुल्क में मुमकिन नहीं) दूसरी सूरत ये है कि मुसलसल साठ रोज़े रखे। अगर ये भी न हो सके तो फिर साठ मिस्कीनों (ग़रीबों, मुहताजों) को पेट भर कर दोनों वक़्तों का खाना खिलाए और रोज़े रखने की सूरत में अगर बीच में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब फिर से साठ रोज़े रखने होंगे। पहले रखे हुए रोज़ों को गिना नहीं जाएगा। मसलन उनसठ रख चूका था और साठवाँ नहीं रख सका तो फिर से रोज़े रखे। पहले के उनसठ बेकार हो जाऐंगे लेकिन अगर औरत को रोज़े रखने के दौरान हैज़ शुरू हो जाए तो रोज़े रखना छोड़ दे। फिर हैज़ से पाक हो जाने के बाद बचे हुए रोज़े पूरे कर ले यानी हैज़ से पहले के रोज़े और हैज़ के बाद के रोज़े दोनों मिला कर साठ हो जाने से कफ़्फ़ारा अदा हो जाएगा। अगर कफ़्फ़ारा अदा न किया तो सख़्त गुनाहगार होगा और बरोज़े महशर सख़्त अज़ाब में होगा।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–5 सफ़्हा–62)

हैज़ (माहवारी) का बयान

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

ويسئلونک عن المحيض ط قل هو اذى..........الخ

तर्जमा: और (ऐ महबूब!) तुम से पूछते हैं हैज़ का हुक्म, तुम फ़रमाओ वह नापाकी है। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–2 सूरह बक़रा रुकूअ़–12 आयत–222)

बालिग़ा औरत के बदन में फ़ितरतन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ख़ून पेदा होता है कि हमल की हालत में वह ख़ून बच्चे की ग़ज़ा

में काम आए और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में वही ख़ून दूध हो जाए। यही वजह है कि हमल और इब्तिदाए शीरख़्वारगी में ख़ून नहीं आता। जिस ज़माने में हमल न हो और न दूध पिलाना अगर वह ख़ून बदन से न निकले तो क़िस्म क़िस्म की बीमारियाँ हो जाएँ।

बालिग़ा लड़की के आगे के मुक़ाम से जो ख़ून आदत के मुताबिक़ निकलता है उसे हैज़ (माहवारी M. C. Period) कहते हैं। लड़की को जिस उम्र से ये ख़ून आना शुरू हो जाए शरई रू से वे उस वक़्त बालिग़ समझी जाएगी।

मसला: हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन और तीन रातें है यानी पूरे बहत्तर घंटे। एक मिन्ट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन और रातें है।

मसला: ये ज़रूर नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त ख़ून जारी रहे बल्कि अगर कुछ कुछ वक़्त आए जब भी हैज़ है। (बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–42)

मसला: हैज़ में जो ख़ून आता है उसके छः रंग हैं: काला, लाल, हरा, पीला, गदला (कीचड़ के रंग जैसा) और मटीला (मिट्टी के रंग जैसा)। इन रंगों में से किसी भी रंग का ख़ून आए तो हैज़ है। सफ़ेद रंग की रतूबत (गीलापन Moisture) हैज़ नहीं। (बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–43+क़ानून शरीअत जिल्द–1 सफ़्हा–52)

मसला: हैज़ और निफ़ास (निफ़ास का बयान आगे तफ़सील से आएगा) की हालत में कुरआन करीम छूना, देख कर ज़बानी पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, दीनी किताबों को छूना, ये सब हराम है लेकिन दरूद शरीफ़, कलमा शरीफ़ वग़ैरा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2-सफ़्हा–46)

मसला: हालते हैज़ में औरत को नमाज़ मआफ़ है और इसकी क़ज़ा भी नहीं। यानी पाक होने के बाद छूटी हुई नमाज़ें पढ़ना भी नहीं है। रमज़ान शरीफ़ के रोज़े हालते हैज़ में न रखे लेकिन हैज़

से फ़राग़त के बाद जितने रोज़े छूटे थे वह सब क़ज़े रखने होंगे।

(फ़तावा मुस्तफ़ूया जिल्द–3 सफ़्हा–13+क़ानून शरीअत जिल्द–1 सफ़्हा–46)

हालते हैज़ में मुबाशरत हराम

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमता है:

فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله.

तर्जमा: तो औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों में और उनसे नज़दीकी न करो जब तक पाक न हो लें, फिर जब पाक हो जाऐं तो उनके पास जाओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–2 सूरह बक़रा रुकूअ़–12 आयत–222)

जब औरत हाएज़ा (हैज़ की हालत में) हो तो उससे जिमाअ़ करना सख़्त गुनाह कबीरा, नाजइज़ व सख़्त हराम, हराम, हराम है। इस बात का ख़्याल हमैशा रखे कि जब कभी सोहबत का इरादा हो तो पहले औरत दरयाफ़्त कर ले और औरत पर लाज़िम है कि अगर वह हाएज़ा हो तो मर्द को इस बात से आगाह कर दे और मुबाशरत से बाज़ रखे।

हज़र अल्लामा तहावी (रज़ि.) के फ़तवा में है:

"औरत पर वाजिब है कि अगर वह हाएज़ा हो तो अपनी हालत से शौहर को वाक़िफ़ कर दे ताकि शौहर मुबाशरत न करे वरना औरत सख़्त गुनाहगार होगी।"

अक्सर मर्द शादी की पहली रात बेसब्री का मुज़ाहिरा क़रते हैं और बावजूद इसके कि औरत हाएज़ा होती है जमाअ़ कर बैठते हैं। याद रखीए! अगर औरत हाएज़ा हो तो इससे किसी भी तरह मुबाशरत करना जाइज़ नही। चाहे शादी की पहली ही रात क्यों न हो। इसलिए मर्द की ज़िम्मादारी है कि वह शादी की पहली ही रात से अपनी बीवी को इन मसाइल से आगाह करे।

हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते है:

"इल्म दीन जो नमाज़, तहारत वग़ैरा में काम आता है औरत को सिखाए अगर न सिखाएगा तो औरत को बाहर जाकर आलिमे दीन से पूछना वाजिब और फ़र्ज़ है। अगर शौहर ने सिखा दिया है तो उसकी बेइजाज़त बाहर जाना और किसी से पूछना औरत को दुरुस्त नहीं। अगर दीन सिखाने में कुसूर करेगा तो ख़ुद गुनाहगार होगा कि हक़ तआला ने इरशाद फ़रमाया "قوا انفسكم واهليكم نارا" (ऐ ईमान वालो! अपनी जानों और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ)। (कीमियाए सआदत सफ़्हा–265)

हालते हैज़ में औरत से सोहबत करना हराम है जो कि नस से साबित है। अल्लाह अज़वजल और उसके रसूल (स.अ.व.) ने ऐसे शख़्स से बेज़ारी का इज़्हार फ़रमाया है जो हाएज़ा से वती करता है।

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او اتى امرأة قال
مسدد امرأته حائضا فقد برى ممانزل على
محمد صلى الله عليه وسلم.

तुर्जमाः जो काहिन (जादूगर) के पास गया या अपनी हाएज़ा औरत से सोहबत की वह उस चीज़ से लातअल्लुक़ हो गया जो मुहम्मद (स.अ.व.) पर नाज़िल हुई है (यानी उसने अल्लाह की किताब कुरआन करीम का इनकार किया)। (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–203 हदीस–507 सफ़्हा–182)

<u>हैज़ में मुबाशरत से नुक़सान</u>

हकीमों ने लिखा है कि औरत से हैज़ की हालत में मुबाशरत करने से मर्द और औरत को जज़ाम (कोढ़ Leprosy) की बीमारी हो जाती है और कुछ हुकमा का कहना है कि हैज़ की हालत में

सोहबत की और अगर हमल ठहर गया तो औलाद नाक़िस (अधूरी) या फिर जज़ामी पैदा होगी। (अहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–95)

हालते हैज़ में सोहबत करने से औरत को सख़्त नुक़्सान है क्योंकि औरत की फ़रज से लगातार गंदा ख़ून ख़ारिज होता रहता है जिसकी वजह से वह मुक़ाम इंतिहाई नर्म व नाज़ुक हो जाता है और अगर अब ऐसी हालत में जमाअ़ किया गया तो उस मुक़ाम में रगड़ की वजह से वहाँ ज़ख़्म बन जाता है और फिर मज़ीद ये कि ज़ख़्म में गर्मी की वजह से पीप भर जाता है और बाद में मुख़्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं।

इत्तिबा के मुताबिक़ हालते हैज़ में मुबाशरत करने से सोज़िशे रहम, सूज़ाक व आतिश्क वग़ैरा जैसे इमराज़ लाहक़ हो जाते हैं। इसलिए हालते हैज़ में जिन्सी इख़तिलात मुज़्र सेहत है।

मसलाः औरत हैज़ की हालत में है और मर्द को शहूत का ज़ोर है और डर ये है कि कहीं ज़िना में न फँस जाऊँ तो ऐसी हालत में औरत के पेट पर अपने आले को मस कर के इंज़ाल कर सकता है जो जाइज़ है लेकिन रान पर नाजाइज़ है कि हलाते हैज़ में नाफ़ के नीचे से घटे तक अपनी औरत के बदन से फ़ाएदा हासिल नहीं कर सकता। (अहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–95+ फ़तावा अफ़्रीक़ा सफ़्हा–171)

"याद रहे ये मसला ऐसे शख़्स के लिए है जिसे ज़िना हो जाने का ग़ालिब गुमान हो तो वह इस तरह से फ़राग़त हासिल कर सकता है सब्र करना और इन दिनों मुबाशरत से परहेज़ करना ही अफ़ज़ल है।"

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–42)

हैज़ में औरत अछूत क्यों?

कुछ लोग औरत को हालते हैज़ में ऐसा नापाक और अछूत समझ लेते हैं कि उसके हाथ का खाना, उसके हाथ का छूवा पानी वग़ैरा खाने, पीने से एतेराज़ करते हैं। यहाँ तक कि उसके साथ

बैठना भी छोड देते हैं। ये आम ख़्याल है कि जिस कमरा में हाएजा औरत हो तो वह कमरा नापाक है और अगर ऐसे मवाक़े पर किसी बुजुर्ग की फ़ातेहा आ जाए तो उस घर में फ़ातिहा नहीं होती या अगर फ़ातिहा दी भी जाए तो ये ख़्याल रखा जाता है कि ऐसी औरत का हाथ भी उन चीज़ों को नहीं लगना चाहिए जो फ़ातिहा के लिए रखी जानी हैं। ग़र्ज़ कि हाएज़ा औरत के मुतअ़ल्लिक कई तरह की जाहिलाना बातें आज क़ौमे मुस्लिम में देखी जा सकती है। ये सब लग्व व फ़िज़ूल व जिहालत हैं याद रखीए! हाएज़ा औरत फ़ातिहा का खाना पका सकती है उसमें कोई क़बाहत नहीं। हाँ फ़ातिहा नहीं दे सकती कि उसमें कुरआन करीम की सूरतें पढ़ी जाती हैं।

ऐसे लोग जो हालते हैज़ में औरत को अछूत समझते हैं उनके मुतअ़ल्लिक़ शहज़ादए आला हज़रत हुजूर मुफ्तीए आज़म हिन्द (रह.) अपने फ़तवा में इरशाद फ़रमाते हैं:

> "जो लोग ऐसा करते हैं वह नाजाइज व गुनाह का काम करते हैं और मुशरकीन, यहूद और मजूस की रस्म मरदूद की पीरों करते हैं। हालते हैज़ में सिर्फ़ सोहबत नाइजाइज़ है, बस इससे परहेज़ ज़रूरी है। मुशरकीन व यहूद और मजूस की तरह हैज़ वाली औरत को भंगन (मेहतरानी) से भी बदतर समझना बहुत नापाक ख़्याल, निराज़ुल्म, अज़ीम वबाल है। य उनकी मन घड़त है।"

(फ़तावा मुस्तफ़ूया जिल्द–3 सफ़्हा–13)

हदीसः हज़रत उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिदीक़ा (रज़ि.) इरशाद फ़रमाती हैं:

हुजूर अकरम (स.अ.व.) ने मुझ से फ़रमायाः "ऐ आएशा! हाथ बढ़ा कर मस्जिद से मुसल्ला उठा कर दो।" मैंने अर्ज़ कियाः "मैं हैज से हूँ।" फ़रमायाः "तुम्हारा हैज तुम्हारे हाथ में नहीं।" (सही मुस्लिम शरीफ जिल्द–1 किताबुलहैज़ बाब–3 सफ़्हा–143)

हदीसः हालते हैज़ में सोहबत करना बहुत बड़ा गुनाह, हराम व नाजाइज़ है लेकिन औरत का बोसा ले सकते हैं। ख़बरदार! बूस व किनार तक ही रहे, उससे आगे मुबाशरत तक न पहुंच जाए। इसी तरह एक ही पलेट में साथ खाने पीने यहाँ तक कि हाएज़ा औरत का जूठा खाने पीने में भी कोई हर्ज नहीं। ग़र्ज़ कि औरत से वैसा ही सुलूक रखे जैसा आम दिनों में रहता है।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–136)

हदीसः उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) इरशाद फ़रमाती हैं:

"ज़माना हैज़ में पानी पीती फिर हुज़ूर (स.अ.व.) को दे देती तो जिस जगह मेरे लब लगे होते हुज़ूर (स.अ.व.) वहीं दहन मुबारक रख कर पीते और हालते हैज़ में हड्डी से गोश्त मुंह से तोड़ कर खाती फिर हुज़ूर (स.अ.व.) को दे देती तो हुज़ुर (स.अ.व.) अपना दहन शरीफ़ उस जगह पर रखते जहाँ मेरा मुंह लगा था।" (सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 किताबुलहैज़ बाब–3 सफ़्हा–143)

मसलाः हालते हैज़ में औरत के साथ शौहर का सोना जाइज़ है और अगर साथ सोने में शहूत का ग़लबा और अपने आप को क़ाबू में न रखने का शुब्हा हो तो साथ न सोये और अगर खुद पर एतेमाद व पक्का यक़ीन हो तो साथ सोना गुनाह नहीं है।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–74)

हैज़ के बाद सोहबत कब जाइज़ है?

हमारे इमाम आज़म अबूहनीफ़ा (रज़ि.) के नज़दीक जब औरत को हैज़ का ख़ून दस दिनों के बाद आना बंद हो जाए तो गुस्ल से पहले भी मुबाशरत करना जाइज़ है लेकिन बेहतर ये है कि औरत गुस्ल कर ले उसके बाद ही मुबाशरत की जाए।

हदीसः हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह और हज़रत सुलेमान बिन यासिर (रज़ि.) से हैज़ वाली औरत के बारे में पूछा गया:

"क्या उसका शौहर उसे पाक देखे तो गुस्ल से पहले सोहबत कर सकता है या नहीं?" दोनो ने जवाब दिया: "न करे यहाँ तक कि वह गुस्ल कर ले।"

(मोत्ता इमाम मालिक जिल्द–1 बाब–26 हदीस–90 सफ़्हा–79)

समला: दस दिन से कम में ख़ून आना बंद हो गया हो जब तक औरत गुस्ल न करे सोहबत जाइज़ नहीं।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–47)

मसला: आदत के दिन पूरे होने से पहले ही हैज़ का ख़ून आना बंद हो गया तो अगरचे गुस्ल कर ले सोहबत जाइज़ नहीं। मसलन! किसी औरत को हैज़ की आदत चार दिन व चार रात थी और उस मरतबा आया तीन दिन और तीन रात तो चार दिन व चार रात जब तक पूरे न हो जाऐं सोहबत जाइज़ नहीं।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–47)

हैज़ से पाक होने का तरीक़ा

मसला: औरत को जब हैज़ बंद हो जाए तो उसे गुस्ल करना फ़र्ज़ है। (क़ानूने शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–38)

हैज़ से फ़राग़त के फ़ौरन बाद गुस्ल करना ज़रूरी है। बिला किसी उज़्र शरअ़ के गुस्ल में ताख़ीर करना सख़्त हराम है।

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से रिवायत है:

ان امراءة سالت النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم عن غسلھا من الحیض فامرھا کیف تغتسل قال خذی فرصة من مسک فتطھری بھا قالت کیف اتطھر بھا؟ قال تطھری بھا، قالت کیف؟ قال سبحان اللّٰہ تطھری فاجتذبتھا الی فقلت تتبعی بھا اثر الدم۔

तर्जमा: एक औरत ने रसूल (स.अ.व.) से हैज़ के गुस्ल के बारे में पूछा। आप ने उसे बताया: "यूँ गुस्ल करे" और फिर फ़रमाया:

"मुश्क में बसा हुआ रूई का फाया ले और उससे तहारत हासिल कर" वह औरत समझ न सकी और अर्ज़ किया: "किस तरह से तहारत करूँ?" फ़रमाया: "सुब्हानल्लाह! इससे तहारत करो" हज़रत आएशा सिद्दीक़ा फ़रमाती हैं: "मैंने उस औरत को अपनी तरफ़ खींच लिया और उसे बताया कि उसे ख़ून के मुक़ाम पर फिरे।" (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–215 हदीस–305 सफ़्हा–201)

नोट: उस ज़माने में मुश्क मिलना दुश्वार है इसलिए उसकी जगह गुलाब का पानी, अतर वग़ैरा में बसा हुआ फाया ले।

इसी हदीस के तेहत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में नक़्ल फ़रमाते हैं:

"ज़ने हाएज़ा को मुस्तहब है कि बाद फ़रागे हैज़ जब गुस्ल करे और पुराने कपड़े से फ़रजे दाख़िल के अन्दर से ख़ून का असर साफ़ कर ले।" (फ़तावा रिज़विया जिल्द–1 किताबुलतहारत बाबुलवज़ू सफ़्हा–54)

आगे मज़ीद "रद्दुलमुहतार, फ़तावा शामी और फ़तावा तातार ख़ानिया" वग़ैरा के हवाले से फ़रमाते हैं:

"गुस्ल में औरत को मुस्तहब है कि फ़रजे दाख़िल के अन्दर उंगली डाल कर धो ले, हाँ वाजिब नहीं, बग़ैर उसके भी गुस्ल उतर जाएगा।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–1 किताबुतहारत बाबुलवज़ू सफ़्हा–55)

इस हदीस से मालूम हुआ कि हैज़ जब बंद हो जाए तो औरत जब गुस्ल करने बैठे तो पहले रूई (कपास Cotton) को अतर वग़ैरा की ख़ुशबू में बसा ले फिर उसे ख़ून के मुक़ाम पर अच्छी तरह फेरे ताकि वहाँ की गंदगी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद गुस्ल कर ले (गुस्ल का तरीक़ा हम आगे तफ़सील से बयान करेंगे)।

दुबुर (पीछे के मुकाम) में सोहबत

कुछ कम अक्ल जाहिल, हालते हैज़ में औरत से उसकी दुबुर (पीछे के मुकाम) में मुबाशरत कर बैठते हैं और दीन व दुनिया दोनों अपने हाथों बरबाद कर डालते हैं। होश में आइए! ये कोई मामूली सा गुनाह नहीं है बल्कि शरीअत में सख़्त हराम, हराम, हराम, और गुनाहे कबीरा है और कुछ हदीसों में तो उसे कुफ़्र तक बताया गया है। (अल्लाह की पनाह)

हदीस: हज़रत अबी ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ايتان النساء نحو الحاش حرام

तर्जमा: पीछे के मुकाम औरत से वती करना हराम है। (मसनद इमाम आज़म बाब—129 सफ़्हा—223)

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

من اتی شيئا من النساء اولرجال فی ادبارهن فقد كفر

तर्जमा: जिसने औरत या मर्द से उसके पीछे के मुक़ाम में (जाइज़ समझते हुए) सोहबत की उसने यक़ीनन कुफ़्र किया। (निसाई शरीफ़+इब्न माजा+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द—3 बाब—203 हदीस—507 सफ़्हा—182)

हदीस: सिहाहे सित्ता (यानी अहादीस की छः मुसतनद किताबों, बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, निसाई, इब्न माजा) में है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फरमाया:

لاينظر الله يوم القيامة الی رجل اتی امراة فی دبرها

तर्जमा: अल्लाह तआला क़यामत के दिन ऐसे शख़्स की तरफ़ नज़र रहमत नहीं फ़रमाएगा जिसने अपनी औरत के पीछे के मुक़ाम में सोहबत की होगी।

(बुख़ारी शरीफ़+मुस्लिम शरीफ़+तिर्मिज़ी शरीफ़+निसाई शरीफ़+इब्न माजा शरीफ़)

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल

अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ملعون من اتی امراۃ فی دبرھا

तर्जमा: दुबुर में जमाअ करने वाला मलऊन है।

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–123 हदीस–395 सफ़हा–150)

हुज्जतुलइस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) नक़्ल फ़रमाते हैं:

"औरत की दुबुर में जमाअ दुरुस्त नहीं इसलिए कि उसका हराम होना ऐसा ही है जैसे हालते हैज़ में तमाअ हराम है। अलावा अज़ीं दुबुर में जमाअ से औरत को अज़ीयत पहुंचती है। चुनाँचे उसका हराम व नाजाइज़ होना बनिस्बत हैज़ की हुरमत से ज़्याद सख़्त तर है।"

(अहयाउलूम जिल्द -2 सफ़हा-95)

अगर हम ग़ौर करें तो मालूम होगा कि अक़्ल की रू से भी ये काम निहायत ही गंदा, मकरूह व नापसंदीदा है। हर मज़ाके सलीम और तबआ मुस्तक़ीम उससे खुद बखुद घिन खाती है और उसको एक करीहा बदमज़ा काम जानती है। अतिब्बाए किराम ने औरत से उसकी दुबुर में वती करने से होने वाले जिन नुक़्सानात पर तफ़सीली तब्सिरा किया है उनमें से सिर्फ़ चंद एक यहां बग़र्ज़े फ़ाएदा बयान किए जाते हैं, जिनसे मालूम होगा कि ये फ़ेल किस क़दर क़बीह है।

अव्वल तो ग़लाज़त व गंदगी के ख़ारिज होने का मुक़ाम है। वती की लज़्ज़त व लुत्फ अंदोज़ी को इस गंदगी व ग़लाज़त की जगह से क्या एलाक़ा? बल्कि ऐसे मौके पर तो इंसान लिताफ़त व पाकीज़गी का मुतलाशी होता है। दूसरा ये कि वती औरत का मर्द पर एक हक़ है और वह हक़ उस शक्ल में ज़ाए होता है। तीसरे ये कि कुदरत ने उस मुक़ाम को उस बुरे और बेहूदा फ़ेल के लिए नहीं बनाया है तो गोया उस फ़ेल का इरतिकाब कुदरत के बनाए

हुए उसूल से बग़ावत है। चौथ ये कि मर्द के लिए वती ये शक्ल निहायत ही मुज़िरे सेहत है क्योंकि औरत की फ़रज में जज़बियत (खींचने Absorbent) की तासीर होती है जो मादए मनूया को जल्द से पूरा जज़्ब कर लेती है। जबकि पाख़ाने के मुक़ाम में इख़राजा (फेंकने Throw) की कूवत है, जज़्ब की नहीं। लिहाज़ा मनी का कुछ हिस्सा मर्द की मनी के रास्ते में ही रह जाता है जो बाद में कई बीमारियों का बाइस बनता है। पाँचवाँ ये कि इस सूरत में रगों पर ख़िलाफ़े फ़ितरी जोर पड़ता है जो रगों के लिए मुज़िर है। इस तरह के दीगर सैंकड़ों मआएब हैं। लिहाज़ा उन्हें नक़ाएस के पेशे नज़र शरीअ़त ने सख़्त इम्तिनाई अहकाम से इस फ़ेल बद का इंसदाद किया है।

इस्तिहाज़ा का बयान

वह ख़ून जो औरत के आगे मुक़ाम से निकले और हैज़ व नफ़्फ़ास का न हो वह इस्तिहाज़ा है। इस्तिहाज़ा का ख़ून बीमारी की वजह से आता है।

मसला: हैज़ की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन और दस रातें है और कम से कम तीन दिन और तीन रातें है। अगर ख़ून दस दिन, दस रात से कुछ ज़्यादा आया या तीन दिन, तीन रात से कुछ भी कम आया तो वह ख़ून हैज़ का नहीं इस्तिहाज़ा है। अगर किसी औरत को पहली मरतबा हैज़ आया है तो दस दिन, दस रात से कम की थी तो आदत से जितना ज़्यादा आया वह इस्तिहाज़ा है। इसे यूँ समझीए कि किसी को पाँच दिन, पाँच रात की आदत थी (यानी उसे हमेशा हैज़ पाँच दिन 5 रात आता फिर बंद हो जाता था) लेकिन अगर बारह दिन आया तो पाँच दिन व रात (जो आदत के थे) हैज़ के हैं। बाक़ी सात दिन व सात रातें इस्तिहाज़ा के हैं और अगर हालते मुक़र्रर न थी बल्कि हैज़ कभी चार दिन, कभी पाँच दिन और कभी छः दिन वग़ैरा आता था तो पिछली मरतबा जितने दिन आया उतने दिन हैज़ के समझे जाएेंगे और बाकी इस्तिहाज़ा के।

(बहरे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा-2 सफ़हा–42+क़ानूने शरीअ़त जिल्द–1 सफ़हा–52)

मसला: इस्तिहाज़ा मे नमाज़ मआफ़ नहीं (बल्कि नमाज़ का छोड़ना गुनाह है) न ही रमज़ान शरीफ़ के रोज़े मआफ़ हैं और उस हालत में औरत से वती भी हराम नहीं।

मसला: अगर इस्तिहाज़ा का ख़ून इस क़दर आ रहा हो कि उतनी मुहलत नहीं मिलती कि वज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके तो एक वज़ू से उस एक वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े। ख़ून आने से भी उस पूरे वक़्त के अन्दर वज़ू न जाएगा। अगर कपड़ा वग़ैरा रख कर नमाज़ पढ़ने तक ख़ून रोक सकती है तो वज़ू कर के नमाज़ पढ़े। (क़ानूने शरीअ़त जिल्द–1 सफ़हा–54)

तहारत का बयान

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ط

तर्जमा: बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद करता है सुथरों को।

(तर्जमा कंजुलईमान पारा–2 सूरह बक़रा रुकूअ–12 आयत–222)

हदीस: अल्लाह के रसूल हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

الطهور شطر الايمان

तर्जमा: पाकीज़गी आधा ईमान है।

हदीस: और फ़रमाते हैं हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.):

بنى الدين على النظافة

तर्जमा: दीन की बुनियाद पाकीज़गी पर है।

(कीमियाए सआदत सफ़हा–132)

ग़ुस्ल कब फ़र्ज़ होता है?

ग़ुस्ल पाँच चीज़ों से फ़र्ज़ होता है यानी उन पाँच चीज़ो में से कोई एक भी सूरत पाई जाए तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ है। अब हम आप को

हर एक के बारे में क़दरे तफ़सील से बताते हैं।

(1) मनी निकलने से: मर्द ने औरत को छूवा या देखा या सिर्फ़ औरत के तसव्वुर से ही मज़े के साथ मनी अपने मक़ाम से निकली तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। चाहे सोते में हो या जागते में। इसी तरह औरत ने मर्द को छूवा या देखा या उसका ख़्याल लाई और लज़्ज़त के साथ मनी निकली तो औरत पर भी गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। इन तमाम बातों का हासिल ये है कि अगर मज़े क साथ मनी अपने मुक़ाम से निकले चाहे औरत से हो या मर्द से तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है।

(2) एहतलाम से: यानी सोते में मनी का निकलना जिसे "नाईट फ़ॉल" भी कहते हैं इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ये मर्द और औरत दोनों को होता है। चुनाँचे हदीसे पाक में है।

हदीस: हज़रत उम्मेसलमा (रज़ि.) ने रसूल करीम (स.अ.व.) से अर्ज़ किया:

> "या रसूल अल्लाह! अल्लाह तआला हक़ बात बयान करने में नहीं शर्माता। जब औरत को एहतलाम हो जाए यानी वह मर्द को ख़्वाब में देखे तो उसके लिए भी गुस्ल ज़रूरी है?" सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया: "हाँ! अगर वह तेरी (गीलापन) देखे तो गुस्ल करे।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–195 हदीस–275 सफ़्हा–193+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–89 हदीस–114 सफ़्हा–130)

मसला: रोज़े की हालत में था और एहतलाम हो गया तो रोज़ा न टूटा और न ही रोज़े में कोई ख़राबी आई लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। (बहारे शरीअत व क़ानूने शरीअत व कुतुब कसीरा)

(3) मुबाशरत करने से: मर्द ने औरत से जमाअ किया और अपने आले को औरत के आगे के मुक़ाम पर पीछे के मुक़ाम में हश्फ़ा तक दाख़िल किया, चाहे शहूत के साथ हो या बग़ैर शहूत

इंज़ाल हो या न हो (सिर्फ़ मर्द का अपने ज़कर को औरत की फ़रज में हश्फ़ा तक दाख़िल कर देने से ही) मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–201 हदीस–284 सफ़्हा–195)

(4) **हैज़ के बाद:** औरत को हैज़ का ख़ून आना जब बंद हो जाए तो उसके बाद उसे गुस्ल करना फ़र्ज़ है।

(5) **नफ़्फ़ास के बाद:** औरत को बच्चा जनने के बाद जो ख़ून फ़रज से आता है उसे नफ़्फ़ास कहते हैं। उस ख़ून को बंद हो जाने के बाद औरत को गुस्ल करना फ़र्ज़ है। (उसकी तफ़सील और नफ़्फ़ास का मुफ़स्सल बयान आगे आएगा)। (क़ानूने शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–38)

इन पाँच चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब उसके अलावा चंद और ज़रूरी मसाइल हैं जिनका हर मुसलमान को जानन और याद रखना ज़रूरी है।

(1) **मनी:** मनी वह है जो शहूत के साथ निकलती है।

(2) **मुज़ी:** मुज़ी वह है जो बग़ैर मज़ा के ऐसे ही अजूए तनासुल पर चपचपा सा माद्दा निकलता है। खोपरे के तेल की तरह का माद्दा कभी क़ब्ज़ से, कभी हाज़मा की ख़राबी से भी निकलता है।

(3) **वदी:** गाढ़े पेशाब को कहते हैं जो ग़ालिबन देखने में गाढ़े दूध की तरह का माद्दा होता है।

मनी निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। जब कि मुज़ी और वदी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता लेकिन वज़ू टूट जाता है।

मसला: अगर मनी इतनी पतली पड़ गई कि पेशाब के साथ या वैसे ही कुछ क़तरे बग़ैर शहूत (बग़ैर मज़े) के निकल जाऐं तो गुस्ल फ़र्ज़ न हुआ लेकिन वज़ू हो तो टूट गाय। (क़ानूने शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–38)

बीमारी से मनी निकलना: किसी ने बूझ उठाया या ऊँचाई से नीचे गिराया बीमारी की वजह से बग़ैर किसी मज़े के मनी

निकल गई तो गुस्ल फ़र्ज़ न हुआ अलबत्ता वज़ू टूट गया। (क़ानूने शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–38)

पेशाब के साथ मनी निकलना: अगर किसी ने पेशाब किया और मनी निकली तो देखा जाए कि उस वक़्त अज़ूए तनासुल में तनाव था या नहीं अगर तनाव था तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और गिर तनाव न था और बग़ैर किसी मज़े के पेशाब के साथ मनी निकल गई थी तो गुस्ल फ़र्ज़ न हुआ।

(फ़तावा आलमगीरी+बहारे शरीअत व कुतुब कसीरा)

किस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ?: मर्द और औरत एक बिस्तर पर सोये लेकिन मुबाशरत न की। सुब्ह बेदार होने के बाद बिस्तर पर मनी के धब्बे का निशान पाया। मर्द और औरत दोनों को याद नहीं कि दोनों में से किसे एहतलाम हुआ है? तो अब उस धब्बे के देखें। अगर वह धब्बा लम्बा, सफ़ैद रंग का और गंदा सा है तो मर्द पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ (यानी मर्द को एहतलाम हुआ है) और अगर वह धब्बा गोल, पतला और पीले रंग का है तो औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ। (वल्लाह तआला अलम)

मसला: मर्द व औरत एक बिस्तर पर सोये, बेदारी के बाद बिस्तर पर मनी का निशान पाया गया और उनमें से किसी को एहतलाम याद नहीं तो एहतलाम ये है कि दोनों गुस्ल करें। ये ही सही है।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़हा–21)

मुबाशरत के बाद मनी निकलना: किसी औरत ने अपने शौहर से मबाशरत की। मुबाशरत के बाद गुस्ल किया। फिर उसकी शर्मगाह से उसके शौहर की मनी निकली तो उस पर गुस्ल वाजिब न होगा लेकिन वज़ू जाता रहेगा। (बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़हा–22)

नापाक के लिए कौन सी बातें हराम हैं?

जिसको नहाने की ज़रूरत हो, उसको मस्जिद में जाना, काबा का तवाफ़ करना, कुरआन करीम को छूना, बे देखे या ज़बानी

पढ़ना या किसी आयत को लिखना या ऐसी अंगूठी पहनना या छूना जिस पर कुरआन की आयत या अदद या हुरूफ़ मुक़त्तआत (Arabic Alphabets) लिखे हुए हों, दीनी किताबें जैसे: हदीस, तफ़सीर और फ़िक़्ह वगैरा की किताब छूना, ये सब हराम है। अगर कुरआन करीम जुज़्दान में हो या रूमाल व कपड़े में लपेटा हो तो उस पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं। अगर कुरआन की कोई आयत कुरआन की नीयत से न हो सिर्फ़ तबर्रुक के लिए बिस्मिल्लाह, अलहमदोलिल्लाह या सूरह फ़ातेहा या आयतलकुर्सी या ऐसी ही कोई आयत पढ़ी तो कुछ हर्ज नहीं। इसी तरह दरूद शरीफ़ और कलमा शरीफ़ भी पढ़ सकते हैं।

(कानून शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–38)

नापाक का जूठा: नापाक मर्द व औरत का और हैज़ व नफ़्फ़ास वाली औरत का जूठा पाक है। उसी तरह उनका पसीना या थूक किसी कपड़े या जिस्म में लग जाए तो नापाक नहीं होगा। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–1 सफ़हा–193 + कानूने शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–46)

नापाक का नमाज़ पढ़ना: रात में सोहबत की हो तो नमाज़ फ़ज्र से पहले और अगर दिन में सोहबत की हो तो अगली नमाज़ से पहले गुस्ल कर लें ताकि नमाज़ क़ज़ा न हो जाए और ज़्यादा वक़्त तक नापाकी की हालत में न रहना पड़े कि नापाक शख़्स से रहमत के फ़रिश्ते दूर रहते हैं। गुस्ल की हाजत है और वक़्त तंग है कि अगर गुस्ल करता है तो फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जाएगा और नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी तो ऐसी हालत में तयम्मुम कर के घर पर ही नमाज़ पढ़ ले। फिर उसके बाद गुस्ल कर के उसी नमाज़ को दोबारा पढ़े। (इस सूरत में अदा नमाज पढ़ने का ही सवाब मिलेगा)।

(अहकाम शरीअत जिल्द–2 सफ़हा–172)

जिस घर में नापाक हो: अक्सर मर्द और औरतें शर्म व हया से गुस्ल नहीं करते और नापाकी की हालत में कई कई दिन

गुज़ार देते हैं। ये बहुत ही बड़ी नहूसत की बात और जाहिलाना तरीका है। हदीस पाक में है जिस घर में नापाक मर्द या औरत हो उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। इस घर में नहूसत व बेबरकती आ जाती है। कारोबार व रिज़्क़ से बरकत दूर हो जाती है और मुफ्लिसी, गुरबत, तंग दस्ती का बेसरा हो जाता है।

गुस्ल से पहले बाल काटना: गुस्ल करने से पहले नापाकी की हालत में ज़ेरे नाफ़, बग़ल के बाल, सर के बाद, नाक के बाल और नाखुन वग़ैरा न काटें कि ये मकरूह है और उससे सख़्त बुरी लाइलाज़ बीमारियों के हो जाने का भी ख़तरा है।

(कीमियाए सआदत सफ़्हा–267+बहारे शरीअत जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़्हा–123)

"अहयाउलउलूम" में है:

"नापाक हालत में ज़ेरे नाफ़ के बाल, नाखुन, सर के बाल वग़ैरा काटना मना है क्योंकि आख़रत में तमाम अजज़ा उसके पास वापस आऐंगे तो नापाक अजज़ा का मिलना अच्छा नहीं। ये भी मज़कूर है कि हर बाल इंसान से अपनी नापाकी का मुतालिबा करेगा।"

(अहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–96)

एक ज़रूरी मसला: आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में नक़्ल फ़रमाते हैं:

"बुध के दिन नाखुन कतरवाने से हदीस में मना किया गया है। हुज़ूर (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं: "बुध के दिन नाखुन न कतरा करो कि उससे कोढ़ होने का ख़तरा है।"

(कोढ़ एक ख़तरनाक बीमारी है जिसमें जिस्म पर सफ़ेद दाग़ पढ़ जाते हैं)।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ अव्वल सफ़्हा–37)

नजासतों के पाक करने का तरीक़ा

गुस्ल से पहले कपड़ों को पाक करना ज़रूरी है।

कपड़ों को पाक करना: वह कपड़ा जिस पर नजास्त (गंदगी) लगी हो उस पर पहले साफ़ पानी बहा कर ख़ूब अच्छी तरह मिलें। फिर कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ लें। फिर दूसरा साफ़ पानी लें और कपड़े पर बहाऐं, फिर साबुन या सर्फ़ से अच्छी तरह धोऐं फिर उस कपड़े को निचोड़ लें। अब तीसरी मरतबा साफ़ नया पानी लेकर कपड़े पर बहाऐं और फिर निचोड़ा लें। अब आप का कपड़ा शरई रू से पाक हो गया। यानी तीन मरतबा नया पानी लेना और तीन मरतबा अच्छी तरे कपड़े पर बहाना और फिर अच्छी तरे निचोड़ लेना ज़रूरी है।

मसला: नजास्त अगर पतली है तो कपड़ा तीना मरतबा धोने और तीन बार अच्छी तरे निचोड़ने से पाक होगा। कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ने का मतलब ये है कि हर बार अपनी पूरी कूवत से इस तरह निचोड़े कि पानी के क़तरे टपकना बंद हो जाऐं। अगर कपड़े का ख़्याल कर के अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो कपड़ा शरीअ़त के मुताबिक़ पाक नहीं समझा जाएगा।

मसला: कपड़े को तीन मरतबा धो कर हर बार ख़ूब निचोड़ लिया है कि अब निचोड़ने से पानी के क़तरे टपकेंगे नहीं फिर उसको लटका दिया और उससे पानी टपका तो ये पानी पाक है और अगर ख़ूब अच्छी तरह नहीं निचोड़ा था तो ये पानी नापाक है और कपड़ा भी नापाक है।

मसला: अगर एक शख़्स ने नापाक कपड़े धो कर अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर एक दूसरा शख़्स ऐसा है जो उस पहले शख़्स से ज़्यादा ताक़तवर है अगर वह कपड़ा निचोड़े. तो एक दो बूँदें और टपक सकती थीं तो वह कपड़ा पहले वाले शख़्स के लिए पाक है और उस दूसरे ताक़तवर शख़्स के लिए नापाक है क्योंकि दूसरा शख़्स के लिए पाक है और उस दूसरे ताक़तवर शख़्स के लिए नापाक है क्योंकि दूसरा शख़्स पहले शख़्स से ताक़त में ज़्यादा है। अगर ये ख़ुद धोता और निचोड़ता तो वह कपड़ा उसके लिए और पहले शख़्स के लिए भी पाक होता।

इस मसला से मालूम हुआ कि मर्द को अपने नापाक कपड़े खुद ही धोने चाहिऐं। बीवी से न धुलवाए क्योंकि आम तौर पर औरत की ताकत मर्द की ताकत से कम होती है। अगर मर्द खुद निचोड़े तो एक दो बूँदें कपड़े से और निकाल सकता है। इसलिए मर्द के हक़ में कपड़े नापाक ही होंगे लेकिन किसी की बीवी उससे ज्यादा ताकतवर हो और उसने अच्छी तरह निचोड़ा है तो मर्द के लिए कपड़े पाक हैं। ऐसे मर्द जिनकी बीवी उनसे ज़्यादा ताक़तवर है, उसके हाथों धुले कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं।

मसला: कपड़े को पहली मरतबा धोने, निचोड़ने के बाद हाथ दूसरे नए पानी से अच्छी तरह धोए। फिर दूसरी मरतबा कपड़ा धोने और निचोड़ने के बाद हाथ दूसरे पानी से फिर अच्छी तरे धोए। तीसरी मरतबा कपड़ा धोने और निचोड़ने से कपड़ा और हाथ दोनों पाक हो गए।

मसला: ऐसी चीज़ें जिन्हें निचोड़ा उन्हें जा सकता जैसे रूई का गद्दा, दीर, चटाई, कार्पेट, शतरंजी वग़ैरा तो उन्हें पाक करने का तरीक़ा ये है कि उन पर पहले इतना पानी बहाए कि वह पूरी तरह भीग जाए और पानी बहने लगे। उसके बाद हाथ से अच्छी तरह मले और उसे उस वक़्त तक छोड़ दे जब तक कि पानी गद्दे, चटाई वग़ैरा से टपकाना बंद न हो जाए। फिर दूसरी मरतबा पानी बहाए, फिर छोड़ दे। जब पानी की बूँदें टपकना बंद हो जायें तो अब तीसरी मरतबा उस पर पानी बहाये और सूखने के लिए छोड़ दे। अब वह गद्दा चटाई पाक हो गई। तीन मरतबा नया पानी उस चीज़ पर बहाना और हर मरतबा पानी टपकने तक इंतिज़ार करना ज़रूरी है।

(अहकामे शरीअत जिल्द–3 सफ़हा–252+क़ानूने शरीअत ज़िल्द–1 सफ़हा–56 ता 57)

गुस्ल का बयान

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फरमाता है:

وان كنتم جنبا فاطهروا ط

तर्जमाः और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो ख़ूब सुथरे हो लो। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–6 सूरह माएदा रुकूअ़–6 आयत–6)

हदीसः उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"जब मर्द मुबाशरत के बाद गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुज़रता है उसके हर बाल के बदले उसकी एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह कम कर दिया जाता है और एक दर्जा ऊँचा कर दिया जाता है और अल्लाह तआ़ला उस बंदे पर फ़ख़्र फ़रमाता है और फ़रिश्तों से फ़रमाता हैः "मेरे उस बंदे की तरफ़ देखो कि उस सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है, इसे मेरे परवरदिगार होने का यक़ीन है। तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उसे बख़्श दिया।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब 5 सफ़हा–113)

गुस्ल में तीन फ़र्ज़ है। उनमें से अगर कोई एक भी फ़र्ज़ छूट गया तो चाहे समंद्र में भी नहा लें तो भी गुस्ल न होगा और इस्लामी शरीअ़त के मुताबिक़ नापाक ही रहेगा। गुस्ल के तीन फ़र्ज़ ये हैंः

(1) ग़रारा करनाः मुंह भर कर ग़रारा करना, इस तरह कि हलक़ का आख़िरी हिस्सा, दाँतों की खिड़कियाँ, मसूढ़े वग़ैरा सब से पानी बह जाए। दाँतों में अगर कोई चीज़ अटकी हुई हो तो उसे निकालना ज़रूरी है। अगर वहाँ पानी न लगा तो गुस्ल न होगा। अगर रोज़ा हो तो ग़रारा न करे सिर्फ़ कुल्ली करे कि ग़लती से पानी हलक़ के नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा।

समलाः कोई शख़्स पान, कत्था वग़ैरा खाता है और चूना व कत्था दाँतों की जड़ों में ऐसा जम गया कि उसका छुड़ाना बहुत ज़्यादा नुक़सान का सबब है तो मआफ़ है और अगर बग़ैर किसी नुक़सान के छुड़ा सकता है तो छुड़ाना वाजिब है बग़ैर उसके

छुड़ाए गुस्ल न होगा।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–2 किताबुलतहारत बाबुलगुस्ल सफ़्हा–18)

(2) नाक में पानी डालना: नाक के आख़िरी हिस्सा तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। नाक की गंदगी को उंगली से अच्छी तरह से निकाले, पानी नाक की हड्डी तक लगना चाहिए और नाक में पानी महसूस होने लगे।

(3) तमाम बदन पर पानी बहाना: तमाम बदन पर पानी बहाना कि बाल बराबर भी बदन का कोई हिस्सा सूखा न रहे, बग़ल, नाफ़ कान के सूराख़ वग़ैरा तक पानी बहना ज़रूरी है। (बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–18+क़ानून शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–37)

गुस्ल करने का तरीक़ा

गुस्ल में नीयत करना सुन्नत है, अगर न भी की तब भी गुस्ल हो जाएगा। गुस्ल की नीयत ये है: "मैं पाक होने और नमाज़ के जाइज़ होने के वास्ते गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ।"

नीयत के बाद पहले दोनों हाथ गट्टों (कलाई) समीत तीन मरतबा अच्छी तरह धोए। फिर शर्मगाह और उसके एतराफ़ के हिस्सों को धोए चाहे वहाँ गंदगी लगी हो या न लगी हो। फिर बदन पर जहाँ जहाँ गंदगी हो उन जगहों को धोए। उसके बाद ग़रारा करे कि पानी हलक़ के आख़िरी हिस्सा, दाँतों की खेंडों, मसूढ़ों वग़ैरा में बह जाए। कोई चीज़ दाँतों में अटकी हो तो लकड़ी वग़ैरा से उसे निकाल ले। फिर नाक में पानी डाले इस तरह कि नाक के आख़िरी हिस्सा (हड्डी) तक पहुंच जाए और वह नाक में हलका तेज़ मालूम हो। फिर चेहरे को धोए इस तरह कि पेशानी से लेकर ठोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान की लौ तक। फिर तीन मरतबा कोहनियों समीत हाथों पर पानी बहाए फिर सर का मसह करे जिस तरह वज़ू में करते हैं। उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी मले। फिर तीन मरतबा सर पर पानी डाले,

फिर तीन मरतबा सीधे मोंडे पर और तीन मरतबा दाएँ मोंडे पर लोटे या मग्गा वग़ैरा से पानी डाले और जिस्म को मलता भी जाए इस तरह कि बदन का कोई हिस्सा सूखा न रहे। सर के बालों की जड़ों तक पानी ज़रूर पहुंचे। अब इस्लामी शरीअ़त के मुताबिक़ आप पाक हो गए। आप का गुस्ल सही हो गया। उसके बाद साबुन वग़ैरा जो भी जाइज़ चीज़ लगाना हो वह लगा सकते हैं। आख़िर में पैर धो कर अलग हो जायें।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–2 सफ़हा–18+बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़हा–18)

मसला: नहाने के पानी में बेवज़ू शख़्स का हाथ, उंगली, नाख़ुन या बदन का कोई और हिस्सा पानी में बे धोए चला गया तो वह पानी गुस्ल और वज़ू के लाइक़ न रहा। इसी तरह जिस शख़्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेधोए पानी से छू गया तो वह पानी गुस्ल के लाइक़ नहीं। इसलिए टाके वग़ैरा का पानी जिसमें घर के कई लोगों के हाथ बग़ैर धुले हुए पड़ते हैं, उस पानी से गुस्ल और वज़ू नहीं हो सकता। गुस्ल के लिए पहले से ही एहतियात से किसी बालटी या ड्राम में अलग ही नल से पानी भर लें। अगर ऐसा टाका है कि जिसमें किसी का हाथ नहीं जाता और उसमें नल वग़ैरा लगा है जैसे उमूमन मसाजिद में होते हैं या आज कल बिलडिंगों में छत के ऊपर पलास्टिक के बड़े बड़े टैंक लगाए जाते हैं तो ऐसे टाके व टैंक के पानी से गुस्ल करना सही है। अगर गुस्ल के पानी में धूला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में चला गया या छू गया तो कोई हर्ज नहीं।

इसी तरह गुस्ल करते वक़्त भी ये एहतियात रखें कि नापाक बदन से पानी के छींटे उसमें मौजूद पानी जिससे गुस्ल कर रहा है उसमें जाने न पाएं।

(फ़तावा शरीअ़त जिल्द–1 सफ़हा–39)

मसला: ऐसा हौज़ या तालाब जो कम से कम दस हाथ

लम्बा, दस हाथ चौड़ा (यानी) कम अज़ कम 10×10 का) हो तो उसके पानी में अगर हाथ या नजासत चली गई तो वह पानी नापाक नहीं होगा। जब तक कि उसका रंग या मज़ा या उसकी बू न बदल जाए। उससे गुस्ल और वजू जाइज़ है। हाँ अगर नजासत इतनी चली गई कि रंग या मज़ा या बू बदल गई तो उस पानी से वजू व गुस्ल न होगा। (कानूने शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–39)

मसला: गुस्ल करते वक़्त किब्ला की तरफ़ रुख़ कर के नहाना मना है। गुस्ल ख़ाने में जिसकी छत हो और बंद दरवाज़े हों या ऐसी जगह जहाँ किसी के अचानक देखने का गुमान न हो तो वहाँ बरहना नहाने में कोई हर्ज नहीं। औरतों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ तक कि बैठ कर नहाना बहेतर है। ऐसी जगह नहाए जहाँ किसी के देखने का अंदेशा न हो। नहाते वक़्त बात चीत करना, कुछ पढ़ना, चाहे को दुआ क्यों न हो, कलमा शरीफ़, दरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ना सख़्त मना है।

मसला: कुछ लोग नहाते वक़्त फ़िल्मी गीत गाते हैं और कुछ मआज़अल्लाह बेख़्याली में नात वग़ैरा गुनगुनाने लगते हैं। याद रखीए! अव्वल तो गाना ही गाना जाइज़ नहीं। फिर नहाते वक़्त चाहे गुस्ल ख़ाने में नहा रहा हो या और किसी जगह गाना सख़्त नाजाइज़ है। इसी तरह गुस्ल करते वक़्त नात शरीफ़ वग़ैरा पढ़ना भी सख़्त नाजाइज व गुनाह है।

मसला: कुछ लोग चड्डी पहन कर सड़कों के किनारे सरकारी नल पर नहाते हैं, ये जाइज़ नहीं बल्कि सख़्त नाजाइज़ व हराम व गुनाह है क्योंकि मर्द को मर्द से भी घुटने से नाफ़ तक का हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है।

(कानूने शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–37)

मसला: कुछ लोग नापाक चड्डी या कपड़ा पहने हुए ही गुस्ल करते हैं और ये समझते हैं कि नहाने से सब कुछ पाक हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। इससे तो गंदगी फैल कर पूरे बदन को नापाक कर देती है। और वैसे भी इस तरीके से चड्डी पाक नहीं समझी जाएगी

क्योंकि नापाक कपड़े को तीन बार धोना और हर बार अच्छी तरह निचोड़ना ज़रूरी है (जिसका बयान पहेल गुजर चुका है) इसलिए पहले नापाक चड्डी या कपड़े को उत्तार लें। पाक चड्डी या कपड़ा ही बाँध कर गुस्ल करे।

नाखुन पालिश होने पर गुस्ल न होगा

अक्सर औरतें अपने हाथ पाँव के नाखुनों पर और कुछ मर्द भी अपने हाथों के नाखुनों पर पालिश लगाते हैं। नाखुन पालिश में स्प्रीट (शराब Alcohal) होता है जो कि शरीअत में हराम है। मर्दों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हराम व गुनाह है कि ये औरतों से मुशाबिहत पैदा करता है। नाखुनों पर पालिश होने की वजह से गुस्ल और वजू करते वक़्त पानी नाखुनों पर नहीं लगता। बल्कि पालिश पर लग कर फिसल जाता है और सिरे से ही गुस्ल नहीं होता। जब गुस्ल ही न हुआ तो नापाक ही रहा और नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी और जान बूझ कर नापाक रहना सख्त गुनाह है। अल्लाह न करे अगर इस हालत में मौत आ गई तो इसका वबाल अलग और नापाकी में अक्सर शरीर जिन्नात का असर होता है। इसलिए औरतों को चाहिए कि नाखुन पालिश न लगाएें।

मियाँ बीवी के हुक़ूक़

आयतः अल्लाह रब्बुलइज्ज़त इरशाद फरमाता है:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن ط

तर्जमाः वह तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास।

(तर्जमा कंजुलईमान पारा–2 सूरह बकरा रुकूअ–7 आयत–187)

इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुलइज्जत ने किया ही खूब बेहतरीन मिसाल के ज़रीए मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हुकूक़ के मुतअल्लिक़ अपने बंदों को समझाया है।

लिबास जिस्म के उयूब को छुपाता है, इसी तरह बीवी अपने शौहर के उयूब को और शौहर अपनी बीवी के उयूब को छुपाने

वाले बनें। एक मुहज़्ज़ब इंसान बग़ैर लिबास के नहीं रह सकता। इसी तरह तमद्दुन याफ़्ता मर्द या औरत बग़ैर निकाह के नहीं रह सकते। लिबास के मैले होने पर धोया जाता है इसी तरह शौहर और बीवी ग़म व परेशानी के मौक़े पर एक दूसरे का मुकम्मल सहारा बनें और ग़मों को धो डालें। लिबास में अगर कोई मामूली सा दाग़ लग भी जाए तो लिबास फेका नहीं जाता बल्कि उसे धो कर साफ़ कर लिया जाता है। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे की छोटी मोटी ग़लतियों को माफ़ करें और ग़लतियों के दाग़ को माफ़ी के पानी से धो कर साफ़ कर लें।

शौहर के हुक़ूक़

बीवी का फ़र्ज़ है कि अपने शौहर की इज़्ज़त का ख़्याल रखे और उसके अदब व एहतराम से किसी क़िस्म की कोताही न बरते और ज़बान से ऐसी कोई बात न निकाले जो शौहर की शान के ख़िलाफ़ हो।

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा और हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

لو كنت امر احدان يسجد لا حد لا مرت المراة تسجد لزو جها

तर्जमा: अगर मैं किसी को किसी के लिए सज्दा का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सज्दा करें। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–788 हदीस–1158 सफ़्हा–594)

इस हदीस शरीफ़ से दो बातें मालूम हुई। एक तो य कि ख़ुदा के सिवा किसी के लिए सज्दा करना जाइज़ नहीं और दूसरी बात ये मालूम हुई कि शौहर का दर्जा इतना बुलंद है कि मख़लूक़ में अगर किसी के लिए सज्दा करना जाइज़ होता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि वह अपने शौहर को सज्दा करे।

हदीस: एक शख़्स ने हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) से दरयाफ़्त किया:

"बेहतरीन औरत की पहचान किया है?" हुज़ूर (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "التی تطیعه اذا امر" यानी जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त व फ़रमाँबरदारी करे।"

(निसाई शरीफ़ जिल्द-2 सफ़्हा-364)

औरत का फ़र्ज़ है कि अपने शौहर की ख़िदमत से किसी क़िस्म की कोताही न बरते बल्कि ज़िन्दगी के हर मोड़ पर निहायत ही ख़ंदा पेशानी से शौहर की ख़िदमत कर के अपनी वफ़ादारी का अमली सुबूत दे। यहाँ तक कि अगर शौहर अपनी औरत को किसी ऐसे काम का हुक्म दे जो उसको बेकार व फ़िज़ूल महसूस हो तब भी औरत का फ़र्ज़ है कि शौहर के हुक्म की तामील करे।

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत मैमना (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"मेरे उम्मत में सब से बेहतर वह औरतें हैं जो अपने शौहर के साथ अच्छा सुलूक करती हैं। ऐसी औरत को ऐसे एक हज़ार शहीदों का सवाब मिलता है जो ख़ुदा की राह में सब्र के साथ शहीद हुए। उन औरतों में से हर औरत जन्नत की हूरों पर ऐसी फ़ज़ीलत रखती है जैसे मुझे "यानी हुज़ूर (स.अ.व.)" को तुम पर फ़ज़ीलत हासिल है।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–113)

हदीस: हज़रत काब (रज़ि.) फ़रमाते है.

"क़यामत के रोज़ औरत से पहले नमाज़ के मुतअल्लिक़ पूछा जाएगा और फिर उसके बाद ख़ाविंद के हुक़ूक़ के मुतअल्लिक़ सवाल होगा।"

(तंबीहुलग़ाफ़लीन सफ़्हा–541)

हज़रत सैयदना इमाम हसन (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"कोई औरत अपने ख़ाविंद के घर से भाग निकले

तो उसकी नमाज़ कुबूल नहीं होती और औरत जब नामज पढ़े मगर अपने खाविंद के लिए दुआ न करे तो उसकी दुआ मरदूद होती है।"

(तंबीहुलगाफ़लीन सफ़्हा—541)

हदीस: हज़रत अबूसईद (रज़ि.) से रिवायत है कि हुजूर रहमते आलम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

كفران العشير كفر دون كفر فيه

तर्जमा: शौहर की नाशुक्री करना एक तरह का कुफ़्र है और एक कुफ़्र दूसरे से कम होता है। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द—1 बाब—21 हदीस—28 सफ़्हा—109)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"मुझे दोज़ख़ दिखाई गई, मैंने वहाँ औरतों को ज़्यादा पाया। [illegible] है कि वह कुफ़्र करती हैं।" सहाबा कराम ने अर्ज़ किया: "क्या वह अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं?" इरशाद फ़रमाया: "नहीं! वह शौहर की नाशुक्री करती हैं (जो कि एक तरह का कुफ़्र है) और एहसान नहीं मानतीं। अगर तू किसी औरत से उमर भर एहसान और नेकी का सुलूक करे लेकिन एक बात भी ख़िलाफ़े तबीअत हो जाए तो झट कह देगी मैंने तुझ से आराम और सुकून नहीं पाया।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द—1 बाब—21 हदीस—28 सफ़्हा—109)

हदीस: हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हुजूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"क्या तुम को नहीं मालूम कि औरत के लिए शिर्क के बाद सब से बड़ा गुनाह शौहर की नाफ़रमानी है।" (गुनयतुत्तालिबीन बाब—5 सफ़्हा—114)

लिहाज़ा औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की नाफ़रमानी

और नाशुक्री न करें वरना फिर जहन्नम के अज़ाब के लिए तैयार रहें। औरत अगर ये चाहती है कि शौहर को अपना गरवीदा बनाए रखे तो उसकी ख़िदमत में कोताही न करे। उसकी पुरख़ुलूस ख़िदमतों को देख कर शौहर ख़ुद ही उसका गरविदा हो जाएगा।

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल मक़बूल (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"शौहर अपनी बीवी को जिस वक़्त बिस्तर पर बुलाए और वह आने से इनकार कर दे तो उस औरत पर ख़ुदा के फ़रिश्ते सुब्ह तक लानत करते रहते हैं।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–115 हदीस–178 सफ़्हा–96 +मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–464)

हदीसः एक रिवायत में है:

"जब शौहर अपनी हाजत के लिए बीवी को बुलाए तो बीवी अगर रोटी पका रही हो तो उसको लाज़िम है कि सब काम छोड़ कर शौहर के पास हाज़िर हो जाए।"

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–788 हदीस–1159 सफ़्हा–595)

हदीसः उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से मरवी है:

"हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) की ख़िदमत में एक जवान औरत हाज़िर हुई और अर्ज़ किया: "या रसूल अल्लाह! मैं जवान औरत हूँ, मुझे निकाह के लिए पैग़ाम आते हैं मगर मैं शादी को बुरा समझती हूँ, आप मुझे बताइए बीवी पर शौहर के क्या हुकूक़ हैं?" नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "अगर शौहर की चोटी से ऐड़ी तक पीप हो और वह उसे ज़बान से चाटे तो भी शौहर का हक़ अदा नहीं कर जाएगी।" उस औरत ने पूछा: "हुज़ूर! मैं

शादी न करूँ?" आप ने फ़रमाया: "तुम शादी करो क्योंकि इसमें भलाई है।"

(तंबीहुलग़ाफ़िलीन सफ़हा-542 + मकाशफ़तुलक़ुलूब बाब-95 सफ़हा-617)

अफ़सोस आज कल की ज़्यादा तर औरतें अपने शौहरों को बुरा भला कहती हैं और गालियाँ देती हैं। कुछ बेबाक, बेशर्म औरतें अपने शौहरों को मारने से भी नहीं चूकतीं और कुछ अैयाश, बदचलन औरतें अपने बीमार शौहर को घर पर छोड़ कर दूसरे मर्दों के साथ रंगरेलियाँ मनाने में मस्त रहती हैं।

ख़ुदा रा! ऐसी औरतें होश में आएं। अपने शौहर के मरतबे को पहचानें और इस दुनिया में थोड़ी सी मस्ती, रंगरेलियों और थोड़े से झूटे मज़े की ख़ातिर हमेशा हमेशा रहने वाली आख़िरत की ज़िन्दगी को तबाह व बरबाद न करें।

एक ख़ास अमल: जिस शख़्स की बीवी उसका कहना न मानती हो, नाफ़रमान, ज़बान दराज़ और झगड़ालू हो तो वह शख़्स सोते वक़्त "अलमानेअ़" ख़ुलूस के साथ बहुत ज़्यादा पढ़े। बेफ़ज़लेहि तआ़ला औरत फ़रमांबरदार और मुहब्बत करने वाली हो जाएगी।

(वज़ाईफ़ रिज़विया सफ़हा-224)

बीवी के हुक़ूक़

जिस तरह बीवी पर लाज़िम है कि शौहर के हुक़ूक़ अदा करे इसी तरह शौहर पर भी फ़र्ज़ है कि बीवी के हुक़ूक़ अदा करने में किसी क़िस्म की कोताही न करे।

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

وعاشروهن بالمعروف ..... الخ

तर्जमा: और उनसे (औरतों से) अच्छा बरताव करो।

(तर्जमा कंज़ुलईमान पारा-4 सूरह निसा रुकूअ़-14 आयत-19)

शौहर पर बीवी की जो ज़िम्मेदारियाँ आइद हैं उन सब में एक

बड़ी ज़िम्मादारी ये भी है कि वह बीवी का मेहर अदा करे।

हदीसः हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"निकाह की शर्त यानी मेहर अदा करने का सब से ज़्यादा ख़्याल रखो।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–81 हदीस–137 सफ़्हा–80)

बीवी का मेहर शौहर के ज़िम्मा अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। अगर इस के अदा करने में कोताही होगी तो क़यामत के रोज़ सख़्त गिरफ़्त और सज़ा होगी। शौहर का अपनी बीवी को सताना, गालियाँ देना और उस पर ज़ुल्म व ज़्यादती करना बदतरीन गुनाह है।

हदीसः रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"सब से बुरा आदमी वह है जो अपनी बीवी को सताए।" (तिबरानी शरीफ़)

हदीसः हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"वह शख़्स कामिल ईमान वाला है जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक में अच्छा है और मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ सब से बेहतर सुलूक करने वाला हूँ।"

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–789 हदीस–1161 सफ़्हा–595+तुबीहुलग़ाफ़िलीन सफ़्हा–542)

हदीसः हज़रत इमाम तिर्मिज़ी व हज़रत इमाम इब्न माजा (रज़ि.) ने इन लफ़्ज़ों के साथ रसूल अकरम (स.अ.व.) का इरशाद नक़्ल किया हैः

خیر کم خیر کم لاھلہ و انا خیر کم لاھلی

तर्जमाः तुम में वह बेहतर है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है और मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सब से बेहतर हूँ।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–595+इब्न माजा जिल्द–1 हदीस–2047 सफ़्हा–551)

शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ खुश मज़ाजी, नर्मी और मेहरबानी से पेश आए और अपने प्यारे नबी के फ़रमान पर अमल करे।

मौजूदा दौर में देखा ये जा रहा है कि मर्द हज़रात बाहर तो चूहा बने फिरते हैं लेकिन घर आते ही शेर कीक तरह दहाड़ना शुरू कर देते हैं और बेवजह बीवी पर रोब झोड़ते रहते हैं। बीवी से हमेशा मुहब्बत का सुलूक रखे। हाँ! अगर वह नाफ़रमानी करे या जाइज़ हुक्म न माने तो उस पर नाराज़गी का इज़हार कर सकते हैं।

हुज़ूर सैयदना ग़ौस आज़म (रज़ि.) "गुनयतुत्तालिबीन" में और इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) "कीमीए सआदत" में फ़रमाते हैं:

> "अगर बीवी शौहर की इताअत न करे तो शौहर नर्मी व मुहब्बत से समझा कर अपनी इताअत करवाए। अगर उसके बाद भी न माने तो शौहर गुस्सा करे और उसे डाँट डपट कर समझाए। अगर फिर भी न माने तो सोने के वक़्त उसकी तरफ़ पीठ कर के सोये। अगर उस पर भी न माने तो फिर तीन रातें उससे अलग सोये। अगर उन तमाम बातों से भी न माने और अपनी हट धर्मी पर अड़ी रहे तो उसे मारे मगर मुंह पर न मारे और न ही इतने ज़ोर से मारे कि ज़ख़्मी हो जाए। अगर उन सब से भी फ़ाएदा न हो तो फिर एक महीने तक नाराज़ रहे।

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–118+कीमियाए सआदत सफ़्हा–265)

अगर किसी शख़्स की दो बीवियाँ या उससे ज़्यादा हों तो सब के साथ बराबर का सूलूक रखे। खाने, पीने, ओढ़ने कपड़े वग़ैरा सब में इंसाफ़ से काम ले। हर बीवी के पास बराबर, बराबर वक़्त गुज़ारे और इसके लिए उनकी बारी मुक़र्रर कर ले।

हदीस: हज़रत अबूहुरैरा (रजि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اذا كانت عند الرجل امر اتان فلم يعدل بينهما
جاء يوم القيمة و شقة ساقط.

तर्जमा: जब किसी के निकाह में दो बीवियाँ हों और वह एक ही की तरफ़ माइल हो तो वह क़यामत के दिन जब आएगा तो उसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 हदीस–1137 सफ़्हा–584+ इब्न माजा जिल्द–1 सफ़्हा–549+अहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–91)

बीवी के ग़ुलाम

इस ज़माने में अक्सर देखा जा रहा है कि मर्द अपनी बीवी से अपनी इताअत नहीं करवाता बल्कि उसकी इताअत करता है। कुछ मर्द बीवी की ग़ुलामी करना अपनी शान समझते हैं और अपनी इस ग़ुलामी का तज़किरा भी वह बड़े पुर जोश अंदाज़ में अपने दोस्तों में करते हुए नज़र आते हैं। कुछ तो इस क़दर अपनी बीवी से ख़ौफ़ ज़दा रहते हैं कि अगर वह मजमए आम में उन्हें डाँट भी दे तो सर झुकाए सुनने में ही वह अपनी आफ़ियत समझते हैं।

आयत: रब तबारक व तआला इरशाद फ़रमाता है:

الرجال قوامون على النساء...........الخ

तर्जमा: मर्द अफ़सर हैं औरतों पर। (तर्जमा कंजुलईमान पारा–5 सूरह निसा रुकूअ–3 आयत–34)

हदीस: रसूल अल्लाह (स.अ.व) इरशाद फ़रमाते हैं:

تعس عبدالزوجة

तर्जमा: बीवी का ग़ुलाम बदबख़्त है।

(कीमियाए सआदत सफ़्हा–263)

इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है औरतों से मश्वरा करो लेकिन अमल उसके ख़िलाफ़ करो।" यानी ज़रूरी नहीं कि औरत के हर मश्वरे पर अमल किया जाए।

(कीमियाए सआदत सफ्हा–263)

नीज़ इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) "अहयाउलउलूम" में नक़्ल फ़रमाते हैं

"हज़रत हसन बसरी (रज़ि.) फ़रमाते हैं जो शख़्स अपनी बीवी का मतीअ़ बना रहे कि वह जो चाहे वही करे तो अल्लाह तआ़ला उसे दोज़ख़ में औंधा गिरा देगा।"

(अहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ्हा–82)

सद अफ़सोस! आज कल लोग औरत के बहकावे में आ कर ख़िलाफ़े शरीअ़त काम तक कर लेते हैं। कुछ तो औरत के इस क़दर ग़ुलाम बन जाते हैं कि बीवी के कहने पर अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं लेकिन बीवी की गुलामी नहीं छोड़ सकते। अगर घर में किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो बीवी को समझाने के बजाए उलटा अपने ही माँ बाप को झिड़कते हैं और अपनी आख़िरत की बरबादी का सामान अपने हाथों जताते हैं। याद रखिए! भले ही बीवी नाराज़ हो जाए लेकिन माँ बाप नाराज़ न होने पाऐं। बीवी तो जिन्दगी में सैंकड़ों मिल सकती हैं लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते।

हदीस: हज़रत अबूइमामा (रज़ि.) से रिवायत है कि सरकारे मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

هما جنتک و نارک

तर्जमा: माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और दोज़ख़ भी।

(इब्ने माजा जिल्द -2 बाब- 621 हदीस–1456 सफ्हा–395)

इस हदीस का मतलब ये है कि तू अपने वालिदैन की फ़रमांबरदारी करे तो जन्नत में जाएगा और नाफ़रमानी करेगा तो दोज़ख़ में जा कर सज़ा पाएगा।

हदीस: और मज़ीद फ़रमाते हैं हमारे प्यारे मदीने वाले आक़ा (स.अ.व.)

"खुदा शिर्क और कुफ़्र के अलावा जिस गुनाह को

चाहे बख़्श देगा मगर माँ बाप की नाफ़रमानी को नहीं बख़्शेगा बल्कि मौत से पहले दुनिया में भी सज़ा देगा।"

(बहेक़ी शरीफ़)

लिहाज़ा माँ बाप की फ़रमाँबरदारी को ही हमेशा अहमियत दे। औरत का भी फ़र्ज़ है कि वह अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह ही समझे और उनसे हुस्न सुलूक करे। साथ ही मर्द पर भी ज़िम्मादारी है कि वह अपनी बीवी से अपने माँ बाप की इताअत करवाए।

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

مامن ولد بار ينظر الى والديه نظره رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة.

तर्जमा: जब कोई फ़रमाँबरदार लड़का अपने माँ बाप की मुहब्बत की नज़र से देखता है तो अल्लाह तआला उसके लिए हर नज़र के बदले एक हज मकबूल का सवाब लिखता है। सहाबए कराम ने अर्ज़ किया: "या रसूल अल्लाह! अगर कोई रोज़ाना सौ बार देखे तो क्या उसको रोज़ाना सौ हज का सवाब मिलेगा?" सरकार (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "हाँ! बेशक अल्लाह तआला बुज़ुर्ग व बरतर है उसको ये बात कुछ मुशकिल नहीं।"

(बहेक़ी शरीफ़+मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–4725 सफ़्हा–449)

बी0 एफ0 फ़िल्में

हमारा और आप का मुशाहदा है कि आज कल लोग सेक्स (Sex) की मालूमात के लिए बिलू फ़िल्में (B.F. Films) देखते हैं बिलखुसूस नौजवान लड़के। कुछ बेवकूफ़ शबे ज़फ़ाफ़ के रोज़ अपनी बीवी को ख़ास तौर पर बिलू फ़िल्में दिखाते हैं ताकि औरत भी जिस तरह फ़िल्म में दिखाया गया है इसी तरह उनसे पेश आए और ये खुद हर वह काम और तरीका अपनाने की कोशिश करते

है जो फ़िल्म में होता है। चाहे उसमें कितनी ही तकलीफ़ व परेशानी क्यों न हो। आप को मालूम होना चाहिए किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम फ़िल्माया जाना अलग बात है उसको हक़ीक़त में कर लेना और बात है। बिल्कुल फ़िल्में तो सरासर आँखों की अय्याशी और धोके के सिवा कुछ नहीं। आज तक़रीबन हर मुसलमान ये जानता है कि इस्लाम में ये सब हराम व गुनाह है लेकिन परवाह किसी है?

फ़िल्मों में देख कर उसकी बातों को सीख कर अमल करना ऐसा ही है जैसे किसी फ़िल्म में हीरो को मोटर साइकल इस तरह चलाते हुए दिखाया जाए कि हीरो सड़कों से होते हुए मोटर साइकल उछाल उछाल कर लोगों की बिलड़िंगों और मकानों की छत पर चला रहा है। कभी इस बिलडिंग पर तू कभी उस बिलडिंग पर। उसी मंज़र (Scene) को किसी बेवक़ूफ़ ने देखा और उसी तरह करने के लिए उसने मोटर साइकल अपने घर की छत पर खडे कर के शुरू की और कुलची दबा कर गेयर बलदा, एक्सलेटर कलच के साथ छोड़ दिया। ऐसे बेवक़ूफ़ शख़्स का जो हाल होगा वही हाल उस शख़्स का होता है जो बिल्कुल फ़िल्में देखता और उस पर अमल करता है। ऐसा शख़्स ग़ैरत और मर्दानगी की ऊँची छत से बेहयाई और नामर्दी के ऐसे गढ़े में गिरता है जिससे निकलना ज़िन्दगी भर मुश्किल होता है।

बदनिगाही और बेपर्दगी

आज कल नौजवानों में तरह तरह की बुराईयाँ जन्म ले चुकी हैं। जिसकी सब से बडी वजह दीन की तालीम से दूरी है। उसके अलावा फ़िल्मे देखने की फ़ैशन, फ़हश नाविल व गंदी तसावीर से पुर मैगज़िने पढने का आ़म चलन और बिलखुसूस औरतों और कुंवारी लडकियों का बेपर्दा फ़ैशन कर के सड़कों पर खुले आम घूमना जैसी बुराईयाँ हैं।

आज के मार्डन नौजवान ग़ैर औरतों को देखने, छूने और छेड़ छाड करने जैसे गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते बल्कि उसे

फ़ैशन और "मार्डन कलचर" का नाम दे कर मामूली बात समझते हैं। कुछ बेवकूफ़ तो लड़कियों को ऐसा घूरते हैं गोया वह आँखों के ज़रीए अपना मादए मनूया लड़की के पेट में ही डाल देंगे। मौजूदा दौर की अक्सर फ़ैशन परस्त लड़कियाँ भी किसी तरह लड़कों से कम नहीं। वह लड़कों को ऐसा घूरती हैं गोया वह आँखों आँखों ही से हामला होना चाहती हैं। कुछ नौजवान तो पेशवर औरतों के पास जाने में भी कोई शर्म व हया महसूस नहीं करते बल्कि उसे मर्दानगी का सुबूत समझते हैं और जो शख़्स ये सब नहीं करता वह उन ऐयाशों की नज़र में बेवकूफ़, बुज़दिल, नामर्द और न जाने किया किया समझा जाता है।

आयत: देखो! हमारा रब तबारक व तआला इरशाद फ़रमाता है:

ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن............الخ

तर्जमा: और बेहयाईयों के पास न जाओ जा उनमें खुली हैं और जो छुपी। (तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–8 सूरह इनआम रुकूअ–6 आयत–152)

आयत: और इरशाद फ़रमाता है परवरदिगार आलम:

قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فرو
جهم ذلك ازكیٰ لهم ط ان الله خبير بما يصنعون
ط وقل للمومنت يغضضن من ابصارهن ويحفظن
فروجهن ولايبدين ذينتهن الا ماظهر منها
وليضربن بغمرهن علی جيوبهن ولا يبدين ذينتهن
الا لبعولتهن............الخ

तर्जमा: मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें। ये उनके लिए बहुत सुथरा है। बेशक अल्लाह को उनके कामों की ख़बर है और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और पारसाई की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव न दिखाएं मगर जितना खुद ही ज़ाहिर हे और दुपट्टे अपने गरीबानों पर डाले रहें

और आम। सिंगार ज़ाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर।

(तर्जमा कंज़ुलईमान पारा–18 सूरह नूर रुकूअ–10 आयत–30 ता 31)

इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने साफ़ साफ़ हुक्म दिया है कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें यानी बदनिगाही से बचें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें यानी ज़िना की तरफ़ न जाऐं। इसी तरह अल्लाह तआ़ला औरतों को भी हुक्म फ़रमाता है कि वह अपनी निगाहें नीची रखें। अपना बनाव सिंगार अपने शौहर के लिए ही करें, ग़ैर मर्दों के लिए नहीं और सीने व सर पर दुपट्टे डाले रहें।

लेकिन आज मुआ़मला ही उलटा नज़र आ रहा है कि अक्सर औरतें घर में तो गंदी बेठी रहती हैं लेकिन जब बाहर निकलना होता हे तो ख़ूब बन संवर कर निकलती हैं। गोया गंदगी उनके अपने शौहर के लिए और सिंगार व सफ़ाई ग़ैर मर्दों के लिए।

हदीस पाक में सरकार (स.अ.व.) ने औरतों को घर में पाक व साफ़ और सिंगार कर के रहने का हुक्म दिया ताकि उनके शौहर उन्हीं से रग़बत रखें और ग़ैर औरतों की तरफ़ न जाऐं।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ फ़ाज़िल बरेलवी (रज़ि.) अपनी तसनीफ़ "इरफ़ान शरीअ़त" में नक़्ल फ़रमाते हैं:

"औरत का अपने शौहर के लिए गहना पहनना, बनाव सिंगार करना बाइसे अज्रेअज़ीम है और उनके हक़ में नमाज़ नफ़्लि से अफ़ज़ल है। बाज़ सालिहात (नेक औरतें) जिनके शौहर औलिया कराम से थे और वह खुद वलिया थीं। हर शब बाद नमाज़े इशा पूरा सिंगार कर के दुल्हन बन कर अपने शौहर के पास आतीं। अगर उन्हें अपनी तरफ़ हाजत पातीं वहीं हाज़िर रहतीं वरना ज़ेवर व लिबास उतार कर मुसल्ला बिछातीं और नमाज़ में मशगूल हो जातीं। हदीस में है: كان رسول الله"

صلی اللّٰہ علیہ وسلم یکرہ تعطل النساء و تشبھن بالرجال" (औरत का ज़ेवर होने के बावजूद बग़ैर ज़ेवर रहना मकरूह है कि मर्दों से मुशाबिहत है) हदीस में है रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने मौला अली करमुल्लाह वजहू से फ़रमायाः "یاعلی مرنساءک لا تصلین عطلاء" (यानी ऐ अली! अपने घर की औरतों को हुक्म दो कि बग़ैर गहने नमाज़ न पढ़ें) मजमुलबहार में हैः "عن عائشة رضی اللّٰہ تعالی عنھا کرھت ان تصلی المراۃ عطلا ولو ان تعلق فی عنقھا" (उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सीदिका (रज़ि.) औरत का बेज़ेवर नमाज़ पढ़ना मकरूह जानतीं और फ़रमातीं कि कुछ न पाए तो एक डोरा ही गले में बाँध ले।)

(इरफ़ाने शरीअ़त जिल्द–1 मसला–75 सफ़्हा–19–20)

इस्लाम ने औरतों को सजने, सवंरने से कभी मना नहीं किया बल्कि सजने, सवंरने, सिंगार करने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि कँवारी लड़कियों को ज़ेवर व लिबास से आरास्त रखना कि उनकी मंगनियाँ आईं ये भी सुन्नत है। रसूल अल्लाह (स.अ.व.) फ़रमाते हैंः "لو کا اسامة جاریة نکسوته وحلیته حتی الفقه"

(इमाम अहमद+इब्न माजा बहवाला इरफ़ाने शरीअ़त जिल्द–1 मसला–75 सफ़्हा–19)

ग़र्ज़ कि इस्लाम औरतों के फ़ैशन या सिंगार के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वह बेपरदगी व बेहूदगी के ख़िलाफ़ है। ऐ मेरी प्यारी बहनो! याद रखो! इस्लाम तुम्हें फ़ैशन करने सजने सँवरने से नहीं रोकता बल्कि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहता है कि अगर तुम शादी शुदा हो तो अपने शौहर के लिए सिंगार करो कि उन्हीं का तुम पर हक़ है, न कि ग़ैर मर्दों के लिए! इस्लाम तुम्हारी ही इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त व फ़लाह के लिए तुम से सिर्फ़ ये मुतालिबा करता है कि तुम घर घर ही ठहरी रहो। सड़कों, बाज़ारों, बाग़ों, मेले ठेलों

और सीनेमा घरों में इठलाती, बल खाती फिर कर अपने हुस्न को नुमाइश का ज़रीया न बनाव।

हदीस: सुनो! हमारे प्यारे रहमत वाले आक़ा (स.अ.व.) क्या इरशाद फ़रमाते हैं:

المراة عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان

तर्जमा: औरत, औरत है यानी छुपाने की चीज़ है, जब वह बाहर निकलती है तो उसे शैतान छाँक कर देखता है। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब--496 हदीस--1173 सफहा–600)

बदनिगाही में मर्द और औरतें दोनों कुसूरवार हैं और गुनाह में बराबर के हक़दार। मर्द इस तरह कि वह उनसे बदनिगाही करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं और औरतें इस तरक कि वे बेपरदा सड़कों पर खुले आम निकलती हैं ताकि मर्द उनहें देखें।

हदीस: मदनी सरकार (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

لعن اللہ الناظر و المنظور اليه

तर्जमा: जिस ग़ैर औरत को जान बूझ कर देखा जाए और जो औरत अपने को जान बूझ कर गैर मर्दों को दिखाए। उस मर्द और औरत पर अल्लाह की लानत।

(मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–2991 सफ़हा–77)

हदीस: हज़रत मैमना बिन्त सअ़द (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

مثل الرافله في الزينة في غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيمة لا نور لها

तर्जमा: अपने शौहर के सिवा दूसरों के लिए ज़ीनत के साथ दामन घसीटते हुए इतरा कर चलने वाली औरत क़यामत के अंधेरे की तरह है जिसमें कोई रोशनी नहीं।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–[illegible] हदीस–1166 सफ़हा–597)

हदीस: हज़रत अबूमूसा अशअरी (रज़ि.) से रिवायत है कि सरकार मदीना (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ايما امراة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي

زانية

तर्जमा: जब कोई औरत खुशबू लगा कर लोगों में निकलती है ताकि उन्हें खुशबू पहुंचे तो वह औरत ज़ानिया (ज़िना करने वाली पेशावर) है। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–304 हदीस–689 सफ़्हा–282+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–274 हदीस–771 सफ़्हा–264+निसाई शरीफ़ जिल्द–3 किताबुज़्ज़ानिया सफ़्हा–397)

हदीस: फ़रमाते हैं हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.):

لايخلون رجل بامراة الا كان ثالثهما الشيطان

तर्जमा: जब ग़ैर मर्द और औरत तन्हाई में किसी जगह एक साथ होते हैं तो उनमें तीसरा शैतान होता है।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–794 हदीस–1171 सफ़्हा–599)

हदीस: हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने फ़रमाया:

لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجرى من احد كم مجرى الدم

तर्जमा: जिन औरतों के ख़ाविंद मौजूद न हों उनके पास न जाओ क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में ख़ून की तरह दौड़ता है। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–795 हदीस–1172 सफ़्हा–599)

हदीस: हज़रत उतबा बिन आमिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मदनी ताजदार, सैयद आलम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

اياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول
الله افرايت الحمو قال الحمو الموت.

तर्जमा: तन्हा ग़ैर औरत के पास जाने से परहेज़ करो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया "या रसूल अल्लाह! देवर के बारे में क्या इरशाद है?" फ़रमाया: "देवर तो मौत है।" (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–141 हदीस–216 सफ़्हा–103+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–794 हदीस–1171 +मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–2968 सफ़्हा–73)

अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए जब देवर के सामने भी सगी भाभी को आने से ममानिअत की गई और कहा कि उसे मौत

को मिस्ल बताया गया। तो फिर बताइए दोस्तों की बीवियों को मुंह बोली भाभी बना कर उनसे हंसी मज़ाक करना, शादी बियाह में और दीगर तक़रीबात में ग़ैर मर्दों का औरतों के सामने आना और औरतों का ग़ैर महरम मर्दों के सामने बे हिजाब आना, बात चीत करना और यही नहीं बल्कि उन्हें छूना, उनसे हंसी मज़ाक करना किस क़दर ख़तरनाक होगा। तजुर्बा शाहिद है कि कुछ लोगों ने दोस्तों की बीवियों का भाभी, भाभी कह कर पुकारा और मौक़ा मिलने पर फिर भाभी पर भी हाथ साफ़ कर दिया।

लिहाजा मर्दों पर जरूरी है कि वह अपनी औरतों को पर्दा करवाएँ और अपनी औरतों के सामने भी बेहिजाब आने से मना करें और इसी तरह मां बाप की भी ज़िम्मादारी है कि वह अपनी जवान कुंवारी लड़कियों का पर्दा करवाएं और बिला ज़रूरत बाज़ारों, तफरीह गाहों और सनेमा हालों में जाने से रोकें।

हदीस: हज़रत उम्मेसलमा (रज़ि.) अन्हा फ़रमाती हैं:

"एक दिन एक नाबीना सहाबी सरकार (स.अ.व.) की बारगाह में मिलने के लिए तशरीफ़ लाए और हुजूर की दूसरी बीवियाँ वहीं बैठी थीं। सरकार (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "पर्दा करो।" फ़रमाती हैं हम ने अर्ज़ किया: "या रसूल अल्लाह! ये तो देख नहीं सकते?" फ़रमाया: "तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो देख सकती हो।"

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–358 हदीस-711 सफ़हा-246+तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–298 हदीस-680 सफ़हा–279)

अब ज़रा अन्दाज़ा लगाइए जब नाबीना से भी सरकार (स.अ.व.) ने अपनी अज़वाज मुतहरात, जिनके बारे में क़ुरआन करीम का एलान है: "नबी की बीवियाँ तमाम मुसलमानों की माएं हैं।" उनसे भी पर्दा करवाया तो क्या आज की उन औरतों का पर्दा करना जरूरी न होगा? यक़ीनन ज़रूरी होगा और अगर औरतें उसके

लिए तैयार नहीं तो जहन्नम के शदीद नाक़ाबिले बरदाश्त अज़ाब के लिए ज़रूर तैयार रहें।

हज़रत सैयदना इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) ने क्या ख़ूब फ़रमाया है। फ़रमाते हैं:

"मर्द अपनी औरत को घर की छत और दरवाज़े पर जाने न दे ताकि वह ग़ैर मर्दों को और ग़ैर मर्द उसे न देखें क्योंकि बुराईयों को इब्तिदा घर की खिड़की व दरवाज़े से शुरू होती है। औरत को खिड़की, दरवाज़े से मर्दों का तमाशा देखने की इजाज़त न दे कि तमाम आफ़तें आँख से पैदा होती हैं। घर में बैठे बैठे नहीं पैदा होतीं।"

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा–263)

एक क़दीम शायर ने कहा है: "तमाम बुराईयों की शरूआ़त नज़र से होती है। छोटी सी चिंगारी से ज़बरदस्त आग भड़क उठती है। पहले नज़र, फिर मुस्कुराहट, फिर सलाम, फिर कलाम, फिर वादा, फिर मुलाक़ात और फिर............इसीलिए इस्लाम ने औरत का ग़ैर मर्द पर और मर्द का ग़ैर औरत पर निगाह डालना भी हराम ठहराया क्योंकि आँखें दिल की चाबी हैं और नज़र दिल के ताले खोलने वाली ज़िना की क़ासिद है।

हदीस: हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह, (रज़ि.) का बयान है:

سالت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن نظر الفجآءة فقال ان اصرف بصرک

तर्जुमा: मैंने रसूल अल्लाह (स.अ.व.) से अचानक नज़र पड़ जाने के मुतअल्लिक पूछा तो फ़रमाया: "अपनी नज़र फेर लिया करो!" (अबूदाऊद शरीफ जिल्द–2 बाब–121 हदीस–381 सफ़्हा–146 + मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–2970 सफ़्हा–73)

हदीस: हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुलकरीम ने रसूल अल्लाह (स.अ.व.) से अर्ज किया: "या रसूल अल्लाह! बाज़ औक़ात ग़ैर औरत पर अचानक नज़र पड़ जाती है?"

قال يا علی لاتتبع النظرة النظرة فان لک الاولی
وليست لک الآخرة.

तर्जुमाः इरशाद फ़रमायाः "ऐ अली! पहली नज़र जो अचानक पड़ जाए उसकी पूछ नहीं लेकिन एक नज़र के बाद दूसरी नज़र न डालो क्योंकि दूसरी नज़र की पूछ और गिरफ़्त है।" (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–297 हदीस–279 सफ़्हा–278 + अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–121 हदीस–382 सफ़्हा–146)

हदीसः रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

العينان تزنيان

तर्जुमाः (जब एक ग़ैर मर्द और ग़ैर औरत एक दूसरे को देखते हैं तो) दोनों की आँखें ज़िना करती हैं।

(कशफुलमहजूब अज़ हुज़ूर दाता गंज बख़्श लाहौरी (रज़ि.) सफ़्हा–568)

हदीसः फ़रमाते हैं मदनी आका (स.अ.व.):

"मर्द का ग़ैर औरतों को और औरत का ग़ैर मर्दों का देखना आँखों का ज़िना है। ऐसा रहना शौहर की रज़ा से हो तो उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ने से परहेज़ ज़रूरी है कि फ़ितना को ख़त्म करना शरीअत के वाजिबात में से अहम वाजिब है।"

(इरफ़ाने शरीअत अज़ आला हज़रत अलैहिरहमा जिल्द–2 सफ़्हा–4)

आज कल मर्द हज़रात खुद अपनी बीवी को बाज़ारों, बागों सीनेमा हालों और दीगर मुकामात पर ले जाते हैं और ग़ैर मर्दों के सामने नुमाइश का ज़रीया बनाते हैं। कुछ लोग बाज़ारों व सीनेमा हालों में तो औरत को नही ले जाते लेकिन बुर्जुगाने दीन के मज़ारात पर ले जाते हैं। उन औरतों के ऐसे मुकद्दस मुकामात पर आने की वजह से ये मुकामात भी खुराफ़ात व बेहूदगी के अड्डे बनते जा रहे हैं और कमाल ये है कि औरतें सवाब समझ कर मज़ारों पर हाज़िर होती हैं। हमारे शहर नागपूर में तो बाकाएदा

हुज़ूर सय्यदना शहनशाह हफ़्त अक़लीम सरकार ताजुल औलिया (रज़ि.) के अर्स पाक के मौक़ा पर बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दराज़ से लोग शिरकत करते हैं। इस मेले का अगर बग़ौर मुआएना किया जाए तो आप को इसमें मर्दों से ज़्यादा औरतें नज़र आऐंगी।

यक़ीनन मर्दों का बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िर होना खुश अक़ीदगी की अलामत है और बुर्ज़ुगाने दीन की ज़ियारत करना बाइसे सवाब है लेकिन औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना नाजाइज़ व गुनाह है। लिहाज़ा मुनासिब है कि यहाँ इस तअल्लुक़ से भी चंद बातें बयान कर दी जाऐं। अल्लाह करे कि उसे पढ़ कर हमारे सुन्नी मुसलमान भाई हमारी मुस्लिम बहनें संजीदगी से ग़ौर करें और इस पर अमल कर के गुनाहों से बचें।

हदीसः रसूलुल्लाह (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

لعن الله زوارات القبور

तर्जुमाः अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो क़बरों की ज़ियारत करें। (इमाम अहमद+इब्ने माजा+तिर्मिज़ी शरीफ़+निसाई+हाकिम+फ़तावा अफ़्रीक़ा सफ़्हा–81 वग़ैरा)

"फ़तावा किफ़ाइया सअ़बी" "फ़तावा तातार ख़ानिया" वग़ैरा में हैः

سئل القاضی عن جواز خروج النساء الی المقابر
قال لا یسأل عن الجواز والفساد فی مثل هذا و
انما یسأل عن مقدار میلحقها من اللعن فیه واعلم
انها کلها قصدت الخروج کانت فی لعنة الله
وملئکته واذا خرجت تحفها الشیاطین.

तर्जुमाः इमाम क़ाज़ी से सवाल हुआ क्या औरतों का क़ब्रिस्तान को जाना जाइज़ है? फ़रमाया ऐसी बात में जाइज़ नाजाइज़ नहीं पूछते। ये पूछो कि जाएगी तो उस पर कितनी लानत होगी। ख़बरदार जब वह जाने का इरादा करती है तो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं और जब घर

से चलती है सब तरफ़ से शैतान उसे घेर लेते हैं। (फ़तावा अफ़्रीक़ा सफ़हा–67)

हदीस: सरकारे दो जहाँ (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"जब मर्द के सामने कोई अजनबी औरत आती है तो शैतान की सूरत में आती है। जब तुम में से कोई किसी अजनबी औरत को देखे और वह उसे अच्छी मालूम हो तो चाहिए कि अपनी बीवी से मुबाशरत कर ले (ताकि गुनाह से बच जाए।) तुम्हारी बीवी के पास भी वही चीज़ मौजूद है जो उस अजनबी औरत के पास मौजूद है।" अगर कोई कुँवारी हो तो वह रोज़ा रख ले कि रोज़ा गुनाह को रोकने वाला और शहवत को मिटाने वाला है।"

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–785 हदीस–1187 सफ़्हा–594)

मसला: कुछ औरतें अपने मर्दों के सामने मनीहार (चूड़ियाँ बेचने वालों) के हाथ से चोड़ियाँ पहनती हैं। ये हराम, हराम, हराम है। हाथ दिखाना ग़ैर मर्द को हराम है। उसके हाथ में हाथ देना हराम है। जो मर्द अपनी औरतों के साथ उसे जाइज़ रखते हैं "देवस" (यानी बेग़ैरत, बेशर्म) हैं।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा–208)

मसला: औरत अगर किसी नामहरम के सामने इस तरह आए कि उसके बाल और गले और गर्दन पया पीठ, पेट या कलाई का कोई हिस्सा ज़ाहिर हो या लिबास ऐसा बारीक हो कि उन चीज़ों से कोई उसमें से चमके तो ये बाला जमाअ हराम है और ऐसी वज़ा व लिबास की आदी औरतों फ़ासक़ात हैं और उनके शौहर अगर उस पर राज़ी हों और ताक़त होने के बावजूद औरत को उससे मना न करें तो देवस (बेग़ैरत, बेशर्म) हैं और ऐसों का इमाम बनाना गुनाह है। अगर तमाम बदन सर से पाँव तक मोटे कपड़े में खूब छुपा हुआ हो सिर्फ़ मुंह की टिकली खुली हुई हो जिसमें कोई

हिस्सा कान का या ठोड़ी के नीचे का या पेशानी के बाल का ज़ाहिर नहीं तो अब फ़तवा इससे भी ममानिअत पर है और औरत का "من كل جانب واذا اتت القبور يلعنها روح الميت و اذا راجعت كانت في لعنة الله." "यानी इमाम क़ाज़ी अयाज़ (रज़ि.) से सवाल हुआ कि औरतों को मज़ारात पर जाना जाइज़ है या नहीं? फ़रमाया: "ऐसी बातों में जाइज़ नहीं पूछते बल्कि ये पूछो कि उसमें औरत पर कितनी लानत पड़ती है? ख़बरदार! जब औरत जाने का इरादा करती है अल्लाह और फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं और जब घर से चलती है, सब तरफ़ से शैतान उसे घेरे लेते हैं और जब क़ब्र तक पहुंचती है, साहबे मज़ार की रूह उस पर लानत करती है और जब वापस आती है तो अल्लाह की लानत में होती है।"

(कफ़ाया शअबी+तातारख़ानिया बहवाला फ़तावा अफ़्रीक़ा सफ़्हा–82)

आला हज़रत (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"औरत के लिए सिवाए रसूल (स.अ.व.) के मज़ार मुबारक के किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र की ज़ियारत करना जाइज़ नहीं।"

(फ़तावा अफ़्रीक़ा सफ़्हा–82)

इसी तरह किसी जलसे व जुलूस में या फिर वाज़ व तक़रीर में भी औरतों को जाना मना है। चुनाँचे इस मुतअ़ल्लिक़ भी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी (रज़ि.) बहुत सारी किताबों के हवालों से नक़्ल फ़रमाते हैं:

"कुतुब मोतमिदा में है अइम्माए दीन ने जमाअ़त व जुमा व ईदैन तो बहुत दूर वाज़ की हाज़िरी से भी मुताअललैक़न मना फ़रमा दिया अगरचे बुढ़या हो, अगरचे रात हो। हज़रत फ़ारूक़ आज़म (रज़ि.) ने औरतों को मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) तो जो

औरतें मस्जिद में आतीं उन्हें कंकरियाँ मार कर बाहर निकालते और इमाम इब्राहीम जो इमाम आज़म अबूहनीफ़ा के उस्ताद के उस्ताद हैं अपनी औरतों को मस्जिद में न जाने देते।"

(जमलुलनूर फी नहीउलनिसा अन ज़ियारतुलकुबूर अज़ आला हज़रत अलैहिरहमा सफ्हा–15)

जलसों और तक़रीरों में औरतों को शिरकत की दावत देने वाले इससे सबक़ हासिल करें और सोचें कि जब नमाज़ जैसी अहम फर्ज़ इबादत के लिए औरतों को मस्जिद में आने से रोका गया तो तक़रीर के लिए भला कैसे इजाज़त हो सकती है। औरतों की तालीम व तरबीयत के लिए हमें भी वही राह इख़्तियार करनी होगी जो हमारे अगले बुज़ुर्गों ने इख़्तियार की थी। उन्हें उनके शौहर, माँ बाप या दीगर नेक महारम दीनी मालूमात और शरई अहकाम बहम पहुंचाऐं। कुछ लोग अपनी लड़कियों को ऐसी तालीम दें कि वह दूसरी लड़कियों और ख़्वातीन को परदे और अहकामे शरीअत की पाबंदी के साथ बहुस्न व ख़ूबी दीनी अहकाम बताऐं और सिखाऐं। (हाशिया जमलुलनूर फ़ीनहुलनिसा अन ज़ियारतुलकुबूर सफ्हा–15)

इस मसले की तफ़सील काफ़ी तवील है जिसे इस मुख़्तसर किताब मे बयान करना मुमकिन नहीं। वैसे भी ये मज़मून काफ़ी तवील हो चुका है। लिहाज़ा मज़ीद मालूमात के लिए इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत (रज़ि.) की तसानीफ़ "जमलुननूर फ़ीनहुलनिसा अन ज़ियारतुलकुबूर" और "मरूजुलनजा ख़ुरूजुलनिसा" का मुताला फरमाऐं जो कि आम कुतुब ख़ानों पर दस्तियाब हैं। ऐ अल्लाह! हमें और हमारी मुस्लिम ख़्वातीन को शर्म व हया अता फ़रमा और बेहयाई व गुनाहों से नफ़रत व परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन!

ज़िना का बयान

आयतः अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता हैः

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

तर्जुमा: और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वह बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। (तर्जुमा कंजुलईमान पारा–15 सूरह बनी इस्राईल रुकूअ़–4 आयत–32)

आयत: और इरशाद फ़रमाता है रब तबारक व तआ़ला:

والذين هم لفرو جهم حفظون

तर्जुमा: और (मोमिन) वह जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं। (तर्जुमा कंजुलईमान पारा–29 सूरह मेराज रुकूअ़–7 आयत–29)

एक मर्द एक ऐसी औरत से मुबाशरत करे जिसका वह मालिक नहीं (यानी उससे निकाह नहीं हुआ) उसे ज़िना कहते हैं। चाहे मर्द और औरत दोनों राज़ी हों। उसी तरह पेशावर बाज़ारी औरतों और तवाइफ़ों के साथ मुबाशरत को भी ज़िना ही कहा जाएगा।

आज कल अक्सर नौजवान काफ़िरों की लड़कियों के साथ नाजाइज़ तअ़ल्लुक़ात रखते हैं और ये समझते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि वह काफ़िरा हैं। से सख़्त जिहालत है, काफिरा लड़की से मुबाशरत भी ज़िना ही कहलाएगी।

मसला: काफ़िरा औरत से भी ज़िना हराम है, चाहे वह राज़ी ही क्यों न हो। काफ़िरा के साथ ज़िना के जाइज़ होने का क़ाइल हो तो कुफ़्र है। वरना बातिल व मरदूद बहरहाल है। (फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़हा–980)

इसी तरह कट्टर वहाबी, देवबंदी, मौदूदी, नेचरी, राफ़ज़ी वगैरा जितने भी दीन से फिरे हुए फ़िरक़े हैं उनकी लड़की से निकाह किया तो निकाह ही नहीं होगा बल्कि महज़ ज़िना कहलाएगा जब तक कि लड़की अक़ाएद बातिला से सच्ची तौबा न कर ले। सच्ची तौबा का ये मतलब है कि सुन्नी सहीहुलअक़ीदा हो जाए और अहलेसुन्नत व जमाअ़त के अलावा जिस क़दर भी फ़िरक़ा बातिला हैं उन्हें मुरतिद, काफ़िर दिल से माने चाहे फ़र्क़ बातिला में उसका

बाप, भाई ही क्यों न शामिल हो, उन्हें भी काफ़िर व मुरतिद जाने और उनके कुफ़्र पर शक भी न करें और न उनसे मेल मुलाकात रखे।

यक़ीनन ज़िना गुनाहे अज़ीम और बहुत बड़ी बला है। ये इंसान की दुनिया व आख़िरत का तबाह व बरबाद कर देता है।

हदीसः अल्लाह के रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

ماذنب بعد الشرک اعظم عنداللّٰہ من نطفۃ و ضعھا رجل فی رحم لا یحل لہ.

तर्जुमाः शिर्क के बाद अल्लाह के नज़दीक उस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह नहीं कि एक शख़्स किसी ऐसी औरत से सोहबत करे जो उसकी बीवी नहीं।

हदीसः और फ़रमाते हैं मदनी ताजदार हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.):

اذا زنی العبد خرج منہ الایمان فکان فوق راسہ کالظلۃ.

तर्जुमाः जब कोई मर्द और औरत ज़िना करते हैं तो ईमान उनके सीने से निकल कर सर पर साये की तरह ठहर जाता है। (मकाशफ़तुलकुलूब बाब-22 सफ़्हा-168)

हदीसः हज़रत अकरमा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछाः

"ईमान किस तरह निकल जाता है? हज़रत इब्ने अब्बास ने अपने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालें और फिर निकाल लें और फ़रमायाः "देखो! इस तरह।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द-3 बाब-968 हदीस-1713 सफ़्हा-614+अशअतुलमआत शरह मिश्कात जिल्द-1 सफ़्हा-287)

हदीसः हज़रत अबूहुरैरा व हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि सरकार अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

لا یزنی الزانی حین یزنی وھو مومن

तर्जुमाः मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नहीं सकता।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–968 हदीस–1714 सफ़्हा–614)

हदीसः हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) रिवायत करते हैं:

"जिसने किसी ग़ैर शादी शुदा औरत का बोसा लिया उसने गोया सत्तर कवाँरी लड़कियों से ज़िना किया और जिसने किसी कवाँरी लड़की से ज़िना किया तो गोया उसने सत्तर हज़ार शादी शुदा औरत से ज़िना किया।"

(मकाशफ़तुलकुलूब बाब–22 सफ़्हा–169)

हदीसः फ़क़ीहा हज़रत इमाम अबुललैस समर क़ंदी और हुज्जतुलइस्लाम हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) नक़्ल करते हैं:

"बाज़ सहाबए कराम से मरवी है कि ज़िना से बचो, इसमें छः मुसीबतें हैं जिनमें से तीन का तअ़ल्लुक़ दुनिया से और तीन का आख़िरत से है।"

दुनिया की मुसीबतें ये हैं:

(1) ज़िन्दगी मुख़्तसर हो जाती है।

(2) दुनिया में रिज़्क़ कम हो जाता है।

(3) चेहरे से रोनक़ ख़त्म हो जाती है।

आख़िरत की मुसीबतें ये हैं:

(4) आख़िरत में ख़ुदा की नाराज़गी।

(5) आख़िरत में सख़्त पूछ ताछ।

(6) जहन्नम में जाएगा और सख़्त अज़ाब।

(तंबीहुग़ाफ़िलीन सफ़्हा–381+मकाशफ़तुलकुलूब बाब–22 सफ़्हा–168)

रिवायतः हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ेवजल से ज़िना करने वाले की सज़ा के बारे में पूछा तो रब तबारक व तआ़ला ने इरशाद फ़रमायाः

"ऐ मूसा! ज़िना करने वाले को मैं आग की ज़र्रा (आग का लिबास) पहनाऊँगा जो ऐसा वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पर रख दिया जाए तो वह भी

रेजा रेज़ा हो जाएगा।"

(मकाशफ़तुलकुलूब बाब–22 सफ़्हा–168)

आयत: अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फ़रमाता है:

ومن يفعل ذلك يلق اثاما ط

तर्जुमा: जो शख़्स ज़िना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। (कुरआन करीम पारा–19 सूरह फुरक़ान आयत–68)

असाम के मुतअल्लिक़ उलमाए किराम ने कहा है कि वह जहन्नम का एक ग़ार है जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू से तमाम जहन्नमी चीख़ उठेंगे।

(मकाशफ़तुलकुलूब बाब–22 सफ़्हा–167)

हदीस: अल्लाह के रसूल अल्लाह (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाता है:

ان السمٰوات السبع والارضين السبع والجبال
القلن الشيخ الزانى و ان فروج الزناة ليوذى اهل
النار فتن ويحها.

तर्जुमा: सातों आसमान और सातों ज़मीनें और पहाड़ ज़िनाकार पर लानत भेजते हैं और क़यामत के दिन ज़िनाकार मर्द व औरत की शर्मगाह से इस क़दर बदबू आती होगी कि जहन्नम में जलने वालों को भी इससे तकलीफ़ पहुंचेगी। (बज़रा बहवाला बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–9 सफ़्हा–43)

ये तमाम सज़ाऐं तो आख़िरत में मिलेंगी लेकिन ज़िना करने वाले पर शरीअ़त ने दुनिया में भी सज़ा मुक़र्रर की है। इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाहे वक़्त या फिर क़ाज़ी शरअ़ पर ज़रूरी है कि ज़ानी पर जुर्म साबित हो जाने पर शरीअ़त के हुक्म के तहत सज़ा दे। हदीस पाक में है कि अगर किसी को दुनिया में सज़ा न मिल सकी तो आख़िरत में उसको सख़्त अज़ाब दिया जाएगा और दुनिया में सज़ा पा लिया तो फिर अल्लाह चाहे तो उसे मआ़फ़ फ़रमा दे।

दुनिया में सज़ा:

अल्लाह और उसके रसूल (स.अ.व.) ने ज़िनाकार मर्द व औरत

को सज़ा का हुक्म दिया और उस पर रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने अमल भी करवाया। चुनाँचे क़ुरआन पाक में है:

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

الزانية والزاني فاجلدو اكل واحد منهما مائة
جلدة ولا تاخذ كم بهما رافة في دين الله ان كنتم
تومنون بالله واليوم الآخرو ليشهد عذابهما طائفة
من المومنين ط

तर्जुमा: जो औरत बदकार हो और जो मर्द तो उनमें हर एक को सौ कोड़े लगाओ और तुम्हें उन पर तर्स न आए अल्लाह के दीन में अगर तुम ईमान लाए अल्लाह और पिछले दिन पर और चाहिए कि उनको सज़ा के वक़्त मुसलमानों का एक गिरोह हाज़िर हो। (तर्जुमा कंजुलईमान पारा-18 सूरह अलनूर रुकूअ-7 आयत-2)

हदीस: रसूल अल्लाल (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

للمحصن رجمة في فضا حتي يموت وليغر المحصن جلدة مائة

तर्जुमा: ज़िना करने वाले शादी शुदा हों तो खुले मैदान में संगसार किया जाए (यानी पत्थरों से मार कर जान से ख़त्म कर दिया जाए) और अगर ज़िनाकार ग़ैर शादी शुदा हों तो सौ कोड़े मारे जाऐं।

हदीस: हज़रत शअबी (रज़ि.) ने हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत की है:

حين رجم المراة يوم الجمعة قال قدر جمتها بسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

तर्जुमा: हज़रत अली ने जुमा के रोज़ एक ज़ानी औरत को संगसार किया तो फ़रमाया कि मैंने उसे रसूल अल्लाह (स.अ.व.) की सुन्नत के मुताबिक़ संगसार किया है।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द-3 बाब-969 हदीस-1716 सफ़हा-615)

शादी शुदा ज़ानी मर्द व औरत को संगसार करने और ग़ैर शादी शुदा ज़ानी मर्द और औरत को कोड़े लगाने का हुक्म

राहासित्ता के अलावा अहादीस की तक़रीबन सभी किताबों में मौजूद है जिससे इनकार की गुंजाईश नहीं। यहाँ तवालित के ख़ून से बुख़ारी शरीफ़ की दो हदीसों पर ही इक्तिफ़ा किया गया।

ज़िना का सुबूत: ज़िना का सुबूत बाशरअ, नमाज़ी, परहेज़गार, मुत्तक़ी जो न कोई गुनाहे कबीरा करते हों, न किसी गुनाहे सग़ीरा पर इसरार रखते हों, न कोई बात ख़िलाफ़े मरौव्वत छिछोरे पन की करते हों और न ही बाज़ारों में खाते पीते और सड़कों पर पेशाब करते हों। ऐसे चार मर्दों की गवाहियों से ज़िना साबित होता है या ज़िना करने वाले के चार मरतबा इक़रार कर लेने से। फिर भी इमाम बार बार सवाल करेगा और दरयाफ़्त करेगा कि तेरी ज़िना से मुराद क्या है? कहाँ किससे क्या? अगर इन सब को बयान कर दिया तो ज़िना साबित होगा वरना नहीं। और गवाहों को खुल कर साफ़ साफ़ अपना चश्म दीद मुआइना बयान करना होगा कि हम ने मर्द का बदन औरत के बदन के अन्दर ख़ास इस तरह देखा जैसे सुरमादानी में सिलाई। अगर इन बातों में से कोई भी बात कम होगी मसलन चार गवाहों से कम हों या उनमें का एक आला दर्जा का न हो या मर्द तीन हों और औरतें दस बीस ही क्यों न हों। इन सब सूरतों में ये गवाहियाँ नहीं मानी जाएगेंगी, अगरचे इस क़िस्म की सूद व सो गवाहियाँ गुज़रीं। हरगिज ज़िना का सुबूत न होगा और ऐसी तोहमत लगाने वाले ख़ुद ही सज़ा पाऐंगे और उन्हें बतौर सज़ा अस्सी अस्सी कोड़े लगाए जाऐंगे।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़हा–974+तफ़सीर ख़ज़ाइनुलइरफ़ान पारा–24 सूरह नूर आयत–2 की तफ़्सीर)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) फ़तावा रिज़विया' में और हज़रत सदरुलफ़ाज़िल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबाद (रह.) अपनी मशहूर ज़माना क़ुरआन करीम की तफ़सीर "ख़ज़ाइनुउइरफ़ान फी तफ़्सीरुलक़ुरआन" में नक़्ल फ़रमाते हैं:

"ज़ानी मर्द को कोड़े लगाने के वक़्त खड़ा किया

जाए और उसके तमाम बदन के कपड़े उतार दिए जाऐं सिवाए लुंगी के और उसके तमाम बदन पर कोड़े लगाए जाऐं सिवाए चहरा और शर्मगाह के और औरत को कोड़े लगाने के वक़्त खड़ा न किया जाए, न उसके कपड़े उतारे जाऐं। अगर पोसतीन या रूईदार कपड़े पहने हो तो उतार लिए जाऐं।"

हिन्दुस्तान में चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं इसलिए यहाँ इस्लामी सज़ा नहीं दी जा सकती। ज़िना "हक़ अल्लाह" कि अलावा "हक़ूक़ुलअबाद" भी है। लिहाज़ा अल्लाह तआला से तौबा व असतग़फ़ार के अलावा जिससे ये काम किया है उसके क़रीबी रिश्तादारों के मआफ़ किए बग़ैर अज़ाब से रिहाई नहीं मिल सकती।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) की मलफ़ूज़ात में हः

"ज़िना में औरत का हक़ होता है जब कि उससे जबरन ज़िना किया जाए और उसके बाप, भाई, शौहर जिस जिस को इस ख़बर से तकलीफ़ पहुंचेगी, उन सब का हक़ है। उलमाए किराम ने कहा कि साफ़ साफ़ लफ़्ज़ों में उनसे मआफ़ी माँगे कि मैंने ये काम किया है मैं मआफ़ी चाहता हूँ।"

(अलमलफ़ूज़ जिल्द–3 सफ़्हा–44)

ज़ाहिर है उन सब से मआफ़ी माँगना आसान काम नहीं। जिससे ये काम किया उससे और उसके क़रीबी रिश्तादारों के मआफ़ किए बग़ैर ये गुनाह मआफ़ न होगा और बंदों के मआफ़ कर देने के बाद भी अब ये अल्लाह तआला के ज़िम्मा करम पर है कि वह उस गुनाह को मआफ़ फ़रमा दे और अज़ाब जहन्नम से नजात बख़्शे। अल्लाह तआला हमारी ज़िना जैसे ख़ब्बीस गुनाह से हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन!

पेशावर औरतें (तवाईफ़ें)

अक्सर नौजवान अपनी जवानी पर क़ाबू नहीं रख पाते हैं। अगर उनकी जल्द से जल्द शादी न हो तो वह अपनी होस को

मिटाने के लिए बाज़ारी औरतों का सहारा लेते हैं। कुछ तो शादी के बाद भी अपनी बीवी के होते हुए पेशावर औरतों के पास जाना नहीं छोड़ते।

ये बाज़ारी औरतें वह हैं जिन्होंने शर्म व हया के नक़ाब को उठाया और बग़ैरती व बेशर्मी के लिबास को पहना हैं यक़ीनन वह इंसानी सूसाईटी (Society) के लिए वह ख़तरनाक कीड़े हैं जो पलेग (Plague) और हैज़ के कीड़ों से ज़्यादा इंसानीयत के लिए भयानक हैं।

अगर आप एक पलेट में तरह तरह के खाने, खट्टे मीठे, कड़वे, तेज़, तीखे सब मिला कर रख दें तो वह कुछ दिनों के बाद सड़ेंगे, बदबू पैदा होगी, कीड़े पड़ जाऐंगे। बस ये बाज़ारी औरतें भी उसी पलेट की तरह हैं ये वही ख़ूबसूरत दस्तर्स से ढकी पलेट हैं जिसमें अलग अलग मज़ाज वाले इंसानों के हाथ पड़ चुके हैं और मुख़तलिफ किस्म का माद्दों ने एक जगह मिल कर उसे इस क़दर सड़ा दिया और ऐसे बारीक बारीक कीड़ों को पैदा कर दिया है जो देखने में नहीं आते। तुम ज़रा उसके पास गए और उन्होंने तुम्हें डंक मारा। देखो! उनके पौडर, लपिस्टिक पर न बहलना, बालों की बनावट और कपड़ों की सजावट पर न रिझना। ये ऐसा नाग है जिसका काटा साँस भी नहीं लेता। एक वक़्त की ज़रा सी लज़्ज़त पर अपनी उम्र की दौलत, आराम व राहत और सेहत व तंदुरुस्ती को न खो बैठना।

आयत: देखो! बग़ौर सुनो! हमारा रब अज़वजल क्या इरशाद फ़रमाता है:

قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلک ازکیٰ لهم ان الله خبير بما
يصنعون ط

तर्जुमा: ऐ महबूब! मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखीं और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है। बेशक अल्लाह ही को उनके कामों की ख़बर

है। (तर्जुमा कंजुलईमान पारा–18 सूरह नूर रुकूअ़–10 आयत–30)

आयतः और सुनो! हमारा रब अज़्वजल फ़रमाता हैः

الخبيث للخبيثين للخبيثت والطيبت للطيبين والطيبون لطيبت......الخ

तर्जुमाः गंदियाँ गंदों के लिए और गंदे गंदियों के लिए और सुथरियाँ सुथरों के लिए और सुथरे सुथरियों के लिए। (तर्जुमा कंजुलईमान पारा–18 सूरह नूर रुकूअ़–9 आयत–26)

इस आयत की तफ़्सीर में उलमाए किराम इरशाद फ़रमाते हैंः

"बदकार और गंदी औरतें, गंदे और बदकार मर्दों के ही लाएक़ हैं। इसी तरह बदकार मर्द उसी काबिल हैं कि उनका तअ़ल्लुक़ उन जैसी ही गंदी और बदकार औरतों से हो, जब कि पाक, सुथरे, नेक मर्द सुथरी और नेक औरतों के लाएक़ हैं और नेक औरत का रिश्ता नेक मर्द से ही किया जा सकता है।"

हदीसः हमारे प्यारे मदनी आक़ा (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैंः

من زنى اوشرب الغمر نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان القميص من رأسه.

तर्जुमाः जिसने ज़िना किया या शराब पी अल्लाह तआ़ला उसमें से ईमान को ऐसे निकालता है जैसे इंसान सर से अपना कुर्ता निकाल लेता है। (हाकिम शरीफ़ बहवाला फ़तावा रिज़विया जिल्द–10 सफ़्हा–47)

इस हदीस पाक को पढ़ कर वह लोग दिल से सोचें जो पेशावर औरतों के पास जाते हैं और ज़िना जैसे ख़बीस गुनाह का इरतिकाब करते हैं। तअ़ज्जुब है कोई मुसलमान हो कर ज़िना करे! ख़ुदारा! ऐसे लोग अब भी होश में आ जाएं वरना फिर उन्हें मौत ही होश में लाएगी लेकिन याद रहे उस वक़्त का होश किसी भी काम का न होगा! उस वक़्त होश भी आया तो क्या?

हदीसः मदनी ताजदार प्यारे आक़ा (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैंः

ان الله يدنو من خلقة يغفر لمن استغفر الا لبغى بفر جها

तर्जुमा: अल्लाह तआला अपने बंदों से क़रीब है और कोई मग़फ़िरत माँगे उसे बख़्शता है लेकिन उस औरत को नहीं बख़्शा जो अपनी शर्मगाह का नाजाइज़ इस्तेमला करती है।

हज़रत इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) रिवायत करते हैं:

"इब्लीस को हज़ार बदकार मर्दों से एक बदकार औरत ज़्यादा पसंद होती है।"

(मुकाशफ़तुलकुलूब बाब–22 सफ़्हा–168)

हम इससे पहले भी ये ब्यान कर चुके कि पेशावर औरतों से भी मुबाशरत ज़िना ही कहलाएगी हालाँकि पेशावर औरतें इस काम के रुपये लेती हैं और उस काम पर वह राज़ी भी होती हैं लेकिन फ़रीक़ैन की बाहम रज़ा भी इस काम को ज़िना से मस्तसना न कर पाएगी। ज़िना से मुतअ़ल्लिक़ बहुत सारी अहादीस हम उससे पहले "ज़िना" के बाब में बयान कर चुके हैं। हक़ पसंद के लिए उसी क़दर काफ़ी व शाफ़ी।

बदकार से नेक बनाने के लिए अमल:

अगर किसी औरत का मर्द बदचलन हो और दूसरी औरत के साथ हराम कारी करता हो या हराम कारी करने पर बज़िद हो तो ऐसी औरत रात को अपने बदकार शौहर से सोहबत से क़ब्ल बावज़ू ग्यारह बार "अलवली" पढ़े। अव्वल व आख़िर में एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। फिर शौहर से मुबाशरत करे। (जब भी उस औरत का शौहर उससे सोहबत करना चाहे तो ऐसी औरत सोहबत से क़ब्ल ये अमल कर लिया करे)। इंशाअल्लाह वह परहेज़गार हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी शख़्स की औरत बदचलन हो या बदकारी करती हो तो वह भी उसी तरह ये अमल दुहराए। इंशाअल्लाह औरत नेक व परहेज़गार बन जाएगी।

(वज़ाइफ रिज़विया सफ़्हा–219)

<u>लवातित या अग़लामबाज़ी (हिजड़ों से मुबाशरत)</u>

कुछ बदबख़्त दुनिया में ऐसी भी हैं जो जिन्सी तअ़ल्लुक़ात में

हराम व हलाल में तमीज़ नहीं करते ऐसे लोग दरिंदा सिफत इंसान हैं। जो लोग किसी कम उम्र लड़के या मर्द से या फिर हिजड़े से मुंह काला करते हैं उन्हें इस्लामी शरीअत में "लूती" कहा जाता है। आम तौर पर लोग उन्हें अपनी असान ज़बान में "कनटस" कहते हैं।

रिवायत: हज़रत इमाम कलबी (रज़ि.) से रिवायत है:

"सब से पहले ये काम (यानी मर्द का मर्द से मुबाशरत करना) शैतान मरदूद ने किया। वह क़ौमे लूत मे एक ख़ूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और लोगों को अपनी तरफ़ माएल किया और उन्हें गुमराह कर के सोहबत करवाई। यहाँ तक कि क़ौमे लूत की ये आदत बन गई। अब वह औरतों से मुबाशरत करने की बजाए ख़ूबसूरत मर्द से ही फ़ेल हराम करने लगे। जो भी मुसाफ़िरान की बस्ती में आता वह उसे न छोड़ते और अपनी हवस का निशाना बना लेते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम को बहुत समझाया और उस फ़ेल बद से मना किया। उन्हें अज़ाबे इलाही से डराया लेकिन क़ौम न मानी हत्ता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त से अज़ाब की दुआ माँगी और क़ौम पर पत्थरों का अज़ाब नाज़िल हुआ। पत्थरों की बारिश होने लगी। हर पत्थर पर क़ौम के एक शख़्स का नाम लिखा था और वह उसी को आ कर लगता, जिससे वह वहीं हिलाक हो जाता। इस तरह ये क़ौम जिनकी उसी को आ लगता, जिससे वह वहीं हिलाक हो जाता। इस तरह ये क़ौम जिनकी आबादी चार लाख थी तबाह व बरबाद हो गई!"

(मुकाशफ़तुलकुलूब बाब–22 सफ़्हा–169)

इस वाक़िया की मुकम्मल तफ़सील क़ुरआन करीम के पारा–14, सूरह हिज्र में मौजूद है।

रिवायत: हज़रत इमाम अबूलफ़ज़ल क़ाज़ी अैयाज़ उन्दुली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"मैंने कुछ मशाइख़ किराम से सुना है कि औरत के साथ एक शैतान और ख़ूबसूरत लड़की के साथ अठारह शैतान होते हैं।"

(मकाशतुलक़ुलूब बाब–22 सफ़्हा–169)

रिवायत: आला हज़रत (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में नक्ल फ़रमाते हैं:

"मनक़ूल है कि औरत के साथ दो शैतान और लड़के के साथ सत्तर शैतान होते है।"

(फ़तावा रिज़विया ज़िल्द–9 निस्फ़ अव्वल सफ़्हा–64)

रिवायत: हज़रत शेख़ फ़रीदुद्दीन अत्तार (रज़ि.) अपनी शोहरए आफ़ाक़ तसनीफ़ "तज़किरतुलऔलिया" में रिवायत करते हैं:

"हज़रत समाक (रज़ि.) के इंतिक़ाल के बाद किसी ने आप को ख़्वाब में देखा कि आप का चेहरा आधा काला पड़ गया है। आप से जब उसका सबब पूछा गया तो फ़रमाया: "एक मरतबा दौर तालिबे इल्मी में, मैंने एक ख़ूबसूरत लड़के को ग़ौर से देखा था चुनाँचे जब मरने के बाद मुझे जन्नत की तरफ़ ले जाया जा रहा था तो हजन्नम की तरफ़ से गुज़ारा गया तभी एक साँप ने मेरे चेहरा पर काटा और कहा कि बस ये एक नज़र देखने की ही सज़ा है और अगर कभी तो उस लड़के को ज़्यादा तवज्जो से देखता तो में तुझे और तकलीफ़ पहुंचाता।"

(तज़किरतुलऔलिया बाब–8 सफ़्हा–41)

रिवायत: हुज्जतुलइस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते है:

"रिवायत है जिसने शहूत के साथ किसी लड़के को चूमा तो वह पाँच सौ साल दोज़ख़ की आग में जलेगा।"

(मकाशफ़तुलकुलूब बाब–22 सफ़्हा–169)

कुदरत ने इंसान के बदन के हर हिस्सा में एक ख़ास काम की कुदरत रखी है। चुनाँचे इंसान के पाख़ाने में मुक़ाम में अन्दर से बाहर फेंकने की कूवत रखी गई है। अज़लात (Limps) उस मुक़ाम पर निगहबानी के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं कि कोई बाहर की चीज़ अन्दर न जाने पाए लेकिन जब ख़िलाफ़े फ़ितरत उस मुक़ाम से सोहबत की जाती है तो वह नाज़ुक हिस्सा जो नर्म और बारीक झिल्ली और छोटी छोटी रगों से बना है ख़िलाफ़े फ़ितरत कभी सिमटने और कभी फैल जाने से ज़ख़्मी हो जाता है। रगें चमकने लगती हैं और बार बार की ये रगड़ ज़ख़्म पैदा कर देती है और इंसान मुख़्तलिफ़ क़िस्म के इमराज़ में मुब्तिला हो जाता है। इसी तरह वह शख़्स जो अपने अजूए तनासुल को मर्द के पीछे के मुक़ाम में दाख़िल करता है उसके अजूए मख़्सूस की नसें उस सख़्त मुक़ाम में बार बार दाख़िल होने की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। नसें और रगें ढीली पड़ जाती हैं। पुट्ठे ढीले हो जाते हैं और नाली में ज़ख़्म पड़ कर पेशाब में जलन, वहाँ की झिल्ली में ख़राश पैदा होती है। कसरत के साथ इस ख़्वाहिश के पूरा करने की वजह से लगातार मनी के बहने की बीमारी हो जाती है। आँखों में गढ़, चेहरा पर बेरौनक़ी, दिल व दिमाग़ कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा इंसान फिर औरत को मुंह दिखाने के लाइक़ नहीं रहता।

हकीमों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जो मर्द एक बार लवातित कर ले उसको जल्द अंज़ाल हो जाने की बीमारी हो ही जाती है।

ऐसे शख़्स की सज़ा:

ऐसे शख़्स के मुतअ़ल्लिक़ शरीअ़ते इस्लामी का फ़ैसला है कि

उसे दुनिया में ज़िन्दा रहने का कोई हक़ नहीं, उसका मर जाना ही मुआशरे के लिए बेहतर है। चुनाँचे हदीस पाक में है।

हदीसः सरकार (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

ارجموا الاعلى والاسفل ارجموا جميا يعنى الذى عمل قوم لوط

तर्जुमाः जो मर्द किसी मर्द से सोहबत करे उन दोनों को इतने पत्थर मारो कि वह मर जाऐं। ऊपर और नीचे वाले दोनों को मार डालो। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाबा–983 हदीस–1487+इब्ने माजा जिल्द–2 बाब–143 हदीस–334 सफ़्हा–109)

हदीसः हज़रत अकरमा (रज़ि.) ने हज़रत अब्बास से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमायाः

وجد تموه تعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل والمفعول به

तर्जुमाः जिनको तुम पाओ कि उसने दूसरे मर्द से सोहबत की है तो उन्हें क़त्ल कर दो, करने वाले और कराने वाले दोनों को क़त्ल करो। (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–348 हदीस–1050 सफ़्हा–376)

हदीसः हज़रत इब्ने शहाब (रज़ि.) से ऐसे मर्द के बारे में पूछा गया जो मर्द से सोहबत करेः

فقال ابن شهاب رضى الله عنه الرجم احصن اولم يحصن

तर्जुमाः फ़रमाया उसे संगसार किया जाए (यानी पत्थरों से मार मार कर क़त्ल कर दिया जाए) चाहे शादी शुदा हो या गैर शादी शुदा। (मोत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 किताबुलहुदूद हदीस–11 सफ़्हा–718)

हदीसः एक हदीस पाक में भी आया हैः

"ऐसे फ़ेल करने वालों को एक ऊँचे पहाड़ पर ले जा कर ढकेल कर हलाक कर दो, अगर बच्च जाऐं तो फिर ढकेलो, यहाँ तक कि वह मर जाऐं।"

हदीसः हज़रत मौला अली करमुल्लाह तआला वजहुलकरीम ने तो इस ख़बीस काम के करने वालों को क़त्ल कर देने पर ही बस

न किया बल्कि उन्हें आग में जलाया। हजरत सिद्दीक़ अकबर (रज़ि.) ने उन पर दीवार गिराई जिसके नीचे वह दब कर मद गए।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–9 सफ़्हा–44)

इस दौर में अमरीका और इंगलैंड वग़ैरा जो साइंस की तरक़्क़ी पर अपने आप को सब से ज़्यादा मुअ़ज़्ज़ज़ और तहज़ीब व तमद्दुन में आला समझते हैं, उनके यहाँ आज उस काम के करने वाले ज़्यादा पाए जा रहे हैं। कमाल ये है कि वह उसे कोई अैब या गुनाह नहीं समझते जिसके नतीजा में अल्लाह तआ़ला ने एडस (Aids) नाम की ख़तरनाक लाइलाज बला नाज़िल कर दी है। देखने में ये भी आया है कि इस काम के करने वालों को कुछ अरसा बाद ऐसी आदत हो जाती है कि वह ख़ुद ऐसा काम करवाने के लिए लोगों पर माल ख़र्च कर के अपनी हवस की आग सर्द करते हैं।

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"ऐसे लोग जो मर्द से मुबाशरत करें या करवाऐं उनकी तरफ़ देखना, उनसे बात चीत करना और उनके पास बैठना हराम है।"

(मकाशफ़तुलक़ुलूब बाब–22 सफ़्हा–168)

इस हदीस से वह लोग इबरत हासिल करें, जो बाज़ारों और दुकानों में हिजड़ों से हंसी मज़ाक़ करते हैं।

हदीस: हज़रत अकरमा (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया:

"नबी करीम (स.अ.व.) ने हिजड़ों पर लानत फ़रमाई और फ़रमाया उन्हें अपने घरों में दाख़िल न होने दो, उन्हें घरों से निकाल दो।"

हदीस: एक दूसरी रिवायत में है:

"सरकार (स.अ.व.) ने हिजड़ों को शहर से निकाल दिया और फरमाया: "हिजड़ों को अपनी बस्ती से

बाहर निकाल दो।" कि कहीं उनकी वजह से अल्लाह तआला तुम पर भी अज़ाब नाज़िल न कर दे।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–981 हदीस–1733 सफ़्हा–625)

सद अफ़सोस कुछ लोग शादी बियाह, बच्चे के पैदाईश या किसी और ख़ुशी के मौक़ा पर हिजड़ों को अपने घर बुलाना और उनसे बेहूदा गाने व फ़हश बातें सुनना अपनी शान समझते हैं। इस से उनके सीने फ़ख़्र व गुरूर से चौड़े हो जाते हैं। शादियों मे जब ये हिजड़े आने लगेंगे तो ज़ाहिर है फिर औलाद हिजड़ा न होगी तो क्या होगी?

आख़िरी ज़रूरी बात: हिजड़ों से मुबाशरत करने वाले को एड्स की बीमारी का होना यक़ीनी है फिर जल्द से जल्द तकलीफ़ देह मौत ही उसका अंजाम है।

जानवरों से मुबाशरत

कुदरत ने इंसान को जिस क़दर कूव्वतें अता फ़रमाई हैं उनमें से हर एक का तरीक़ए इस्तेमाल भी बता दिया गया। आज दावा किया जा रहा है कि आलमे इंसानीयत तरक़्क़ी की मंज़िलों को तय करते हुए मेराजे कमाल पर पहुंच चुकी है। दमाग़ की फ़हम व फ़रास्त, फ़लसफ़ा व माकूल की मूशिगाफ़ियों और उलूम मादिया में कैमिस्ट्री (Chemistary) वग़ैरा की नित नई तहक़ीक़ात की शक्ल में तरक़्क़ी करते हुए नई नई बातें सोचने और जदीद सही तरीक़ा निकालने में कामियाबी के ज़ीना पर फ़ाएज़ होती जाती है लेकिन दूसरी तरफ़ ख़्वाहिशे नफ़्सानी में ये ही इंसान इस क़दर ज़वाल की तरफ़ बढ़ता जा रहा है कि उसे देख कर हैरत होती है कि क्या ये वही फ़हम व फ़रास्त से आरास्ता इंसान है।

क्या आप ने जानवरों से भी बढ कर हैवान देखे हैं? ये वह लोग हैं जिन्होंने शर्म व हया के कानून की हर जंजीर को तोड़ा है। उन्हें कुछ नहीं मिलता तो जानवरों को ही अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और ये सुबूत फराहम करते हैं कि हम देखने में तो वैसे इंसान ही नज़र आते हैं लेकिन हवस और दरिंदगी के

मुआमले में जानवरों से भी बढ़ कर हैं। गोया!

शर्मे नबी ख़ौफ़े ख़ुदा ये भी नहीं वह भी नहीं

हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

من اتى بهيمة فاقتلوه اقتلوها معه.........الخ

तर्जुमाः जो शख़्स जानवर से सोहबत करे, उसे और उस जानवर दोनों को क़त्ल कर दो।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा गयाः

"जानवर ने भला क्या बिगाड़ा है?" उन्होंने इरशाद फ़रमायाः "उसका सबब तो मैं ने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से नहीं सुना मगर हुज़ूर ने ऐसा ही किया बल्कि उस जानवर का गोश्त तक खाना पसंद न फ़रमाया।"

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द-1 बाब-982 हदीस-1485 सफ़हा-728+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द-3 बाब-349 हदीस-1052 सफ़हा-376+इब्ने माजा जिल्द-2 बाब-143 हदीस-334 सफ़हा-108)

अगर हम इस हदीस पर ग़ौर करें तो उसमें चंद हिकमतें नज़र आती हैं: ग़ालिबन हुज़ूर (स.अ.व.) ने जानवर को क़त्ल करने का हुक्म इस वजह से दिया हो कि जब भी कोई उसे देखेगा तो गुनाह का मंज़र याद आएगा। दूसरी हिकमत उसमें ये हो कि उम्मत को ये तालीम देना मक़्सूद हो कि ये काम किस क़दर क़बीह है कि उसके करने वाले को क़त्ल किया जाए और जिससे ये काम किया गया उसमें किस क़दर बुराई आ गई कि उसे भी क़त्ल कर दिया जाए। (वल्लाह तआला आलम रसूलुल्लाह आलम)

अभी हाल ही में जदीद तहक़ीक़ ने इस बात को पाए सुबूत तक पहुंचा दिया है कि जो मर्द या औरत जानवर से अपनी ख़्वाहिश पूरी करते हैं उन्हें बहुत जल्द एड्स की नाक़ाबिले तरदीद बीमारी हो जाती है। याद रहे एड्स का दूसरा नाम मौत है।

मसला: किसी नाबालिग शख़्स ने बकरी, गाय, भैंस या कोई जानवर के साथ मुबाशरत की तो उसे डाँट डपट कर सख़्ती से समझाया जाए और अगर बालिग़ ने ऐसे काम किया तो उसे इस्लामी सज़ा दी जाएगी। जिसका इख़्तियार इस्लामी बादशाह को है। वह जानवर ज़िबह कर के दफ़्न कर दिया जाए और गोश्त व खाल जला दिया जाए। उसे पाला न जाए जैसे कि दुर्रेमुख़्तार में है। (दुर्रेमुख़्तार बहवाला फ़तावा रिज़विया जिल्द–5 सफ़्हा–983)

औरत का औरत से मिलाप

हदीस: अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المراة الى عورة
المراة ولا يفضى الرجل الى الرجل فى ثوب واحد
ولا تفضى المراة الى المراة فى ثوب واحد.

तर्जुमा: कोई मर्द किसी नामहरम औरत की तरफ़ और कोई औरत किसी नामहरम मर्द की तरफ़ न देखे और एक मर्द दूसरे मर्द के साथ और एक औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़ा ओढ़ कर न लेटे।

(मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–2966 सफ़्हा–73)

क़ुर्बान जाइए उस तैयब उम्मत नबी रहमत (स.अ.व.) पर कि जिन्होंने औरत को औरत के साथ एक बिस्तर पर, एक चादर ओढ़े आराम करने से मना फ़रमाया। मर्दों में जिस तरह इस हुरमत से क़ौमे लूत के नापाक अमल का ख़तरा है, औरतों में भी उस फ़ितना का डर है और जो नुक़सान दुनियावी, दीनी मर्दों की इस नापाक हरकत से पैदा होते हैं, वही औरतों की शरारत व ख़बासत से होंगे।

औरत शर्म को उंगलियों या कोई चीज या सिर्फ़ ऊपरी रगड़ और ऐसे मामूली हरकत, जिस्म की हालत को हर सूरत में तबाह करने वाली हैं और औरत के लिए जिन्दगी बेकार बनाने वाली है। इस हरकत करने से नाज़ुक झुली में ख़राश पैदा कर के वर्म आएगा। ऐसा वर्म की वजह से बार बार ख़्वाहिश पैदा होगी। बार

बार की इस हरकत से माद्दा निकलते निकलते पतला होगा और दिमाग़ की नसों पर असर पहुंच कर घबराहट, बेचैनी व पागलपन के आसार पैदा होंगे। दूसरी तरफ़ अपना ख़ून इस अंदाज़ से बहाने की वजह से दिल कमज़ोर होगा, बेहोशी के दौरे पड़ेंगे और जब ये पतला माद्दा हर वक़्त थोड़ा थोड़ा रिस्ते रिस्ते उस मख़्सूस मुक़ाम को गंदा बना कर सड़ाएगा। उसमें ज़हरीले कीड़े पैदा होंगे, ज़ख़्म भी पैदा हो जाए तो कुछ तअज्जुब नहीं। पेशाब में जलन उसकी ख़ास अलामत है। आख़िर कार माद्दा, जिगर, गुर्दा सब के काम ख़राब करेगा। आँखों में गढ़े, चेहरा पर बेरौनक़ी, हर वक़्त कमर में दर्द, बदन का कमज़ोर होना, ज़रा से काम से सर चकराना, दिल घबराना, बात बात में चिड़चिड़ापन और फिर उन सब के बाद तपेदिक़ "पुराने बुख़ार" (Chronic Fever) की लाइलाज बीमारी में गिरफ़्तार हो कर मौत का शिकार होना है और फिर मौत के बाद भी सुकून नहीं जहन्नम का अज़ाब बाक़ी।

शायद ऐसी औरतों ने ये ख़्याल कर रखा है कि ये कोई गुनाह नहीं या है भी तो मामूली सा। सुनो! सुनो! अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) क्या इरशाद फ़रमाते हैं:

हदीस: السحاق بين النساء زنا بينهن

तर्जुमा: औरतों का आपस में शहवत के साथ मिलना उनका आपस का ज़िना है।

देखो! सुनो! बग़ौर सुनो! हमारे प्यारे रहमत वाले आक़ा (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

हदीस: لا تزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فانه الزانية التي تزوج نفسها.

तर्जुमा: न औरत, औरत के साथ नज़दीकी करे, न औरत अपने हाथों अपने आप को ख़राब करे, जो औरत अपने हाथों अपने आपको ख़राब करे, जो औरत अपने हाथों अपने आप को ख़राब करती है वह भी यक़ीनन ज़ानिया (ज़िना करने वाली) है।

इस गुनाह के लिए दुनिया का कोई बदतरीन अज़ाब भी काफ़ी

नहीं हो सकता। उसके लिए हजन्नम के वह दहकते हुए अंगारे और दोज़ख के वह डरावने ज़हरीले साँप और बिच्छू ही सज़ा हो सकते हैं जिनकी तकलीफ़ नाक़ाबिले बरदाश्त और इंतिहाई अज़ीयत पहुंचाने वाली है।

अपने हाथों अपनी बरबादी

ये इंसानी आदत व फ़ितरत का तक़ाज़ा है कि वह अपने कमाल का इज़हार करना चाहता है। यही जज़्बा उस ख़ास दौलत व मख़्सूस कूवत के पैदा होने और कमाल की सूरत इख़्तियार करने के बाद उसके इज़हार की तरफ़ माइल करता है और ख़्वाह मख़्वाह दिल में ये सौदा समाता है कि इस दौलत को सर्फ़ करने की लज़्ज़त उठाए। बाज़ औक़ात ये लज़्ज़त उठाने का जज़्बा इंसान को इस क़दर मजबूर कर देता है बल्कि ऐसा अज़ख़ुद रफ़्ता बना देता है कि अगर इस हालत को जिनों से ताबीर किया जाए तो बजा होगा। "الشباب شعبة من الجنون" "जवानी दीवानी" के इस अरबी मकूले के मुताबिक़ आज का हमारा नौजवान अपनी जवानी को दीवानगी की उस बुलंदी पर ले जा चुका है कि जहाँ पहुंचने के बाद शहवत और हवस के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता और फिर जब वह उस चोटी से फिसल कर गिरता है तो उसकी मसख़ शुदा मर्दानगी की लाश को शनाख़्त कर पाना भी मुश्किल हो जाता है।

बताइए इस दौर में जिस क़दर बुराईयाँ फैल रही हैं उसकी सब से बड़ी वजह क्या है? जी हाँ! फ़िल्में। आज मुसलमानों का तकरीबन हर मकान एक सीनेमा घर बन चुका है। जब एक बच्चा होश की मंज़िल को छूता है तो वह अपने घर में टी0 वी0 के ज़रीए वह सब कुछ देखता और जान लेता है जो इस उम्र में नहीं जानना चाहिए। जब होश संभालते ही वह फ़िल्मों में एक मर्द और औरत की बीच के ख़ास तअल्लुक़ात को देखता है तो उसमें भी फ़ितरी तौर पर वही सब कुछ करने की ख़्वाहिश पैदा होने लगती है। फिर ये ख़्वाहिश तरक़्क़ी कर के उम्र के साथ साथ मज़ीद

बढ़ती जाती है और वह खुद को उम्र से पहले ही जवान समझने लगता है। मुसीबत बालाए मुसीबत कि स्कूल, कालेज, बाज़ारों और सड़कों पर जिस्म की नुमाईश करती जवान लड़कियाँ उसके जज़बए शहवत को जुनून की हद तक पहुंचाने में आग पर पेट्रौल का काम करती हैं लेकिन जब वह इस नफ़्सानी ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए असबाब नहीं पाता है तो वह ग़लत तरीक़ों का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी वह तन्हा होता है तो ये जिन्सी ख़्वाहिश उसे परेशान कर देती है और फिर वह तस्कीन के लिए अपने ही हाथों अपनी कुव्वत (मनी) को निकाल कर मज़ा हासिल करता है। अक्सर लड़के स्कूल, कालेजों में बैतुलखुला में जा कर ये सब करते हैं। एक बार का ये अमल फिर हमेशा की आदत बन जाता है।

हाथों के इस नर्म व नाज़ुक हिस्सा (अजूए तनासुल) की हमेशा की ये छेड छाड उसे कमज़ोर बना देती है। वह बारीक बारीक रगें और पुट्ठे भी उस सख़्ती को बरदाश्त नहीं कर सकते चाहे कैसी ही चिकनाहट क्यों न इस्तेमाल में लाई जाए। इससे सब से पहले जो नुक़्सान होता है वह अजूए तनासुल का जड़ से मकज़ोर और लाग़र होना है। उसके अलावा जहाँ जहाँ रगें फैल नहीं सकेंगी सख़्ती जाती रहेगी। जिस्म ढीला और बेहद लाग़र हो जाएगा। अपने हाथों के इस करतूत के सबब ऐसा शख़्स औरत के क़ाबिल नहीं रहता। अगर कोई शरीफुन्नफ्स, इज़्ज़त पसंद लड़की ऐसे शख़्स के निकाह में दे दी जाए तो उम्र भर अपनी किस्मत को रोयेगी और ये कमज़र्फ़ उसको मुंह दिखाने के क़ाबिल न होगा। अव्वल तो उससे मिल ही नहीं सकता कि जब भी औरत से मिलना चाहेगा पहले ही सब कुछ बाहर गिरा देगा और अगर किसी तरकीब से मिल भी जाए तो मादा में औलाद पैदा करने वाले अजज़ा पहले ही इस हरकत से ख़त्म हो चुके। इसलिए अब ऐसे शख़्स को औलाद से भी मायूस होना पड़ता है।

याद रखिए! ये वह क़ीमती ख़ज़ाना है जो ख़ून से बना और

खून भी वह जो तमाम बदन को गज़ा पहुंचाने के बाद बचा। बस अगर इस मनी के खज़ाने को इस तेज़ी के साथ बरबाद किया गया तो दिल कमज़ोर होगा। दिल पर तमाम मशीन का दारोमदार है। जिगर को खून न पहुंचा यानी ये आदत इस हद को पहुंची कि खून बनने भी न पाया था कि निकलने की नौबत आ गई तो जिगर का काम खराब हुआ।

एक जबरदस्त तजुर्बाकार डॉक्टर ने अपनी तहक़ीक़ में इस तरह लिखा है:

> 'एक हज़ार तपेदिक के मरीज़ों को देखने के बाद साबित हुआ कि एक सौ छयासी मरीज औरतों से ज्यादा सोहबत करने की वजह से इस मर्ज़ में मुब्तिला हैं और चार सौ चौदह सिर्फ़ अपने हाथों अपनी कूवत को बरबाद करने की वजह से और बाकी दूसरे मरीज़ों की बीमारी की वजह दूसरी थी। हम ने एक सौ चौबीस पागलों का मुआएना किया, उनके मुआएना करने से मालूम हुआ कि उनमें से चौबीस सिर्फ़ अपने हाथों अपनी कूवत को बरबाद करने की वजह से पागल हुए हैं और बाकी एक सौ पागल दूसरी वजूहात से।''

(बहपाला जवानी की हिफ़ाज़त अज़ हज़रत मौलाना शाह मुहम्मद अब्दुलअलीम साहब अलैहिरहमा सफ़्हा–67)

इंसानी दौलत का ये अनमोल ख़ज़ाना अगर इंसानी जिस्म के संदूक में चंद दिनों तक अमानत रहे तो दोबारा ख़ून में जज़्ब हो कर ख़ून को कुव्वत देने वाला, सेहत को दुरुस्त और बदन को मज़बूत बनाने वाला, रोब और हुस्न व जमाल को बढ़ाने वाला और ख़ूबसूरती बाह में चार चाँद लगाने वाला साबित होगा। दमाग़ के तेज़ी तरक्की पाएगी, यादाश्त तेज़ होगी, आँखों में सुर्ख़ी दौड़ेगी, हिम्मत और बुलंद हौसला की सर बुलंदी उस दौलत में इज़ाफ़ा की अलामत होगी। बाज़ हकीमों ने कहा है:

"जिसे हद से ज़्यादा दुबला, कमज़ोर वहशियाना शक्ल व सूरत का पाव, जिसकी आँखों में गढ़े पड़ गए हों, आँखों की पुतलियाँ फैल गई हों, हद से ज़्यादा शर्मीला हो, तन्हाई पसंद करता हो, उसके बारे में यक़ीन कर लो कि उसने अपने हाथों अपना ख़ून बहाया है।"

बाज़ मोतबर अतबा की तहक़ीक़ के मुताबिक़:

"सौ मरतबा अपनी बीवी से मुजामिअ़त करने पर जितनी कमज़ोरी आती है इतनी एक मरतबा अपने हाथों से अपनी कूवत बरबाद करने में कमज़ोरी आती है।" (वल्लाहो अलम)

आज लोगों से छुप कर ये बुराई कर रहे हो, माना कि तुम्हारी इस क़बीह हरकत को किसी ने नहीं देखा लेकिन ये तो सोचो कि ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला परवरदिगार तुम्हारे इस करतूत को देख रहा है। उससे भला किस तरह से और कहाँ छुप सकते हो। अल्लाह तआ़ला ने ज़िना को हराम किया, उसकी सज़ा बताई कि ये सज़ा दुनिया में दी जाए तो आख़िरत के अज़ाब से बच जाए लेकिन अपने हाथों इस अनमोल ख़ज़ाना को बरबाद करना ऐसा सख़्त गुनाह ठहराया कि दुनिया की कोई सज़ा ऐसे जुर्म के लिए काफ़ी नहीं हो सकती। जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब ही उसका मुतबादिल हो सकता है।

हदीस: अल्लाह के प्यारे हबीब, हमारे आक़ा व मौला (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

ناكح اليد ملعون

तर्जुमा: हाथ के ज़रीए अपनी कूवत (मनी) को निकालने वाला मलऊन (अल्लाह की तरफ़ से फ़टकारा हुआ) है।

अगर ख़ुदा नख़्वास्ता कोई नसीब का दुश्मन इस बुरी आदत का शिकार हो चुका है तो उसे हमारा दर्दमंदाना मश्वरा है कि ख़ुदारा किसी इश्तेहारी दवाओं की तरफ़ न जाइए। पहले सच्चे दिल से तौबा करें और फिर किसी अच्छी तजुरबाकार, तालीम

याफ्ता हकीम या डॉक्टर के पास जाए और बगैर किसी शर्म के अपना सारा कच्चा चिट्ठा सुनाए और जब तक वह कहे बाकाएदा पूरे परहेज के साथ उसके इलाज पर अमल कीजिए। उम्मीद है कि कुछ मरहम पट्टी हो जाए।

ताक़त बख़्श गिज़ाऐं

अहादीस मुबारका में ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनके खाने से जिस्मानी कूवत में इज़ाफ़ा होता है। जिस्म हमेशा सेहतमंद और दुरुस्त रहता है और ख़ास कर मर्दों की कूवते बाह में तरक्की होती है।

हदीसः उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से रिवायत हैः

كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يحب الحلواء والعسل

तर्जुमाः रसूल अकरम (स.अ.व.) को मीठी चीज़ और शहद बहुत पसंद था।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द-3 बाब-399 हदीस-642 सफ़्हा-253)

हदीसः रसूल अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

तर्जुमाः शहद से बढ़ कर कोई दवा नहीं।" यानी हर बीमारी के लिए शहद बेहतरीन इलाज है।

शहद के बेशुमार फ़ाएदे हैं। शहद में हज़ारों किस्म के फूलों का रस होता है। अगर पूरी दुनिया के तमाम हुक्मा व डॉक्टर मिल कर भी ऐसा रस तैयार करना चाहें तो भी लाख कोशिश कर लें वह ऐसी चीज़ तैयार नहीं कर सकते! ये अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का अपने हबीब (स.अ.व.) के सदके में ख़ास करम है कि वह छोटी छोटी मक्खियों से अपने बंदों के लिए ऐसी बेहतरीन और नफ़ा बख़्श चीज़ तैयार करवाता है।"

हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत हैः "हुज़ूर अकदस (स.अ.व.) को पीने की चीज़ों में सब से ज़्यादा दूध पसंद था।"

हदीसः हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने इरशाद फ़रमाया

"हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) खुजूर, मक्खन, दही मिला कर खाते हैं और ये आप को बहुत पसंद था।"

नोट: तीनों चीज़ें बराबर बराबर मिला कर खाएें। मसलन आधा पाव मक्खन, आधा पाव दही, आधा पाव खुजूर। इन तीनों को मिला कर हलवा सा बना लें।

हदीस: रसूल अल्लाह (स.अ.व.) अक्सर खुजूर को मक्खन के साथ खाया करते थे।

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (रज़ि.) से "शमाइल तिर्मिज़ी" में है:

كان النبى صلى الله عليه وسلم يا كل القثاء بالر طب

तर्जुमा: हुज़ूर (स.अ.व.) तर खुजूर (पिंड खुजूर) के साथ ख़रबूज़ा मिला कर तनावुल फ़रमाते थे।

(शमाइल तिर्मिज़ी बाबा माजा सफ़्ता फ़ाखता रसूल अल्लाह स.अ.व.)

हदीस: हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"रसूलुल्लाह (स.अ.व.) कद्दू पसंद फ़रमाते थे। जब आप के लिए खाना लाया जाता या आप खाने के लिए बुलाए जाते तो मैं तलाश कर के कद्दू आप के साने रखता था क्योंकि मुझे इल्म था कि आप उसे पसंद करते हैं।"

(शमाइल तिर्मिज़ी बाब माजा सफ़्ता फ़ाखता रसूल स.अ.व.)

हदीस: हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة.

तर्जुमा: रसूलुल्लाह (स.अ.व) ने इरशाद फ़रमाया जैतून का तेल खाया करो और बदन पर भी लगाया करो क्योंकि वह मुबारक दरख़्त से निकलता है। (शमाइल तिर्मिज़ी बाब माजा फ़ीसफ़्ता आदाम रसूल अल्लाह स.अ.व.)

हदीस: हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"मसूर और जैतून सालेहीन की ग़ज़ा है। मसूर से दिल नर्म और बदन हल्का रहता है और शहूत एतेदाल पर रहती है।"

हज़रत इमाम मुहम्मद गज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"चार चीज़ें कूवत बाह. को बढ़ाती हैं: (1) चिड़यों का गोश्त (2) इतरी फ़ल (एक किस्म की जड़ी बूटी जिसे यूनानी में इतरी फल और आयुरवैद में तिरी फल कहते हैं) (3) पिस्ता खाना (4) और तेरह तेज़क (एक क़िस्म की यूनानी जड़ी बूटी)।"

(अहयाउलउलूम)

हदीस: रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ان اطيب اللحم الظهر

तर्जुमा: तमाम गोश्त में पुश्त (पीठ) को गोश्त सब से बेहतर है। (शमाइल तिर्मिज़ी बाब माजा फ़ीसफ़्ता आदाम रसूल अल्लाह स.अ.व.)

गाय का गोश्त

कुछ लोग गाय के गोश्त को बहुत बुरा समझते हैं जबकि अल्लाल तआला ने उसे हलाल फरमाया और उसमें बरकत अता फ़रमाई। इसे जिहालत के सिवा और क्या कहा जा सकता है कि जिस चीज़ को अल्लाह तआला हलाल फ़रमाए उसे बंदा नाजाइज़ और बुरा समझे। अगर किसी शख़्स को कोई चीज़ पसंद न हो तो वह उसे न खाए लेकिन इस्लाम किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि वह सिर्फ़ अपने नापसंद होने की वजह से उसे बुरा जाने और जो लोग खाते है उन्हें हिक़ारत की नज़र से देखे।

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता हैं:

يا يها الذين امنوا لاتحرموا طيبت ما احل الله لكم
ولا تعتدوا ط ان الله لا يحب المعتدين ط

तर्जुमा: ऐ ईमान वालो! हराम न ठहराव वह सुथरी चीज़ें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से न बढ़ो. बेशक हद

से बढ़ने वाले अल्लाह का ना पसंद हैं।

(तर्जुमा कंजुलईमान पारा–6 सूरह अलमाएदा रुकूअ–2 आयत–87)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"गाय को गोश्त बेशक हलाल है और निहायत ग़रीब परवर और कुछ चीज़ों में तो बकरे व बकरी के गोश्त से ज़्यादा फ़ाएदा बख़्श है। बहुत से गोश्त के शौकीन उसे पसंद करते हैं और बकरी के गोश्त को "बीमार की ख़ुराक" कहते हैं और उसकी कुर्बानी का ख़ास कुरआन अज़ीम में इरशाद है और ख़ुद हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने उसकी कुर्बानी अज़वाजे मुतह्हारात की तरफ़ से फ़रमाई। हिन्दुस्तान में इसकी कुर्बानी बिलख़ुसूस शआएरे इस्लाम और उसकी कुर्बानी बाकी रखना वाजब है।"

(अलमलफूज़ जिल्द–1 सफ़हा–14 मलफूज़ात आला हज़रत अलैहिरहमा)

गाये की कुर्बानी हिन्दुस्तान में शआएरे इस्लाम (इस्लाम की निशानी) और उसका बाकी रखना वाजिब इसलिए है कि यहाँ के काफ़िर गाय की पूजा करते हैं। इसे अपना माबूद मानते हैं और इस्लाम हर बातिल माबूदों को खत्म करने आया है।

आला हज़रत (रज़ि.) अपनी एक दूसरी तस्नीफ़ "अहकामे शरीअत" में इरशाद फ़रमाते हैं:

"मुशरिकों की ख़ुशनूदी के लिए गाय की कुर्बानी बंद करना हराम, हराम, सख़्त हराम है और जो बंद करेगा जहन्नम के अज़ाबे शदीद का मुस्तहिक़ होगा और रोज़े क़यामत मुशरिकों के साथ एक रस्सी में बाँधा जाएगा।"

(अहकामे शरीअत जिल्द–2 सफ़्हा–139)

गाय का गोश्त हलाल जरूर है उसके फ़ाएदे भी बहुत है लेकिन उसके इस्तेमाल में एतेदाल बरते क्योंकि किसी भी शय का कसरत से इस्तेमाल बजाए फ़ाएदे के नुक़्सान का सबब बन जाता है।

हदीसः अमीरुलमोमिनीन हज़रत मोला अली (रज़ि.) से मरवी हैः "रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने चालीस रोज़ लगातार गोश्त खाने से मना फ़रमाया।"

इन चीज़ों का इस्तेलाल हमेशा अपनी ग़ज़ाओं में रखें कि उनके खाने से बहुत से फ़ाएदे हैं। ये चीज़ें कूवते बाह में इज़ाफ़ा करती हैं। यहाँ हर एक के फ़ाएदे बयान करना मुमकिन नहीं। लिहाज़ा सिर्फ़ उनके नाम ही लिखने पर इक्तिफ़ा किया जाता हैः

अनाजः गेहूँ, तिल, मूंगफली, मूंग, चना, ख़शख़श।

सब्ज़ीः प्याज़, लहसन, आलू, अरुई, भिंडी, शलजम, कद्दू, गाजर, शकरकंद।

पक्की चीजें: मुर्गी का गोश्त, मुर्गी के अंडे, बतख़ के अंडे, ताज़ा मछली, बकरे और गाय का गोश्त, पाये, कलेजी, दूध, दही मक्खन।

फलः आम, अंगूर, अनार, केला, संब, अमरूद, ख़रबूज़ा, तरबूज़।

मेवेः खुजूर, पिस्ता, बादाम, मखाना, किशमिश, अख़रोट, खोपरा, चिरोंजी, ज़ैतून।

ताक़त कम करने वाली ग़ज़ाऐं

कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कुव्वते बाह में कमी का बाइस होता है। लिहाज़ा कुव्वते बाह को हमेशा क़ाइम रखने के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल न करे और अगर कभी करना ही पड़ जाए तो बहुत कम इस्तेमाल करे कि उन चीज़ों के इस्तेमाल से मर्द में कमज़ोरी पैदा होती है और इंज़ाल जल्द हो जाता है। इमली, खट्टा आम, लेमूँ या आम का अचार, चटनी, आम की खटाई

और दीगर खट्टे फल ज़्यादा चाय, काफी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरा। इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना मर्द की कुव्वते बाह के लिए नुक़्सान देह है और ख़ास कर शराब, अफ़ीम और हर वह चीज़ जो नशा पैदा करे उसका इस्तेमाल तो कुव्वते बाह के हक़ में ज़हरे क़ातिल है।

मर्दाना बिमारियाँ और उनका एलाज

मौजूदा दौर में बदकारी और ऐयाशी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसकी अहम वजह फिल्में, औरतों का बेपरदा घूमना, नौजवान लड़के, लड़कियों का गंदे मैगज़ीन और नाविल पढ़ना, स्कूलों और कॉलेजों में लड़के लड़कियों का एक साथ रहना वगैरा जैसी चीज़ें हैं।

इन बदकारियों और ऐयाशों का नतीजा है कि अक्सर मर्द और औरतें ख़तरनाक जिन्सी बीमारियों में फंसे हुए हैं। इसलिए अव्वल तो ऐसी हरकतें ही नहीं करना चाहिए जिससे ख़तरनाक बीमारी होने का ख़तरा हो और अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो पहले सच्चे दिल से तौबा कीजिए और किसी इश्तिहारी और सड़क छाप नीम हकीम ख़तरा जान के पास जा कर अपनी बची खुची सेहत को बरबाद करने की बजाए किसी अच्छे पढ़े लिखे क़ाबिल डॉक्टार या हकीम से एलाज करवाइए।

इन बदकारियों और ऐयाशियों का नतीजा है कि अक्सर मर्द और औरतें ख़तरनाक जिन्सी बीमारियों में फंसे हुए हैं। इसलिए अव्वल तो ऐसी हरकतें ही नहीं करना चाहिए जिससे ख़तरनाक बीमारी होने का ख़तरा हो और अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो पहले सच्चे दिल से तौबा किजिए और किसी इश्तिहारी और सड़क छाप नीम हकीम ख़तरा जान के पास जा कर अपनी बची खुची सेहत को बरबाद करने की बजाए किसी अच्छे पढ़े लिखे क़ाबिल डॉक्टर या हकीम से इलाज करवाइए।

हम यहां कुछ मर्दाना बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के मुतअल्लिक़ तहरीर कर रहे हैं। इन बीमारियों के इलाज के

लिए वैसे तो बुजुर्गाने दीन और हकीमों ने कई तरह के नुस्ख़े और दवाईयाँ बयान की हैं लेकिन आज सब से बड़ी दुश्वारी ये है इन नुस्ख़ों और दवाओं में जिन अशया को इस्तेमाल किया जाता है उनमें से कुछ तो मिलती ही नहीं और कुछ मिल भी जाएं तो उमूमन वह असली नहीं होतीं। लिहाज़ा हम यहाँ कुछ ऐसे ही नुस्ख़े बयान कर रहे है जिनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप को आसानी से मिल जाऐंगी और आप इसे अपने घर में खुद तैयार भी कर सकते हैं। उसके अलावा साथ ही हम कुछ वज़ाइफ़ और तावीज़ात भी लिख रहे हैं जो बुजुर्गाने दीन से साबित हैं क्योंकि हकीमी एलाज के साथ साथ रुहमानी इलाज भी ज़रूरी है।

नोट: तावीज़ात किसी सुन्नी आलिम से या फिर किसी सुन्नी सहीहुलअक़ीदा माहिर शख़्स से ही ज़ाफ़रान से लिखवाएं।

नामर्दी

कुछ लोग अपने बचपन में ग़लतियों व बुरी संगत की वजह से अपनी ताक़त गँवा देते हैं जिसके नतीजा में मर्दाना कुव्वत से हाथ धो बैठते हैं और फिर शर्म की वजह से अपना हाल किसी से बता भी नहीं पाते। शादी होने या शादी की बात चलने के वक़्त ऐसे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। अगर मर्द में कुव्वते बाह कम हो और औरत में ज़्यादा हो तो ऐसी हालत में औरत मुतमइन नहीं हो पाती है और इस नामुमकिन जिमाअ से जिसमें मर्द को जल्द इन्ज़ाल हो जाता है और औरत को इंज़ाल नहीं हो पाता। औरत को नागवार मालूम होता है और वह आसानी बीमारी जिसे हिस्ट्रिया (Hesteria) कहते हैं और जिसमें जिस्म के पुट्ठे कमज़ोर हो जाते है, इस मर्ज में मुब्तिला हो जाती है। जिमाअ से बेरग़बती और शौहर से नफ़रत करने लगती है।

ज़्यादा मुबाशरत से भी नामर्दी की सूरत पैदा हो जाती है। ऐसी हालत में मर्द को एलाज की तरफ ध्यान देना चाहिए लेकिन हम फिर कहे देते हैं कि इश्तिहारी हकीमों, डॉक्टरों या सडक छाप दवा बेचने वालों से भूल कर भी इलाज न करवाए। ये लोग जिस

किस्म की दवाएं बनाते हैं उनमें अक्सर अफ़यून, धतूरा, भंग संखिया वग़ैरा जैसी चीज़ों की आमेज़िश होती है, जिससे फ़ौरन तो फ़ाएदा हो जाता है लेकिन बाद में शदीद नुक़्सानात होते हैं और उनका हमेशा बार बार का इस्तेमाल जल्द क़ब्र के गढ़े तक पहुंचा देता है। इसलिए हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) और बुज़ुर्गाने दीन की हिदायतों से फ़ाएदा हासिल करना चाहिए और दवाओं की बजाए ग़ज़ाओं से कमज़ोरी दूर करना चाहिए। अब हम नामर्दी की शिकायत को दूर करने के लिए चंद नुस्ख़े बयान कर रहे हैं।

हदीस: अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"बदन से ज़ेरे नाफ़ बालों को जल्द दूर करना कुव्वते बाह में इज़ाफ़ा करता है।"

मसला: नाफ़ के नीचे के बाल दूर करना सुन्नत है और बेहतर ये है कि हफ़्ता में जुमा के दिन दूर करे। पन्द्रहवीं रोज़ करना भी जाइज़ है और चालीस दिनों से ज़्यादा गुज़ारना मकरूह व वक़्त मना है। (क़ानूने शरीअत जिल्द-2 सफ़हा-211)

नुस्ख़ए जात:

(1) माश दाल (उड़द की दाल) एक पाव किसी काँच या चीनी के बरतन में डाल कर उससे सफ़ेद प्याज़ का रस इतना डालें कि दाल रस में अच्छी तरह भीग जाए। एक दिन, रात उसको भीगा रहने दें। फिर जब वह सूख जाए तो फिर प्याज़ का रस पहले की तरह दाल में पूरे भीगने तक डालें। फिर एक दिन रात पहले की तरह सूखने के लिए रख दें। इस तरह ये अमल कुल सात बार करें यानी सात मरतबा प्याज़ का रस डालें और एक रात तक दाल भीगने और सूखने दें। अब दाल को बारीक पीस लें और हर रोज़ पच्चीस ग्राम ये पिसी हुई दाल लें। फिर उसमें पच्चीस ग्राम असली घी, पच्चीस ग्राम शक्कर मिला कर हर रोज़ सुब्ह को फाँक लें। और उस पर पाव भर दूध पी लें। ये दवा चालीस दिनों तक खाएं और इस अरसे में औरत से जमाअ न करें।

(2) प्याज़ का रस एक पाव और असली शहद एक पाव दोनों

को मिला कर आग पर पकाए और जब प्याज़ का रस सूख कर सिर्फ शहद बाकी रह जाए तो बोतल भर लें. बीस ग्राम से लेकर तीस ग्राम पानी या चाय के साथ पी लिया करे।

(3) खुजूर और भुने हुए चने दोनों हम वज़न लेकर पीस लें और फिर छान कर उसमें थोड़ा सा प्याज़ का रस मिलाएं। फिर लड्डू बना लें और सुब्ह एक एक लड्डू खा लिया करें (अगर उसमें बादाम मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं)।

(4) हल्के गर्म दूध में शहद मिला कर पीते रहने से कुव्वते बाह में इज़ाफ़ा होता है। (नहार मुंह इस्तेमाल न करें)

(5) चने की दाल एक पाव लेकर आधा पाव गाय के दूध में मिला कर अच्छी तरह पकाऐं। जब सारा दूध सूख कर दाल में रच जाए तो उसे सिल पर बारीक पीस लें फिर पाव भर असली घी में थोड़ा सा भून कर पाव भर शक्कर मिला दें। इस हलवे को रोज़ाना एक छटाँक (50 ग्राम) सुब्ह नाश्ते में लीजिए।

(6) हकीमों ने प्याज़ के इस्तेमाल को कुव्वते बाह के इज़ाफ़ा के लिए मुफ़ीद बताया है लेकिन उसका इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना हज़्म हो सके, हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी नुक़सान देह है। (अमा शुलिस्तान रज़ा जिल्द–1 सफ़्हा–104)

रूहानी इलाज:

(1) अगर कोई शख़्स किसी वजह से नामर्दी का शिकार हो चुका हो तो उसे चाहिए कि हर रोज़ बाद नमाज़े फ़ज्र सूरह इब्राहीम (क़ुरआन करीम में तेरहवीं पारे में है) की तिलावत करे और सूरह इब्राहीम के इन नक़्श को तावीज़ बना कर अपने पास रखे; सूरह इब्राहीम का नक़्श ये है:

۲۱۳۵۹	۲۱۳۵۷	۲۱۳۶۰	۲۱۳۴۷
۲۱۳۵۹	۲۱۳۴۸	۲۱۳۵۳	۲۱۳۵۸
[illegible]	[illegible]	۲۱۳۵۵	۲۱۳۵۲
۲۱۳۵۲	۲۱۳۵۸	۲۱۳۵۰	۲۱۳۶۱

(2) अगर किसी शख़्स पर जादू कर दिया गया हो और जादू के बाइस औरत पर क़ादिर न हो सके तो वह कुछ बाँस की लकड़ियाँ ले कर उन्हें जलाए, फिर जोड़ वाला बसूला (बुढ़िया का वह औज़ार जिससे थोड़ी थोड़ी लकड़ी छीलते हैं) ले और उसे आग में गर्म करे यहाँ तक कि सुर्ख़ हो जाए फिर आग से उसे निकाल कर उस पर पेशाब कर दे ये अमल करने के बाद बेरी के सात पत्ते पीस कर पानी में घोल ले, वह पानी कुछ तोपी ले बाक़ी पानी से गुस्ल करे। ये बहुत मुजरिब अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से जादू का असर ख़त्म हो कर मर्दानगी लौट आएगी।

सुरअ़ते इंज़ाल

सुरअ़ते इंज़ाल उस हालत में कहते हैं कि जब मर्द जिमाअ़ का इरादा करे या मुबाशरत शुरु करे और उसे जल्द ही इंज़ाल हो जाए। मुबाशरत के वक़्त इंज़ाल कम अज़ कम दो मिन्ट के बाद होना चाहिए। अगर डेढ़ मिन्ट में ही इंज़ाल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सुरअत इंज़ाल का मर्ज़ है। अगर मर्द को सुरअत इंज़ाल की शिकायत हो जाए तो ऐसी सूरत में औरत की तसल्ली नहीं हो पाती है क्योंकि उमूमन इतनी जल्दी औरत को इंज़ाल नहीं होता और ये हालत औरत के लिए तकलीफ़ देह होती है और इससे एक बड़ा नुक़्सान ये भी है कि इसतक़रार हमल नहीं होता।

जब ये मर्ज़ बढ़ जाता है तो किसी ख़ूबसूरत औरत को देखने से या किसी का सिर्फ़ ख़्याल आ जाने से या फिर अजूए तनासुल के किसी नर्म व नाज़ुक कपड़े से छू जाने से भी इंज़ाल हो जाता है। इस मर्ज़ क होने के कई वजूहात हैं जैसे हलक़ (अपने हाथों अपने मनी निकालने की बुरी आदत)। हमेशा गंदे व बेहूदा ख़्यालात ज़ेहन में रखना, उरयानी फ़िल्में देखना, किसी वजह से मनी का पतला होना वग़ैरा जैसी वजूहात हैं। इस बीमारी के होने की एक सब से बड़ी वजह ज़्यादा सोहबत करना भी है। इस मर्ज़ को दूर करने के लिए तेज़ गर्म चीज़ों के खाने से परहेज़ करना चाहिए, इसी तरह गंदी बातों, फ़िल्मों और गंदे नाविल पढ़ने से बचना

चाहिए।

नुस्खए जात:

(1) पाँच अदद खुजूरें लें, पाँच अदद मीठी अच्छे क़िस्म की बादाम लें कद्दू के बीज मीठे छः माशा (एक माशा 8 रत्ती को होता है, इस हिसाब से 48 रत्ती बीज लें) नारियल दो तोला (यानी 20 ग्राम)। चारों को मिला कर अच्छी तरह बारीक पीस लें। फिर एक सेर गाय के दूध में अच्छी तरह पका कर ठंडा कर लें, रोज़ाना सुब्ह का नाश्ते में खाऐं।

(2) अंडे और गोश्त का इस्तेमाल भी ऐसी मरीज़ों के लिए फ़ाएदे मंद होता है। ऐसे मरीज़ घी, मक्खन, मलाई का इस्तेमाल खाने में ज्यादा से ज़्यादा करते रहें। सुब्ह हल्की सी वरज़िश (कसरत) जरूर करें।

(3) वह नुस्खा जो हम ने नामर्दी वाले बाब में नुस्ख़ा नम्बर 5 में लिखा है, इसका इस्तेमाल भी सुरअत इंज़ाल के मरीज़ के लिए फ़ाएदामंद साबित होगा।

(4) ज़्यादा देर रात तक जागते न रहना और सुब्ह जल्दी उठाना भी सुरअत इंज़ाल के मरीज़ों के लिए फ़ाएदामंद है।

रूहानी इलाज:

हम यहाँ सुरअत इंज़ाल के मर्ज़ के छुटकारे के लिए एक नक्श तहरीर कर रहे हैं। इसे ज़ाफ़रान से लिख कर कमर में बाँध लें ख़ुदा ने चाहा तो भरपूर ताक़त पैदा होगी और कैसी ही शहूत परस्त औरत क्यों न हो, मर्द के मुक़ाबिल उसे शिकस्त होगी, इंज़ाल देर में होगा और साथ ही कुव्वते बाह में इज़ाफ़ा होगा। नक्श ये है:

۸	۴۷۴	۴۷۷	۱
۴۷۶	۲	۷	۴۷۵
۳	۶	۴۷۹	۴۷۲
۴۷۳	۵	۴	۴۴۸

एहतलाम (नाइट फॉल)

एक तंदरुस्त मर्द को महीने में दो या तीन बार एहतलाम हो जाए तो सेहत पर कोई फर्क नहीं पडता और न ही ये कोई बीमारी है लेकिन जब ये एहतलाम (नाइट फॉल) ज़्यादा होने लगे यानी महीने में चार से ले कर छः बार तो फिर ये एहतलाम की बिमारी में दाख़िल है। ज़्यादा एहतलाम होने की कई वजूहात हो सकती हैं। आम तौर पर ख़्यालात का गंदा रहना, इश्क़ व मुहब्बत की कहानियाँ पढ़ना, गंदी फ़िल्में देखना और हमेशा गंदी बातें करते रहना वगै़रा जैसी वजूहात हैं जिनकी वजह से एहतलाम की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी आगे चले कर बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है। सुरअत इंज़ाल और फिर मज़ीद बढ़ कर नामर्दी की हद तक पहुंच जाती है।

चंद एहतियातें:

ऐसे लोग जिनको एहतलाम ज़्यादा होता हो तो उन्हें इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ज़्यादा एहतलाम की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। (काशिफ़)

❏ मरीज़ को चाहिए कि पेशाब कर के और वुज़ू बना कर सोये और सुब्ह जल्द उठ जाए।

❏ दाहिनी करवट सोने से एहतलाम कम होता है और दाहिनी करवट सोना हमारे प्यारे आक़ा (स.अ.व.) की प्यारी सुन्नत है। (अली हसन)

❏ रात का खाना सोने से तीन चार घन्टे पहले ही और ज़रा कम ही खाए।

❏ सोते वक़्त ज़्याद गर्म दूध न पीये, ठंडा या हल्का गर्म पीये।

❏ सोने से पहले कोई अच्छी सी दीनी मालूमात वाली किताब का मुताला करे।

❏ खट्टी, तेज़, चटनी, ज़्यादा गोश्त वग़ैरा न खाया करे।

❏ अंडरवियर या चड्डी पहन कर न सोए।

नुस्ख़ा:

सूखा धनिया एक तोला (10 ग्राम) थोड़ा गर्म कर के रात को एक गिलास पानी में भिगो कर रखें। सुब्ह को छान कर दो तोला (20 ग्राम) मिस्री (गाढ़ी शक्कर) से मीठा कर के पीए।

रूहानी इलाज:

जिस शख़्स को एहतलाम ज़्यादा होता हो तो उसे चाहिए कि सोते वक़्त अपने दिल पर शहादत की उंगली से लिख लिया करे "या उमर फ़ारूक़ आज़म" इंशाअल्लाह एहतलाम से महफ़ूज़ रहेगा और ये नक़्श लिख कर बाज़ू पर बाँधे या गले में डाले। नक़्श ये है:

بحق ابابکر صدیق	بحق عمر فاروق
یگریز و شیطان لعین	از هیت عثمن نیا مدپیش من به هیبت علی شیر خدا

(शमा शुबिस्ताने रज़ा जिल्द–1 सफ़्हा–47)

जिरयान

हमारी मौजूदा नस्ल में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इस बीमारी में पाख़ाना या पेशाब से पहले या उसके बाद पेशाब की नली से मनी, मुज़ी या फिर वदी निकलती है या पेशाब के बाद कभी कभी सफ़ेद रंग का धागा सा भी निकलता है। इस बीमारी में मरीज़ को कमर में दर्द, घुटनों में तकलीफ़ और आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है या फिर चक्कर आते हैं और कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। भूक नहीं लगती और कुछ खाया जाए तो हज़्म नहीं होता और कितनी ही बेहतरीन ग़ज़ा खाई जाए तो बदन को नहीं लगती। इस बीमारी के होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनमें से कुछ इस तरह हैं:

❑ मनी में तेज़ी आ जाना ❑ शहवत का ज़्यादा होना ❑ मुबाशरत ज़्यादा करना ❑ हमेशा बुख़ार ज़्यादा रहना ❑ हर वक़्त दिल व दमाग़ में सोहबत की बातें बिठाए रखना या उसी के बारे में सोचते रहना ❑ क़ब्ज़ होना ❑ अपने हाथों अपनी मनी

निकालना ❑ हिजड़ों से बुरा काम करना वग़ैरा वग़ैरा।

नुस्ख़ए जात:

(1) गूरानी (देसी) मुर्ग़ी का एक अंडा फोड़ कर किसी बरतन में लें। फिर अंडे की पलक (ज़र्दी) व सफ़ेदी दोनों के बराबर गाजर का रस लें। फिर उसमें इतनी ही मिक़्दार में शहद और घी डालें, अब सब को मिला कर हल्की आँच पर पका कर हलवा सा बना लें। इस तरह इक्कीस दिनों तक हलवा बना कर खाते रहें। खट्टी चीज़ें, दही, अचार, इमली और मछली वग़ैरा के इस्तेमाल से पूरी तरह परहेज़ करें और शादी शुदा हों तो इस दौरान बीवी से मुजामिअ़त न करें।

(2) बरगद (बड़) का दूध (बरगद के झाड़ की टहनी तोड़ने पर जो रस निकलता है) चार माशा, बताशे में या शक्कर में डाल कर रोज़ाना सुब्ह को खा लिया करें।

सूज़ाक

ये बीमारी ज़्यादा तर नौजवानों में बुरी संगत व बुरी संगत व बुरी आदतों की वजह से होती है। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है उसकी वजह से नौजवानों की सेहत धीरे धीरे घटती जाती है, उनमें कमज़ोरी आ जाती है। इस बीमारी की निशानी ये है कि पेशाब की नाली में सूजन या वर्म आ जाती है और पेशाब की नाली के अन्दर घाव (ज़ख़्म) हो जाते हैं और उन ज़ख़्मों से पीप निकलता रहता है और जब भी पेशाब किया जाए तो उस वक़्त पेशाब में सख़्त जलन होती है।

नुस्ख़ए जात:

(1) सफ़ेद राल बारह ग्राम, शक्कर बारह ग्राम लें। दोनों को पीस कर चूरन बना लें। दो ग्राम चूरन पानी के साथ दिन में दो बार लें।

(2) कपड़े धोने की मिट्टी (जिसे रे कहते हैं) साठ ग्राम लें, नीम की ताज़ा तत्तियों का रस बारह ग्राम लें। उन दोनों को एक सौ अस्सी लीटर पानी में भिगो कर रात भर रखें। सुब्ह को छान लें

और थोड़ा सा और नीम का रस मिला कर सुब्ह को पी लें।

(3) हल्दी और सूखा आमला दोनों को बीस ग्राम लें। दोनों को बारीक पीस कर पौडर बना लें। फिर दो ग्राम ये पौडर पानी के साथ दिन में दोबारा इस्तेमाल करें।

पेशाब की जलन

पेशाब की बाद तहारत न करने या मुजामिअत के बाद शर्मगाह के न धोने की वजह से पेशाब में जलन होती है। ज़्यादा गर्म खानों के इस्तेमाल से भी पेशाब में जलन की शिकायत पैदा होती है। इस बीमारी के मरीज़ को पेशाब जल्दी नहीं होता बल्कि थोड़ा थोड़ा जलन के साथ आता है और बड़ी तकलीफ़ से आता है।

नुस्ख़ए जात:

(1) सफ़ेद संदल का बुरादा (पौडर) छः ग्राम लें, धनिया छः ग्राम, सूखा आमला छः ग्राम। इन तीनों चीज़ों को एक सौ बीस मिली लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखें। सुब्ह को छान कर उस पानी में शक्कर मिला कर शरबत बना लें और सुब्ह दोपहर को पी लिया करें।

(2) खीरे के बीज छः ग्राम, ककड़ी के बीज छः ग्राम, दोनों को एक सौ बीस मिली लीटर पानी में अच्छी तरह उबाल कर छान लें और उस पानी को ठंडा कर के सुब्ह को पी लिया करें।

(3) एक अंडे की सफ़ेदी लें। पीलक (ज़र्दी) अलग कर लें। उस सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंट लें और एक प्याली हल्के गर्म दूध में मिला कर सुब्ह को पी लिया करें।

ज़नाना (औरतों के) इमराज़ और उनका इलाज

औरतों में भी बहुत तरह की जिन्सी बीमारियाँ होती हैं। हम यहाँ चंद बीमारियाँ और उनके इलाज के मुतअ़ल्लिक़ लिख रहे हैं।

सैलानुर्रहम (लिकोरिया) Licoriya:

ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो औरतों के बदन के काँटे की तरह कर देती है। इस बीमारी में औरत की शर्मगाह से चिपचिपाहट अंडे की सफ़ेदी या नाक से निकलने वाली रतूबत

जैसा पानी निकलता रहता है। इस पानी के साथ बदन की सारी ताक़त ख़त्म होने लगती है। कभी कभी ये बदबूदार पानी इतनी तेज़ी से और ज़्यादा मिक्दार में आता है कि कपड़े तक भीग जाते हैं और पानी टुख़नों तक बहता रहता है। इस बीमारी में मुब्तिला औरत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। कमर में दर्द, जिस्म की आज़ा खींचे खींचे से लगते हैं। मज़ाज में चिड़चिड़ा पन और गुस्सा बढ़ जाता है, घबराहट ज़्यादा होती है। खाना हज़्म नहीं होता, पेशाब बार बार आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इस मर्ज़ में मुब्तिला औरतें खाने में चावल, बैंगन, गोभी, माश (उड़द की दाल) वग़ैर परहेज करें।

नुस्ख़ए जात:

(1) कुछ मिक्दार में बबूल की फली सुखा कर बारीक पौडर बना लें। दो ग्राम सुब्ह में और दो ग्राम दोपहर में पानी के साथ लें।

(2) तीस ग्राम इमली के बीजों को गूदा लें, उसे भून कर पीस लें। ये चूरन एक ग्राम लेकर पानी के साथ दिन में तीन मरतबा पीयें।

नोट: जिस औरत को क़ब्ज़ की शिकायत हो तो वह नुस्ख़ा नम्बर–1 का ही इस्तेमाल करे। नुस्ख़ा नम्बर–2 का इस्तेमाल न करे कि क़ब्ज़ बढ़ सकता है।

हैज़ की ज़्यादती:

इस बीमारी में औरत को हैज़ बड़े बेढंगेपन से आता है और कसरत से आता रहता है। उससे बदन कमज़ोर हो जाता है। नाड़ी तेज़ चलती है, प्यास बढ़ जाती है, चेहरा पीला हो जाता है, क़ब्ज़ रहने लगता है, भूक नहीं लगती, पाँव पर वर्म आ जाता है और कभी कभी चक्कर भी आते हैं। यहाँ तक कि कभी औरत निढाल हो कर बेजान हो जाती है। ये बीमारी जमाअ की कसरत से पैदा होती है और बार बार हमल ज़ाये होने से भी ये बीमारी हो जाती है।

नुस्ख़ए जात:

(1) अनार की छाल (छिलके) बाईस ग्राम लें। फिर उसे दो सौ

पचास मिली लीटर पानी में इतना उबाल लें कि पानी सूख कर आधा जाए। उस पानी को रोज़ाना सुब्ह पी लिया करें।

(2) पचीस ग्राम मुलतानी मिट्टी आधा लीटर पानी में दो घन्टे तक भिगोए रखें फिर उसे छान लें। रोज़ाना एक सौ पचीस मिली लीटर बार बार पीयें।

रहमानी इलाज:

जिस औरत को हैज का ख़ून कसरत से आता हो और बार बार आता हो तो ये नक़्श ज़ाफ़रान से लिख कर औरत अपनी कमर पर बांधे। नक़्श ये है:

ع	ع	ع	ع
١٩	١٩	١٩	١٩
٩	٩	٩	٩
٤	٤	٤	٤

(शमा शुबिस्ताने रज़ा जिल्द--2 सफ्हा--34)

हैज़ का बंद हो जाना:

औरत का हर महीने पाबंदी से जो गंदा ख़ून आता है वह मुक़र्ररा वक़्तों पर आता है। अगर औरत हामला हो तो ये ख़ून आना बंद हो जाता है जो कुदरती तौर पर होता है। बच्चे के दूध पिलाने के दिनों में और ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद भी हैज़ का ख़ून बंद हो जाता है। इस सूरत में कोई फ़िक्र की बात नहीं। न ही उस जगह किसी इलाज की ज़रूरत। लेकिन बग़ैर हमल के ही ख़ून आना बंद हो जाए तो ये बीमारी है। जिसका फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। इस मर्ज़ की पहचान ये है कि सर, कमर और पैरों में दर्द रहता है और मिज़ाज में चिड़चिड़ापन वग़ैरा।

नुस्ख़ा:

गाजर के बीज तीन ग्राम, मूली के बीज तीन ग्राम, गाजर के बीज तीन ग्राम, मेथी के बीज तीन ग्राम। इन सब को दो सौ

पचास मिली लीटर पानी में इतना उबाले कि पानी आधा रह जाए। फिर छान लें और दिन में दो बार उस पानी को पीये।

रूहानी इलाज:

यहाँ हम एक नक़्श लिख रहे हैं जिसे मोम जामा कर के औरत की बाईं रान पर बाँधे। इंशाअल्लाह हैज़ हस्बे मामूली जारी हो जाएगा। नक़्श ये है

ی	م	ھ	ح
۵۱	۲	عھ	۱۱۵
مرع	۱۱	۱۵	وو
۱۹	۲	۳	۱۱

(शमा शुबिस्ताने रज़ा जिल्द–2 सफ़्हा–34)

हैज़ दर्द से आना:

कुछ औरतों को हैज़ आने से पहले कूल्हों और रानों में सख़्त दर्द होता है। कभी कभी मतली और क़ैय (उलटी) भी होती है। हैज़ का ख़ून बहुत ही कम मिक़्दार में आता है और दर्द के साथ आता है।

नुस्ख़ा:

हींग पाँच सौ मिली ग्राम, गुड़ छः ग्राम लें। हींग में गुड़ मिला लें और हैज़ के दिनों में पाँच से छः दिनों तक रोज़ाना सुब्ह खायें।

पेशाब में जलन:

इस बीमारी में औरत को तक्लीफ़ काफ़ी होती है और मुक़ामे मख़्सूस में खुजली व जलन होती है। ख़ास कर पेशाब करते वक़्त जलन महसूस होती है और एक तरह की बेचैनी सी रहती है। पेशाब के बाद तहारत न करने या ज़्यादा गर्म खानों के इस्तेमाल

से भी पेशाब में जलन की शिकायत पैदा होती है। शादी शुदा औरतों में पेशाब में जलन की शिकायत ज़्यादा तर मुजामिअ़त के बाद शर्मगाह न धोने के सबब होती है।

नुस्ख़ए जात:

(1) नीम के ताज़ा पत्ते एक सौ पच्चीस ग्राम लें, पत्तों को एक लीटर पानी में उबाल कर छान लें। फिर उस पानी में तीन ग्राम भुना हुआ सुहागा लें और उसे मिला कर शर्मगाह पर खुजली के मुक़ाम को सुब्ह व शाम धोयें।

(2) काफ़ूर तीन ग्राम, गुलाब का पानी पच्चीस मिली लीटर लें, फिर काफ़ूर को पीस कर गुलाब के पानी में घोल लें। एक साफ़ कपड़ा लेकर उसमें भिगोऐं और जलन की जगह पर रखें। जितनी बार ज़रूरत हो उस अमल को दोहराते रहें।

अज़्ली (Condom) निरोध का इस्तेमाल

ज़्यादा बच्चे पैदा न हों इसके लिए मौजूदा दौर में निरोध, कॉपरटी, माला डी (खाने की गोलियाँ) वग़ैरा इस्तेमाल में लाई जा रही हैं।

अहदे रिसालत में सिलसिलए पैदाईश को रोकने या कम करने के लिए बाज़ हज़रात अपनी बाँदियों से अज़ल किया करते थे।

अज़ल: अज़ल उसे कहते हैं कि मुबाशरत के वक़्त जब मर्द को इंज़ाल होना क़रीब हो तो मर्द अपने आले को औरत की फ़र्ज से निकाल कर मनी रहम के बाहर ख़ारिज कर दे। इस तरह जब मर्द की मनी औरत के रहम में नहीं पहुंचती है तो हमल करार नहीं पाता।

हदीसों के मुतालआ से मालूम होता है कि नबी करीम (स.अ.व.) के आख़िरी ज़माने में भी बाज़ सहाबए किराम औलाद की पैदाइश को रोकने के लिए अज़ल किया करते थे। चुनाँचे इसका सुबूत अहादीस की सैंकड़ों किताबों से मिलता है।

हदीस: हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

كنا نعزل على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن ينزل

तर्जुमा: हम नबी करीम (स.अ.व.) के मुबारक ज़माने में अज़ल किया करते थे हालाँकि कुरआन करीम नाज़िल हो रहा था।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–126 हदीस–193 सफ़हा–101 +मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–465+ तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–773 हदीस–134 सफ़हा–583+इब्ने माजा जिल्द–1 बाब–618 हदीस–1996 सफ़हा–539+मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–3046)

हज़रत मुहद्दिस इमाम तिर्मिज़ी (रज़ि.) इस हदीस के मुतअल्लिक़ इरशाद फ़रमाते हैं:

حديث جابر حديث حسن صحيح

यानी हज़रत जाबिर (रज़ि.) की ये हदीस हसन सही है। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 सफ़हा–583)

इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि सहाबा कराम अज़ल किया करते थे और उस ज़माने में जबकि कुरआन करीम नाज़िल हो रहा था लेकिन कोई ऐसी आयत नाज़िल नहीं हुई जिसमें सहाबा कराम को अज़ल से मना कर दिया जाता। चुनाँचे!

हदीस: मिश्कात शरीफ़ में मुस्लिम शरीफ़ से उन्ही सहाबी रसूल हज़रत जाबिर (रज़ि.) से ये रिवायत भी मरवी है:

فبلغ ذالک النبی صلی الله علیه وسلم فلم ینهنا

तर्जुमा: अज़ल के मुतअल्लिक़ हुज़ूर (स.अ.व.) को ख़बर पहुंची लेकिन आप ने हमें मना न फ़रमाया।

(मुस्लिम शरीफ़ जिल्द–1 सफ़हा–465+मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–3046 सफ़हा–87)

हुज्जातुलइस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) अपनी मशहूर व शोहरए आफ़ाक़ तसनीफ़ "इहयाउलउलूम" में इरशाद फ़रमाते हैं.

"सही यह है कि अज़ल हराम नहीं।"

(अहयाउलउलूम जिल्द–2 बाब–2 सफ़हा–97)

हदीस: हज़रत सैयदना इमाम मालिक (रज़ि.) की "मोत्ता" में है: عن عامر بن سعد ابن وقاص عن ابیه انه کان یعزل

तर्जुमा: हज़रत आमिर बिन सअद बिन अबी वक़ास ने हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (रज़ि.) से रिवायत किया है कि वह अज़ल किया करते थे।

(मोत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 किताबुलतलाक़ बाब–34 हदीस–96 सफ़हा–574)

हदीस: इसी मोत्ता इमाम मालिक में है:

ابو ایوب لانصاری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ انہ کان یعزل

तर्जुमा: हज़रत अबुअय्यूब अन्सारी (रज़ि.) (अपनी बाँदी से) अज़ल किया करते थे। (मोत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 किताबुलतलाक़ बाब–34 हदीस–574–97)

हदीस: उसी इमाम मोत्ता में है हज़रत हमीद बिन क़ैस मक्की (रज़ि.) का बयान है:

سئل ابن عباس رضی اللّٰہ عن العزل انا فافعلہ یعنی انہ یعزل

(मोत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 किताबुलतलाक़ बाब–34 हदीस–100)

अज़ल करने का मक़्सद ये होता है कि हमल ने ठहरे (यानी औलाद की पैदाइश को रोका जा सके) इस मक़्सद के तेहत मर्द अपनी मनी को औरत के रहम में जान से रोकता है। यही मक़्सद निरोध से भी हासिल होता है। निरोध यानी रबर की थैली (French Leather) जो मुबाशरत के वक़्त मर्द आने अज़ू पर चढ़ा लेता है। मनी उस रबर की थैली में ही रह जाती है। रहमे औरत में नहीं पहुंचती। चुनाँचे अज़ल पर क़यास कर के ये कहा जो सकता है कि जिस तरह अज़ल नाजाइज़ नहीं उसी तरह निरोध का इस्तेमाल भी नाजाइज़ नहीं होगा। क्योंकि अज़ल और निरोध दोनों से एक ही मक़्सद हासिल होता है।

इस हक़ीर सरापा तक़्सीर ने ख़ास निरोध के जवाज़ व अदम जवाज़ के मुतअल्लिक़ उलमाए अहलेसुन्नत का मौक़िफ़ जानने के लिए बहुत से मौजूद अकाबिर उलमाए किराम से मुलाक़ातें कीं और उस सिलसिले में अपनी अदना सी मालूमात का उलमा की

बारगाह में भी पेश किया। उन सब को हासिल ये है कि नाचीज़ ने निरोध के इस्तेमाल के सिलसिले में उलमाए अहलेसुन्नत की मुख़्तलिफ़ राय पाऐं। बाज़ उसके मबाह होने के क़ाएल हैं और बाज़ मकरूह होने के। ग़ालिबन उसकी वजह ये है कि निरोध दौरे हाज़िरा की नई ईजाद है और नाचीज़ की नाक़िस मालूमात के मुताबिक़ अभी तक निरोध के इस्तेमाल के जवाज़ व अदम जवाज़ पर कोई इजमा बहस नहीं हुई है। न उलमाए किराम ने अभी तक कोई वाज़िह हुक्म शुरू बयान किया है और न ही उस मुतअल्लिक़ किसी मोतमिद आलिम अहलेसुन्नत का कोई फ़तवा नज़र नवाज़ हुआ।

फ़क़ीर राक़िमुलहुरूफ़ ने अपने तौर पर जो तहक़ीक़ की इसमें पाया कि मसला अज़ल में हनफ़िया मालकिया, शाफ़ईया के दरमियान इख़्तिलाफ़ है। हनफ़िया और मालकिया आज़ाद औरत (यानी बीवी) से अज़ल बग़ैर उसकी इजाजत के मकरूह जानते हैं और लौंडी (अब इस दौर में लौंडी का रिवाज नहीं) ये बग़ैर कराहत के जाइज़ ख़्याल करते हैं और शाफ़ईया बग़ैर किसी कराहत के बिला इम्तियाज़ क़रार देते हैं मगर ये कि औलाद बचने की ग़र्ज़ से हो तो उस वक़्त या उनके नज़दीक भी मकरूह है। शाफ़ईया की दलील हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हदीस है जो बुख़ारी में बाईं अलफ़ाज़ मरवी है:

كنا نعزل والقرآن ينزل

अहादीस व फ़िक़ा की मुस्तनद किताबों में ये नक़्ल है कि अज़ल अपनी बीवी की इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकता कि मकरूह (मकरूह तहरीमी) है।

हदीस: इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और बहेक़ी हज़रत इब्ने अब्बास से और इमाम तिर्मिज़ी हज़रत इमामा मालिक बिन अनस (रज़ि.) से रिवायत लाए हैं.

نهى عن عزل الحرة الا باذنها

तर्जुमा: आज़ाद औरत (यानी बीवी) से बग़ैर उसकी इजाज़त

के अज़ल मना है। (बहेकी तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–773 हदीस–1134 सफ़्हा–583)

हदीसः अमीरुलमोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत हैः

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها

तर्जुमाः रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने आज़ाद औरत (बीवी) से बग़ैर उसकी इजाज़त के अज़ल करने से मना फ़रामया। (इब्ने माजा जिल्द–1 बाब–618 हदीस–1997 सफ़्हा–539)

हदीसः हज़रत इमाम मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

لا يعزل الرجل المراة الحرة الا باذنها

तर्जुमाः कोई अपनी बीवी से अज़ल न करे मगर उसकी इजाज़त से। (मोअत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 बाब–34 हदीस–100 सफ़्हा–476)

इन तमाम अहादीस से मालूम हुआ कि औरत से जमाअ़ से पहले अज़ल करने या निरोध के इस्तेमाल की इजाज़त ज़रूरी है। मज़हब हनफ़िया की बिना उस वजह अक़्ली पर है कि जमाअ़ दरअसल बीवी का शौहर पर हक़ है और बज़ाहिर जमाअ़ वह ही माना जाता है जिसमें अज़ल न हो। लिहाज़ा अगर उसके ख़िलाफ़ यानी अज़ल की सूरत मतलूब हो तो साहबे हक़ (यानी अपनी बीवी) से अज़ल की इजाज़त तलब करनी ज़रूरी है और अगर बीवी अजल से ये मौजूदा दौर में निरोध के इस्तेमाल से मना कर दे तो फिर उसे इस्तेमाल में नहीं ला सकता।

अभी आप ये पढ़ चुके हैं कि अज़ल नाजाइज़ नहीं लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख़ और भी है। वह ये कि ये सही है कि अल्लाह तआला के रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने अज़ल से मना न फ़रमाया लेकिन उसे आप ने पसंद न फ़रमाया और न ही उसे अच्छा समझा बल्कि बच्चों की कसरत को आप ने पसंद फ़रमाया। आइए अब इन हदीसों को देखें जिनसे ज़ाहिर होता है कि अज़ल नापसंदीदा फ़ेल है।

हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) से अज़ल के मुतअ़ल्लिक़ पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः

ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه تعالیٰ علیه وسلم قال لو
ان شیا اخذاللّٰه میثاقه استودع صخرة لخرج.

तर्जुमाः रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया अगर अल्लाह तआला ने किसी चीज़ के ज़ुहूर का अहद किया तो पत्थर में छुपी छुपाई है तो वह ज़रूर निकल कर रहेगी। (मुसनद इमाम आज़म बाब–127 सफ़्हा–222)

हदीसः हज़रत इमाम अहमद, हज़रत अनस (रज़ि.) से मरफ़ूअ़ हदीस लाए हैं कि आप ने फ़रमायाः

"अगर तू उस पानी को जिससे बच्चा पैदा होता किसी चीज़ पर डाल दे तो अल्लाह तआला चाहे तो उसमें से भी बच्चा पैदा कर देगा।"

(मुसनद इमाम अहमद)

हदीसः हज़रत अबूसईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत हैः

"हमें कुछ क़ैदी औरतें हाथ आईं जिन्हें ग़ुलाम बना लिया गया तो हम उनसे अज़ल किया करते थे।" हम इस बारे में रसूल अल्लाह (स.अ.व.) से पूछा तो आप ने तीन मरतबा फ़रमायाः

اوانکم لتفعلون مامن نسمة کائنة الی یوم القیامة الا ھی کائنة

तर्जुमाः तुम अज़ल करते हो ऐसी रूह नहीं जो क़यामत तक आने वाली हो मगर वह ज़रूर आकर रहेगी।

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–126 हदीस–194 सफ़्हा–101+मोअत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 बाब–34 सफ़्हा–475 +तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–474 हदीस–1135 सफ़्हा–583+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–126 हदीस–403 सफ़्हा–153+इब्ने माजा जिल्द–1 बाब–539 हदीस–618 सफ़्हा–1995) A-K

हदीसः हज़रत इमाम नाफ़ेअ़ (रज़ि.) से रिवायत हैः

عن عبداللّٰه بن عمر انه کان کا یعزل وکان یکره العزل

तर्जुमाः हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अज़ल नहीं करते थे और अज़ल को नापसंद फरमाते थे। (मोअत्ता इमाम मालिक जिल्द–2 बाब–34 हदीस–98 सफ़्हा–475)

इन तमाम हदीसों से साबित होता है कि अज़ल (और इस दौर में निरोध) नापसंदीदा, फ़ुज़ूल, बेकार व लग्व फ़ेल है। तरीख़े इस्लाम मे ऐसे बहुत से वाक़ियात का सुबूत मिलता है कि बच्चे की पैदाईश रोकने के लिए कई एहतियातें बरती गई। सैंकड़ों तदबीरें इस्तेमाल में लाई गई लेकिन सारी की सारी तदबीरें उलटी साबित हुई। इस्तक़रारे हमल हुआ और बच्चे की पैदाईश भी अमल में आई।

हदीसः हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत हैः

ان رجلا اتی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فقال
ان لی جاریۃ ھی خادمتنا و انا اطوف علیھا و اکرہ
ان تحمل فقال اعزل عنھا ان شئت فانہ سیاتیھا
ماقدر لھا فلبث الرجل ثم اتاہ فقال ان الجاریۃ قد
جبلت فقال قد اخبرتک انہ سیاتیھا فاقدر لھا.

तर्जुमाः एक शख़्स नबी करीम (स.अ.व.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की "या रसूल अल्लाह (स.अ.व.) मेरी एक बाँदी है जिससे मैं सोहबत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वह हामिला हो इसलिए अज़ल करता हूँ।" रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः "तो चाहे तो अज़ल कर लेना लेकिन वह ज़रूर आएगा जो उसके मुक़द्दर में फ़रमा दिया गया।" कुछ अरसे बाद वह शख़्स हाज़िर बारगाह हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआः "या रसूल अल्लाह! मेरी बाँदी तो हामिला हो गई।" इरशाद फ़रमायाः "मैंने तो कह दिया था कि जो कुछ उसके मुक़द्दर में है वह उसे ज़रूर मिलेगा।"

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–126 हदीस–406 सफ़्हा–154 +मिश्क़ात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–3047 सफ़्हा–88) A-K

इस हदीस से ज़ाहिर हुआ कि अगर मुक़द्दर में बच्चा हो तो

इंसान फिर कितनी ही तदबीरें करे उसे दुनिया में आने से नही रोक सकता। इतिब्बा का कहना है कि मर्द की मनी के एक क़तरे में लाखों बच्चे पैदा करने वाले अजज़ा (करम तौलीद) होते हैं। जब कोई मर्द मुबाशरत करता है तो उसके अज़्वे तनासुल में कुछ मनी चिमटी रह जाती है जिसमें ये कीड़े भी मौजूद रहते हैं। अब अगर दोबारा बग़ैर निरोध अस्तमाल किए हुए जमाअ़ किया तो चाहे इंज़ाल न हो या अज़्ल कर ले लेकिन वह पहले के चिमटे हुए कुछ कीड़े औरत के रहम में दाख़िल हो जाते हैं और इस तरह से भी हमल क़रार पा जाता है और इंसान की सारी तदबीरें या ये अज़्ल का तरीक़ा नाकाम हो कर रहा जाता है। लिहाज़ा बेहतर ये है कि अज़्ल या निरोध का इस्तेमाल न करे कि यही औला व अफ़ज़ल है।

हदीसः मुस्लिम शरीफ़ व इब्ने माजा की एक हदीस में है कि रसूले अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमयाः

ذالک الوأد الخفی

तर्जुमाः अज़्ल करना एक छोटी क़िस्म का बच्चे को ज़िन्दा ज़मीन में गाड़ देना है।

(मुस्लिम शरीफ़ बहवालए मिश्कात शरीफ़ जिल्द–2 हदीस–3051 सफ़्हा–89+इब्ने माजा जिल्द–1 बाब–649 हदीस–282 सफ़्हा–560) अ–क

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) "फ़तावा रिज़विया" में इरशाद फ़रमाते हैं:

> "ऐसी दवा का इस्तेमाल जिससे हमल न होने पाए अगर किसी शदीद शरीअ़त में क़ाबिले क़ुबूल ज़रूरत के सबब हो तो हर्ज नहीं वरना सख़्त बुरा व नापसंदीदा है।"

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा–298)

मानेअ़ हमल के लिए एक तदबीर:

बाज़ हुक्माए ने लिखा है:

"हमल न ठहरे इसके लिए सब से ज़्यादा अच्छा और आसान तरीक़ा ये है कि औरत के हैज़ के अैयाम शुरू होने से एक हफ़्ता पहले और औरत हैज़ से जिस रोज़ पाक हो जाए उसके एक हफ़्ता बाद तक, उस दरयमाने जिमाअ़ करने से हमल नहीं ठहरता और ये दिन निहायत ही महफ़ूज़ होते हैं क्योंकि इन दिनों में औरत की मनी में बेज़ा यानी बच्चा पैदा करने वाले अंडे जिन्हें (Voa) कहा जाता है वह नहीं होते जिसकी वजह से हमल न ठहरने के इमकानात बहुत ज़्यादा होते हैं।"

(वल्लाह तआ़ला अलम व अलमा जल मुजदा अतम व अहकम)

औलाद के क़ातिल

बच्चे की पैदाईश का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मर्द का नसबंदी कराना और औरत का ऑप्रेशन (Opration) करा लेना या ऐसी दवा का इस्तेमाल करना जिससे बच्चों की पैदाईश हमेशा के लिए बंद हो जाए इस्लाम में सख़्त नाजाइज़ व हराम व सख़्त गुनाह है।

आज कल लोगों में ये ख़्याल आ़म तौर पर पाया जा रहा है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो खाने पीने की क़िल्लत होगी, ख़रचे बढ़ेंगे, रहने के लिए जगह की कमी होगी वग़ैरा वग़ैरा।

अफ़सोस! ये ख़्यालात सिर्फ़ काफ़िर व मुशरिक क़ौमों के नहीं बल्कि उनमें जदीदुलख़्याल मुसलमानों की अक्सरियत भी शामिल है। यक़ीनन ऐसे ख़्यालात शरीअ़त इस्लामी के ख़िलाफ़ हैं। मुसलमानों को ऐसा अक़ीदा रखना किसी तरह जाइज़ नहीं। भला इंसान की हैसियत ही क्या है कि वह किसी को खिलाए और किसी की परवरिश करे, बेशक हक़ीक़ी रज़्ज़ाक़ और पालने वाला ख़ालिक़े बारी तआ़ला ही है। क्या आप ने नहीं देखा कि इंसान अपनी सारी तदबीरें मुकम्मल कर लेता है लेकिन चंद दिनों का क़हत (सूखा) इंसान को भूक मरी पर मजबूर कर देता है। इसी

तरह कभी कभी ज़्यादा बारिश भी इंसान के लिए कराए पर पानी फेर देती है और हाथ कुछ नहीं आता। चुनाँचे मालूम हुआ कि हक़ीक़त में खिलाने और परवरिश करने वाला सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ावजल है।

आयत: रब तबारक व तआ़ला इरशाद फ़रमाता है:

ومامن دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا..........الخ

तर्जुमा: और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे करम पर न हो।

(तर्जुमा कंज़ुलईमान पारा–12 सूरह हूद रुकूअ़–1 आयत–6)

आयत: और एक दूसरे मुक़ाम पर रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقھم وایا کم ان قتلھم کان خطا کبیرا.

तर्जुमा: और अपनी औलाद को क़त्ल न करो मुफ़्लिसी के डर से, हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी, बेशक क़त्ल बड़ी ख़ता है। (तर्जुमा कंज़ुलईमान पारा–15 सूरह बनी इस्राईल रुकूअ़–4 आयत–31)

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमाया मैंने हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) से अर्ज़ किया:

یا رسول اللہ ای الذنب اعظم؟ قال ان تجعل للہ ندا وھو خلقک ثم قال ای؟ قال ان تقتل ولدک خشیة ان یا کل معک.

तर्जुमा: या रसूल अल्लाह! कौन सा गुनाह सब से बड़ा है? फ़रमाया: "तू अल्लाह का किसी को शरीक ठहराए हालाँकि उसने तुझे पैदा किया है।" फिर अर्ज़ की फिर कौन सा? फ़रमाया: "तू अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल करे कि वह तेरे साथ खाएगी।"

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–576 हदीस–939 सफ़्हा–345)

देखा आप ने औलाद को क़त्ल करना कितना बड़ा गुनाह है।

काश। मुसलमान इस हदीसे पाक से इबरत हासिल करें और नसबंदी व ऑप्रेशन के ज़रीए इस क़त्ल गीरी से बचें। हदीस मुबारका में है कि हुज़ूर अकरम (स.व.व.) ने ज़्यादा बच्चों को पसंद फ़रमाया:

हदीसः नबीए करीम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم

तर्जुमाः निकाह करो क्योंकि मैं रोज़े क़यामत दूसरी उम्मतों के मुक़ाबिल तुम्हारे ज़्यादा होने पर फ़ख़्र करूँगा।

(मसनद इमाम आज़म बाब–117 सफ़्हा–208)

हदीसः सय्यदना इमाम ग़ज़ाली (रज़ि.) फ़रमाते है कि हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"औलाद की खुशबू जन्नत की खुशबू है।"

(मकाशफ़ुलकुलूब सफ़्हा–515)

इस बारे में बहुत सारी हदीसें वारिद हैं। हक़ पसंद के लिए उसी क़दर काफ़ी व शाफ़ी। अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

सोनोग्राफ़ी या एक्से (X-Ray)

इस दौर में हर शख़्स अपने आप को तरक़्क़ी याफ़्ता और मार्डन कहलवाना ज़्यादा पसंद करता है लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों के एतेबार से आज से साढ़े चौदह सौ साल पहले के अरब के जाहिलों से भी बढ़ कर जाहिल बल्कि उनसे कुछ मुआमलों में ज़्यादा ही बढ़े हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अरब में हुज़ूर (स.अ.व.) के एलाने नबूवत से पहले ज़मानए जाहिलीयत में वहाँ के कुफ़्फ़ार व मुशरकीन के यहाँ जब किसी लड़की की पैदाईश होती. तो वह उसे बहुत बुरा जानते और ज़िन्दा उसे ज़मीन पर गाड़ देते थे और अगर लड़का पैदा होता तो उसकी परवरिश बड़े लाड प्यार से किया करते थे। बस वही काम इस दौर में कुछ पढ़े लिखे मार्डन कहलाने वाले जाहिल कर रहे हैं लेकिन तरीक़ा थोड़ा मुख़्तलिफ़ बनाया है। होता ये है कि एक्से (सोनाग्राफ़ी) के ज़रीए ये मालूम कर लेते हैं कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की। अगर

लड़की हो तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है यानी हमल गिरा देते हैं और लड़का हो तो उसे बड़ी ख़ुशी के साथ जनते हैं।

किस क़दर ज़ालिम हैं वह औरतें जो एक नन्हीं सी जान का दुनिया में आँख खोलने से पहले ही मौत की नींद सुला देती हैं। उन औरतों पर अल्लाह तआला की सैंकड़ों लानतें जो ख़ुद एक औरत हो कर अपने जैसी एक जिन्स को क़त्ल करती हैं। क्या ये ज़मानए जाहलियत के काफ़िरों व मुशरिकों की पैरवी नहीं? क्या ये एक साफ़ खुला हुआ क़त्ल नहीं? ऐसी औरतें यक़ीनन माँ के रिश्ते पर एक बदनुमा दाग़ हैं जो अपने पेट में परवान चढ़ रही औलाद को सिर्फ़ इस बात की सज़ा देती हैं कि वह एक लड़की है। क्या वह एक लम्हे के लिए भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि वह भी तो पहले अपनी माँ के पेट में थीं। अगर उसकी माँ उसे भी पेट में ही ख़त्म कर देती जिस तरह आज वे बड़ी आसानी से अपनी औलाद को क़त्ल कर रही हैं तो क्या वे आज इस दुनिया में मौजूद होती?

आयतः अल्लाह तबारक व तअ़ला क्या इरशाद फ़रमाता हैः

قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم............الخ

तर्जुमाः बेशक तबाह हुए वह जो अपनी औलाद को क़त्ल करते हैं अहमक़ाना जिहालत से।

(तर्जुमा कंज़ुलईमान पारा–8 सूरह इनआम रुकूअ–3 आयत–141)

हदीसः सहाबीए रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) "अलइसरारुलमेराज" में (जो आप की तसनीफ़ बताई जाती है) नक़्ल फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"मेराज की शब मैंने जहन्नम में दरख़्तों में लटकी हुई औरतें देखीं कि उन पर खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाता तो उनका गोश्त झुलस जाता और टुकड़ों में गिर पड़ता, मैंने पूछा ऐ जिब्राईल! ये कौन औरतें हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे

बताया: "या रसूलुल्लाह! ये वह आरतें हैं जो अपनी औलाद को खाने पीने और उनकी परवरिश व तरबीयत के ख़ौफ़ की वजह से दवाऐं पी कर अपनी औलाद को मार डालती थीं।"

(अलइसरारुलमेराज (उर्दू तर्जुमा) सफ़्हा–23)

हदीस: हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ان تجعل لله ندا وهو خلقك ثم ان تقتل ولدك خشية ان يا كل معك

तर्जुमा: सब से बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह का किसी को शरीक ठहराए फिर उसके बाद का गुनाह ये है कि अपनी औलाद को खाने पीने के ख़ौफ़ से क़त्ल किया जाए। (बुख़ारी शरीफ़ जिल्द–3 बाब–576 हदीस–939 सफ़्हा–345)

दुनिया की तमाम मुहज़्ज़ब ही नहीं ग़ैर मुहज़्ज़ब क़ौमों में भी इंसान का क़त्ल करना, उसकी जान लेना अशद शदीद जुर्म क़रार दिया जाता है और जिस वक़्त से दुनिया में क़ानून की बुनियाद रखी गई क़ातिल की सज़ा क़त्ल ही क़रार पाई। इसलिए कि क़ातिल हक़ीक़त में सूसाईटी के एक फ़र्द की जान लेकर आलमे इंसानीयत पर जुल्म कर रहा है। क़त्ल में जवान, बूढ़ा हत्ता कि दो दिन का बच्चा सब बराबर। तो फिर रहमे मादर के महफ़ूज़ कमरे में आराम करने वाला नौनिहाल जो इंसानी शक्ल इख़्तियार कर के एक बेहतरीन क़ाबिल दमाग़ लेकर आलमे इसानीयत के लिए नफ़ा बख़्श हो सकता हो उसको ख़ाक में मिलाने वाला, उसको बरबाद करने वाला, उसको ज़हर दे कर हिलाक करने वाला, ज़मीन में दफ़न या जंगल और नालियों में डालने वाला किस उसूल के मुताबिक़ मुजरिम और क़ातिल न क़रार दिया जाए।

हदीस: बाज़ बुज़ुर्गों ने रिवायत बयान की है:

बरोज़े महशर कुछ ऐसे मर्द और औरतें होंगी जिनके आमाल अच्छे होंगे। लिहाज़ा उन्हें जन्नत में जाने की ख़ुशख़बरी सुनाई

जाएगी। जब ये लोग जन्नत में खुशी खुशी जा रहे होंगे तभी कुछ सरकटे बच्चे वहाँ पहुंचेंगे जिनके सिर्फ़ धड़ होंगे, सर न होगा। उनके धड़ों से आवाज आएगीः "ऐ अल्लाह! हमें इंसाफ़ अता फ़रमा।" रब तबारका व तआ़ला इरशाद फ़रमाएगाः "कहो! आज इंसाफ़ का ही दिन है।" वह अर्ज़ करेंगेः "ऐ मालिक व मौला! ये जन्नत में जाने वाले हमारे माँ बाप हैं और हमें इन से तकलीफ़ पहुंची है।" वह मर्द व औरत हैरत से कहेंगेः "तुम्हें तो हम जानते भी नहीं, तुम दुनिया में हमारी औलाद नहीं थे।" वह सर कटे बच्चे जवाब देंगेः "हाँ तुम हमें पहचान भी नहीं सकते क्योंकि तुम ने हमें देखा ही नहीं, हम वही हैं जिन्हें तुम ने दुनिया में आने से पहले ही मार डाला था और हमल गिरा कर हमारी ये हालत कर दी।" अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाएगाः "कहो तुम क्या चहते हो।" वह अर्ज़ करेंगेः "ऐ मौला! हम ने इन्हें माफ़ न किया।" क्या तू इन्हें जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा जिन्होंने हमें इस हाल में पहुंचाया।" चुनाँचे अल्लाह तबारका व तआ़ला उस मर्द व औरत को जहन्नम में दाख़िल फ़रमाएगा और उन सर कटे बच्चों को दुरुस्त फ़रमा कर जन्नत में दाख़िल फ़रमादेगा।

इस रिवायत से वह फ़ैशन परस्त औरतें नसीहत हासिल करें जो जान बूझ कर हमल गिरा देती हैं। हाँ, हाँ! अभी तो यहाँ दुनिया में मन मानी कर लो। लेकिन याद रहे इंसाफ़ ज़रूर होना है और ऐसी अदालत में जहाँ न कोई रिश्वत काम आएगी और न ही किसी वकील की जिरह। वह अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की अदालत है जहाँ नाइंसाफ़ी नहीं होती।

औलाद का बयान

हम पिछले औराक़ में ये बयान कर चुके हैं कि हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) को बच्चों से बहुत ज़्यादा मुहब्बत थी लेकिन इस दौर में कुछ औरतें बच्चों से कतराती हैं। कुछ कम फ़हम औरतों का ख़्याल है कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत की ख़ूबसूरती ख़त्म हो जाती है और वह मोटी भद्दी हो जाती है। इसलिए वह बच्चे की

पैदाईश को टालती रहती है या फिर सफ़ाई करवा कर हमल जाए कर देती है। इस किस्म की बातें शैतानी वसवसे और जाहिलाना ख़्यालात के सिवा कुछ नहीं।

हदीसः उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीका से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"जो हामिला (पेट वाली) औरत हमल की तकलीफ़ को बरदाश्त करती है, उसी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला सवाब मिलता है और जब उसे बच्चा पैदा करने का दर्द होता है तो हर दर्द के बदले उसे एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–113)

हदीसः रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

سوداء ولو داحب الى من حسناء عاقر

तर्जुमाः मुझे काली औरत पसंद है जो बच्चे पैदा करे, ऐसी ख़ूबसूर औरत से जो बच्चे पैदा न करे।

(मुसनद इमाम आज़म बाब–120 सफ़्हा–211+कीमियाए सआदत)

हज़रत सय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.) इरशाद फ़रमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"औलाद की ख़ुशबू जन्नत की ख़ुशबू है।"

(मुकाशफ़तुलकुलूब सफ़्हा–155)

गोया इस हदीस से ये साबित होता है कि जो जान बूझ कर बग़ैर किसी शरई उज़्रे के बच्चे पैदा करने को ऐब समझते हैं वे जन्नत की ख़ुशबू से महरूम हैं।

औलाद न होने की वजूहात

कुछ लोगों को औलाद नहीं होती उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मसलन अल्लाह तआला की मर्ज़ी ही न हो कि औलाद हो।

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

يخلق مايشآء ط يهب لمن يشآء اناثا ويهب لمن يشآء
الذكور اويزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيها
ط انه عليم قدير ط

तर्जुमा: अल्लाह पैदा करता जो चाहे, जिसे चाहे बेटियाँ अता फ़रमाए और जिसे चाहे बेटे दे या दोनों मिला दे बेटे और बेटियाँ और जिसे चाहे बेआलाद रखे, बेशक वो इल्म व कुदरत वाला है। (कुरआन करीम पारा–25 सूरह शूरा रुकूअ–6 आयत–50)

हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) के कुल ग्यारह अज़वाजे मुतहरात थीं लेकिन आप की औलाद सिर्फ़ दो बीवियों से ही हुई। बाक़ी अज़वाज से आप के कोई औलाद न हुई क्योंकि उसमें अल्लाह तआला की हिकमत थी। ये नहीं कि मआज़ल्लाह हुज़ूर की दूसरी अज़वाज में कोई नक़्स था या मआज़ल्लाह नबीए करीम (स.अ.व.) में कोई कमी थी जैसा कि बाज़ बुदबीनों का अक़ीदा है।

हदीस: हज़रत इमाम अबूफ़ज़ल क़ाज़ी अंयाज़ उन्दलुी (रज़ि.) अपनी सनद के साथ हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं:

> "हुज़ूर (स.अ.व.) को कुव्वत मर्दाना तीस मर्दों के बराबर अता की गई थी और हज़रत इमाम ताऊस (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) को चालीस जन्नती नौजवानों की ताक़त अता फ़रमाई गई थीं।"

(शिफ़ा शरीफ़ जिल्द–1 बाब–2 फ़स्ल–8 सफ़हा–155)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रज़ि.) ने भी ये हदीस हज़रत अनस (रज़ि.) से अपनी सही में नक़्ल की है।

लिहाज़ा साबित हुआ कि औलाद से नवाज़ने वाला हक़ीक़त में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ही है वह जिसे चाहे अता करता है और जिसे चाहे अता नहीं फ़रमता और यक़ीनन उसके महरूम रखने में भी हिकमतें पोशीदा होती हैं। हालाँकि बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह तआला के महरूम रखने को बुरा जानता और शिकवा करता है

लेकिन इसमें क्या हिकमतें पोशीदा हैं उसे वही सब से बेहतर जानता है। अगर वह किसी को औलाद अता करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चुनाँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकिया इस बात का शाहिद है और अल्लाह अगर किसी को औलाद देना चाहे तो वह जब चाहे और जिस उम्र में चाहे अता फरमादे जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत सारा (रज़ि.) का वाक़िया उसकी दलील है कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा (रज़ि.) को औलाद (हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम) से नवाज़ा तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ़ 120 साल और हज़रत सारा (रज़ि.) की उम्र 99 साल थी।

❑ बच्चा न होने की वजह ये भी हो सकती है कि मर्द की मनी में बच्चा पैदा करने वाले अजज़ा (करमहाए तोलीद) ही न हों या फिर कमज़ोर हों।

❑ बचपन या जवानी की ग़लतियों की वजह से नामर्द हो चुका हो।

❑ औरत की बच्चा दानी में औलाद पैदा करने वाले अंडे (Ova) न हों।

❑ औरत की बच्चा दानी का मुंह बंद हो।

गर्ज़ कि इस तरह की कई वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से औलाद की पैदाईश में रुकावट हो सकती है।

बाँझ कौन? ....औरत या मर्द!

अगर मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हों तो दो साल के अन्दर पहला हमल करार पाया जाता है। अक्सर घरों में जब चार, पाँच साल गुज़र जाने पर भी औरत हामिला न हो तो घर की बूढ़ी औरतें औरत को बाँझ समझने लगती हैं। अक्सर तालीम याफ़्ता औरतें लेडी डॉक्टरों की तरफ़ रुजूअ करती हैं।

इसतिकरारे हमल के लिए जहाँ औरत का जिन्सी तौर पर सेहतमंद होना ज़रूरी है, दूसरी तरफ़ मर्द के माद्दए तौलीद में

करमों को कवी और मुनासिब मिक़्दार में होना भी लाज़िम है। मर्द के एक इंज़ाल में मद्दए तौलीद तक़रीबन पाँच सौ सी. सी. (अस्सी क़तरे) होना चाहिए। अगर उसमें बीस फ़ीसदी तक कमी हो तो भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता लेकिन बीस फ़ीसद से ज़ाइद कमी हो या किसी क़िस्म की ख़राबी हो तो हमल क़रार नहीं पाएगा। मर्द के माद्दए तौलीद में इस कमी का पता डॉक्टरी जाँच से चलता है।

हज़ारों में एक दो औरतें पैदाईशी बाँझ होती हैं। उनको शुरू से ही हैज़ बराए नाम एक आध धब्बा के तौर पर आता है और उनका रहम भी बस बराए नाम होता है। कोई भी औरत हो अगर उसे शुरू ही से हैज़ का ख़ून हर माह अपने मुक़र्ररा अय्याम पर बग़ैर किसी तकलीफ़ के आता है और कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिनों तक जारी रहता है तो ऐसी औरत को बाँझ नहीं कहा जा सकता। बच्चा न होने की वजह और कोई दूसरी हो सकती है ऐसी सूरत में मर्द में भी कमी के इमकानात हो सकते हैं। लिहाज़ा मर्द व औरत को अपना किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए।

अगर चेकअप के बाद मर्द व औरत में किसी क़िस्म की कोई ख़राबी का पता न चले तो फिर उसे मशिय्यते इलाही समझना चाहिए और अल्लाह तआला से औलाद के लिए दुआ करते रहना चाहिए।

औलाद होगी या नहीं?

अक्सर बेऔलाद, औलाद की ख़्वाहिश में बड़ी बड़ी रक़में ख़र्च कर देते हैं। इससे क़ब्ल कि दवाओं पर रुपये ख़र्च किये जायें, इतमिनान ज़रूरी है। इसके लिए हम यहाँ एक अमल लिख रहे हैं जिससे इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि औलाद होगी या नहीं।

अमल: औरत को चाहिए कि जुमेरात को रोज़ा रखे, इफ़्तार के वक़्त इतना दूध ले जो पेट भर पी सके, फिर सात बार सूरह "मुज़्ज़म्मिल" पढ़ कर दूध पर दम करे (सूरह मुज़म्मिल क़ुरआने

करीम के उन्तीसवें पारे में है।) बेहतर ये है कि खुद पढ़े अगर (मआज़ल्लाह) पढ़ना नहीं जानती हो या सही न पढ़ सकती हो तो किसी सुन्नी आलिम या हाफ़िज़ से पढ़वा कर दम कर वाले। फिर उसी दूध से रोज़ा इफ्तार करे।

अगर दूध हज़्म हो गया तो इंशाअल्लाह औलाद होगी और अगर (अल्लाह न करे) दूध हज़्म न हुआ तो फिर सब्र करे। यानी औलाद न होगी लेकिन मायूस फिर भी न हो कि मायूसी मुसलमान का काम नहीं। अल्लाह से उम्मीद लगाए रहे और नेक आमाल की कसरत करती रहे। बेशक अल्लाह तआला क़ादिरे मुतलक़ व बड़ा बेनियाज़ है कि किसी अमल से राज़ी हो कर औलाद की खुशी अता फरमा दे। (शमए शबिस्ताने रज़ा जिल्द—1 सफ़्हा—31)

औलाद होने के लिए अमलियात

हदीसः हज़रत मौला अली (रज़ि.) रिवायत करते हैं:

"एक शख़्स रसूले खुदा (स.अ.व.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ कियाः "या रसूल अल्लाह! मेरे घर औलाद नहीं होती।" नबीए करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः "तू अंडे खाया कर।"

हुकमा व इतिब्बा का इत्तिफ़ाक़ हे कि करमहाए तौलीद की तदाद अंडे खाने से से बढ़ जाती है। उन सहाबी के माद्दए तौलीद में करम तौलीद की तादाद कम थी जो सरकार (स.अ.व.) ने बग़ैर किसी जांच के मालूम कर ली। सुब्हान अल्लाह यही तो इल्म गैब है।

अमलियातः

(1) जिस औरत को औलाद न होती हो या हमल न रहता हो तो चाहिए कि वह सात दिन लगातार रोजे रखे और इफ़्तार के वक़्त एक गिलास पानी ले कर "अलमबसूर" इक्कीस बार पढ़ कर पानी पर दम करे और उसी पानी से इफ़्तार करे। इंशाअल्लाह तआला सात रोज़ न गुजरने पाऐंगे कि हमल क़रार पा जाएगा और फ़रज़ंद पैदा होगा। (वज़ाइफ़ रिज़विया सफ़्हा—214)

(2) जो कोई अपनी बीवी से सोहबत करने से पहले "अलमुकब्बिर" दस बार पढ़े फिर उसके बाद सोहबत करे तो अल्लाह तबारका व तआ़ला उसे फ़रज़ंद इनायत फ़रमाए।

(वज़ाइफ़ रिज़विया सफ़्हा–214)

(3) अच्छे क़िस्म का एक अनार ले कर उसके चार टुकड़े करें। हर टुकड़े पर "सूरह यासीन" पढ़े और उस पर दम करता जाए, उसके बाद पाव भर किशमिश और पाव भर भुने हुए चने लेकर फ़ातिहा दें और किशमिश और चने बच्चों में तक़सीम कर दें और अनार का एक टुकड़ा मर्द खाए और एक औरत खाये। शब को मुबाशरत करें। सुब्ह बचे हुए दो टुकड़े दोनों मर्द व औरत खा लें और गुस्ल कर के नमाज़ फ़ज्र अदा करें। इस अमल से इंशाअल्लाह औलाद ज़रूर होगी।

(शमा शुबिस्ताने रज़ा जिल्द–1 सफ़्हा–30)

इंशाअल्लाह लड़का होगा

अगर किसी को सिर्फ़ लड़कियाँ ही पैदा हो तो इस हालत में लड़के की ख़्वाहिश और शीदद हो जाती है फिर कुछ लोग ऐसी हालत में लड़के के लिए रुपये पानी की तरह बहाते हैं। यहाँ तक कि कुछ कम अक़्ल जादू टोने और गंदे इलाज से भी बाज़ नहीं आते।

हम यहाँ चंद ऐसे अमलियात तहरीर कर रहे हैं जो फ़ाएदामंद व सौ फ़ीसद कामियाब हैं। इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा लेकिन याद रहे ये अमल तब ही करे जब लड़का न हो और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हों।

अमलियात:

(1) कच्चे सूती धागे के सात तार ले, फिर हर तार औरत की पेशानी के बाल से पाँव की उंगलियों तक नाप ले। अब सातों धागों को मिला कर उन पर ग्यारह मरतबा "आयतुलकुर्सी" इस तरह पढ़े कि एक बार एक गिरह (गाँठ) लगाता जाए और दम करता जाए। ग्यारह गाँठें बाँधने के बाद उन धागों को औरत की

कमर पर बाँध दे। जब तक बच्चा पैदा न हो जाए हरगिज़ न खोले। यहाँ तक कि गुस्ल के वक़्त भी जुदा न करे। जब हमल ज़ाहिर हो तो घर की पकाई हुई सफ़ेद चीज़ पर जैसे मीठा हलवा, फिरनी वग़ैरा पर हुज़ूर सय्यदना ग़ौसे आज़म व हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ और सय्यदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) की फ़ातिहा दिलाए और दो रकअत नफ़्ल नमाज़ अदा करे। फिर खड़े हो कर बग़दाद शरीफ़ की तरफ़ मुंह कर के दुआ करे "या हुज़ूर ग़ौस आज़म! मुझे लड़का हुआ तो हुज़ूर (ग़ौस आज़म) की ग़ुलामी में दे दूँगा। उसका नाम ग़ुलाम मुहीउद्दीन रखूँगा।" इसके बाद यक़ीन रखे कि लड़का ही होगा। इंशाअल्लाह जब लड़का हो तो वह धागे या बत्ती कमर से खोल कर बच्चे के गले में डाल दे। बच्चे की हर सालगिरह पर एक रुपये एक डब्बे में डालते रहें जब ग्यारह साल का हो जाए तो उन ग्यारह रुपयों की शीरीनी या जो खिलाना चाहे और रुपये मिला कर नियाज़ दिलाए और उस धागे को किसी महफ़ूज़ जगह दफ़्न कर दे।

(शमए शबिस्ताने रज़ा जिल्द–1 सफ़्हा–26)

(2) "फ़तावा शम्सुद्दीन सख़ावी" में है हज़रत शुऐब हरानी (रज़ि.) ने हज़रत इमाम अत्तार (रज़ि.) (जो इमाम अबूहनीफ़ा (रज़ि.) के उस्ताद हैं) से रिवायत किया है जो चाहे कि उसकी औरत के हमल में लड़का हो तो उसे चाहिए कि अपना हाथ अपनी औरत के पेट पर रख कर कहे: ان كان ذكرا فقد سميته محمد (अगर लड़का है तो मैंने इसका नाम "मुहम्मद" रखा)

जब लड़का पैदा हो जाए तो उसका नाम "मुहम्मद" रखे। (अहकामे शरीअत जिल्द–1 सफ़्हा–83)

(3) हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.) नक़्ल फ़रमाते हैं:

"जो औरत सिवाए लड़की के लड़का न जनती हो
तो उसके पेट पर उसका शौहर हर सत्तर बार
उंगली से गोल दाएरा बनाए हर दाएरा के साथ

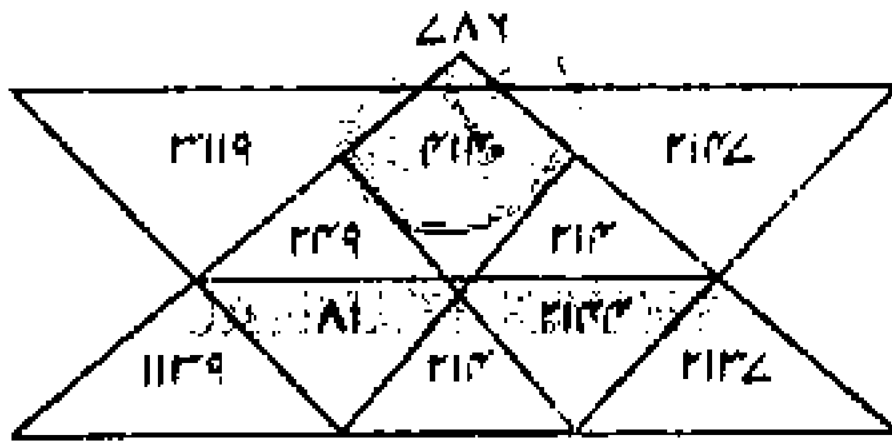
"या मतीन" कहे।"

(अलकौलुलजमील सफ़हा–148)

(4) जो औरत हामिला हो उसके पेट पर सुब्ह के वक़्त उसका शौहर उन्नीस मरतबा "अलमुबदी" शहादत की उंगली से लिखे तो बिफ़ज़्लिही तआला हमल गिरने का ख़ौफ़ जाता रहेगा और जिसका हमल देर तक रहे यानी नौ महीने से ज़्यादा गुज़र जाए तो उस औरत के पेट पर लिखने से जल्द लड़का पैदा होगा।

(वज़ाइफ़ रिज़विया सफ़हा–220)

(5) इस नक़्श को ज़ाफ़रान से लिख कर हामला औरत अपने पास रखे या कमर में बाँधे, इंशाअल्लाह लड़का पैदा होगा। नक़्श ये है:



हमल की हिफ़ाज़त

अमलियात:

(1) अगर किसी औरत के कच्चे हमल गिर जाते हैं तो कुछ काली मिर्च और अजवाइन लेकर और उस पर सत्तर मरतबा आयत करीमा "ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم انشانه خلقا آخر ط فتبرك الله احسن الخالقين ط" (पारा–18 सूरह मोमिनून आयत–14) पढ़े फिर "सूरह काफ़िरून" और "सूरह मुज़म्मिल" सात बार और "सूरह अलमनशरह" ग्यारह बार पढ़े। अब उन काली मिर्चों और अजवाइन पर दम करे। सात दाने काली मिर्च के और थोड़ी अजवाईन औरत को खिलाएं। जब तक बच्चा पैदा न हो उस वक़्त तक हर रोज़ ये काली मिर्च और अजवाइन खाते रहें। इंशाअल्लाह बच्चा सही व

सालिम पैदा होगा।

(शमए शबिस्ताने रज़ा जिल्द–1 सफ़हा–33)

(2) सात धागे कच्चे लाल रंग के ले कर औरत के कद के बराबर उन धागों को नाप लें फिर उस पर गिरह (गाँठ) लगाता जाए। हर गिरह पर ये आयत करीमा "واصبر وما صبرک الا باللہ ط ولا تحزن علیھم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون ط" पढ कर दम करे। इस तरह नौ गाँठ बाँधे (इस तरह ये आयत करीमा नौ मरतबा पढ़ी जाएगी)। इसके बाद औरत के पेट पर ये धागा बाँध दे। बच्चा पैदा होने से कुछ घन्टों पहले ये खोल दे। (अलकौलुलजमील सफहा–146+शमए शबिस्ताने रज़ा जिल्द–2 सफ़हा–54)

हमल के दौरान अच्छे काम

जब औरत हामिला हो तो उसे चाहिए कि उन दिनों बेहदा, फुज़ूल बातों, झूट, गीबत वगैरा से बिलखुसूस बचे। अच्छी दीनी गुफ्तगू करे। खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दे। ऐसी गिज़ाऐं इस्तेमाल करे जो ताकत बख़्श हों। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, नमाज़ की पाबंदी करे। कुरआन करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करती रहे। जिस कदर मुमकिन हो चलते फिरते ख़ूब ख़ूब दरूद शरीफ़ का विर्द ज़बान पर जारी हो। इन सब बातों का बच्चे पर अच्छा असर पड़ता है। हुजूर सय्यदना गौसे आज़म (रज़ि.) का वाकिया हमारी इस बात की रौशन दलील है। हुजूर गौसे आज़म जब अपनी वालिदा माजिदा के शिकमे मुबारक में थे तो वे घर के कामों के दौरान कुरआन करीम की आयतें पढ़ती रहती थीं। आप अपनी वालिदा माजिदा के पेट में ही सुन कर याद कर लिया करते थे। जब आप की वालिदा 14 पारे पढ़ चुकी थीं तब ही आप की विलादत हो गई। चुनाँचे आप 14 पारों के मादरज़ाद हाफ़िज़ थे। बाकी 16 पारे आप ने बाद में उस्ताद से पढ़े। ये हमारे गौसे पाक (रज़ि.) की एक अदना सी करामत है। वैसे तो आज ऐसी करामत का ज़ुहूर होना मुश्किल नज़र आता है लेकिन इस वाकिया में

हमारे लिए सबक़ ज़रूर है कि माँ को चाहिए कि फ़रमाँबरदार, नेक सीरत और ज़हीन औलाद हासिल करने के लिए खुद भी नेक और परहेज़गार बने क्योंकि माँ की नेकी का औलाद पर बड़ा असर पड़ता है।

हमल के दौरान मुबाशरत

औरत जब हामिला हो तो उस हालत में जिमाअ़ करने की शरीअ़त में मुमानअत नहीं, बिला कराहत जाइज़ है लेकिन अतिब्बा के नज़दीक जिमाअ़ न करना बेहतर है कि उससे नए हमल ठहरने का इमकान है और पहले बच्चे को नुक़सान होने का अंदेशा है।

हदीसः इमामे आज़म अबूहनीफ़ा (रज़ि.) अपनी मुसनद में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं:

نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم ان تو طاء
الحبالیٰ حتی یضعن مافی بطونهن،

तर्जुमाः रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने मना फ़रमाया हामिला औरतों से मुबाशरत की जाए जब तक कि वे पैदा न कर लें अपने पेट के बच्चे।

(मुसनद इमामे आज़म बाब–131 सफ़्हा–227)

इस हदीस में हामला औरतों से मुराद जिहाद में क़ैद की गई बाँदियाँ हैं। क्योंकि इमामे आज़म (रज़ि.) से दूसरे तरीक़ से और रिवायात है जिसमें "हबाला" के साथ "मिनस्सबी" की भी क़ैद है जिससे साबित होता है कि उससे मुराद क़ैद की गई औरतें हैं, ये हुक्म अपनी बीवी के लिए नहीं। उलमाए किराम फ़रमाते हैं:

> "वह औरत जिसका हमल ज़िना से हो उससे सोहबत जाइज़ नहीं लेकिन जिसका शौहर खुद उसका ज़ानी हो उससे जमाअ़ करने में कोई हर्ज नहीं।"

बच्चा पैदा होने क बाद जब तक बच्चा दूध पीता है, उन दिनों भी अतिब्बा हज़रात औरत से जिमाअ़ करने से मना करते हैं, उनके नज़दीक दूध पीते बच्चे की मौजूदगी में बीवी से जिमाअ़ करने से

बच्चे को नुक़्सान है। वह इस तरह कि बच्चे की पैदाईश के बाद अगर औरत से मुबाशरत की जाए तो औरत का दूध ख़राब हो जाता है जिसको पीने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वैसे भी शरीअत इस्लामी हमें ऐसी चीज़ें इख़्तियार करने की हिदायत करती है जो हमारे लिए ही फ़ाएदा मंद हों और उन चीज़ों से मना करती है जिसमें हमारे लिए ही नुक़्सान हो।

हदीसः हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

لا تقتلوا اولادكم سرافو الذى نفسى بيده ان
الغيل ليذرك الفارس على ظهر فرسه حتى
يصرعه.

तर्जुमाः पोशीदा तौर पर अपनी औलाद को क़त्ल न करो। क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, दूध पिलाने के वक़्त बीवी से सोहबत करना सवार को घोड़े की पीठ से गिरा देना है। (अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–198 हदीस–484 सफ़हा–172 +इब्न माज़ा जिल्द–1 बाब–649 हदीस–2083 सफ़हा–560)

तहक़ीक़ ये है कि दूध पिलाने के दौरान औरत से मुबाशरत जाइज़ है और इस हदीस में हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) ने बतौर नसीहत मना फ़रमाया है। आप का ये इरशाद नाजाइज़ मुमानअत के दर्जा में नहीं। क्योंकि अगर औरत के दूध पिलाने की वजह से मुबाशरत नाजाइज़ कर दी जाती तो ये मर्द के लिए बाइसे तकलीफ़ होता क्योंकि उमूमन औरत बच्चे को दो साल तक दूध पिलाती है और मर्द का दो साल अपने आप को औरत से अलग रखना मश्किल है। लिहाज़ा शरीअत ने उसे नाजाइज़ न क़रार दिया जैसा कि इब्न माजा व मिश्कात शरीफ़ की दूसरी एक और हदीस से ज़ाहिर है। वह हदीस ये है:

हदीसः नबी करीम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

قدارَدت ان انهى عن الغيال فاذا لفارس والروم
يغيلون فلا يقتلون اولادهم وسمعة.

तर्जुमाः मैंने इरादा किया था कि दूध पिलाने वाली औरत से जिमाअ करने से मना करूँ लेकिन अहले फ़ारस व अहले रूम भी इस ज़माने में अपनी बीवियों से इस हालत में मुबाशरत करते हैं तो उनकी औलाद को कोई नुक़सान नहीं पहुँचता। (इब्न माजा जिल्द–1 बाब–649 हदीस–2082 सफहा–560)

अब रहा पहली हदीस में फ़रमाने रसूल (स.अ.व.) दूध पिलाने के वक़्त औरत से मुबाशरत सवार को घोड़े से गिरा देता है। इससे यही मुराद ली जाएगी कि दूध पिलाने के दौरान जिमाअ नाजाइज़ तो नही लेकिन ज़्यादा न किया जाए कि यही बेहतर है। (वल्लाहु तआला आलम)

आसानी से विलादत

बच्चे की विलादत के वक़्त औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कभी कभी किसी कमज़ोर औरत को इस क़दर शदीद दर्द होता है कि औरत के लिए नाक़ाबिले बरदाश्त हो जाता है और बाज़ औक़ात उसी तकलीफ़ के सबब मौत वाक़े हो जाती है। कुछ औरतों का बच्चा आधा बाहर और आधा अन्दर ही रह जाता है। ये सूरतेहाल बड़ी नाज़ुक होती है ऐसे मवाक़े पर बच्चे को ज़िन्दा सही व सालिम निकालना डॉक्टरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है और औरत व बच्चे दोनों की जान पर बन आती है। बाज़ औक़ात औरत को दर्द शिद्दत से होता है लेकिन बच्चा की विलादत नहीं होती जिसे ऑप्रेशन कर के निकालना पड़ता है। हम यहाँ चंद ऐसे अमलियात नक़्ल कर रहे हैं जिनको अमल में लाने से इंशाअल्लाह आसानी से बच्चे की पैदाईश होगी। (इरशाद)

अमलियातः

(1) जब औरत को दर्द शुरू हो तो "मुहरे नबुवत" और "नालैन शरीफ़" (हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) की जूती मुबारक) के अक्स के तावीज़ को औरत अपनी मुट्ठी में दबा ले या फिर बाज़ू पर बाँध ले। इंशाअल्लाह पाँच मिन्ट में बच्चे की वलादत हो जाएगी।

(शमए शबिस्ताने रज़ा सफ्हा–34)

(2) जब औरत को बच्चा पैदा होने के वक़्त ज़्यादा दर्द हो रहा हो और दिल दल में इंतिहाई परेशानी हो रही हो तो चाहिए कि ये नक़्श ज़ाफ़रान से लिख कर मोम जामा कर के औरत की रान पर बाँध दिया जाए और जैसे ही बच्चा पैदा हो खोल दिया जाए। इंशाअल्लाह इस नक़्श की बरकत से तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। वह नक़्श ये है:

۳۲۲۷۸	۳۲۲۷۱۳	۳۲۲۲۸۰
۳۲۲۷۹	۳۲۲۷۷	۳۲۲۰۷۵
۳۲۲۷۴	۳۰۲۲۸۱	۳۲۲۰۷۶

(3) जिस औरत को बच्चा की विलादत पर दर्द आना शुरू हो जाए तो किसी पाक कागज पर ये आयत करीमा लिखे: "والقت مافيها وتخلت ط و اذنت لربها وحقت ط اهيا اثراهيا" और इस कागज को पाक कपड़े में लपेटे और औरत की बाईं रान पर बाँधे इंशाअल्लाह तआला जल्द बच्चा पैदा होगा। (अलक़ौलुलजमील सफ्हा–146)

बच्चे की पैदाईश

जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसे पहले गुस्ल दे फिर उसके बाद नाल काटा जाए और जिस क़दर जल्दी हो सके उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर कही जाए। चाहे घर का कोई शख़्स ही अज़ान और तकबीर कह दे या कोई आलिमे दीन या फिर मस्जिद का इमाम कहे। हदीस शरीफ़ में है जो ऐसा करे तो बच्चा बचपन की बीमारियों से महफ़ूज़ रहेगा। फिर अपनी गोद मे बच्चे को लिटा कर खुजूर या शहद वगैरा कोई भी मीठी चीज़ अपने मुह मे चबा कर उंगली से उसके मुंह में तालू से लगा दे कि वह चाट ले।

कोशिश ये की जाए कि बच्चे को पहली घुट्टी (खुजूर, शहद

या कोई मीठी चीज़ वग़ैरा) कोई नेक शख़्स अपने मुंह में चबा कर अपनी ज़बान से पहुंचाए और सब से पहले जो ग़िज़ा बच्चे के मुंह में पहुंचे वह खुरमा और किसी बुर्जुग के मुंह का लुआ़ब हो कि "तफ़सीर रूहुलबयान" में है: "बच्चे में पहली घुट्टी देने वाले का असर पड़ता है और उसके जैसी आदतें पैदा होती हैं और ये सुन्नत भी है।" हदीसे मुबारका में है: "सहाबए किराम अपने बच्चों की पैदाईश पर हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) के पास लाते थे और सरकार अपना लुआबे दहन, दहने मुबारक (में ले कर) कोई चीज़ बच्चे के मुंह में डाल देते।"

(हिरने हसीन सफ़्हा–166+फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ अव्वल सफ़्हा–46+इस्माली ज़िन्दगी सफ़्हा–11)

इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) नक़्ल फ़रमाते हैं:

"बच्चा पैदा होते ही नहला धुला कर मज़ारात औलियाए कराम पर हाज़िर किया जाए। उसमें बरकत है, ज़मानए अक़्दस (स.अ.व.) में मौलूद को ख़िदमते अनवर में हाज़िर लाते और अब मदीना तय्यबा में रोज़ो अनवर पर ले जाते हैं। अबूनईम ने "दलाइले नबूवत" में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत की कि हज़रते आमना वालिदा माजिदा हुज़ूर सय्यदे आलम (स.अ.व.) फ़रमाती हैं: "जब हुज़ूर पैदा हुए, एक अब्र आया जिसमें से घोड़ों और परिंदों के परों की आवाज़ आती थी वह मेरे पास से हुज़ूरे अक़दस (स.अ.व.) को ले गया और मैंने एक मुनादी को पुकारते सुना "طوفوا بمحمد على مولد النبين" मुहम्मद (स.अ.व.) को तमाम अंबिया के मक़ामात विलादत में ले जाओ।" हाँ औलियाए किराम के मज़ारात तय्यबा पर ले जा कर बच्चे के बाल उतारना कोई मआने नहीं रखती

बल्कि वाले घर पर दूर कर के ले जाऐं।

(फ़तावा अफ़्रीक सफ़्हा–83)

लड़की के लिए नाराज़गी क्यूं?

कुछ लोग लडकियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और लड़कियों को हकीर व जलील जानते हैं। ये इस्लामी तालीम के सरासर खिलाफ़ है। लड़की हो या लड़का दोनों का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ही है। लड़की भी रब तबारक व तआला की अज़ीम नेमत है उसे खुश दिली से कुबूल करना चाहिए हदीस पाक में है।

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"जिसे लड़की हो फिर वह उसे ज़िन्दा दफ़्न न करे, ने उसको ज़लील समझे और न लड़के को उस पर अहमियत दे तो अल्लाह तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा।"

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–548 हदीस–1705 सफ्हा--616)

हदीस: हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर सय्यदे आलम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو و ضم لصا بعه

तर्जमा: जिस ने दो लड़कियों की परवरिश की, यहाँ तक कि वह बालिग हो गई तो मैं और वह क़यामत के रोज़ इस तरह होंगे। फिर आप ने "अपनी दो उंगलियों को मिला कर बताया।"

(मुस्लिम शरीफ़+अहयाउलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–101)

हदीस: एक दूसरी रिवायत में कि नबीए करीम (स.अ.व.) इरशाद फरमाते हैं:

"जिसने अपनी एक लड़की या बहन की परवरिश की और उसे शरई अदाब सिखाया, उससे प्यार

मुहब्बत से पेश आया और फिर उसकी शादी कर दी तो अल्लाह तआला उसे ज़रूर जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा।"

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द-3 हदीस-1706 सफ़्हा-617 +कीमियाए सआदत सफ़्हा-267)

हदीस: सही बुख़ारी व जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस में है:

"जो लोग अपनी लड़कियों की प्यार व मुहब्बत से परवरिश करेंगे तो वह बच्चियाँ उनरके लिए रोज़े मेहश्र जहन्नम से आड़ बन जाएंगे।"

(बुख़ारी शरीफ़+तिर्मिजी शरीफ़ जिल्द-1 बाब-1279 हदीस-1980 सफ़्हा-901)

हदीस: रसूल अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

"जब तुम अपने बच्चों में कोई चीज़ तक़्सीम करो तो लड़कियों से शुरू करो क्यों कर लड़कों के मुक़ाबिल लड़कियाँ वालिदैन से ज़्यादा मुहब्बत करने वाली होती हैं।"

रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इन इरशादात से मालूम हुआ कि अपनी लड़कियों से मुहब्बत करना और उनकी अच्छी परवरिश कर के शादी कर देना बड़े सवाब का काम है और रसूल पाक (स.अ.व.) से क़ुर्ब हासिल करने का ज़रीया है।

निफ़ास का बयान

वह ख़ुद जो औरत को बच्चे की पैदाईश के बाद आगे के मुक़ाम से आता है उसे "निफ़ास" कहते हैं। ख़ून आने की कम से कम मुद्दत मुक़र्रर नहीं। आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक लम्हे के लिए भी ख़ून आया तो वह "निफ़ास" है। ज़्यादा से ज़्यादा निफ़ास का ज़माना चालीस दिन रात है। चालीस दिन व रात के बाद अगर ख़ून आए तो वह निफ़ास नहीं इस्तिहाज़ा है (इस्तिहाज़ा का बयान पहले गुज़र चुका)।

(बहारे शरीफ़ जिल्द-1 हिस्सा-2 सफ़्हा-45)

एक अहम ज़रूरी मसला:

औरतों में जो ये मशहूर है कि निफ़ास का ख़ून आए या बंद हो जाए चिल्ला कर के (यानी चालीस दिनों के बाद) ही नहाती है और जब तक नमाज़ें क़ज़ा करती हैं ये सख़्त हराम है। निफ़ास की गिनती उस वक़्त से होगी जब बच्चा आधा से ज़्यादा निकल आया। बच्चा पैदा होने के बाद जिस वक़्त ख़ून बंद हो जाए अगर चालीस दिनों के अन्दर फिर न आए तो उसी वक़्त से औरत पाक हो जाती है। मसलन बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ़ एक मिन्ट भर ख़ून आया फिर न आया तो उसी एक मिन्ट तक नापाकी थी फिर पाक हो गई। गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और (अगर रमज़ान का महीना हो तो) रोज़ा भी रखे। फिर अगर चालीस दिनों के अन्दर ख़ून न आया तो ये नमाज़ रोज़े सब सही हो गए और अगर ख़ून आ गया तो नमाज़ रोज़े फिर छोड़ दे। अब पूरे चालीस दिन या उस से कम पर जा कर बंद हुआ तो बच्चे की पैदाईश से उस वक़्त तक सब दिन निफ़ास के समझे जाएंगे। वह नमाज़ें जो पढ़ीं सब बेकार हो गईं। (लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं) और फ़र्ज़ रोज़े थे तो बाद में क़ज़ा रखे जाएंगे।

(फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा–153)

मसला: अगर किसी को चालीस दिन से ज़्यादा ख़ून आया तो अगर उसको पहली बार बच्चा पैदा हुआ है तो चालीस दिन निफ़ास के और बाद के इस्तिहाज़ा के हैं। इसी तरह किसी को याद नहीं कि उससे पहले बच्चा पैदा होने के कितने दिनों तक ख़ून आया था, इस सूरत में चलीस दिन, रात निफ़ास के और उसके बाद के इस्तिहाज़ा के हैं। अगर किसी औरत को तीस दिन की आदत थी (यानी उससे पहले बच्चे की पैदाईश पर तीस दिन व रात ख़ून आया है) लेकिन इस बार चालीस दिन, रात आया तो तीस दिन निफ़ास के समझे और बाक़ी के दस दिन इस्तिहाज़ा के हैं।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़्हा–45)

मसला: बच्चा पैदा होने से पहले जो ख़ून आया वह निफ़ास

का नहीं इस्तिहाजा का है। हमल गिरने से पहले कुछ ख़ून आया, कुछ हमल गिरने के बाद तो हमल गिरने से पहले का ख़ून इस्तिहाजा है और हमल गिरने के बाद का ख़ून निफ़ास है। लेकिन जब कि बच्चे का कोई अज़ू (जिस्म का कोई हिस्सा) बन चुका हो वरना पहले वाला हैज़ हो सकता है, नहीं तो इस्तिहाजा है।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़हा–45)

मसला: चालीस दिन कि अन्दर कभी ख़ून आया कभी नहीं तो सब निफास ही है चाहे पन्द्रह दिनों का फासिला हो जाए। (बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफहा–45)

मसला: निफ़ास के ख़ून का रंग लाल, काला, हरा, पीला, मिट्टी के रंग जैसा, गुदला (कीचड की रंग जैसा) वगैरा भी हो सकते हैं।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़हा–45)

मसला: निफ़ास वाली औरत को नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना हराम है। इन दिनों में नमाज़ों माफ़ हैं और उनकी कज़ा भी नहीं। अलबत्ता फर्ज़ रोज़े कज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है। उसी तरह निफ़ास वाली औरत को कुरआन करीम पढ़ना देख कर हो या ज़बानी और उसका छूना चाहे हाशिए को उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा ही लगे। ये सब हराम है, उसी तरह दीनी किताबों का छूना भी हराम है। कुरआन करीम के अलावा तमाम वज़ाईफ़, दरूद शरीफ़, कलमा शरीफ़ वग़ैरा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। (क़ानूने शरीअत जिल्द–1 सफहा–54)

मसला: हालते हैज़ में जिस तरह मुबाशरत हराम है उसी तरह हालते निफास में भी मुबाशरत सख़्त हराम, हराम, गुनाह कबीरा है और ऐसी हालत में जमाअ को जाइज़ जानना कुफ़्र है। इस हालत में नाफ से ले कर घुटने तक औरत के बदन से मर्द का अपने किसी अज़ू से छूना जाइज़ नहीं। नाफ से ऊपर और घुटने से नीचे छूने या किसी तरह का नफ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं। यूंही निफ़ास वाली औरत के साथ खाने पीने और बोस व किनार

में कोई हर्ज नहीं।

(बहारे शरीअत जिल्द–1 हिस्सा–2 सफ़हा–47)

मसला: कुछ लोग उस घर को या कमरा को नापाक तसव्वुर करते हैं जहाँ निफ़ास वाली औरत हो और उसे छूत का घर कहते हैं। कुछ जाहिल औरतें उस चीज़ को भी नापाक समझ लेती हैं जिसे छूत वाली (निफ़ास वाली) औरत छूले। नापाक सिर्फ़ वही चीज़ है जिस पर निफ़ास का ख़ून लग जाए। उसके सिवा पूरे घर को नापाक समझ लेना और निफ़ास वाली औरत से मिस हुई हर चीज़ को नापाक जानना सख़्त जिहालत, लगवियात और अपने दिल से नई शरीअत गढ़ना है।

(मुलहिज़ फ़तावा रिज़विया)

कुछ रस्मों का बयान

बच्चे की पैदाईश के मौक़ा पर अलग अलग मुल्कों में तरह तरह की रस्में हैं मगर चंद रस्में तक़रीबन किसी क़दर थोड़े फ़र्क़ के साथ हर जगह पाई जाती हैं। मसलन:

लड़का पैदा हो तो छः रोज़ तक ख़ूब ख़ुशियाँ मनाई जाती हैं। ख़ुशी मनाने की शरीअत में ममानियत नहीं लेकिन ख़िलाफ़े शरअ काम करने से ज़रूर बचना चाहिए।

पैदाईश के दिन लड्डू या कोई मिठाई तक़सीम करना मबाह है मगर बिरादरी के डर से और नाक कटने के ख़ौफ़ से मिठाई तक़सीम करना बेफ़ाएदा है और अगर सूद पर क़र्ज़ ले कर ये काम किया तो आख़िरत का गुनाह भी। इसलिए इन रस्मों को बंद करना ही बेहतर है। हाँ अगर बच्चे की उम्र में बरकत, सेहत व तंदुरुस्ती की नीयत से सदक़ा व ख़ैरात किया जाए तो मुस्तहब है।

एक रस्म ये भी है कि औरत के मैके वाले अपने दामाद को तोहफ़ा में कपड़े के जोड़े, बच्चे को झूला और कुछ नक़दी रुपये व ज़ेवर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि मालदार लोग ये सब ख़र्च बरदाश्त कर लेते हैं लेकिन ग़रीब लोग उन रस्मों को पूरा करने के लिए सूदी क़र्ज़ तक लेते हैं। अगर बच्चे की विलादत पर औरत

के मैके वाले ये सब रस्में पूरी न करें तो सास व नन्दों के ताने सहने पड़ते हैं और घर में ख़ाना जंगी का माहौल हो जाता है। लिहाज़ा मुनासिब तो यही है कि उन रस्मों को मुसलमान छोड़ दें ताकि फ़ज़ूल ख़र्ची से भी बचा जा सके और नाइत्तिफ़ाक़ी का दरवाज़ा भी बंद हो जाए। वैसे भी ये सब रस्में शरीअत में न तो फ़र्ज़ हैं, न वाजिब, न सुन्नत और न ही मुस्तहब। फिर उस पर इस क़दर पाबंदी क्यों?

आम तौर पर देखा गया है कि लोग अक़ीक़ा नहीं करते बल्कि अपनी खुद साख़्ता रस्मों की पाबंदी बड़ी मुस्तक़िल मिज़ाजी के साथ करते हैं। मसलन छटी की रस्में, छटी ये है कि बच्चे की पैदाईश के छटे रोज़ रात को औरतें जमा हो कर मिल कर गाती बजाती हैं। फिर जच्चा को बाहर लाकर तारे दिखा कर गाती हैं। फिर मीठे चावल तक़्सीम किए जाते हैं। ये भी मशहूर है कि औरत का पहला बच्चा उसके मैके में ही हो और सारा ख़र्च औरत के माँ बाप ही बरदाश्त करें। अगर वह ऐसा न करें तो सख़्त बदनामी होती है। छटी करना और दीगर इस तरह की रस्में जो हम ने ऊपर बयान कीं वह ख़ालिस हिन्दुओं की रस्में हैं जो उन्होंने अक़ीक़ा के मुक़ाबला में ईजाद की हैं।

लड़की व लड़के का अक़ीक़ा करना सुन्नत है और सुन्नत हुसूले सवाब का ज़रीया है और उसी तरह हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) से साबित है। अब अपनी तरफ़ से उसमें रस्में दाख़िल करना फ़ज़ूल है। लिहाज़ा बेहतर है कि मुसलमान इन रस्मों को छोड़ कर अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी हासिल करें। अगर बच्चे की पैदाईश पर मीलाद शरीफ़ या वाज़ शरीफ़ या फ़ातिहा कर दी जाए तो बहुत बेहतर है, उसके सिवा तमाम ख़ुराफ़ाती रस्में बंद कर देना चाहिए। (मुलहिज इस्लामी ज़िन्दगी)

अक़ीक़े का बयान

बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह तआला के शुक्र में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसे अक़ीक़ा कहते हैं। अक़ीक़ा

करना सुन्नत है। अक़ीके का सुन्नत तरीका ये है कि बच्चे की पैदाईश के सातवीं रोज़ अक़ीक़ा हो और अगर न हो सके तो पन्द्रहवी दिन या इक्कीसवीं रोज़ या जब भी हैसीयत हो करे, सुन्नत अदा हो जाएगी।

(क़ानूने शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–160+बहारे शरीअत)

लड़के के लिए दो बकरे और लड़की के लिए एक बकरी ज़िबह करे। लड़के के लिए बकरा और लड़की के लिए बकरी ज़िबह करना बेहतर है। अगर लड़का लड़का दोनों के लिए बकरा या बकरी भी ज़िबह करे तो कोई हर्ज नहीं। (क़ानूने शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–160)

लड़के के लिए दो बकरे न हो सकें तो एक बकरे में भी अक़ीक़ा कर सकते हैं। उसी तरह गाय, भैंस ज़िबह करे तो लड़के के लिए दो हिस्सा और लड़की के लिए एक हिस्सा हो। अक़ीके के जानवर के लिए भी वही शर्तें हैं जो कुरबानी के जानवर के लिए ज़रूरी हैं।

(क़ानूने शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–160)

अक़ीके के जानवर के तीन हिस्से किए जाऐं। एक हिस्सा ग़रीबों को ख़ैरात कर दे, दूसरा हिस्सा रिश्तादारों और अहबाब में तक़्सीम करे और तीसरा हिस्सा खुद रखे।

अक़ीके का गोश्त ग़रीबों, फ़क़ीरों, रिश्तादारों, दोस्त व अहबाब को तक्सीम करे या पक्का कर दे या फिर दावत कर के खिलाए, सब सूरतें जाइज हैं।

अक़ीके का गोश्त माँ, बाप, दादा, नाना, नानी ग़र्ज़ कि हर रिश्तादार सब खा सकते हैं।

(क़ानूने शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–160)

अक़ीके के जानवर की खाल अपने काम में लाए, ग़रीबों को दे दे या मदरसा या मस्जिद में सर्फ़ करे यानी उस खाल का भी वही हुक्म है जो क़ुर्बानी की खाल का हुक्म है।

(क़ानूने शरीअत जिल्द–1 सफ़हा–160)

बेहतर है कि अक़ीक़े के जानवर की हड्डियाँ तोड़ी न जाएें कि ये नेक फ़ाल है बल्कि जोड़ों से अलग कर दी जाऐं और गोश्त वग़ैरा खा कर ज़मीन में दफ़्न कर दी जाऐं। नेक फ़ाल के लिए हड्डी न तोड़ना बेहतर है और तोड़ना भी जाइज़ है। (बहारे शरीअ़त जिल्द-2 सफ़्हा-95)

अक़ीक़े में बच्चे के सर के बाल मुंड़वाए और उसके बालों के वज़न के बराबर चाँदी या (साहबे इस्तिताअ़त हो तो) सोना या उसके बराबर क़ीमत ख़ैरात करे।

(कीमियाए सआ़दत सफ़्हा-267)

हदीसः इमाम मुहम्मद बाक़र (रज़ि.) से रिवायत हैः

"ख़ातूने जन्नत हज़रते फ़ातिमा ज़ोहरा (रज़ि.) अपने बच्चों को अक़ीक़े फ़रमाती थीं और आप ने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब और हज़रत कुलसूम (रज़ि.) के जब अक़ीक़े फ़रमाए तो उनके बाल उतरवाए और बालों के वज़न के बराबर चाँदी ख़ैरात फ़रमाई।"

(मोत्ता इमाम मालिक जिल्द-1 किताबुलअक़ीक़ा हदीस-2 सफ़्हा-402)

याद रखीए! अक़ीक़ा फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है सिर्फ़ सुन्नत मुस्तहब है। ग़रीब शख़्स को हरगिज़ जाइज़ नहीं कि क़र्ज़ लेकर और वह भी मआज़ अल्लाह सूद पर क़र्ज़ लेकर अक़ीक़ा करे। क़र्ज़ लेकर ज़कात देना भी जाइज़ नहीं, अक़ीक़ा ज़कात से बढ़ कर नहीं।

(इस्लामी ज़िन्दगी सफ़्हा-18)

अक़ीक़े के जानवर को ज़िबह करते वक़्त की दुआऐं बहुत सी मसाइल की छोटी छोटी किताबों में भी आई हैं। लिहाज़ा वह दुआऐं उन्हीं किताबों में देख ली जाऐं।

ख़तना का बयान

लड़कों की ख़तना करना सुन्नत है और ये इस्लाम की

अलामत है। हज़रत इमाम बदर महमूद ऐनी (रज़ि.) "उमदतुलकादरी शरहे बुख़ारी" में ख़तना की निस्बत फ़रमाते हैं: "انه شعائر الدين كالكلمة وبه يتميز المسلم من الكافر" यानी बेशक ख़तना कलमे की तरह दीन इस्लाम की निशानियों में से है और मुस्लिम और काफ़िर में उससे इम्तियाज़ पैदा होता है।

बुख़ारी व मुस्लिम गर्ज़ कि सिहाहसित्ता के अलावा अहादीस की तक़रीबन सभी किताबों में नक़्ल है कि हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: "हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़तना की तो उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ़ अस्सी बरस थी।"

ख़तना का सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब बच्चा सात साल का हो जाए उस वक़्त ख़तना करा दिया जाए कि इस उम्र में बच्चा आसानी से तकलीफ़ बरदाश्त कर लेता है। ख़तना कराने की उम्र सात साल से लेकर बारह साल तक है। यानी बारह बरस से ज़्यादा देर लगाना मना है और अगर सात साल से पहले ख़तना कर दिया जब भी हर्ज नहीं। ख़तना कराना बाप का काम है, वह न हो तो फिर दादा, मामूँ, चाचा वग़ैरा कराए।

(बहारे शरीअत जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़्हा–15)

ख़तना करने से पहले नाई की उजरत तय होना ज़रूरी है जो इस ख़तना के बाद दी जाए, इलाज में ख़ास निगरानी रखे, तजरबाकार नाई से ख़तना कराना बेहतर है।

ख़तना सिर्फ़ उसी का ही नाम है, बाक़ी ये धूम धाम से बारात निकालना, रिश्ते दारों को बेमक़सद कपड़ों के जोड़े बाँटना, गाने बाजे और लाइटिंग वग़ैरा सब फ़िज़ूल काम है और फ़िज़ूल ख़र्ची इस्लाम में सख़्त हराम है। ये सब मुसलमानों की कमज़ोर नाक ने पैदा कर दिए हैं जिसे कटने से बचाने के लिए क़र्ज़ तक लेते हैं और बाद को परेशानी मोल लेते हैं।

आयत: अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फ़रमाता है:

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشيطن ط

तर्जुमा: और फ़ुज़ूल न उड़ा बेशक उड़ाने वाले शैतानों के

भाई हैं। (तर्जुमा कंजुलईमान पारा–15 सूरह बनी इस्राईल रुकूअ–3 आयत–26)

कान, नाक छेदना

लड़कियों के कान, नाक छेदवाने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) के ज़मानए ज़ाहिरी में भी औरतें कान छेदवाती थीं और हुज़ूर ने इससे मुमानअत न फ़रमाई। (फ़तावा रिज़विया जिल्द–9 निस्फ़ आख़िर सफ़्हा–57+बहारे शरीअत जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़्हा–126)

एक रिवायत में है कि सब से पहले नाक, कान हज़रत सारा ने हज़रत हाजिरा (रज़ि.) के छेदे थे। दोनों ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवियाँ थीं। तब ही से औरतों में कान नाक छेदवाने का रिवाज चला आ रहा है।

(मेराजुलनबूवत जिल्द–1 सफ़्हा–621)

कुछ लोग किसी मिन्नत के तेहत या फिर फ़िरंगी फ़ैशन की पैरवी में लड़कों के कान छेद देते हैं और कुछ किसी बुजुर्ग की मिन्नत के तेहत लड़कों की चोटी रखते हैं। ये सख़्त नाजाइज़ व हराम है और ऐसी मिन्नत की शरीअत में कोई हैसीयत नहीं।

इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत (रज़ि.) "फ़तावा अफ़्रीका" में फ़रमाते हैं: -

"बाज़ जाहिल औरतों में दस्तूर है कि बच्चे के सर पर बाज़ औलियाए किराम के नाम की चोटी रखती हैं और उसकी कुछ मीआद मुक़र्रर रकती हैं। फिर मीआद गुज़ार कर मज़ार पर ले जा कर बाल उतारती हैं। ये ज़रूर महज़ बेअस्ल व बिदअ़त है। वल्लाहु तआला आलम।"

(फ़तावा अफ़्रीका सफ़्हा–83)

काला टीका लगाना

घर की औरतें अपने छोटे बच्चों को किसी कालिक, काजल या सुरमा वग़ैरा से रुख़सार (गाल) पर काला टीका लगाती हैं

ताकि किसी की बुरी नज़र न लगे। ये बेअस्ल नहीं। नज़र का लगना सही है और अहादीस से साबित है। चुनाँचे हदीस पाक में है। (अलीहसन)

हदीस: रसूल अल्लाह (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

العين حق لو كان شر.........القدر لسبقة العين

तर्जुमा: नज़र का लगना हक़ है अगर कोई चीज़ तक़दीर पर ग़ालिब होती है तो नज़र ग़ालिब होती है।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–1370 हदीस–2137 सफ़हा–949 + मोअत्ता इमाम मालिक जिल्द–1 किताबुलऐन हदीस–3 सफ़हा–782 अलक़ौलुजमील सफ़हा–150) (काशिफ़)

हदीस: एक रिवायत में है कि हज़रत उस्माने ग़नी (रज़ि.) ने एक खूबसूरत बच्चे को देखा तो फ़रमाया:

"इसकी ठोड़ी मे काला टीका लगा दो कि उसको नज़र न लगे।"

(अलक़ौलुलजमील सफ़हा–153)

इस के अलावा और हदीसें हैं जिनसे ज़ाहिर है कि नज़र का लगना सही है जिनकी तफ़सील की यहाँ मज़ीद हाजत नहीं। हक़ पसंद को इसी क़दर काफ़ी। (वल्लाह तआला आलम व सुम्मा रसूलुल्लाह आलम)

जब किसी मुसलमान के बच्चे को देखे या मुसलमान भाई की कोई चीज़ अच्छी लगे तो ये दुआ करे: "تبارک اللہ احسن الخالقین اللھم بارک فیہ" अगर ये दुआ याद न हो तो इस तरह कह दे "अल्लाह तआला बरकत करे।" इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी।

(रद्दुलमुहतार बहवालाए बहारे शरीअत जिल्द–2 हिस्सा–16 सफ़हा–159)

बच्चे का नाम

बच्चे की पैदाईश के सात रोज़ बाद बच्चे का नाम रखा जाए। बच्चा चाहे ज़िन्दा पैदा हो या मरा हुआ, पूरा हो या अधूरा। हर

सूरत में उसका नाम रखा जाए और क़यामत के दिन उसका हर्श होगा।

(दुर्रेमुख़्तार+रद्दुलमुहतार+इहयाउलउलूम जिल्द-2 सफ़्हा-201 +क़ानूने शरीअ़त जिल्द-1 सफ़्हा-125)

बुज़ुर्गाने दीन फ़रमाते हैं: A-K

"अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो कि अच्छे नामों का असर बच्चों पर अच्छा पड़ता है और बुरे नाम का बुरा असर पड़ता है।"

इमामे अहलेसुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"फ़क़ीर ने बचश्मे ख़ुद ऐसे क़बीह (बुरे) नामों का सख़्त बुरा असर पड़ते देखा है। भले चंगे सुन्नी सूरत को आख़िर उम्र में दीन पोश, नाहक़ कोश होते पाया है।"

(अहकामे शरीअ़त जिल्द+सफ़्हा-76)

हदीस: रसूलुल्लाह (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

تسموا باسماء الانبياء

तर्जुमा: अंबियाए किराम के नामों पर नाम रखो।

(बुख़ारी शरीफ़+मुस्लिम शरीफ़+अबूदाऊद शरीफ़ + निसाई शरीफ़)

अहादीसे करीमा में ख़ालिस "मुहम्मद" नाम रखने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत आई है। हम यहाँ चंद हदीसें बयान करने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं।

हदीस: हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं;

قال اللّٰه تعالیٰ و عزتی و جلالی لا عذبت احدا تسمّٰی باسمک فی النار

तर्जुमा: अल्लाह तआ़ला ने मुझ से फ़रमाया मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की क़सम! जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा, उसे दोज़ख़ का अज़ाब न दूँगा।

(अबूनए बहवाला अहकामे शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–81)

हदीस: हज़रत इमाम मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

ما كا كن فى اهل بيت اسم محمد الا كثرت بركته

तर्जुमा: जिस घर वालों में कोई मुहम्मद नाम का होता है उस घर की बरकत ज़्यादा होती है। (शरहुमवाहिब बहवालए अहकामे शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–83)

हदीस: इब्न अ़साकर व हाफ़िज़ हुसैन बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन कबीर (रज़ि.) हज़तर अबूउमामा (रज़ि.) से रावी कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

من ولد له مولود فسماه محمدا حبالي وتبر كا
باسمي كان هو و مولوده في الجنة.

तर्जुमा: जिसे लड़का पैदा हो और वह मेरी मुहब्बत में और मेरे नाम पाक से तबर्रुक के लिए उसका नाम मुहम्मद रखे, वह और उसका लड़का दोनों जन्नत में जाऐंगे। (बहवाला अहकामे शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–80)

हदीस: तिबरानी कबीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रावी कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

من ولد له ثلثة اولاد فلم يسم احدا منهم محمد فقد جهل

तर्जुमा: जिसके तीन बेटे पैदा हों और वह उनमें किसी का नाम मुहम्मद न रखे तो ज़रूर जाहिल है। (तिबरानी शरीफ़ बहवाला अहकामे शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–82)

हदीस: इब्न सअ़द तबक़ात में उस्मान उमरी (रज़ि.) से मुरसलन रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

ماضر احد كم لو كان فى بيته محمد و محمد ان و ثلثة

तर्जुमा: तुम में किसी का क्या नुक़सान है अगर उसके घर में एक मुहम्मद या दो मुहम्मद या तीन हों।

(बहवाला अहकामे शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–81)

आला हज़रत (रज़ि.) इस हदीस को नक़्ल करने के बाद

फ़रमाते हैं:

"फ़कीर ग़फ़रुल्लाह तआ़ला लहू ने अपने सब बेटों, भतीजों को अक़ीक़ा में सिर्फ़ मुहम्मद नाम रखा। फिर नाम अक़्दस के हिफ़्ज़ आदाब और बाहम तमीज़ के लिए उर्फ़ जुदा मक़र्रर किए। बिहमदिल्लिाह तआ़ला फ़कीर के यहाँ पाँच मुहम्मद अब भी मौजूद हैं और पाँच से ज़ाएद इंतिक़ाल कर गए।" (अहकामे शरीअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–82)

हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों के नाम सिर्फ़ "मुहम्मद" रखें और घर में पहचान और पुकारने के लिहाज़ से दूसरे नाम रख दें। लेकिन याद रहे कि वह पकारने के नाम भी इस्लामी ढंग के हों। अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुलकरीम, अब्दुर्रहीम वग़ैरा नाम और अंबिया कराम व सहाबा कराम के नामों पर नाम रखना अच्छा है।

हदीस: हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

احب الا سماء الی اللہ عز وجل عبداللہ و عبدالرحمٰن

तर्जुमा: अल्लाह तआ़ला को तमाम नामों में से अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान सब से ज़्यादा पसंद है।

(अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3 बाब–485 हदीस–1513 सफ़्हा–550) इरशाद बिथरी चैनपुर

लेकिन याद रहे जिनके नाम रहमान, सत्तार, ग़फ़्फ़ार, करीम, रहीम वग़ैरा हों जो कि अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, उनसे पहले अब्द लगाना ज़रूरी है। मसलन अब्दुर्रहमान, अब्दस्सत्तार, अब्दुलग़फ़ूर, अब्दुलकरीम, अब्दुर्रहीम वग़ैरा। अगर बग़ैर अब्द लगाए पुकारा तो सख़्त मना है।

किसी को चिढ़ाने के लिए नाम बिगाड़ना सख़्त मना है और उसी तरह किसी को ऐसे नाम से पुकारना भी जाइज़ नहीं जिसे सुन कर वह नाराज़ हो जाए।

आयत: अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है:

ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالا لقاب ط

तर्जुमा: और आपस में ताना न करो और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो। (तर्जुमा कंज़ुलईमान पारा–26 सूरह हुजरात रुकूअ–14 आयत 11)

अफ़सोस! आज कल लोग अपने बच्चों के नाम फ़िल्मी हीरो, हीरोइन, क्रिकेट खिलाड़ी या फिर किसी फ़िरंगी के नाम से मुतअस्सिर हो कर रखते हैं। जैसे: टिंकू, पिंकू, रिंकू, चीकू, मीकू, कल्लू, लल्लू, भूरू, काजोल, राहुल, पम्मी, मीना, टीना, रीना, वीना, लीना और न जाने क्या क्या बकवास नाम।

हदीस: हज़रत अबूदाऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस (स.अ.व.) फ़रमाते हैं:

انكم تدعون يوم القيمة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنو اسمآئكم

तर्जुमा: बेशक तुम रोज़े क़यामत अपने नामों और अपने बाप के नामों से पुकारे जाओगे तो अपने नाम अच्छे रखा करो।

(इमाम अहमद+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–2 बाब–485 हदीस–1513 सफ़्हा–550)

इस हदीस से ज़ाहिर है कि अगर मआज़ल्लाह किसी का नाम टिंकू होगा तो उसे बरोज़े क़यामत टिंकू के नाम से पुकारा जाएगा। सोचिए! इस वक़्त जब कि वहाँ सालिहीन, बुज़ुर्गाने दीन, आम बंदे गर्ज़ कि सभी जमा होंगे, किस क़दर शर्मिंदगी होगी। आज वक़्त है जिन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे बेहूदा रखे हैं, वह आज से ही तबदील कर दें और अच्छा सा कोई इस्लामी नाम रख लें।

हदीस: हज़रत नाफ़े (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत की:

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح

तर्जुमा: नबी करीम (स.अ.व.) की आदत मुबारका थी कि बुरे नामों को बदल दिया करते थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–2 बाब–335 हदीस–746 सफ़्हा–301+अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–3

बाब—486 हदीस—1517 सफ़्हा—551)

अक्सर मुसलमान ऐसे नाम रखते हैं जो बज़ाहिर सुनने और पुकारने में अच्छे मालूम होते हैं लेकिन या तो नजाइज़ व हराम हैं या फिर ऐसे कि जिनके कोई मआनी नहीं होते।

इमामे अहलेसुन्नत आला हज़रत (रज़ि.) ने अपने फ़तावा में ऐसे बहुत से नामों के बारे में लिखा है जो नहीं रखना चाहिए। हम यहाँ मुख़्तसर कुछ ज़िक्र कर रहे हैं।

आला हज़रत (रज़ि.) फ़रमाते हैं:

"मुहम्मद नबी, अहमद नबी, नबी अहमद ये नाम रखना हराम हैं कि ये हुज़ूर (स.अ.व.) के लिए ही ज़ेबा हैं।"

यूँही नबी जान नाम रखना नामुनासिब है। यासीन, ताहा नाम रखना मना है। ये एसे नाम हैं जिनके मानी मालूम नहीं। उन नामों के आगे "मुहम्मद" लगाने से भी फ़ाएदा न होगा कि अब भी यासीन व ताहा नामालूम मआनी में रहे।"

(अहकामे शरीअत जिल्द—1 सफ़्हा—73)

"ग़फ़ूरुद्दीन" नाम भी सख़्त बुरा और ऐबदार है, ग़फ़ूर के मआनी "मिटाने वाला", "बरबाद करने वाला" के होते हैं। ग़फ़ूर अल्लाह का नाम है और अल्लाह अपनी रहमत से बंदों के गुनाह मिटाता है (अब अगर किसी शख़्स का ये नाम हो तो) ग़फ़ूरुद्दीन के मानी हुए "दीन का मिटाने वाला" ये ऐसे ही हुआ जैसे शैतान नाम रखना। (अहकामे शरीअत जिल्द—1 सफ़्हा—76)

"इसी तरह कल्बे अली, कल्बे हसन, कलब हुसैन, गुलाम अली, गुलाम हसन, गुलाम हुसैन वग़ैरा नामों से पहले "मुहम्मद" लगाना जाइज़ नहीं। (मसलन मुहम्मद कल्बे अली, मुहम्मद कल्बे हसन या मुहम्मद गुलाम अली, मुहम्मद गुलाम हुसैन वग़ैरा ये नाम जाइज़ नहीं होंगे)। अगर सिर्फ़ कल्बे अली, कल्बे हसन, कल्बे हुसैन, गुलाम अली, गुलाम हसन,

गुलाम हुसैन वग़ैरा ही रहने दे तो कोई हर्ज नहीं।"

(अहकामे शरीअत जिल्द—1 सफ़्हा—77)

"इसी तरह निज़ामुद्दीन, शम्सुद्दीन, बदरुद्दीन, नूरुद्दीन, फ़ख़रुद्दीन, शम्सुलइस्लाम, मुहीउलइस्लाम, बदरुलइस्लाम वग़ैरा नामों को उलमा कराम ने सख़्त नापसंद रखा और मकरूह व ममनूअ फ़रमाया कि ये बुर्ज़ुगाने दीन के नाम नहीं बल्कि उनके अलक़ाब हैं जिससे मुसलमानों ने उनकी तारीफ़ में उन्हीं अलक़ाब से याद किया।"

(अहकामे शरीअत जिल्द—1 सफ़्हा—77)

"अली, हुसैन, ग़ौस, जीलानी और इस तरह के तमाम नाम जो बुजुर्गाने दीन के नाम हैं, उनसे पहले लफ़्ज़ "गुलाम" हो तो बेशक जाइज़ है।" (मसलन गुलाम अली, गुलमा हुसैन, गुलाम ग़ौस, गुलाम जीलानी वग़ैरा)

(अहकाम शरीअत जिल्द—1 सफ़्हा—77)

और ऐसे नाम जो बेमानी हैं जैसे बुधू, कल्लू, लल्लू, राजू, जुमराती, शबराती, ख़ैराती, नीजू, रहमू, मनी, पिंकी, चिंकी, बेबी, शूबी वग़ैरा और इस तरह के वे नाम जो अपने मानी के एतेबाद से फ़ख़रिया हैं और जिनमें फ़ख़्र ज़ाहिर होता हो न रखे जाएं। मसलन शाह जहाँ, नवाब, राजा, बादशाह वग़ैरा नाम न रखे बल्कि लड़कियों के नाम क़मरुन्निसा, बदरुन्निसा, शम्सुन्निसा, रौशन आरा, जहाँ आरा, नूर जहाँ वग़ैरा नाम न रखे बल्कि लड़कियों के नाम कनीज़ फ़ातिमा, आमिना, आएशा, ख़दीजा, ज़ैनब, मरीयम, कुलसूम वग़ैरा रखें। (मुलहिज़ इस्लामी ज़िन्दगी सफ़्हा—17)

बच्चे के परवरिश इरशाद

बच्चे की परवरिश का हक माँ को है, चाहे वह निकाह में हो या निकाह से बाहर हो गई हो। हाँ अगर मुरतद (दीने इस्लाम से फिर कर काफ़िरा) हो गई हो तो परवरिश नहीं कर सकती या ज़िना करने वाली हो या चोर हो या मातम करने वाली, चीख़ चीख़

कर रोने वाली हो तो उसकी भी परवरिश में बच्चा नहीं दिया जाएगा। बाज़ फ़ुकहाए किराम तो यहाँ तक फ़रमाते हैं: "अगर औरत नमाज़ की पाबंद नहीं तो उसकी भी परवरिश में बच्चा नहीं दिया जाएगा।" मगर सही ये है कि बच्चा उसकी परवरिश में उस वक़्त तक रहेगा जब तक नासमझ है और जब कुछ समझने लगे तो अलग कर लिया जाए, इसलिए कि बच्चा माँ को देख कर वही औदतें इख़्तियार करेगा जो माँ की हैं। यूँही उस माँ की परवरिश में भी नहीं दिया जाएगा जो बच्चे को छोड़ कर इधर उधर चली जाती हो, चाहे उसका जाना किसी गुनाह के लिए न हो।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़हा–19 + इस्लामी ज़िन्दगी सफ़हा–23)

बच्चे को दूध पिलाना

आयत: अल्लाह तबारक व तआ़ला इरशाद फ़रमाता है:

والدات یر ضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الر ضاعة ط

तर्जुमा: और माऐं दूध पिलाऐं अपने बच्चों को पूरे दो बरस उसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे।

(तर्जुमा कंज़ुलईमान पारा–2 सूरह बक़रा रुकूअ़–13 आयत–233)

मसला: लड़की हो या लड़का दोनों को दध दो साल तक पिलया जाए, माँ बाप चाहें तो दो साल से पहले भी दूध छुड़ा सकते हैं मगर दो साल के बाद पिलाना मना है।

(बहारे शरीअ़त जिल्द–1 हिस्सा–7 सफ़हा–19)

कुछ औरतें अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलातीं बल्कि गाय, भैंस का या फिर कई महीनों से पड़े हुए पावडर का दूध पिलाती हैं। उनका ख़्याल है कि बच्चे को दूध पिलाने से औरत की ख़ूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जबकि ये ख़्याल बिल्कुल ग़लत है। हक़ीक़त तो ये है कि बच्चे को दूध पिलाना खुद माँ के लिए भी मुफ़ीद है क्यूंकि बच्चे को दूध पिलाने के दौरान माँ के जिस्म की चरबी अपनी जरूरी मिक़्दार से ज़्यादा नहीं हो पाती है और ये

बात साइंसी तजरबात की रौशनी में भी साबित हो चुकी है कि दूध पिलाने से औरत में न तो किसी क़िस्म की कोई कमज़ारी आती है और न ही उसकी ख़ूबसूरती पर कोई फ़र्क़ पड़ता है। जो माऐं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलातीं, उनकी बेज़ा दानी वक़्त से पहले ही पुख़्ता हो जाती है जो इंतिहाई ख़तरनाक साबित होती है। ऐसी ख्वातीन रहम और छाती के अमराज़ में अक्सर मुबतला रहती हैं।

हदीस: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर सैयदे आलम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जब बच्चा माँ के पुस्तान से दूध की चुसकी लेता है तो हर चुसकी के बदले उस औरत को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब दिया जाता है। जब औरत बच्चे का दूध छुड़ाती है तो आसमान से निदा आती है "ऐ नेक ख़ातून! तेरी पिछली ज़िन्दगी के सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, अब तो नए सिरे से नेक ज़िन्दगी शुरू कर।"

(गुनयतुत्तालिबीन बाब–5 सफ़्हा–113)

डॉक्टरों की तहक़ीक़ से ये बात साबित पायए सुबूत तक पहुंच चुकी है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सब से ज़्यादा मुफ़ीद होता है। माँ का दूध बच्चे को सही मिक्दार में प्रोटीन, हयातीन और रोग़नियात मोहय्या करता है। माँ का दूध पीने से बच्चे के पेट के अमराज पैदा होने के इमकानात कम हो जाते हैं। मुशाहदा है कि जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं वह ज़्याद सेहत मंद और तंदुरुस्त रहते हैं। उसके बरअक्स जो बच्चे अपनी माँ के दूध से महरूम रहते हैं वह कमज़ोर होते हैं और मुख़्तलिफ़ अमराज़ में हमेशा गिरफ़्तार रहते हैं। महज़ अपने जिस्म की ख़ूबसूरती को बरक़रार रखने के ग़लत और बेबुनियाद ख़्यालात के लिए बच्चों को इस अज़ीम नेमत से महरूम रखना बच्चे पर ज़ुल्म नहीं तो और क्या है?

हदीसः हज़रत ख़ातिमुलहुफ़्फ़ाज़ इमाम अजल जलालुद्दीन सुयूती (रज़ि.) अपनी मशहूरे ज़माना किताब "शरहुस्सुदूर" में हज़रत अबूउमामा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमायाः

"शबे मेराज में मैंने कुछ औरतें ऐसी देखीं जिनके पुस्तान लटके हुए और सर झुके हुए थे। उनके पुस्तानों को साँप डस रहे थे। जिब्रईले अमीन (अलैहिस्सलाम) ने मुझे बतायाः "या रसूल अल्लाह! ये वह औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं।"

(शरहुस्सुदूर बाब अज़ाबुलक़ब्र सफ़्हा–153)

अगर किसी ख़ातून को किसी वजह से दूध नहीं आ रहा हो या कम आता हो या ऐसी बीमारी में मुबतला हो जिससे बच्चे को दूध पिलाने में नुक़सान का अंदेशा हो तो ऐसी हालत में बच्चे के बाप की ज़िम्मादारी है कि वह किसी दूध पिलाने वाली का इंतिज़ाम करे लेकिन ख़्याल रहे दूध पिलाने वाली भी मुस्लिम, सुन्नी, सहीहुलअक़ीदा, नेक सीरत ख़ातून हो कि दूध का असर बच्चे पर मुरतब होता है।

हिकायतः तफ़सीर रूहुलबयान में हैः

"हज़रत इमाम शैख़ इब्ने मुहम्मद (रज़ि.) अपने घर में आए तो देखा कि उनके बेटे इमाम अबुलमआली को कोई दूसरी औरत दूध पिला रही है। आप ने उससे बच्चे को छीन लिया और बच्चे के मुंह में उंगली डाल कर तमाम दूध उलटी करा दिया और फ़रमाया अच्छे दूध से शराफ़त पैदा होती है और जाँकनी में आसानी। जब इमाम अबुलमआली (रज़ि.) जवान हुए तो बहुत बड़े आलिम बने लेकिन कभी कभी आप मुनाज़रा में तंग दिल हो जाते थे और फ़रमाते थे कि शायद ये उस दूध का असर

मेरे पेट में रह गया है जिसका ये नतीजा है।"

(तफ़सीर रूहुलबयान शरीफ़)

अगर दूध पिलाने वाली किसी ख़ातून को इंतिज़ाम न हो सके और जैसा कि उस ज़माने में मुश्किल भी है तो बच्चे के लिए गाय का दूध मुतबादिल है लेकिन उसे उबालना ज़रूरी है।

बच्चों की तालीम व तरबीयत

किताब "हिस्ने हसीन" में है "जब बच्चा बोलना शुरू करे तो सब से पहले उसे कलमा शरीफ़ "لاالٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ" सिखाए।"

बच्चों के सामने ऐसी हरकतें न करें जिससे बच्चों के अख़लाक़ ख़राब हों क्योंकि बच्चों में नक़्ल करने की आदत होती है। वह जो कुछ अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं वह खुद भी वही करने लगते हैं। इसलिए उनके सामने अच्छी बातें कहे, नमाज़ पढ़े, कुरआन पाक की तिलावत करे ताकि ये सब देख कर वह भी ऐसा ही करें।

पहले ज़माने में माएं बच्चों को अल्लाह अल्लाह कह कर सुलाती थीं। अब घर के रेडियो, टी0 वी0 और बाजे वग़ैरा बजा कर सुलाती हैं। कुछ बेवकूफ़ अपने बच्चों को गाली बकना सिखाते हैं और उस पर फूले नहीं समाते। बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाऐं और गाली बकने पर बजाए हंसने या खुश होने के उन्हें सख़्ती से डॉटें। बच्चों को झूटी कहानियाँ व किस्से सुनाने की बजाए बुज़ुर्गाने दीन के सच्चे वाकियात सुनाए ताकि उनके दिल व दिमाग़ पर उसका अच्छा असर पड़े और उनके दिल में इस्लाम व बुज़ुर्गाने दीन की मुहब्बत पैदा हो।

माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की तालीम व तरबियत के बारे में अपनी ज़िम्मादारी का ख़ास ख़्याल रखें। दुनियावी तालीम से पहले या साथ साथ इस्लामी तालीम व शरई आदाब भी सिखाएं। अगर उससे ज़रा भी कोताही करेगा तो क़यामत के रोज़ औलाद से ही पूछ न होगी माँ बाप भी पकड़े जाऐंगे।

आयत: अल्लाह तबारक व तआ़ला इरशाद फ़रमाता है:

يا يها الذين امنو آقو انفسكم واهليكم نارا وقو دها الناس والحجارة..........الخ

तर्जुमा: ऐ ईमान वालो! अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका इंधन आदमी और पत्थर हैं। (तर्जुमा कंजुलईमान पारा–28 सूरह तहरीमा रुकूअ़–19 आयत–6)

शरह: इस आयत की तफ़्सीर में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है: "तुम ख़ुद गुनाहों से बचो, ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी करो और अपनी औलाद को भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो और शरई आदाब सिखाओ और मज़हबी तालीम से आरास्ता करो।"

जब बच्चा होश मंद हो जाए तो किसी सुन्नी सहीहुलअक़ीदा बाअमल मुत्तक़ी परहेज़गार आलिमे दीन या हाफ़िज़ के पास बिठा कर कुरआन पाक और उर्दू की दीनी किताबें ज़रूर पढ़ाऐं।

यक़ीनन आप अपने बच्चों को एक अच्छा डॉक्टर, इंजिनयर बनाइए लेकिन अगर अल्लाह तआ़ला ने आप को एक से ज़्याद लड़के अता किए हैं तो कम अज़ कम एक लड़के को ज़रूर आलिमे दीन या हाफ़िज़े कुरआन बनाए। हदीस पाक में है: "रोज़े महशर एक हाफ़िज़ अपनी तीन पुश्तों को ओर एक आलिमे दीन अपनी सात पुश्तों को बख़्शवाएगा।" ये ख़्याल निहायत ही ग़लत व लग़्व है कि आलिमे दीन भूक [illegible]री का शिकार है, मुल्ला मौलवी को रोटी नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं कि कोई दुनयावी इल्म हासिल करे तो उसे रोटी भी मिल जाए। सैंकड़ों ग्रेजुएट हाथों में डिगरियाँ लिए नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। यक़ीनन हर किसी को वही मिलता है जो अल्लाह तआ़ला ने उसकी क़िस्मत में लिख दिया है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आलिमे दीन बनने के बाद मस्जिद में इमामत ही की जाए। आप का बच्चा आलिमे दीन होने के साथ साथ एक बेहतरीन बिज़नेस मैन (ताजिर) भी हो सकता है। सैंकड़ों आलिमे दीन हैं जो दीन की ख़िदमत अंजाम देने के

साथ साथ तिजारत से भी लगे हुए हैं और इतना कमा लेते हैं जितना एक डॉक्टर और इंजिनयर भी कमा नहीं पाता। ख़ुद नाचीज़ के ऐसे कई आलिमों से दोस्ताना तअ़ल्लुक़ात हैं जो आलिम होने के साथ ही एक बेहतरीन डॉक्टर और बिज़नेस मैदन भी हैं जो अपने दुनियावी कारोबार के साथ साथ दीन की ख़िदमत भी अंजाम दे रहे हैं।

"हिस्ने हसीन" में है जब बच्चा सात साल की उम्र का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़वाए और नमाज़ न पढ़नें पर मुनासिब सज़ा भी दे और नौ बरस की उम्र में उसका बिस्तर अलग कर दे। (हिस्ने हसीन सफ़हा–167)

बच्चों को बुरे लोगों में बैठने, बदमआ़श लड़कों में खेलने से बाज़ रखे लेकिन इतनी सख़्ती भी न करे कि वह बाग़ी हो जाऐं और इस क़दर लाड प्यार भी न करें कि वह ज़िद्दी, हटधर्म और गुस्ताख़ बन जाऐं। मुहब्बत के वक़्त मुहब्बत और सख़्ती के वक़्त सख़्ती से पेश आए।

हदीसः हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) इरशाद फ़रमाते हैं:

ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن

तर्जुमाः कोई बाप अपनी औलाद को उससे बेहतर तोहफ़ा नहीं दे सकता कि वह उसका अच्छी तालीम दे।

(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द–1 बाब–1299 हदीस–2018 सफहा–913)

बच्चों से मुहब्बत करना सुन्नत रसूल अल्लाह (स.अ.व.) है। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों तो सब बच्चों के साथ बराबरी और इंसाफ़ का सुलूक करे चाहे वह लड़का हो या लड़की।

हदीसः अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया:

"अल्लाह तआ़ला पसंद करता है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान अ़द्ल (बराबरी व इंसाफ़) करो यहाँ तक कि उनका बोसा लेने में भी बरबारी रखो।"

(क़ानूने शरीअ़त जिल्द–2 सफ़हा–243)

हदीसः और फ़रमाते हैं आक़ा (स.अ.व.): "तोहफ़ा देने में अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ़ करो जिस तरह तुम ख़ुद ये चाहते हो कि वह सब तुम्हारे साथ एहसान व मेहरबानी में इंसाफ़ करें।"

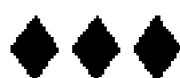
(तिबरानी शरीफ़)

औलाद के हुक़ूक़ में सब से अहम हक़ ये है कि उन्हें हलाल कमाई से खिलाऐं, हराम की कमाई से ख़ुद बचें और अपनी औलाद को भी बचाऐं।

ऐ अल्लाह! हमें अपने हबीब और हमारे प्यारे आक़ा व मौला (स.अ.व.) के सदक़े तुफ़ैल में सिरातलमुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जब तक दुनिया में रहे इमाम आज़म (रज़ि.) के सही मानों में मुक़ल्लिद बन कर रहे, फ़ि ज़माना मज़हब अहलेसुन्नत की पहचान इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ अलैहिरहमा की मुहब्बत व उलफ़त से दिल को मामूर रख और जाने ईमान मसलक आला हज़रत पर क़ाएम व दाएम रख, वक़्त आख़िर ईमान के साथ ख़ातमा बिलख़ैर अता फ़रमा। आमीन! बजाह हबीबुलकरीम अ़लैह व अ़ला आलिहिस्सलातु व तस्लीम।

वमा अलैना इल्ललबलागुल मुबीन

-: ख़त्म शुद :-



माखूज़ व मुराजमा

करीन-ए-ज़िन्दगी में इन किताबों से हवालाजात लिए गए हैं।

कुरआन करीम	तर्जुमा कंजुलईमान शरीफ़ अज़ आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ाँ (रज़ि.)
तफ़्सीर रूहुलबयान	मुफ़स्सिर कुरआन हज़रत अल्लामा इस्माईल हक्क़ी तुर्की (रज़ि.)
तफ़्सीर ख़ज़ाईनुलइरफ़ान	सदरुल फ़ाज़िल हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी (रज़ि.)
अलइसरारुल मेराज	मन्सूब सहाबी रसूल रईसुलमुफ़स्सरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.)
मसनद इमाम आज़म	हज़रत इमाम आज़म अबूहनीफ़ा नोमान बिन साबित कूफ़ी (रज़ि.)
मुअत्ता इमाम मालिक	हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह मालिक बिन अनस बिन मालिक (रज़ि.)
मसनद इमाम अहमद	हज़रत इमाम अहदम बिन हंबल (रज़ि.)
बुख़ारी शरीफ़	हज़रत इमामुलमुहद्दसीन अबू अब्दुल्लाह बिन इस्माईल बुख़ारी (रज़ि.)
मुस्लिम शरीफ़	हज़रत इमाम अबुलहुसैन असाकरुद्दीन मुस्लिम बिन हुज्जाज कशीरी (रज़ि.)
अबूदाऊद शरीफ़	हज़रत इमाम अबूदाऊद सुलैमान बिन अशअत सजस्तानी (रज़ि.)
तिर्मिज़ी शरीफ़	हज़रत इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी (रज़ि.)
निसाई शरीफ़	हज़रत इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन यज़ीद

	रबई इब्न माजा कज़्नी (रज़ि.)
मिश्कात शरीफ़	हज़रत इमाम मुहम्मद अब्दुल्लाह वलीउद्दीन बिन अब्दुल्लाह ख़तीब तबरेज़ी (रज़ि.)
किताबुल शिफ़ा	हज़रत इमाम अबुलफ़ज़ल काज़ी ऐयाज़ बिन मूसा मालिकी उन्दलुसी (रज़ि.)
तिबरानी शरीफ़	हज़रत इमाम अबुलक़ासिम सलेमान बिन अहमद तिबरानी (रज़ि.)
बहेक़ी शरीफ़	हज़रत इमाम अबूबक्र अहमद बिन हुसैन बिन अली (रज़ि.)
सही हाकिम	हज़रत इमाम मुहद्दिस अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हाकिम (रज़ि.)
दार क़तनी	हज़रत इमाम अबुलहसन अली बिन उमर बिन अहमद (रज़ि.)
बुस्तान शरीफ़	हज़रत इमाम फ़क़ीहा अबुल्लैस समर क़ंदी (रज़ि.)
तंबीहुलग़ाफ़िलीन	हज़रत इमाम फ़क़ीहा अबुल्लैस समर क़ंदी (रज़ि.)
अहयाउलउलूम	हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.)
कीमियाए सआदत	हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.)
मकाशफ़तुलक़ुलूब	हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली (रज़ि.)
तज़किरतुलऔलिया	हज़रत इमाम मुहम्मद बिन अबी बक्र शैख़ फ़रीदुद्दीन अत्तार (रज़ि.)
ग़ुनयतुत्तालिबीन	हज़रत सैयदना ग़ौसुलआज़म शैख़ अब्दुलक़ादिर जीलानी (रज़ि.)
कशफ़ुलमहजूब	हज़रत शैख़ अली हजवीरी दाता गंज बख़्श लाहौरी (रज़ि.)
हिस्ने हसन	हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद अलजज़री शाफ़ई (रज़ि.)
शरहुस्सुदूर	ख़ातिमुलहुफ़्फ़ाज़ इमाम अबुलफ़ज़ल अब्दुर्रहमान

	जलालुद्दीन सयूती (रज़ि.)
अशअतुलमआत	हज़रत मुहक्किक शैख़ अब्दुल हक बिन सैफुद्दीन मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.)
मदारिजुलनबूवत	हज़रत मुहक्किक शैख़ अब्दुल हक बिन सैफुद्दीन मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.)

मासबत बिरिसना फी अैयामुलस्सुना - हज़रत मुहक्किक शैख़ अब्दुल हक बिन सैफुद्दीन मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.)

करअ अलइस्माअ बइख़्तिलाफ़ अकवाल मशाइख़ व अहवालहुम फ़िस्समाअ - हज़रत मुहक्किक शैख़ अब्दल हक मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.)

दुर्रेमुख़्तार	हज़रत इमाम अलीउद्दीन मुहम्मद बिन अली हसकफ़ी (रज़ि.)
फतावा आलमगीरी	बाएहतमाम हज़रत सुलतान औरंगज़ेब आलमगीरी (रज़ि.)
अलकौलुलजमील	हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी (रज़ि.)
फतावा रिज़विया	इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)
फ़तावा अफ़्रीका	इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)
अहकामे शरीअत	इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)

हादी अन्नास फी रसूमुलअरास - इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)

अताया अलकदीर फि हुक्म तस्वीर - इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)

शिफ़ाउलवाला फि सूरुलहबीब व मज़ारा व नआला - इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)

जमलुलनूर फि नहीउन्निसा अन ज़्यारतुलकुबूर - इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)

इरादतुलअदब लफ़ाज़िलुलनस्ब - इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)

इज़ालतुलआर बहजरुलकराईम अन किलबिन्नार - इमाम अहलेसुन्नत आला

	हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)
अलमलफ़ूज़	इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरैलवी (रज़ि.)
वज़ाइफ़ रिज़विया	इमाम अहलेसुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ाँ बरेलवी (रज़ि.)
फ़तवा मुस्तफ़ूया	शहज़ादा आला हज़रत हज़ूर मुफ़्तीए आज़म हिन्द मुस्तफ़ा रज़ा ख़ाँ अलैहिरहमा
बहारे शरीअ़त	सदरुश्शरीआ़ हज़रत अल्लामा मुहम्मद अमजद अली साहब (रह.)
क़ानूने शरीअ़त	शम्सुलउलमा हज़रत अल्लामा शम्सुद्दीन अहमद जाफ़री (रह.)
इस्लामी ज़िन्दगी	हकीमुलउम्मत हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अहमदयार ख़ाँ नईमी (रह.)
फ़तावा फ़ैज़ुल रसूल	उस्ताज़ुलउलमा हज़रत अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिरहमा
जवानी की हिफ़ाज़त	हज़रत शाह अब्दुलअलीम सिद्दीकी मेरठी साहब (रह.)
शमा शुबिस्ताने रज़ा	हज़रत अलहाज सूफ़ी इक़बाल अहमद नूरी साहब (रह.)

